हिमाचल प्रदेश

का

आर्थिक सर्वेक्षण

2007–08

NUEPA DC
D13299

अर्थ एवम् संख्या विभाग

338.95452
HIM-07-HIP

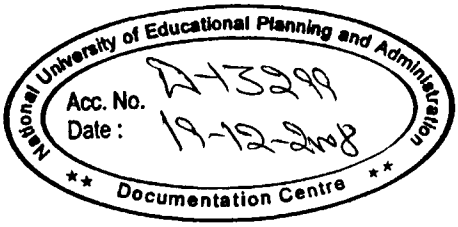

प्रस्तावना

आर्थिक सर्वेक्षण बजट प्रलेख है जो सरकार की मुख्य आर्थिक गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2007–08 में हिमाचल प्रदेश अर्थ–व्यवस्था की स्थिति व प्रगति की समीक्षा प्रथम भाग में तथा सांख्यिकी तालिकायें भाग दो में दी गई हैं।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। इस सर्वेक्षण के लिये इतनी अधिक तथा विस्तृत सामग्री का एकत्रीकरण, संकलन और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग ने किया है। मैं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम की प्रशंसा करता हूं।

अरविन्द मैहता
सचिव
(वित्त, योजना तथा अर्थ एवं सांख्यिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

विषय सूची

		पृष्ठ
1. सामान्य समीक्षा		1
2. राज्य आय		9
3. मुद्रा एवं बैंक		12
4 भाव एवं खाद्य व्यवस्था		18
5. कृषि व सम्बन्धित क्षेत्र	..	21
6. उद्योग एवं रोजगार	..	35
7. विद्युत	..	40
8. परिवहन एवं संचार	..	52
9. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	..	55
10. सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं	..	57
11. शहरी विकास	..	72
12. ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज	..	74
13. सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	..	79

भाग–1

वर्ष 2007–08 की प्रगति की समीक्षा

1. सामान्य समीक्षा

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 वर्ष 2006–07 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सशक्त समष्टिपरक आर्थिक सिद्वातों के अनुरूप निर्धारित विकास क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हुआ है जोकि आगे भी जारी रहेगा लेकिन मुद्रा स्फिति पर चिन्ता विचारणीय रहेगी। भारत तीव्र गति से आर्थिक विकास पर अग्रसर है तथा पिछले दो वर्षों में 9.4 तथा 9.6 प्रतिशत की विकास दर तक पहुंच गया है। मध्यम वर्ग में समृद्धि स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है।

1.2 समस्त वृहद्व आर्थिक सिद्वांत विशेषकर मजबूत भुगतान संतुलन व राजस्व एकत्रीकरण के क्षेत्र में बहुत ही सशक्त एवं व्यवहारिक हैं। विश्व भारत को तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखता है तथा इस स्थिति को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। समस्त विश्व भारत में निवेश में वृद्वि के लिए भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है।

1.3 पिछले कुछ वर्षों की योजनाओं में लगातार वृद्वि को देखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना के 8 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलनाा में ग्याहरवी पंचवर्षीय योजना की औसत वार्षिक वृद्वि का लक्ष्य 9 प्रतिशत रखा गया है। आर्थिक सफलता अर्थ–व्यवस्था के ठोस प्रयासों पर निर्भर करती है। इस समय हमारी अर्थ–व्यवस्था तीव्र उंची विकास वृद्वि में प्रवेश कर रही है तथा विश्व में आ रही मंदी व अन्य कुचक्रों का हमारी अर्थ--व्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1.4 स्थिर भावों (नया आधार 1999–2000) पर वर्ष 2006–07 में कुल सकल घरेलू उत्पाद 28,64,310 करोड़ रूपये आंका गया है जबकि 2005–06 में यह 2612,847 करोड़ रूपये आंका गया है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2005–06 में 32,75,670 करोड़ रूपये की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2006–07 में लगभग 37,90,063 करोड रूपये है जो कि 15.7 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में भारतीय अर्थ–व्यवस्था (आधार 1999–2000) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2005–06 के 9.4 प्रतिशत की तुलना में 9.6 प्रतिशत की वृद्वि दर प्राप्त की। वर्ष 2006–07 में सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्वि मुख्यतः विनिर्माण में (12.0 प्रतिशत) निर्माण क्षेत्र (12.0 प्रतिशत),, व्यापार व होटल में (8.5 प्रतिशत), यातायात व संचार (16.6 प्रतिशत), वित्त, स्थावर सम्पदा, व व्यवसायिक सेवाएं (13.9 प्रतिशत), व्यक्तिगत सेवाएं (6.9 प्रतिशत) और विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति क्षेत्र में 6.0 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत की वृद्वि खनन तथा उत्खनन में हुई।

1.5 वित्तीय वर्ष 2007–08 में लगभग 8.7 प्रतिशत पूर्वानुमान वृद्वि दर आंकी गई है।

1.6 प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2005–06 में 25,956 रूपये थी वर्ष 2006–07 में 14.2 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाते हुए यह 29,642 रूपये हो गई। स्थिर (1999–2000) भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2005–06 में 20,858 रूपये से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 22,553 रूपये हो गई जो कि 8.1 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाती है।

1.7 मुद्रा स्फीति रोकना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। थोक भाव सूचकांक के आधार पर दिसम्बर, 2007 के अंतिम सप्ताह में मुद्रा–स्फीति की दर 3.5 प्रतिशत रही जोकि दिसम्बर, 2006 के अंतिम सप्ताह में भी इसी स्तर पर थी। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मुल्य सूचकांक में यह वृद्वि दिसम्बर ,2006 में 5.3 प्रतिशत थी जबकि यह दिसम्बर,2007 में 5.5 प्रतिशत हो गई।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

1.8 हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र विकास में अग्रणी, फल उत्पादन के परिक्रमण और साथ ही में उद्योग, विद्युत और पर्यटन के निवेश में अधिमानित गंतव्य के रूप में उभर रहा है। मूल्य आधारित कार्यक्षमता के साथ, सभ्यता व परम्परा, उदार व्यापार और अन्य अत्याधिक प्रतिस्पर्धा उपायों से अर्थ–व्यवस्था में अपनी वचनबद्धता, आधारभूत संरचना के कारण प्रदेश एक हृष्ट पुष्ट अर्थ–व्यवस्था की ओर अग्रसर है। प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था सामानातर विकास दर से बढ रही है । प्रचलित वर्ष में 8.5 प्रतिशत की विकास दर आने की संभावना है जोकि गत वर्ष 9.2 प्रतिशत थी।

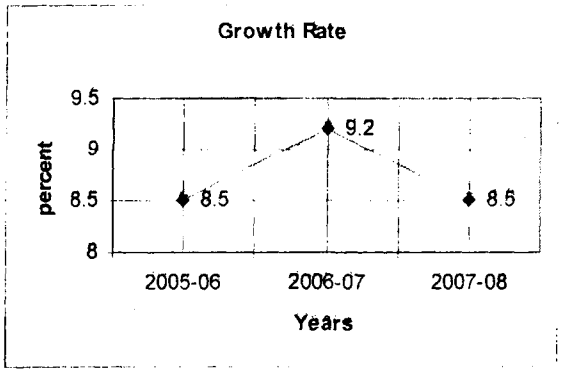

यह तथ्य इसके बावजूद कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों पर निर्भर करती है और कृषि उत्पादन में आया तनिक उतार–चढ़ाव विकास दर को प्रभावित करता है।

1.9 वर्ष 2005–06 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (1999–2000 के भावों) पर 20,928 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2006–07 (द्रुत) में 22,854 करोड़ रूपये हो जाने से इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रही जबकि यह दर पिछले वर्ष 8.5 प्रतिशत थी। प्रचलित भावों पर समस्त घरेलू उत्पाद वर्ष 2005–06 में 25,471 करोड़ रूपये की तुलना मे 2006–07(द्रुत) में 28,358 करोड़ रूपये आंका गया है। यह 11.3 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है।

1.10 वर्ष 2005–06 में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 33,819 रूपये से बढ़कर 2006–07(द्रुत) अनुमानों के अनुसार 36,657 रूपये हो गई जो कि 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सकल घरेलू उत्पाद में अधिक वृद्धि का मुख्य कारण गौण क्षेत्रों की 16.0 प्रतिशत, 12.4 प्रतिशत,यातायात व व्यापार क्षेत्र की 8.2 प्रतिशत सेवा क्षेत्र की विकास दर है। जबकि प्राथमिक क्षेत्रों में कमी सेब उत्पादन में गिरावट के कारण आई है। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2005–06 में 10.69 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2006–07 में 14.97 लाख मीट्रिक टन (सम्भावित) हुआ और 2007–08 में उत्पादन 15.87 लाख मीट्रिक टन (सम्भावित) है।फल उत्पादन में मुख्यतः 46.9 प्रतिशत की कमी हुई जबकि फल उत्पादन वर्ष 2005–06 में 6.95 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 2006–07 में 3.69 लाख मीट्रिक टन हुआ। वर्ष 2007–08 में, दिसम्बर,2007 तक, कुल फल उत्पादन 6.96 लाख मीट्रिक टन हुआ।

सारणी–1.1
मुख्य सूचक

सूचक	2005–06	2006–07	2005–06	2006–07
	कुल पूर्ण मान		पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रूपयों में)				
प्रचलित भावों पर	25471	28358	10.4	11.3
स्थिर भावों पर	20928	22854	8.5	9.2
खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)	10.69	14.97	(–) 28.2	40.0
फलोत्पादन (000 टनों में)	695.50	369.10	0.4	(–) 46.9
उद्योग क्षेत्र का घरेलू उत्पाद (करोड़ रूपयों में)*	2891	3197	10.1	10.5
विद्युत उत्पादन (मिलियन युनिट)	1332	1432	2.9	7.5
थोक भाव सूचकांक	195.8	206.6	4.6	5.5
श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (हि.प्र.)	114	122	4.6	7.0

***प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद**

1.11 वर्ष 2007 के दिसम्बर माह तक आर्थिक स्थितियों के मध्यनज़र व अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर वर्ष 2007–08 में 8.5 प्रतिशत होने की संभावना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की औसत विकास दर 7.6 प्रतिशत है जोकि राष्ट्रीय स्तर पर 7.8 प्रतिशत है।

1.12 प्रदेश की अर्थ व्यवस्था जोकि मुख्यतः कृषि व संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भर है में 1990 के दशक में विशेष उतार चढाव नहीं आए और विकास दर अधिकांशतः स्थिर ही रही। इस दशक में औसत वार्षिक विकास दर 5.7 प्रतिशत रही जोकि राष्ट्रीय स्तर के समरूप ही है। अर्थ व्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रूझान पाया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान जो वर्ष 1950–51 में 57.9 प्रतिशत था तथा घटकर 1967–68 में 55.5 प्रतिशत, 1990–91 में 26.5 प्रतिशत और 2006–07 में 17.80 प्रतिशत रह गया।

1.13 उद्योग व सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 1950–51 में क्रमशः 1.1 व 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1967–68 में 5.6 तथा 12.4 प्रतिशत, 1990–91 में 9.4 तथा 19.8 प्रतिशत और 2006–07 में 11.4 प्रतिशत तथा 11.3 प्रतिशत हो गया। शेष क्षेत्रों में 1950–51 के 35.1 प्रतिशत की तुलना में 2006–07 में 60.13 प्रतिशत का सकारात्मक सुधार हुआ है।

1.14 कृषि क्षेत्र के घट रहे अंशदान के बावजूद भी प्रदेश अर्थ–व्यवस्था में इस क्षेत्र की प्रभुता पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अर्थ–व्यवस्था का विकास अधिकतः कृषि उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता रहा क्योंकि कुल घरेलू उत्पाद में इसका मुख्य योगदान है और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश, रोजगार तथा आय सम्बधताओं के कारण इसका विशेष प्रभाव है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा कृषि उत्पादन अभी भी अधिकांशतः सामयिक वर्षा व मौसम स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

1.15 राज्य ने फलोत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु तथा उपजाउ, गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू–स्थिति में भिन्नता तटीय क्षेत्र के उत्पादन

के लिए अन्य समशीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। प्रदेश का क्षेत्र फलोत्पादन के अन्य सहायक व सम्बन्धी उत्पाद जैसे फूल, मशरूम, शहद और हॉप्स की पैदावार के लिए भी उपयुक्त है।

1.16 वर्ष 2007–08 में (दिसम्बर,2007 तक) 6.96 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ तथा 4,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है जिसके विरूद्ध दिसम्बर,2007 तक 4,291 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है। प्रदेश मे बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2006–07 में 9.91 लाख टन सब्जी उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2005–06 में 9.30 लाख टन का उत्पादन हुआ था जोकि 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.17 तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा राज्य के सम्पूर्ण विकास में जल विद्युत प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। जल विद्युत सस्ती, प्रदुषण रहित तथा पर्यावरण मुक्त है। विद्युत नीति सभी मुद्दों जैसे कि क्षमता, विद्युत संरचना, उपलब्धता, दक्षता, पर्यावरण व हिमाचल के लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करने पर जोर देती है। यद्यपि निजी क्षेत्रों के योगदान को यह प्रोत्साहित करती है, परन्तु हिमाचल के नियोजकों के लिए 2 मैगावाट की लघु परियोजनाओं को आरक्षित रखा गया है और 5 मैगावाट की परियोजनाओं में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

1.18 पर्यटन उद्योग जोकि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभर रहा है को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त व उचित सुविधाओं की सरंचना की जा रही है जिसमें भारी लागत वाले कार्य और उन नए क्षेत्रों में व्यावसायिक परियोजनाओं की शुरूआत करना भी सम्मिलित है जहां निजि क्षेत्र अभी प्रारम्भ में कार्य करने से हिचकिचा रहा हैं। विशेष प्रचार अभियान के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की सख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई है जोकि सारणी 1.2 से स्पष्ट है:–

सारणी 1.2

आने वाले पर्यटक (लाखों में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
2002	49.60	1.44	51.04
2003	55.44	1.68	57.12
2004	63.45	2.04	65.49
2005	69.28	208	71.36
2006	76.72	2.81	79.53
2007	84.82	3.39	88.21

1.19 सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार सृजन व राजस्व अर्जन के व्यापक अवसर हैं। इस सन्दर्भ में हिमाचल सरकार ने नेस्काम के सहयोग से आई.टी विजन–2010 तैयार किया है। प्रशासन में प्रवीणता व पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार ने टैलीमैडीसन परियोजना, अस्पताल प्रबन्धन सूचना (एच.एम.आई.एस.) कम्पयूटर काल मैनेजमैंट सिस्टम (सी.सी.एम.एस.) 'हिम स्वान', 'रैफनिक', 'किऔस्क', 'आई.सी.ओ., एस.सी,' और हिम भूमि प्रणालियां प्रदेश में शुरू की है।

1.20 देश में प्रचलित प्रौद्योगिकी में जैव प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभा रही है जिसके वर्ष 2010 तक एक मिलियन से अधिक रोजगार सृजित करने का अनुमान है। राज्य में फार्मा/ दवाइयां, खाद्य एवं पेय, जड़ी–बूटियां, एनजाइमज, जैविक दवांइयां, जैविक खाद, पाइथो रसायन, पुष्पोत्पादन तथा अन्य व्यापारों को बढ़ाने हेतु विभिन्न उद्योगों में असीम अवसर उपलब्ध हैं। प्रौद्योगिकी विकास के स्त्रोतों को बचाने तथा उनके सही प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी हिमाचल को नई उँचाइयों तक पहुंचाएगी।

1.21 मुद्रा–स्फीति रोकना सरकार की प्राथमिकता है।हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2006–07 में अप्रैल से नवम्बर,2007 तक 0.8 प्रतिशत बढा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.7 प्रतिशत रहा।

1.22 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष

व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहाय अनुदान आदि हैं। 2007–08 के बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2007–08 में कुल राजस्व प्राप्तियां 7,305 करोड़ रूपये है जोकि वर्ष 2006–07 में 6,946 करोड़ रूपये थी जो 5.17 प्रतिशत की बढौतरी दिखाती है।

1.23 वर्ष 2005–06 में 1,497 करोड रूपये तथा वर्ष 2006–07 में 1,517 करोड रूपये की तुलना में वर्ष 2007–08 में (बजट अनुमान) राज्य करों से कुल प्राप्त आय 1,951 करोड़ रूपये आंकी गई जोकि वर्ष 2006–07 की आय से 28.61 प्रतिशत अधिक है।

1.24 राज्य के कर रहित राजस्व जिसमें ब्याज प्राप्ति, परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2007–08(बजट अनुमान) में 803 करोड़ रूपये आंका गया था जोकि कुल राजस्व का 11 प्रतिशत था।

1.25 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2007–08 (बजट अनुमान) में 652 करोड़ रूपये आंका गया है जबकि वर्ष 2006–07 में 593 करोड़ रूपये था। जोकि 9.95 प्रतिशत की बढौतरी दिखाता है।

1.26 राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 (बजट अनुमान) में बिक्री करों से प्राप्त आय 1115 करोड़ रूपये आंकी गई है जोकि कुल कर प्राप्ति का 42.84 प्रतिशत है। वर्ष 2006–07 में व वर्ष 2005–06 में यह क्रमशः 36.97 व 36.53 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2007–08 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय 363 करोड़ रूपये आंकी गई है।

1.27 कुल सकल घरेलू उत्पाद में राजस्व घाटे की प्रतिशतता वर्ष 2005–06 व 2006–07 में क्रमशः 0.37 व 0.19 प्रतिशत है।

1.28 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 13,778.00 करोड़ रूपये पर रखा गया है जबकि वर्ष 2008–09 की योजना के लिए 2,400.00 करोड़ रूपये प्रस्तावित है जोकि वर्ष 2007–08 से 14.3 प्रतिशत अधिक है।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए प्रस्तावित क्षेत्रवार व्यौरा निम्न है:–

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रूपय)	प्रतिशत भाग	प्राथमिकता
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	1470.08	10.67	III
2	ग्रामीण विकास	355.62	2.58	VIII
3	विशेष क्षेत्र	20.47	0.15	X
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1220.62	8.86	IV
5	विद्युत	1122.14	8.14	V
6.	उद्योग एवं खनिज	177.68	1.29	IX
7	यातायात एवं संचार	2142.33	15.55	II
8.	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	2.92	0.02	XI
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	798.59	5.80	VI
10	सामाजिक सेवाएं	6060.29	43.98	I
11	सामान्य सेवाएं	407.26	2.96	VII
कुल		**13778.00**	**100.0**	

1.29 **भारत निर्माण**, पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित परियोजना (2005–09), जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचों के विकास, जैसे सिंचाई, सड़कों से जोड़ना, ग्रामीण पेयजल योजना, आवास, ग्रामीण विद्युतिकरण और गांवों को दूरभाष द्वारा जोड़ना, को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है।

1.30 जनता के प्रति बचनबद्धता को निभाने के लिए प्रत्येक सचालित लोक सेवा विभाग में माननीय मुख्यमन्त्री की प्रत्यक्ष देख–रेख में अलग से एक जन शिकायत निवारण विभाग की स्थापना की गई है।

1.31 प्रगति और समृद्धि की कोई सीमा नही है । सरकार की प्राथमिकता हमेशा

शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत और सड़क संरचना रही है। गरीबी को कम करना भी सरकार का लक्ष्य है क्योंकि 90 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। एकताबद्व प्रयासों से लोक सेवा में दक्षता व गुणवता, विशेषता शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण सेवाओं में सुधार किया गया। सामाजिक आर्थिक पुनरूत्थान की राह में मुख्य उपलब्धियां निम्न है:–

- वर्ष 2007–08 में न्यूनतम मजदूरी 75 रूपये से बढ़ाकर 100 रूपये कर दी गई है।
- वृद्वा अवस्था पैंशन, राष्ट्रीय वृद्व अवस्था पैंशन और विधवा पैंशन भी बढ़ाकर 200 रूपये से 300 रूपये की गई है।
- 20,415.62 मैगावाट चिन्हित क्षमता में से 6,370.12 मैगावाट का दोहन किया गया। वर्ष 2006–07 में 1,432 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित की गई।
- 5–100 मैगावाट तक की योजनाओं को एम.ओ.यू. से हटा दिया गया है।
- 2006–07 वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र में 11.3 प्रतिशत की विकास दर आंकी गई तथा औद्योगिक पैकेज को 2013 तक बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूरे प्रदेश में 1अप्रैल,2008 से लागू होगी।
- 11वीं विधान सभा का पहला सत्र धर्मशाला में आयोजित किया गया।
- किसानों को तकनीकी जानकारी तथा मुफत मिट्टी जांच की सुविधा दी जाएगी।
- प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2006–07 में 36,657 रूपये आंकी गई जोकि 2005–06 से 8.4 प्रतिशत अधिक है और **2007–08 के लिए इसका 39,819 रूपये होने का अनुमान है।**
- महिलाओं को पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
- कामकाजी महिलाओं को भैया–दूज तथा रक्षा–बन्धन पर अवकाश दिया गया तथा राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफत सफर की सुविधा प्रदान की गई।
- मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना पुनः शुरू करना।
- चालू वित्त वर्ष में गांव के गरीब गृह विहीन लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 4,242 मकानों का निर्माण किया गया।
- राजीव गांधी आवास योजना के अन्तर्गत 5,516 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए सर्वशिक्षा अभियान पुरजोर चलाया जा रहा है।
- चालू वित्त वर्ष में राज्य परिवहन ने अपना घाटा कम करने के लिए वैट लीजिंग योजना चालू की है।
- अनाथ व निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए, 3 स्कीमों का विलय करके नई स्कीम, **मुख्यमंत्री बाल उधार योजना** चलाई गई।

- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह अनुदान राशि 11,001 रूपये की गई।

- स्थानीय सरकारी संस्थाओं की भागीदारी के द्वारा लोगों के दरवाजे तक चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने हेतू "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" को लागू किया गया।

- भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू नवीकरण योजना के अन्तर्गत शिमला शहर को लाया गया ।

- फलोद्यान के क्षेत्र में हुए विकास ने प्रदेश के अधिकांश लोगों को एक विश्वसनीय आर्थिक मंच प्रदान किया है।

- हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश को वाइड एरिया नेटवर्क (हिमस्वान) से जोड़ दिया है।

सारणी 1.3
राज्य सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय

(करोड़ रूपयों में)

मद	2004–05(वा)	2005–06(वा))	2006–07(स)	2007–08(ब)
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	4635	6559	6946	7305
2. कर राजस्व	1789	1990	2109	2603
3. कर रहित राजस्व	611	690	882	803
4. सहाय अनुदान	2235	3879	3955	3899
5. राजस्व व्यय	5793	6466	7000	7556
क. ब्याज भुगतान	1641	1563	1664	1772
6. राजस्व घाटा (1–5)	–1158	+93	–54	–251
7. पूंजी प्राप्तियां	5600	2247	2465	2379
क. उधार वसूलियां	26	22	25	23
ख. अन्य प्राप्तियां	999	211	326	350
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	4575	2014	2114	2006
8. पूंजी व्यय	4235	2376	2241	2128
9. कुल व्यय	10028	8842	9241	9684
क. योजना व्यय	1591	2013	2209	2238
ख. गैर योजना व्यय	8437	6829	7032	7446

सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत

(प्रतिशत)

1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	20.09	25.75	24.49	22.85
2. कर राजस्व	7.76	7.81	7.44	8.14
3. कर रहित राजस्व	2.65	2.71	3.11	2.51
4. सहाय अनुदान	9.69	15.23	13.95	12.19
5. राजस्व व्यय	25.11	25.39	24.68	23.63
क. ब्याज भुगतान	7.11	6.14	5.87	5.54
6. राजस्व घाटा (1–5)	–5.02	+0.37	– 0.19	– 0.79
7. पूंजी प्राप्तिया	24.28	8.82	8.69	7.44
क. उधार वसूलियां	0.11	0.09	0.09	0.07
ख. अन्य प्राप्तियां	4.33	0.83	1.15	1.09
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	19.83	7.91	7.45	6.27
8. पूंजी व्यय	18.36	9.33	7.90	6.66
9. कुल व्यय	43.48	34.71	32.59	30.29
क. योजना व्यय	6.90	7.90	7.79	7.00
ख. गैर योजना व्यय	36.58	26.81	24.80	23.29

टिप्पणी: वर्ष 2004–05, 2005–06 (सं.), 2006–07 (द्रुत) तथा 2007–08 (अनन्तिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकडें।

2. राज्य आय

राज्य घरेलू उत्पाद

2.1 राज्य आय अथवा राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित मापदण्ड़ है। द्रुत अनुमानों के अनुसार स्थिर भावों पर (आधार 1999–2000) वर्ष 2006–07 में प्रदेश का समस्त घरेलू उत्पाद 22,854 करोड़ रूपये आंका गया जबकि वर्ष 2005–06 में यह 20928 करोड़ रूपये था। वर्ष 2006–07 में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर स्थिर भावों (आधार:1999–2000) पर 9.2 प्रतिशत रही।

2.2 प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2005–06 में 25471 करोड़ रूपये से बढ़कर 2006–07 में 28358 करोड़ रूपये हो गया जो कि 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विकास दर की इस वृद्धि का मुख्य श्रेय कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि को है। वर्ष 2005–06 में 10.69 लाख टन खाद्यान्न की तुलना में 2006–07 में 14.97 लाख टन हुआ। वर्ष 2005–06 में सेब उत्पादन 5.40 लाख टन की तुलना में वर्ष 2006–07 में घट कर 2.68 लाख टन हुआ।

2.3 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता तथा औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण खाद्यान्नों व फलों के उत्पादन का उतार–चढाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। वर्ष 2006–07 के दौरान कुल राज्य की आय का लगभग 17.80 प्रतिशत योगदान कृषि व संबंधित क्षेत्रों से ही प्राप्त हुआ है।

2.4 राज्य की अर्थ–व्यवस्था वृद्वि स्थिति स्थापन की ओर अग्रसर है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय स्तर के 8.7 प्रतिशत वृद्वि की तुलना में 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

2.5 गत तीन वर्षों में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर आगे सारणी में दर्शाई गई है:–

सारणी 2.1

(प्रतिशत)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
2005–06(संशोधित)	8.5	9.4
2006–07(द्रुत)	9.2	9.6
2007–08 (अग्रिम)	8.5	8.7

प्रति व्यक्ति आय

2.6 राज्य आय के द्रुत अनुमानों 1999–2000 श्रंखलाा के अनुसार 2006–07 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 36,657 रूपये है जोकि 2005–06 में 33,817 रूपये की तुलना में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। स्थिर भावों पर वर्ष 2005–06 में प्रति व्यक्ति आय 27,232 रूपये आंकी गई थी जो कि वर्ष 2006–07 में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 28,236 रूपये हो गई।

विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

2.7 क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2006–07 में प्रदेश की राज्य आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान 21.57 प्रतिशत रहा । गौण क्षेत्रों का 40.64 प्रतिशत, सामुदायिक वैयक्तिक क्षेत्रों का 15.47 प्रतिशत, परिवहन संचार एवं व्यापार का 13.22 प्रतिशत तथा वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान 9.10 प्रतिशत रहा।

2.8 प्रदेश अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में इस दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए गए। कृषि क्षेत्र जिसमें उद्यान व पशुपालन भी सम्मिलित है का प्रतिशत योगदान

वर्ष 1990–91 में 26.5 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2006–07 में 17.80 प्रतिशत रह गया। फिर भी प्रदेश अर्थव्यस्था में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व रहा। यही कारण है कि खाद्यान्न उत्पादन में आया तनिक भी उतार–चढाव अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, जिनमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खनन व उत्खनन सम्मिलित हैं, 1990–91 में 35.1 प्रतिशत से घट कर 2006–07 में 21.57 प्रतिशत रह गया।

2.9 गौण क्षेत्रों जिनका प्रदेश अर्थव्यवस्था में दूसरा प्रमुख स्थान हैं में वर्ष 1990–91 के पश्चात महत्वपूर्ण सुधार हुआ। इसका प्रतिशत योगदान वर्ष 1990–91 में 26.50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 40.64 प्रतिशत हो गया जो कि प्रदेश औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण की ओर स्पष्ट रूझान को दर्शाता है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति जो कि गौण क्षेत्रों का ही एक अंग है का भाग वर्ष 1990–91 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 7.39 प्रतिशत हो गया अन्य सेवा सम्बन्धी क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, यातायात, संचार, बैंक, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का योगदान भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2006–07 में 37.79 प्रतिशत रहा।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

2.10 वर्ष 2006-07 में विभिन्न क्षेत्रों की निम्न रूपेण प्रगति के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 9.2 प्रतिशत रही ।

प्राथमिक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र	2006–07 (करोड़ रु0 में)	% कमी /बृद्धि
1. कषि एवं अन्य	4183	-4.2
2. वन	561	2.2
3. मत्सय	31	-4.8
4.खनन तथा उत्खनन	80	13.7
कुल प्राथमिक	4855	-3.2

2.11 प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी, मत्सय खनन तथा उत्खनन सम्मिलित हैं, के विकास में वर्ष 2006–07 में 3.2 प्रतिशत की कमी रही। मौसम के अनुकूल न रहने के कारण कृषि उत्पादन पिछले वर्ष के बराबर न रहने के कारण इस क्षेत्र के विकास दर में कमी आई।

गौण क्षेत्र

गौण क्षेत्र	2006-07 (करोड़ रु0 में)	% कमी /बृद्धि
1. विनिर्माण	2737	11.3
2. निर्माण	4736	18.6
3. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	1738	17.0
कुल गौण क्षेत्र	9211	16.0

2.12 इस क्षेत्र में जिसमें विनिर्माण, पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण तथा विद्युत गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित हैं, वर्ष 2006–07 में 16.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जोकि राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। इस क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि इस विषय की दर्शाती है कि अर्थ–व्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से गौण क्षेत्र की ओर अग्रसर है।

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र	2006-07 (करोड़ रु0 में)	% कमी /बृद्धि
1.परिवहन, संचार व व्यापार	2957	8.5
2.वित्त एवं स्थायवर सम्पदायें	2147	16.4
3. सामुदायिक संवायें	3684	8.2
कुल सेवा क्षेत्र	8788	7.3

परिवहन, संचार एवं व्यापार

2.13 वर्ष 2006–07 में इस क्षेत्र के अधीन विकास दर 8.5 प्रतिशत रही। इस क्षेत्र का परिवहन से सम्बन्धित भाग 9.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है जो राष्ट्रीय स्तर के बराबर है।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

2.14 इस क्षेत्र में बैंक, बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2006–07 मे 16.4 प्रतिशत रही ।

सामुदायिक एवं निजि सेवाएं

2.15 इस क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2006–07 में 8.2 प्रतिशत है ।

सम्भावनाएं–2007–08

2.16 दिसम्बर ,2007 तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर आधारित अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2007–08 में विकास दर **8.5 प्रतिशत** आने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर **8.7 प्रतिशत** है। प्रदेश ने गत दो वर्षों में विकास की दर 9.2 प्रतिशत, 8.5 प्रतिशत प्राप्त की हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) लगभग 31,974 करोड़ रूपये होने की संभावना है।

2.17 अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 2006–07 में 36,657 रूपये की तुलना में वर्ष 2007–08 में 39,819 रूपये आंकी गई है जोकि 8.6 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय 29,642 रूपये आंकी गई है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर की इस आय से 23.7 प्रतिशत अधिक है।

2.18 हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर सदैव समस्त भारत की विकास दर के समकक्ष ही रहती रही है, जैसा कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया है:–

सारणी 2.2

अवधि	औसतन विकास दर प्रतिशत	
	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)	(+) 1.6	(+) 3.6
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)	(+) 4.4	(+) 4.1
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)	(+) 3.0	(+) 2.4
वार्षिक योजना (1966–67 से 1968–69)	..	(+) 4.1
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)	(+) 3.0	(+) 3.4
पंचम पंचवर्षीय योजना(1974–78)	(+) 4.6	(+) 5.2
वार्षिक योजना (1978–79 से 1979–80)	(-) 3.6	(+) 0.2
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)	(+) 3.0	(+) 5.3
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)	(+) 8.8	(+) 6.0
वार्षिक योजना (1990–91)	(+) 3.9	(+) 5.4
वार्षिक योजना (1991–92)	(+) 0.4	(+) 0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	(+) 6.3	(+) 6.2
नवम पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	(+) 6.4	(+) 5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–2007	(+) 7.6	(+) 7.8

3. मुद्रा एवं बैंक

3.1 अर्थव्यवस्था को विकसित करने में बैंकों की विशेष भूमिका हैं । बैंक ऐसी सामाजिक बैंकिग नीतियां व कार्यक्रम तैयार करता हैं जिनका उद्वेश्य अर्थ–व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों कृषि और उद्योग की प्रगति व किसानों, कारीगरों, व्यवसायिओं और स्वरोजगारों के किया–कलापों को लाभान्वित कर गरीबी दूर करना है ।

3.2 सितम्बर,2007 को राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण/सहकारी बैंकों सहित बैंकों की कुल 1,278 शाखाएं थीं । इस समय हिमाचल प्रदेश में 20 वाणिज्यिक बैंकों की 702 शाखाएं हैं जिनमें से 560 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 142 शाखाएं शहरी/अर्ध–शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस.बी.आई.), पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.), यूनाईटेड कमर्शियल बैंक (यूको बैंक) तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एस.बी.ओ. पी.) मुख्य बैंक हैं जिनकी 581 शाखाएं हैं। राज्य में इस समय दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (i) हिमाचल ग्रामीण बैंक तथा (ii) पर्वतीय ग्रामीण बैंक हैं जिनकी क्रमशः 117 तथा 28 शाखाएं हैं। आठ निजी क्षेत्र के बैंक जिनकी 27 शाखाएं कार्यशील है।

3.3 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित एक अल्पावधि ऋण ढांचे का शीर्ष बैंक है। हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, मण्डी, सिरमौर, तथा चम्बा में इसकी 175 शाखाएं हैं इनमें एक शाखा दिल्ली भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य में दो केन्द्रीय सहकारी बैंक, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित तथा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं जबकि कांगड़ा, केन्द्रीय सहकारी बैंक की पांच जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, उना तथा लाहौल–स्पिति में 162 शाखाएं हैं तथा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी की केवल सोलन जिलें में 20 शाखाएं हैं।

सितम्बर,2007 तक इन बैंकों द्वारा की गई उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

अग्रिम एवं जमा राशि

3.4 हिमाचल प्रदेश में स्थित लीड़ बैंक स्कीम के अंतर्गत बैंकों में सितम्बर,2007 को शुद्ध पब्लिक जमा 21,993.40 करोड़ रूपये था। वर्ष की दूसरी तिमाही के अन्त में बैंकों की कुल जमा राशि 518.36 करोड़ रूपये बढ़ गई और कुल अग्रिम 80.59 करोड़ रूपये से 10,713.09 करोड़ रूपये बढ़ी। उधार विस्तार के परिणामस्वरूप बैकों का उधार जमा राशि अनुपात दूसरे तिमाही सितम्बर,2007 में 55.46 प्रतिशत हो गया।

सारणी 3.1

हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(करोड़ रूपये)

मद	मार्च, 2007	सितम्बर,2007	छःमाही के दौरान परिवर्तन
1. जमा राशि (पी.पी.डी.)			
ग्रामीण	13706.00	14913.00	1207.00
अर्ध शहरी	7769.04	7080.40	(-) 688.64
कुल	21475.04	21993.40	518.36
2. अग्रिम (ओ/एस)			
ग्रामीण	5457.53	5813.91	356.38
अर्ध शहरी	5174.97	4899.18	(-) 275.79
कुल	10632.50	10713.09	80.59
3. जमा उधार अनुपात (प्रतिशत में)			
ग्रामीण	39.82	38.99	(-) 0.83
अर्ध शहरी	66.61	69.19	2.58
कुल	49.51	55.46	5.95
4. बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड/प्रतिभूतियों में निवेश	827.01	1022.69	195.68
5. निवेश जमा उधार अनुपात में (आईसीडी)(% में)	53.36	53.36	0.00
6. प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:	6360.96	6506.77	145.81
(i) कृषि	1829.49	1823.57	(-) 5.92
(ii) एस एस आई	817.12	910.55	93.43
(iii) सेंवाएं	3714.35	3772.65	58.30
7. गरीबों को अग्रिम	1911.15	1657.34	(-) 253.81
8. ड़ी. आर. आई. अग्रिम	0.79	0.77	(-) 0.02
9. सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में अग्रिम	673.22	440.88	(-) 232.34
10.अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	4271.54	4206.32	(-) 65.22
11.महिलाओं के लिए ऋण	626.17	543.73	(-) 82.44
12. शाखाओं की संख्या	1244	1278	34

प्राथमिकता क्षेत्र में उधार

3.5 राज्य में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा सितम्बर,2007 को समाप्त होने वाली तिमांही में कुल नए उधार 3,512.00 करोड़ रूपये की वार्षिक वचनबद्धता के तुलना में 1,834.61 करोड़ रूपये दिए गए जो 52.24 प्रतिशत उपलब्धि दर्शातें हैं। क्षेत्रवार प्रगति सारणी 3.2 में दर्शाई गई है:–

सारणी 3.2

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	वार्षिक वचनबद्धता 2007–08	वास्तविक उपलब्धि सितम्बर, 07 तक	प्रतिशत उपलब्धि (%)
1	2	3	4
1. कृषि	1021.82	476.42	46.62
2. एस.एस.आई	360.86	174.61	48.39
3. सेवाएं	1571.31	748.40	47.63
कुल प्राथमिक	2953.99	1399.43	47.37
गैर प्राथमिक क्षेत्र	558.01	435.18	77.99
कुल योग:	3512.00	1834.61	52.24

सरकार द्वारा प्रयोजित कार्यकमों के अन्तर्गत बैंकों का योगदान

क. प्रधानमंत्री रोजगार योजना

3.6 हिमाचल प्रदेश में 4,200 ऋण मामलों के लक्ष्य की तुलना में सितम्बर,2007 तक बैंकों ने 1,518 मामले इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किए तथा योजना के अंतर्गत 1,557.26 लाख रूपये वितरित किए गये।

ख. स्वर्ण ज्यन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

3.7 इस योजना के अन्तर्गत व्यैक्तिक स्वरोजगार के 479 मामले स्वीकृत किए गए जिन्हें 207.90 लाख रूपये वितरित किए गए। समूह योजना के अंतर्गत 270 मामले स्वीकृत किए गए तथा सितम्बर,2007 तक 521.50 लाख रूपये समूह को ऋण के रूप में वितरित किए गए।

ग. स्वर्ण ज्यन्ती शहरी रोजगार योजना(एस.जे.एस.आर.वाई.)

3.8 गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन की यह योजना प्रदेश के सभी शहरों में स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जा रही है। बैंको द्वारा इस कार्यकम के अन्तर्गत 73 ऋण मामलों के लक्ष्य की तुलना में सितम्बर,2007 तक 41 ऋण मामले 16.32 लाख रूपये के स्वीकृत किए गए।

घ. मैला ढ़ोने वाले लोगों की मुक्ति व पुनर्वास

3.9 इस योजना के अन्तर्गत सितम्बर,2007 तक विभिन्न बैंकों ने वार्षिक 600 मामलों के लक्ष्य की तुलना में 59.00 लाख रूपये की राशि से 113 मामले स्वीकृत किए गए जिनमें से 110 मामलों को 57.65 लाख रूपये की राशि वितरित की गई।

ड. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/ आयोग–मार्जन मनी योजना

3.10 इस योजना के अंतर्गत सितम्बर,2007 तक 14.38 करोड़ रूपये की राशि से 295 मामले स्वीकृत किए गए जिनमें से 272 मामलों को 13.32 करोड़ रूपये की राशि दी गई ।

च. स्वरोजगार केडिट कार्ड योजना:–

3.11 इस योजना के अन्तर्गत सितम्बर,2007 तक 6.88 करोड़ रूपये की राशि से बैकों द्वारा छोटे ग्रामीण कारीगरों तथा स्वंय रोजगार व्यक्तियों को 1,190 स्वरोजगार केडिट कार्ड दिए गए।

छ. सूक्ष्म वित्त

3.12 बैंकों ने राज्य में 43,658 स्वय सहायता समूह गठित किए जिनमें से 40,291 स्वय सहायता समूह को ऋण के लिए बैंकों से सम्बद्ध कर लिया गया है । बैंकों ने 179.25 करोड़ रूपये के ऋण इन समूहों को स्वीकृत किए हैं।

ज. किसान केडिट कार्ड

3.13 इसके अतिरिक्त सितम्बर,2007 तक बैंकों ने 3,28,295 किसान केडिट कार्डों के माध्यम से 816.74 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किए हैं।

झ. महिला उद्यमियो को ऋण सुविधा

3.14 30 सितम्बर,2007 तक बैंकों ने महिला उद्यमियों को 543.73 करोड़ के ऋण दिए जो कि प्रदेश में दिए गए कुल ऋण का 5.08 प्रतिशत है।

ड. हि0प्र0 में शत–प्रतिशत परिवारों का वित्तीय समावेश

3.15 राज्य में बैंकों ने सभी परिवारों के लिए वित्तीय सेवाएं देने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण से दौरान बैकों ने 31.01.2007 तक प्रत्येक परिवार के लिए खाता खोलने की सेवाएं प्रदान कर दी हैं। राज्य में बैंकों ने इस प्रस्ताव को वित्तीय सेवाएं बिना किसी बचत बैंक खाता, आम उधार कार्ड एवं किसान उधार कार्ड इत्यादि के प्रदान की है।

ट. हि0प्र0 में सभी सरकारी कोषों को बैंकिग कोषों में बदलना

3.16 प्रदेश में सभी सरकारी कोषागारों को बैंकों मे बदलकर कोषागार का समस्त कार्य बैंकों के द्वारा किया जाएगा।

ठ. हि0प्र0 में बैंक सेवाओं के सुधार के लिए आर.वी.आई. का कार्य दल

3.17 हि0प्र0 में बैंक सेवाओं में सुधार के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। कार्य दल ने अपनी रिर्पोट पहले ही प्रस्तुत कर दी है एवं कार्य दल की संस्तुतियां सभी बैंकों ने राज्य में कार्यान्वित कर दी हैं।

ड. हि0प्र0 में शत–प्रतिशत प्राद्योगिकीय समावेश

3.18 राज्य में पहुंच से बाहर बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न बैंकों ने प्रत्येक जिलों में प्राद्योगिकीय समावेश चलाने की प्रकिया शुरू कर दी है।

ढ़. हि0प्र0 में सम्पूर्ण विकास के लिए गांव अंगीकरण योजना

3.19 नावार्ड के सकीय सहयोग के साथ समस्त बैंक गांव के अंगीकरण योजना को चला रहे हैं। पूरे प्रदेश में समस्त बैंक गांव के अंगीकरण के लिए गांव की पहचान कर रहे हैं जिनमें से मुख्य बैंक जैसे यूको बैंक, पी.एन.बी., एस.वी.आई. एवं एस.वी.ओ.पी. अंगीकृत गांव में कार्य शुरू कर चुके हैं।

नाबार्ड

3.20 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में पौध–रोपण एवं बागवानी, ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, लघु सिंचाई तथा अन्य कृषि क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण ऋण वितरण तरीकों का राज्य में सुदृढ़ीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य मे पर्याप्त सहयोग दिया है । नाबार्ड के अधिक से अधिक व कियात्मक सहयोग के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत से सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त केंद्रीय प्रायोजित उधार के साथ उपदान की योजनाएं जैसे पशुपालन एवं कुक्कुट विकास/कृषि विपणन के मूलभूत ढ़ांचे के सुदृढीकरण, बगीचों के मानकीकरण, जनजातीय विकास निधि, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जातीय क्षेत्रों में वर्षा के पानी द्वारा कृषि योजना, फलों की पैदावार के लिए वातानुकुलित गोदामों का निर्माण/उन्नयन, ग्रामीण गोदामों का निर्माण, एग्रीक्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र इत्यादि योजनाओं को भी कर रहा है।

ग्रामीण सुविधा सरचना

3.21 भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995–96 में ग्रामीण सुविधा संरचना फंड (आर. आई.डी.एफ.) की स्थापना की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमो को, चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ऋण दिए जाते हैं। किसी स्थान से संबंधित विशेष सरंचना ढांचे के विकास हेतु जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था से हो के लिए इस योजना का विस्तार पंचायती राज संस्थाओं, स्वंय सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों तक भी कर दिया गया है ।

3.22 आर.आई.डी.एफ. योजना के लागू होने से 31 दिसम्बर,2007 तक सरकार को विविध क्षेत्र में 3,765 परियोजनाओं जैसे सिंचाई, सड़क, व पुल, पीने का पानी, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण व प्राथमिक पाठशाला के कमरों के निर्माण हेतु 1,690.06 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई हैं।

3.23 चालू वित्त वर्ष में 31 दिसम्बर,2007 तक ग्रामीण सुविधा संरचना विकास फंड के अन्तर्गत 176.98 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए। वर्ष 2007–08 के दौरान प्रदेश सरकार को 143.58 करोड़ रूपये वितरित किए गए जिससे सरकार को अब तक का कुल वितरण 1,098.77 करोड़ रूपये हो गया है ।

3.24 स्वीकृत परियोजनाओं के कियान्वयन/ पूर्ण होने के उपरान्त 63,096 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई, 5,365 कि. मी. वाहन योग्य सड़कें, 12,840 मी. लम्बे पुलों का निर्माण, 4,086 हैक्टेयर भूमि का बाढ़ नियंत्रण व 7,427 हैक्टेयर भूमि को जल संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत लाया जाएगा। प्राथमिक पाठशालाओं में 1,220 कमरों का निर्माण व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 64 विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा।

पुनः वित्त सहायता

3.25 डेरी विकास, पौध रोपण, उद्यान, कृषि यंत्र रचना, लघु सिंचाई, भूमि विकास, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना व गैर कृषि क्षेत्र की उन्नति इत्यादि विभिन्न कार्यो के लिए नाबार्ड द्वारा 31दिसम्बर,2007 तक प्रदेश में कार्यरत विभिन्न बैंकों को 132.06 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता वर्ष 2007–08 के दौरान दी गई। नाबार्ड सिंचाई योजनाओं के लिए भी ऋण सुविधा बढ़ाने पर विशेष बल दे रहा है ।

लघु ऋण

3.26 स्वंय सहायता समूह (एस.एच. जी.) कार्यक्रम अब सारे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। इस समय प्रदेश में 35,000 स्वंय सहायता समूह कार्यरत हैं जिनकों समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। दिसम्बर,2007 तक प्रदेश में 29,000 स्वंय सहायता समूह को 16,586 गांव एवं 986 बैकों के साथ लघु ऋण गतिविधियों के साथ जोड़े गए।

ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र

3.27 नाबार्ड द्वारा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को विकास के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। इस क्षेत्र में पुनः वित्तीय सहायता में बढ़ौतरी 1998–99 में 0.43 करोड़ रूपये के मुकाबले 2006–07 में 102.46 करोड़ रूपये थी। वर्ष 2007–08 में 31दिसम्बर,2007 तक ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 21.67 करोड़ रूपये नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए। नाबार्ड ने जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना (ड्रिप) शुरू की है। जिला सोलन, मण्डी, कांगड़ा हमीरपुर में यह परियोजना कमशः अप्रैल,2001, अप्रैल,2002, अप्रैल,2003 तथा अप्रैल,2004 से शुरू की जा चुकी है।

3.28 उपरोक्त के अतिरिक्त नाबार्ड, उन ग्रामीण नवयुवकों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक हैं ग्रामीण उद्यमी विकास कार्यक्रम (आर.ई.डी.पीज) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। महिला उद्यमों की ऋण आवश्यकता की पूरा करने के लिए एक अन्य योजना "गैर कृषि विकास योजना में ग्रामीण महिलाओं की सहायता" नाम से भी चलाई जा रही हैं जिसमें कार्पेट विविंग, शालें बनाना, सिलाई तथा नर्म खिलौने बनाना इत्यादि किया–कलाप शामिल हैं। है। नावार्ड ने एक निधि –नावार्ड–एस.डी.सी. ग्रामीण निधि (आर.आई. एफ.) स्थापित की है जिससे गरीब ग्रामीणों को सहायता मिलेगी। निधि से नवीनता के लिए सहायता, मित्रता जोखिम, खेतों में अपरम्परागत प्रयोग, गैर फार्म, लघु वित्त क्षेत्र, जीवन स्तर के उत्थान एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं के उत्थान के लिए बनाया गया है। नाबार्ड ने प्रदेश में 221 किसान क्लब स्थापित किए हैं।

आधार स्तर पर ऋण प्रवाह

3.29 वर्ष 2006–07 में प्राथमिक क्षेत्रों के आधार स्तर ऋण प्रवाह 2,688.25 करोड़ रूपये तक पहुंच गया जबकि वर्ष 2005–06 में यह राशि 2,187.05 करोड़ थी ।

3.30 नाबार्ड राज्य में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं विशेषकर सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व वाणिज्य बैंकों को वित्तीय सहायता देता रहा

4. भाव एवं खाद्य व्यवस्था

क. भाव स्थिति

4.1 मुद्रा स्फीति का नियंत्रण सरकार की प्रमुखता सूची में एक है। मुद्रा स्फीति आम आदमियों को उनकी आय कीमतों की पहुंच से दूर रहने के कारण परेशान करती है। मुद्रा स्फीति के उतार–चढ़ाव को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर थोक भाव सूचकांक, वर्ष 2006 के अंतिम सप्ताह में (30.12.2006) को 208.1 से बढ़कर दिसम्बर,2007 के अंतिम सप्ताह मे (29.12.2007) 215.4 हो गया जो कि मुद्रा स्फीति की दर 3.5 प्रतिशत दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों के माहवार थोक मूल्य सूचकांक तथा वर्ष 2007–08 में मुद्रा स्फीति की दर नीचे सारणी 4.1 में दर्शाई गई है:–

सारणी 4.1

अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक आधार 1993–94=100

मास	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	मुद्रा–स्फीति दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	159.9	162.3	173.1	180.9	191.7	199.0	211.5	6.3
मई	160.3	162.8	173.4	182.1	192.1	201.3	212.3	5.5
जून	160.8	164.7	173.5	185.2	193.2	203.1	212.3	4.5
जुलाई	161.1	165.6	173.4	186.6	194.6	204.0	213.6	4.7
अगस्त	161.6	167.1	173.7	188.4	195.3	205.3	213.8	4.1
सितम्बर	161.7	167.4	175.6	189.4	197.2	207.8	215.1	3.5
अक्तूबर	162.5	167.5	176.1	188.9	197.8	208.7	215.0(अ)	3.0(अ)
नवम्बर	162.2	167.8	176.9	190.2	198.2	209.1	215.4(अ)	3.0(अ)
दिसम्बर	161.8	167.2	176.8	188.8	197.2	208.4	215.3(अ)	3.3(अ)
जनवरी	161.0	167.8	178.7	186.6	196.3	208.8	216.7(अ)	3.8(अ)
फरवरी	160.8	169.4	179.7	188.8	196.4	208.9	.....	...
मार्च	161.9	171.6	179.7	189.4	195.6	209.8	.....	...
औसत	**161.3**	**166.8**	**175.9**	**187.2**	**195.4**	**206.2**	.....	...

अ = अनुमानित

4.2 हिमाचल प्रदेश में भाव की स्थिति पर निरन्तर नियंत्रण रखा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रदेश में भाव पर निगरानी, आपूर्ति की प्रक्रिया का रख–रखाव एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 4,349 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कर रहा है। खाद्य में असुरक्षा एवं भेद्यता के मॉनिटर एवं व्यवस्थित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जी.आई.एस.के माध्यम द्वारा एफ. आई.वी.आई.एम.एस. (खाद्य असुरक्षा भेद्यता मैपिंग प्रणाली) लागू कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के भाव नियंत्रण में रहने के कारण हिमाचल का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में कम गति से बढ़ा। अप्रैल,2007 से नवम्बर,2007 तक हिमाचल उपभोक्ता सूचकांक में राष्ट्रीय उपभोक्ता सूचकांक की 4.7 प्रतिशत की (128 से 134) तुलना में केवल 0.8 प्रतिशत (126 से 127) की वृद्धि आंकी गई। इसके साथ–साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा हेराफेरी द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी

रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदेशों/ अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है। वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों का अनुश्रवण करना जारी रखा गया ताकि भावों में अनुचित बढ़ौतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

सारणी 4.2

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) (वित्तीय वर्ष माहवार औसत अनुसार)

माह	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07*	2007–08*	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	446	450	459	481	505	118	126	6.8
मई	446	451	462	481	502	117	125	6.8
जून	446	454	462	485	501	120	125	4.2
जुलाई	447	457	469	491	509	120	126	5.0
अगस्त	452	459	470	496	512	121	126	4.1
सितम्बर	451	464	474	497	519	122	127	4.1
अक्तूबर	451	462	479	500	525	124	127	2.4
नवम्बर	454	462	476	498	527	124	127	2.4
दिसम्बर	449	451	473	491	521	124	...	...
जनवरी	445	453	476	497	521	125	...	...
फरवरी	447	455	477	498	521	124	...	...
मार्च	447	457	478	499	530	125	...	...
औसत	448	456	471	493	516	122	...	...

* आधार वर्ष 2001=100 आधार को जोड़ने के लिए लिंकिंग फैक्टर 4.53 है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4.3 लोगों को गरीबी रेखा से उपर उठाने की सरकार की नीति का एक विशेष घटक उचित मूल्य की 4,349 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, लेवी चीनी तथा मिटटी के तेल का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्ति को सुनिश्चित कराना है । खाद्य पदार्थों को वितरित करने हेतु सभी परिवारों को विभिन्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है (i) गरीबी रेखा से उपर (ii) गरीबी रेखा से नीचे (iii) अन्त्तोदय(अतिनिर्धन) (iv) अन्नपूर्णा (निःसहाय वृद्धों के लिए)

4.4 वर्ष 2007–08 में दिसम्बर,2007 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरित की गई:–

सारणी संख्या 4.3

उचित मुल्य की दुकानों द्वारा मात्रा का वितरण

(मीट्रिक टन)

मद	उपभोक्ताओं का वर्गीकरण				
	ए.पी. एल.	बी.पी. एल.	अन्तोदय	अन्नपूर्णा	दोपहर का भोजन
1	2	3	4	5	6
1.गेंहू/ आटा	171132	33362	28552	–	–
2.चावल	93542	52408	39809	282	9298

4.5 इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को लेवी चीनी 700 ग्राम प्रतिव्यक्ति 13.50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रतिमाह वितरित की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी राशन कार्डो पर उपभोक्ताओं को विशेष अनुदान पर दालों व खाद्य तेलों का वितरण वर्ष 2007–08 में दाल मलका 20.00 रूपये, दाल उड़द 25.00 रूपये, दाल चना 25.00 रूपये एवं नमक 4.00 रूपये प्रति किलोग्राम तथा तेल सरसों 45.00 रूपये एवं तेल रिफाईन्ड 40.00 रूपये प्रति लिटर की दर से प्रति परिवार प्रति माह एक किलोग्राम दिया जा रहा है। वर्ष 2007–08 के दौरान दिसम्बर,2007 तक 44,844 मी. टन लेवी चीनी तथा 45,798 कि. ली. मिटटी का तेल उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया गया । प्रदेश में वर्तमान में 121 गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश में इस समय 266 पैट्रोल पम्प कार्यरत हैं तथा प्रदेश में 36 मिट्टी के तेल के थोक व्रिकेता कार्यरत हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 2007–08 में निम्न खाद्य वस्तुए भेजी गई:–

सारणी संख्या 4.4

जन–जातीय क्षेत्र के लिए वस्तुओं का भण्डारण

क.सं.	वस्तुओं का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण
1.	गेहूं आटा (ए.पी.एल.)	मी..टन	6,122
2.	चावल (ए.पी.एल.)	मी..टन	3,171
3.	गेहूं (बी.पी..एल.)	मी..टन	865
4.	चावल (बी.पी.एल.)	मी..टन	2,172
5	गेहूं(ए.ए.वाई.)	मी..टन	1,101
6	गेहूं अन्पूर्णा	मी..टन	1,837
7	चावल अन्पूर्णा	मी..टन	14
8	लेवी चीनी	मी..टन	1,508
9	मिट्टी का तेल	कि.लीटर	1,579
10	एल.पी.जी.	संख्या	1,41,061
11	स्टीम कोयला	मी..टन	3,940
12	नमक	मी..टन	431
13	दाल चना	मी..टन	462
14	दाल उड़द	मी..टन	436
15	दाल मलका	मी..टन	441
16	खाद्य तेल	मी..टन	596

5. कृषि व सम्बन्धित क्षेत्र

कृषि

5.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में कुल कामगारों में से 69 प्रतिशत श्रमिकों को कृषि से ही रोज़गार उपलब्ध होता है।

5.2 राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 17.80 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है । प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.79 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.14 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोत 1.1 हैक्टेयर है। कृषि जनगणना 2000–01 के अनुसार भू–जोतों के वितरण संबंधित नीचे दी गई सारणी 5.1 से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 86.4 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 13.2 प्रतिशत अर्ध–मध्यम/मध्यम व 0.4 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की है।

सारणी 5.1

भू–जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतो की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार (हैक्टेयर)
1.0 से कम	सीमान्त	6.15 (67.3%)	2.52 (25.8%)	0.4
1.0–2.0	लघु	1.74 (19.1%)	2.45 (25.0%)	1.4
2.0–4.0	अर्ध–मध्यम	0.90 (9.8%)	2 43 (24.8%)	2.7
4.0–10.0	मध्यम	0.31 (3.4%)	1.76 (18.0%)	5.7
10.0 व अधिक	बड़े	0.04 (0.4%)	0.63 (6.4%)	15.7
	जोड	9.14	9.79	1.1

5.3 कुल जोते गए क्षेत्र में से 81.5 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित हैं । चावल, गेंहू, तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरियां रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना मसूर रबी की प्रमुख दालें है। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

(i) उपोष्णीय, उप पर्वतीय निचले पहाडी क्षेत्र

(ii) उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र

(iii) नमी वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र

(iv) शुष्क तापमान वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरूस्थल।

प्रदेश की कृषि जलवायु आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

5.4 खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत, कीटाणु प्रबन्ध को उन्नत कर तथा जल संरक्षण उपायों द्वारा बेमौसमी सब्जियों आलू अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। वर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्षा बरसात में ही होती है तथा शेष बाकी मौसमों मे होती है। राज्य में औसतन 1,435 मी.मी. वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा जिले में होती है।

मौनसून 2007

5.5 कृषि कार्यकलाप का मौनसून से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2007 के मौनसून के मौसम (जून–सितम्बर) में किन्नौर जिला में अत्याधिक, बिलासपुर, हमीरपुर, मण्डी, एवं उना जिलों में सामान्य तथा कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, एवं सोलन में कम तथा चम्बा और लाहौल–स्पिति जिला में छुटपुट वर्षा हुई। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में मौनसून मौसम में सामान्य वर्षा की तुलना में केवल –36 प्रतिशत

वर्षा हुई। सारणी 5.2 में विभिन्न जिलों में मौनसून मौसम में वर्षा की स्थिति को दर्शाया गया है।

सारणी 5.2
मौनसून वर्षा
(जून–सितम्बर 2006)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			कुल (मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	887	899	–12	–1
चम्बा	204	880	–676	–77
हमीरपुर	1021	1093	–72	–7
कांगड़ा	1208	1567	–359	–23
किन्नौर	232	184	48	26
कुल्लु	319	570	–251	–44
लाहौल–स्पिति	124	455	–331	–73
मण्डी	1091	1140	–49	–4
शिमला	488	719	–231	–32
सिरमौर	885	1403	–518	–37
सोलन	789	1038	–249	–24
उना	970	834	136	16

टिप्पणी:

सामान्य –19 प्रतिशत से +19 प्रतिशत
अधिक 20 प्रति शत से अधिक
न्यून –20 प्रति शत से –59 प्रति शत
अपर्याप्त–60 प्रतिशत से –99 प्रतिशत

फसल उत्पादन 2006–07

5.6 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवथा मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है तथा अभी तक भी राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2006–07 में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 17.80 प्रतिशत योगदान है। खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार–चढ़ाव अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना, 2007–12 के दौरान बेमौसमी सब्जियों, आलू, दालों तिलहनी फसलें व खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त आदान आपूर्ति, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र लाकर, जल संरक्षण विकास तथा सुधरी हुई कृषि प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी प्रदर्शन व जानकारी द्वारा विशेष महत्व दिया गया है। वर्ष 2006–07 कृषि के लिए सामान्य होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2005–06 के 10.69 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2006–07 में 14.97 लाख मीट्रिक टन रहने की संभावना हैं। वर्ष 2005–06 के 1.62 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन के तुलना में वर्ष 2006–07 में आलू उत्पादन 1.63 लाख मीट्रिक टन था । सब्जियों का सम्भावित उत्पादन वर्ष 2005–06 के 9.30 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2006–07 में 9.91 लाख मीट्रिक टन हुआ।

2007–08 के अनुमान

5.7 वर्ष 2007–08 में कुल उत्पादन 15.87 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है । खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मौनसून पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से लगभग 81.5 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता हैं। खरीफ सीजन अगस्त,2007 के दूसरे सप्ताह में प्रदेश के कुछ भागों में लगातार वर्षा गतिरोध तथा स्टाक रूट बीमारी की वजह से खरीफ फसल बहुत प्रभावित हुई है। इसके कारण खरीफ उत्पादन 9.23 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के तुलना में खरीफ उत्पादन लगभग 8.58 लाख मीट्रिक टन होने की सम्भावना है। अक्तूबर से दिसम्बर,2007 में वर्षा छिटपुट होने के कारण वर्ष 2007–08 का रबी उत्पादन का लक्ष्य घटने की सम्भावना है। राज्य में वर्ष 2003–04 से 2005–06 का वास्तविक खाद्यान्न उत्पादन, वर्ष 2006–07 का संभावित, वर्ष 2007–08 का अनुमानित उत्पादन एवं वर्ष 2008–09 के लक्ष्य निम्न सारणी में दर्शाए गए है:–

सारणी 5.3
खाद्यान्न उत्पादन

('000 टनों में)

फसल	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07 (संभावित)	2007–08 (अनुमानित)	2008–09 (लक्ष्य)
चावल	120.62	109.13	112.14	123.48	117.35	119.08
मक्की	729.57	636.29	543.06	695.38	719.45	774.05
रागी	4.28	4.45	3.41	4.00	3.50	4.46
अनाज	7.42	5.70	5.67	8.00	7.59	6.55
गेंहू	496.93	687.45	365.89	596.49	685.00	679.78
जौं	28.14	33.72	29.36	33.86	35.00	34.74
चना	1.21	1.32	0.72	7.00	3.50	3.47
अन्य दालें	9.80	9.59	8.44	28.46	15.31	15.87
कुल खाद्यान्न	**1397.97**	**1487.65**	**1068.69**	**1496.67**	**1586.70**	**1638.00**

खाद्यान्न उत्पादन का विकास

5.8 क्षेत्र विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमाएं हैं। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है सारे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां भूमि को इस उद्देश्य हेतु बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदलें हुए रूझान की वजह से खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे–धीरे कम हो रहा है। जैसे कि यह 2001–02 में 817.2 हजार हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्ष 2006–07 में 812.1 हजार हैक्टेयर रह गया। प्रदेश में बढ़ता हुआ उत्पादन, उत्पादकता दर में वृद्धि को दर्शाता है जोकि सारणी 5.4 से पता चलता है।

सारणी 5.4
खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी. टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
2001–02	817.2	1598.9	1.96
2002–03	806.3	1110.9	1.38
2003–04	812.4	1398.0	1.72
2004–05	811.0	1487.7	1.83
2005–06	792.7	1068.7	1.35
2006–07(संभावित)	812.1	1496.7	1.84
2007–08(अनुमानित)	794.6	1586.7	1.99
2008–09(लक्ष्य)	800.0	1638.0	2.04

अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में संबंधित कार्यक्रम (एच.वाई.वी.पी.)

5.9 खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया । अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान, गेहूं के अंतर्गत पिछले चार वर्षों में लाया गया क्षेत्र, वर्ष 2006–07 के लिए संभावित एवं वर्ष 2007–08 का अनुमानित क्षेत्र तथा 2008–09 के लिए लक्ष्य रखा गया जो सारणी 5.5 में दिया गया है।

सारणी 5.5
अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

वर्ष	मक्की	धान	गेहूं
2002–03	192.10	64.73	313.23
2003–04	222.19	78.90	364.07
2004–05	242.76	75.21	353.29
2005–06	273.14	70.94	346.15
2006–07(संभावित)	280.61	72.65	349.60
2007–08 (अनुमानित)	280.00	77.00	325.00
2008–09(लक्ष्य)	280.00	76.50	327.00

प्रदेश में बीज उत्पादन के 25 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 14 आलू विकास केन्द्र, 4 सब्जी विकास केन्द्र, तथा 2 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

पौध संरक्षण कार्यक्रम

5.10 फसलों की पैदावार बढानें के उद्देश्य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई.आर. डी.पी. परिवारों, पिछड़ें क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन उपकरण 50 प्रतिशत कीमत पर दिए जाते हैं। अक्तूबर,1998 से सरकार बड़े किसानों को इस सामान के लिए 30 प्रतिशत उपदान दे रही है। वर्ष 2006–07 में लगभग 450 हजार हैक्टेयर क्षेत्र पौध संरक्षण उपाय के अंतर्गत लाया गया वर्ष 2007–08 के लिए 440 हजार हैक्टेयर सम्भावित क्षेत्र तथा वर्ष 2008–09 के लिए 435 हजार हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।

मिट्टी की जांच कार्यक्रम

5.11 प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकटठे किए जाते हैं तथा मिटटी जांच प्रयोगशाला में इनका विश्लेषण किया जाता है। सभी जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है, जबकि दो चलते फिरते वाहन जिसमें से एक जनजातीय क्षेत्र के लिए है, साईट पर मिट्टी की जांच के लिए खरीदें गये हैं। प्रति वर्ष लगभग 70 से 80 हजार मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।

बायो गैस विकास कार्यक्रम

5.12 पारम्परिक ईंधन, जैसे जलावन लकड़ी की उपलब्धता के कम होने से बायोगैस संयन्त्रों ने राज्य के निचले तथा मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में महता प्राप्त की है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से दिसम्बर,2007 तक राज्य में 42,582 बायोगैस संयन्त्र लगाए जा चुके हैं। हिमालय क्षेत्र के कुल बायोगैस उत्पादन में से लगभग 90.86 प्रतिशत अकेले हिमाचल प्रदेश में ही होता है। वर्ष 2006–07 में राज्य में 150 बायोगैस संयन्त्र लक्ष्य के मुकाबले 155 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए तथा वर्ष 2007–08 में 100 बायोगैस संयन्त्र लगाने के लक्ष्य में से दिसम्बर,2007 तक 20 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए।

उर्वरक उपभोग तथा उपदान

5.13 उर्वरक ही एक ऐसा इनपुट है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। 50वें दशक के अन्त में तथा 60वें दशक के शुरू में हिमाचल प्रदेश में उर्वरक के प्रदर्शन शुरू हुए तब से उर्वरक का उपभोग लगातार बढ़ता गया। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 1985–86 के 23,664 टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 48,981 टन हो गया। सरकार राज्य में उर्वरक की एक जैसी कीमत रखने के लिए सभी प्रकार के उर्वरकों की ढुलाई के लिए 100 प्रतिशत उपदान देती है। राज्य सरकार, कैन, यूरिया तथा अमोनियम सल्फेट पर 200 रूपये प्रति मीट्रिक टन तथा मिश्रित उर्वरक एन.पी.के. 12:32:16 के अनुपात पर 500 रूपये प्रति मीट्रिक टन व मिश्रित उर्वरक एन.पी.के. पर 15:15:15 के अनुपात पर 500 प्रति मीट्रिक टन उपदान देती है। उर्वरक उपभोग निम्न सारणी 5.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.6
उर्वरक उपभोग

(मी. टन)

वर्ष	नाईट्रो–जिनियस (एन)	फोसफेट (पी)	पोटास (के)	कुल (एन.पी.के.)
2002–03	25645	7916	6160	39721
2003–04	30909	8706	7193	46808
2004–05	30694	8528	7031	46253
2005–06	30375	9736	7862	47973
2006–07	30794	10225	7962	48981
2007–08(संभावित)	34076	8415	5606	48097
2008–09(लक्ष्य)	34046	8440	6014	48500

कृषि ऋण

5.14 ग्रामीण परिवारों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण पारम्परिक वित्त के गैर संस्थागत स्त्रोत ही ऋण के मुख्य साधन है। इनमें से कुछ एक बहुत अधिक ब्याज पर धन उपलब्ध करवाते हैं और गरीब लोगों के पास बहुत कम सम्पति होती है जिसके कारण उनके लिए समानान्तर जमानत जुटा पाने के अभाव में वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना बहुत मुश्किल है फिर भी सरकार ने ग्रामीण परिवारों को कम दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। किसानों की इस प्रवृति के मध्य नजर, जोकि अधिकतर सीमान्त तथा छोटे किसान है,उनको इनपुट की खरीद के लिए ऋण को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। संस्थागत ऋण व्यापक रूप से दिए जा रहे हैं परन्तु इसके कार्यक्षेत्र को विशेषकर फसलों में जोकि बीमा योजना के अंतर्गत आते है, बढानें की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा नवीनतम तकनीकी तथा सुधरे कृषि तरीकों की अपनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

किसान केडिट कार्ड (के.सी.सी.)

5.15 यह योजना पिछले 6 –7 वर्षों में बहुत ही सफल रही है। 1,022 से भी अधिक बैंक शाखाएं इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। सितम्बर,2007 तक 3,28,295 किसान केडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए।

फसल बीमा योजना

5.16 सभी फसलों तथा सभी किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए सरकार ने राज्य में वर्ष 1999–2000 के रबी मौसम से 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' शुरू की। शुरू में मक्की, चावल, जौं तथा आलू की फसलों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। लघु एवं सीमान्त किसानों को बीमा किस्त पर छूट सन–सैट के आधार पर दी जाएगी। यह परियोजना ऋणी किसानों के लिए आवश्यक एवं गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर है। इस परियोजना को भारत की कृषि बीमा कम्पनी चला रही है। फसलों के नुकसान के कारण किश्तों पर छूट की भरपाई को भारत सरकार और राज्य सरकार समान रूप से वहन करेगी। खरीफ फसल 2007 के दौरान 6,436 किसानों का बीमा मक्की, धान तथा आलू की फसलों के लिए कराया गया। रवी फसल 2007–08 के दौरान यह योजना प्रगति पर है।

बीज प्रमाणीकरण

5.17 कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें देने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए 'हिमाचल राज्य बीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजैंसी' उत्पादकों को रजिस्टर कर रही है।

कृषि विपणन

5.18 कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। सारा हिमाचल प्रदेश 10 अधिसुचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषक समुदाय के अधिकार को सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृषि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य स्थानों पर मार्किट यार्डों का निर्माण हुआ। किसानों की लाभ पहुंचाने के लिए मार्किट फीस 2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत की गई। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो राजस्व प्राप्त होगा उसे मूलभूत सुविधाओं के उनन्यन तथा कृषि उत्पाद के लाभकारी विपणन को सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मार्किट अधिनियम को आदर्श अधिनियम में दर्ज किया गया जिसको भारत सरकार ने परिचालित किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी मार्किट की स्थापना करना, सीधे तौर पर विपणन, ठेके पर कृषि, एवं एक बिन्दु पर प्रवेश

शुल्क की उगाही मण्ड़ियों का कम्प्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। विपणन बोर्ड बिना किसी योजना सहायता के स्वयं अपनी निधी से सभी कार्यकलापों को चला रही है।

चाय विकास

5.19 चाय के अन्तर्गत 2300 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें 15 लाख कि0 ग्राम चाय का उत्पादन होता है। लघु एवं सीमान्त चाय पैदावार करने वालों को कृषि औजारों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। कुछ वर्षों से मण्डी में गिरावट की वजह से चाय उद्योग पर विपरीत असर पड़ा है। उत्पादकों को चाय उत्पादन के अच्छे दाम उपलब्ध करवाने पर बल दिया जा रहा है।

कृषि का मशीनीकरण

5.20 इस योजना के अन्तर्गत किसानों को नए कृषि औजार/ मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत नई मशीनों का परीक्षण किया गया। विभाग का प्रस्ताव पहाडी स्थिति के लिए अनुकूल छोटे इंधन से चलने वाले हल एवं औजार को लोकप्रिय बनाने का है।

कृषि विकास के लिए सूक्ष्म प्रबन्धन दृष्टिकोणः–

5.21 विगत में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को समरूप से संगठित किया गया था और बहुत से मामलों में स्थिति प्रदेश की स्थिति के अनुकूल नहीं थी। राज्य सरकार ने इन मुश्किलातों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कुछ लचीलापन लाने हेतू त्वरित कृषि विकास में नए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतू भारत सरकार के समक्ष रखा। इस दृष्टिकोण के आधार पर राज्य सरकार ने जो कार्य योजना प्रस्तुत की उस के हिसाब से राज्य को 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता (80 प्रतिशत अनुदान तथा 20 प्रतिशत ऋण) रूप में मिलेगें तथा 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य योजना का होगा। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य प्राथमिकता अनाज की फसलों की बेहतरी, प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण, पानी के संग्रहण के टैंकों का निर्माण, बेमौसमी सब्जियों के विकास, मसाले, उच्च गुणवता वाले बीजों का उन्नयन, एकीकृत पोषण प्रबन्धन एवं सीधे तौर पर कृषि से जुडी महिलाओं के बीच सामान्जस्य स्थापित करने को दी जाएगी।

भू एवं जल संरक्षण

5.22 वर्ष 2007–08 के दौरान 1,695 टैंक सिंचाई योजनाएं, 40 जल हारवैस्टिंग योजनाएं तथा 600 स्प्रिंकलर सिंचाई योजनाए कार्यान्वित की जाएगी। इसमें प्रत्येक किसान को 25 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1.50 करोड़ रूपये की अनुमानित राशि से 45 वाटरशैड विकास योजनाएं जिनके अंतर्गत 1,000 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा स्वीकृत की गई। इन परियोजनाओं से भू एवं जल संरक्षण तथा फार्म स्तर में रोजगार अवसर अर्जित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

5.23 वर्ष के दौरान आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत 9.55 करोड़ रूपये बजट प्रावधान से 96 लघु सिंचाई योजनाएं पूर्ण की जाएंगी। वर्ष के दौरान 1,180 हैक्टेयर क्षेत्र अतिरिक्त संभावित सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा। इन योजनाओं को कृषक विकास संघ द्वारा चलाया जा रहा है तथा इसी को इनको चलाने तथा रख–रखाव का कार्य भी सौंपा गया है।

उद्यान

5.24 हिमाचल प्रदेश की विविध जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र तथा उनकी स्थिति में भिन्नता, उपजाउ, गहन तथा उचित जल निकास व्यवस्था वाली भूमि समशीतोष्ण तथा उष्ण कटीबन्धीय फलों को खेती के लिए बहुत उपयुक्त है । यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान्न उत्पादन जैसे फूल, मशरूम, शहद तथा हौप्स की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है ।

5.25 प्रदेश की इस अनुकूल स्थिति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग अब कृषि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता जा रहा है । वर्ष 1950–51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1200 टन हुआ । यह बढ़ कर वर्ष 2006–07 में 1,97,445 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा कुल फल उत्पादन 3.69 लाख टन हुआ तथा वर्ष 2007–08 में दिसम्बर,2007 तक कुल फल उत्पादन 6.96 लाख टन आंका गया है। 2007–08 में 4,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अंतर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में 31 दिसम्बर,2007 तक 4,291 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया तथा विभिन्न फलों के 12.87 लाख पौधें वितरित किए गए।

5.26 हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 46 प्रतिशत है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 76 प्रतिशत है। वर्ष 1950–51 में सेबों के अंतर्गत 400 हैक्टेयर क्षेत्र था जोकि 1960–61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्ष 2006–07 में 91,804 हैक्टेयर हो गया।

5.27 सेब के अतिरिक्त समशीतोषण फलों के अंतर्गत वर्ष 1960–61 में 900 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 2006–07 में 26,086 हैक्टेयर हो गया। सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960–61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2006–07 में 11,328 हैक्टेयर हो गया तथा निम्बू प्रजाति एवं उपोषण देशीय फलों का क्षेत्र वर्ष 1960–61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2006–07 में क्रमशः 21,118 हैक्टेयर तथा 47,109 हैक्टेयर हो गया । अन्य फलों के उत्पादन में पिछलें वर्षों में कोई अधिक परिवर्तन नहीं आया ।

5.28 प्रतिकूल मौसम व बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण सेब उत्पादन में आ रही अस्थिरता विकास के रूख में बाधक हो रही है। विश्व व्यापार संगठन व जी.ए.टी.टी. तथा अर्थ–व्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप भी हिमाचल प्रदेश में सेब जो फल उद्योग की प्रभुता पर अपना स्थान बनाये रखने में कई चुनौतियां पेश आ रही है। गत कुछ वर्षों में सेब उत्पादन में आ रहे उतार चढ़ाव ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश के विशाल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब विभिन्न कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

5.29 फलो–उद्यान विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा रख–रखाव में निवेश करके सभी फल फसलों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जैसे फलोत्पादन विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, नई तकनीकों की जानकारी एवं अखरोट, हैजलनट, पिस्ता, आम तथा लीची विकास कार्यक्रम, स्ट्राबेरी कार्यक्रम, औषधीय एवं सुगन्धित पौध कार्यक्रम एवं छोटी अवधि के अनुसंधान कार्यक्रम इत्यादि चलाए जा रहे हैं।

5.30 हाल ही में आम एक मुख्य फसल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बेहतर कीमतें मिल रहीं है। मध्यम उॅचाई वाले क्षेत्रों में नए फलों जैसे किवी, जैतून, पीकैन तथा स्ट्राबैरी की खेती के लिए कृषि मौसम बिलकुल उपयुक्त है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दिसम्बर,2007 तक के फल उत्पादन के आंकड़े सारणी 5.7 में दर्शाए गए है।

सारणी 5.7
फल उत्पादन

(हजार टन)

मद	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08 31दिसम्बर 2007 तक)
सेब	527.60	540.35	268.40	592.57
अन्य समशीतोष्ण फल	60.20	48.69	35.65	53.91
सूखे मेवे	3.73	3.27	2.91	2.90
नीबू प्रजाति	28.55	29.16	12.67	9.56
अन्य उपोष्णीय फल	71.93	74.03	49.47	36.91
कुल	692.01	695.50	369.10	695.85

5.31 फल उत्पादकों को उनके फलों का पैक करने की सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक पग उठाए गए है। सरकार द्वारा प्रगतिनगर में स्थापित कार्टन फैक्टरी में प्रचलित वर्ष के दौरान 20 किलो वाले 0.70 लाख टैलीस्कोपी कार्टन निर्मित करने के उपरान्त फल उत्पादकों को बांटे गए। इसके अतिरिक्त 20 किलोग्राम वाले 11.15 लाख टेलीस्कोपी कार्टन तथा 10 किलो वाले 0.68 लाख कुल्लू कार्टन भी एच.पी.एम.सी.हिमफैड़ व किनफैड के माध्यम से प्राप्त करने के उपरान्त फल उत्पादाकों को वितरित किए गए। फल उत्पादकों द्वारा निजि फर्मों से 10.45 लाख टैलीस्कोपी कार्टन भी प्राप्त किए गए। पापुलर युकालेपटस के वृक्षों के लगभग 5.70 लाख बक्से भी उत्पादकों द्वारा राज्य से बाहर से लाए गए।

5.32 बागवानी को बढ़ावा देने हेतु कुल 182 हैक्टेयर क्षेत्र का फूलों की खेती के अंतर्गत 31.12.2007 तक लाया गया। प्रदेश में 48 फूल उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत हैं। खुम्ब उत्पादन, मौन पालन उत्पादन को बढ़ावा दे कर उद्यान उद्योग में विविधता लाई जा रही है। वर्ष 2007–08 में दिसम्बर,2007 तक चम्बाघाट तथा पालमपुर स्थित 2 विभागीय मशरूम विकास परियोजनाओं में 351.50 मीट्रिक टन पास्चूराईजड़ खाद तैयार कर मशरूम उत्पादकों को बांटी गई जिससे 4,432 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हुआ। मौन पालन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 31 दिसम्बर,2007 तक 74 मौन वंश मौन पालकों को वितरित किए गए तथा वर्ष 2007–08 के दौरान 1,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में 31 दिसम्बर,2007 तक 248.00 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ।

5.33 राज्य में विविध फल फसल उत्पादन की गुणवता में सुधार के लिए, राज्य उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के फल पौधों के विषाणुरहित क्लोनल मूलवृत बाहर से बागवानों के लिए आयात किये जा रहे हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान लगभग 39,520 सेब, की विभिन्न उन्नत किस्मों के पौधे जन–जातीय क्षेत्रों में वागवानों को वितरित करने हेतु आयात किये गये।

5.34 फंलोद्यान के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय व सहयोग लाने हेतु प्रदेश में 80.00 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता से उद्यान विकास के लिए उद्यान तकनीकी मिशन को शुरू किया गया ताकि उत्पादन, उत्पादनोपरान्त प्रबन्धन उपभोग और उद्यान विकास हेतु निर्मित निवेश सरंचना से अधिक से अधिक आर्थिक, पर्यावरण सम्बन्धी और समाजिक लाभ प्राप्त हो सके, अधिक उत्पाद मूल्य को प्राप्त करने के लिए स्थिर पर्यावरण गहनता का विकास आर्थिक रूप से कुशल रोजगार का वांछित विभाजन, पौधारोपण का विकास और पारम्परिक बुद्धिमता तथा तकनीकी ज्ञान का नवीनतम तकनीकी व ज्ञान जैसे जैव प्रौद्यौगिकी, सूचना प्रौद्यौगिकी तथा अकाशीय तकनीकी का समिश्रण की तरफ पर्याप्त व समयानुसार और निरन्तर ध्यान दिया जा सके तथा उन कार्यक्रमों के चतुर्मुखी व व्यापक तालमेल से उद्यान क्षेत्र का विकास किया जा सके। वर्ष 2007–08 के दौरान भारत सरकार द्वारा उद्यान तकनीकी मिशन योजना के अंतर्गत 24.00 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष

2007–08 में भारत सरकार द्वारा 21.00 करोड़ की राशि तीन किस्तों में दी जा चुकी है तथा 3.00 करोड़ रूपये की राशि अभी आपेक्षित है।

5.35 एच.पी.एम.सी. राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना ताजे फलों व सब्जियों के विपणन जो बाजार तक नहीं पहुंच सके उनके विधायन तथा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से की गई थी। एच.पी.एम.सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रही है।

5.36 वर्ष 2007–08 में दिसम्बर,2007 तक एच.पी.एम.सी. ने 1127.64 करोड़ रूपये के उत्पादों को अपने संयंत्रों में तैयार किया। मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत एच.पी.एम.सी. ने 15,917.50 मीट्रिक टन सेबों की खरीद की जिसमें से 7,142.70 मीट्रिक टन बाजार मे बिक्री किए और 8,545 मीट्रिक टन एच.पी.एम.सी. सयंत्रों में प्रोसेस किए गए जिसमें से 733.85 मीट्रिक टन का कन्सैन्ट्रैट जूस तैयार किया गया। कार्पोरेशन ने 28.43 मी.टन अन्य फलों का भी विधायन किया जो एम.आई.एस. आदेशों के अधीन नहीं आते हैं। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों में इंडियन एयरलाईन, रेलवे, उत्तरी कमान, हैडक्वाटर उधमपुर तथा मै. पारले के लिए भेज रही है। 31.12.2007 तक एच.पी.एम.सी. ने इन संस्थानों के लिए 145.00 लाख रूपये के उत्पादन भेजे हैं। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को आई. टी.डी.सी. के होटलों एवं संस्थानों को जो मेट्रो सिटिज दिल्ली और मुम्बई में हैं लगातार भेज रहा है। एच.पी.एम.सी.ने इन संस्थानों के लिए 31.12.2007 तक मु0 155.00 लाख रूपये के फल एवं सब्जियां भेजी हैं। इसी तरह एच.पी.एम.सी. ने 31.12.2007 तक 397.00 लाख रूपये के पैकिंग का सामान एवं अन्य औजार प्रदेश के फल उत्पादकों को बेचे हैं।

पशु पालन तथा डेरी उद्योग

5.37 पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन एवं फसलों तथा सांझी सम्पति साधनों (जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि) में बहुत गहन सम्बन्ध है। पशु अधिकतर उस चारे में घास जो कि सांझी सम्पति साधनों तथा फसलों व फसल अवशेषों से प्राप्त होती है पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार पशु सांझी सम्पति साधनों के लिए चारा घास तथा फसल अवशेष प्रदान करते हैं जोकि खेतों में खाद का काम करते है तथा सूखे के लिए अधिक आवश्यक शक्ति प्रदान करते है।

5.38 हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में विशेष सहायक है। वर्ष 2006–07 में 8.72 लाख मीट्रिक टन दूध, 1,605 मीट्रिक टन उन 77.00 मिलियन अंडे, 3,110 मीट्रिक टन मीट का उत्पादन हुआ। वर्ष 2007–08 में क्रमशः 8.73 लाख मीट्रिक टन दूध, 1,615 टन उन, 80.00 मिलियन अंडे तथा 3,115 मीट्रिक टन मीट का उत्पादन होने की संभावना है। सारणी 5.8 दूध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दर्शाती है।

सारणी 5.8

उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	दूध उत्पादन ('000 टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता ('ग्राम/दिन)
2006–07	872.0	393
2007–08 (संभावित)	873.0	394

5.39 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उभारने में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में पशुधन विकास कार्यक्रम में।

(i) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण,
(ii) गोजातीय विकास,
(iii) भेड़ प्रजनन तथा उन विकास,
(iv) कुक्कट विकास,
(v) पशु आहार व चारा विकास
(vi) पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा तथा
(vii) पशु गणना पर ध्यान दिया जा रहा है।

5.40 वर्ष 31.12.2007 तक पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 7 पोलीक्लीनिक, 317 पशु चिकित्सालय, 28 केन्द्रीय पशु औषधालय, तथा 1,765 पशु औषधालय/केन्द्रों के अतिरिक्त 14 चल औषधालय एवं 6 पशु चैक पोस्ट कार्यरत हैं जो तुरन्त पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं।

5.41 राज्य में भेड़ व उन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला) सरोल (चम्बा) नगवाई मण्डी, ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़े प्रदान की जा रही है। वर्ष 2007–08 में इन फार्मों में 1,438 भेड़े पाली गई। वर्ष 2007–08 के दौरान 16.15 लाख किलोग्राम उन के उत्पादन होने की सम्भावना हैं। खरगोशों के प्रजनन के लिए खरगोश प्रदान करने हेतु जिला कांगडा में कन्दबाड़ी तथा जिला मण्डी में नगवाई में अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत हैं।

5.42 हिमाचल प्रदेश में डेरी विकास, पशुपालन का एक अभिन्न अंग है तथा छोटे व सीमान्त किसानों की आय वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। पिछले वर्षों में बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जोकि शहरी उपभोक्ता केंद्रों के दायरे में आते है, विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इससे किसानों को पुरानी स्थानीय नसल की गउओं को कासबीड गउओं में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिला है। कासबीड गउओं को बेहतर समझा जाता है क्योंकि यह गउएं अधिक समय तक व अधिक दूध देती है, इस कारण पशुपालन से सम्बन्धित ढांचे जैसे पशु संस्थान तथा दुग्ध फैडरेशन में भी वृद्धि हुई है। पहाड़ी नसल की गायों को जर्सी तथा होलस्टेन नसल में कास ब्रीडिंग (सकंरीत) द्वारा विकसित किया जा रहा है। भैंसों को भी अधिक दूध देने वाली कास ब्रीड़िंग नसल द्वारा विकसित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक द्वारा जमे हुए वीर्य स्ट्रा से गायों तथा भैंसो में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जाता है। वर्ष 2007–08 में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 1,932 पशु, संस्थाओं द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2007–08 में 5.50 लाख गायों के व 1.20 लाख भैंसों के वीर्य तृणों का उत्पादन होने की संभावना है। विभाग के तरल नत्रजन संयंत्रों में 2.75 लाख लीटर तरल नत्रजन का उत्पादन होगा। वर्ष 2007–08 में 5.00 लाख गायों में तथा 0.80 लाख भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना हैं।

5.43 बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में 2.20 लाख चूजों का वितरण तथा 2.25 लाख ब्रायलर चूजों का हैच प्रजनन होने की संभावना है तथा 400 कुक्कट पालकों को प्रशिक्षण का लक्ष्य है। जिला लाहौल–स्पिति के लरी नामक स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है जिससे स्पिति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति की संरक्षित रखा जा रहा है। वर्ष 2007–08 में इस प्रक्षेत्र में 25 घोड़े–घोड़ियों को रखा गया है। इसी स्थल पर याक प्रजनन प्रक्षेत्र भी हैं जहां पर वर्ष 2007–08 में 32 याक रखे जा रहे हैं। दाना व चारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में 12.00 लाख चारा जड़ों व 0.45 लाख चारा पौधों का वितरण तथा 1,84,400 किलोग्राम चारा बीज वितरण किए जाने की संभावना है।

दूध पर आधारित उद्योग

5.44 हिमाचल प्रदेश दुग्ध फैडरेशन राज्य के दस जिलों (किन्नौर व लाहौल–स्पिति को छोड़कर) डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है। दूध फैडरेशन ने 612 समितियां गठित की हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 27,539 है। डैरी सहकारी समितियो द्वारा दुग्ध उत्पादकों से गांवों का अतिरिक्त दूध एकत्रित किया जाता है तथा दुग्ध फैडरेशन इसे बाजार में उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में दुग्ध फैडरेशन 22 दुग्ध ठण्डा करने के केंद्र चला रही है जिनकी कुल क्षमता 68,000 लीटर दूध प्रतिदिन है और 6 दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट जिनकी कुल क्षमता 75,000 लीटर दूध प्रतिदिन है। "दुग्ध फैडरेशन प्रतिदिन लगभग 27,000 लीटर दूध की आपूर्ति कर रहा हैं जिसमें सैनिक युनिट डगशाई, शिमला, पालमपुर, योल और पठानकोट शामिल हैं।"

5.45 वर्ष 2007–08 में (31.12.2007 तक) 110.1 लाख लीटर दूध एकत्रित किया गया। इस प्रकार दुग्ध फैडरेशन न केवल दूर–दराज के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का पारितोषिक प्रदान करता है बल्कि शहर के ग्राहकों को सही मुल्य पर दूध उपलब्ध करवाता है। दुग्ध फैडरेशन बिना किसी मध्यस्थ के सीधे तौर पर दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदता है। इन दुग्ध उत्पादकों में अधिकतर छोटे व सीमांत किसान हैं। "दूध उत्पादन की गुणवत्ता व स्वच्छता बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत" करने के लिए कुल्लू व मण्डी जिलों में दुग्ध समितियां अपने सदस्यों को प्रशिक्षण दे रही है तथा डिटरजैंट, कीटाणु रहित विलयन, दुग्ध मापी यंत्र और दुग्ध वर्तन आदि उपलब्ध करवा रही है।

5.46 दुग्ध फैडरेशन ने प्रति प्लांट 5,000 क्षमता/ प्रतिदिन के दो दुग्ध प्लांट चम्बा व रोहडू में स्थापित किये हैं तथ वर्ष 2007–08 में कफोटा (जिला सिरमौर) में 5,000 की क्षमता वाला दुग्ध प्लांट स्थापित कर दिया है जबकि रामपुर में 20,000 की क्षमता का दुग्ध प्लांट स्थापित किया जाएगा और वर्ष 2007–08 में करसोग में एक दुग्ध ठण्डा करने का केंद्र स्थापित किया जाएगा। एक नया दुग्ध प्लांट नाहन में 2007–08 में स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 1,000 लोगों को परोक्ष रूप में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

5.47 संगठित क्षेत्र (दुग्ध फैडरेशन) में विभिन्न दुग्ध उत्पादकों के अनुसार उत्पादन को सारणी 5.9 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.9
दूध पर आधारित उद्योग का उत्पादन

उत्पाद	यूनिट	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08 (31.12.07 तक
बेचा गया दूध	लाख ली.	47.50	49.72	58.15	45.81
पनीर	मी. टन	47.80	49.79	59.25	50.31
मक्खन	मी. टन	7.11	8.41	8.14	8.66
घी	मी. टन	45.49	37.90	43.74	48.79
एस.एफ. एम.	लाख वोतलें	0.22	0.19	0.01	0.01
दही	मि.टन	96.11	103.18	179.14	175.58

मत्स्य एवं जलचर पालन

5.48 हिमाचल प्रदेश विशाल एवं विभिन्न प्रकार के मत्स्य स्त्रोतों से परिपूर्ण राज्य है जिसमें नदी नालों, जलाश्यों, तालाबों और प्राकृतिक झीलों का जाल बिछा है। नदीय लक्यूस्ट्राईन, रिक्रीएशन और पौंड फिशरीज में वर्गीकृत राज्य के जल स्त्रोतों में मत्स्य विकास व रोजगार अर्जित करने की काफी संभावना हैं। प्रदेश के दो बडे जलाश्य गोबिन्दसागर व पौंग डैम में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई है। प्रदेश को गर्व है कि उसने देश भर में सबसे पहले निजी क्षेत्र को ट्राउट पालन से परिचित करवाया। प्रदेश में लगभग 5,469 मछुआरे अपनी रोजी के लिए जलाश्यों के मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं वर्ष 2007–08 के दौरान दिसम्बर,2007 तक प्रदेश के विभिन्न जलाश्यों में 4,674.39 मीट्रिक टन मच्छली उत्पादन जिसका मूल्य 2,223.52 लाख रूपये है किया गया। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों को गोबिन्द सागर में देशभर में सर्वाधिक प्रति हैक्टेयर मतस्य उत्पादन तथा पौंग डैम की मछलियों का सर्वोच्च विक्रय मूल्य का गर्व प्राप्त है। इन दोनों जलाशयों में दिसम्बर,2007 तक 738.89 मी0टन उत्पादन हुआ जिसका मूल्य 343.83 लाख रूपये आंका गया। गोबिन्द सागर में प्रति हैक्टेयर जलाश्य को वर्ष के दौरान दिसम्बर,2007 तक राज्य में फार्मों से 11.44 टन ट्राउट मच्छली उत्पादन से 55.29 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है जो सारणी संख्या 5.10 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.10
टेवल साईज ट्राउट उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (टन)	राजस्व (लाख रूपये)
2003–04	5.42	2.34
2004–05	18.57	29.04
2005–06	13.96	35.67
2006–07	16.57	52.19
2007–08 (दिसम्बर,07 तक)	11.44	55.29

5.49 पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राज्य में शीतल जलचर पालन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रस्ताव के आधार पर उत्पाद प्रकिया प्रणाली सुदृढीकरण नामक 100.00 लाख रूपये की नई परियोजना भारत सरकार से शतप्रतिशत स्वीकृत हो चुकी है जिस के लिए सरकार को 50.00 लाख रूपये प्राप्त हो चुके है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में मत्स्य विक्रय केन्द्र वर्फ उत्पादन संयंत्र तथा शीत भण्डार स्थापित किए जांएगे।

5.50 विभाग द्वारा जलाश्य मछली दोहन में लगे मछुआरों एवं मत्स्य पालन के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। मछुआरों को अब दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु की दशा में संतप्त परिवार को 50,000 रूपये तथा अपंगता की स्थिति में 25,000 रूपये बीमा राशि के तौर पर प्रदान किए जाते है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य उपकरणों के नुकसान की भरपाई के लिए कुल लागत का 33 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। वर्ष में दिसम्बर, 2007 तक 240 स्वरोजगार सेवाएं सृजित की मई तथा विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं पर 34.79 लाख रूपये दिए गए।

सिंचाई

5.51 कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है। कृषि उत्पादन प्रकिया में पर्याप्त तथा समय पर सिंचाई की पूर्ति की जरूरत उन क्षेत्रों में है जहां वर्षा बहुत कम तथा अनियमित होती है । कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बहुविध फसलें तथा प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक फसल पैदावार उगाने के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है । राज्य योजना में सिंचाई की संभावना तथा उसके अनुकूल उपयोग के सृजन पर विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ।

5.52 हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की सिंचाई की क्षमता लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है तथा शेष 2.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र विभिन्न एजैन्सियों की लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है।

5.53 राज्य में कांगडा जिलें में शाहनहर परियोजना ही एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के पूर्ण होने से 15,287 हैक्टेयर क्षेत्र में संभावित सिंचाई की जाएगी।

5.54 राज्य में पांचवी योजना में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया। तब से 4 मध्यम परियोजनाओं में अब तक राज्य में 11,236 हैक्टेयर क्षेत्र में सी.सी.ए. सृजित करने का कार्य पूर्ण किया गया। ये परियोजनाएं है:– गिरी सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 5263 हैक्टेयर) बल्ह घाटी परियोजना (सी.सी.ए. 2410 हैक्टेयर) भभौर साहिब चरण–। (सी.सी.ए. 923 हैक्टेयर) और भभौर साहिब चरण–।। (सी.सी.ए. 2640)

5.55 निर्धारित सिंचाई संभावनाएं तथा सी.सी.ए. का सृजन सारणी 5.11 में दिया गया है:–

सारणी 5.11

निर्धारित सिंचाई संभावनाएं तथा सीसीए सृजित

(लाख हैक्टेयर)

मद	क्षेत्र
कुल भौगालिक क्षेत्र	55.67
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	5.83
अन्तिम उपलब्ध सिंचाई सम्भावनाएं	
(क) मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	0.50
(ख) लघु सिंचाई	2.85
सृजित सीसीए	
31.3.2001 तक	1.95
31.3.2002 तक	1.97
31.3.2003 तक	1.99
31.3.2004 तक	2.02
31.3.2005	2.04
31.3.2006	2.07
31.3.2007	2.12
31.12.2007	2.14

नोटः ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनके सी.सी. ए. 10,000 हैक्टेयर से अधिक हो मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 2,000 हैक्टेयर से अधिक सी.सी.ए. तथा 10,000 हैक्टेयर तक की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं 2,000 हैक्टेयर के अंतर्गत आती है।

वर्ष 2007–08 में योजना–वार निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गईः–

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

5.56 वर्ष 2007–08 में 11,600 लाख रूपये के प्रावधान से 2,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था । नवम्बर,2007 तक 1,656.09 लाख रूपये व्यय किए गए तथा दिसम्बर,2007 तक 419 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई ।

लघु सिंचाई

5.57 वर्ष 2007–08 में राज्य क्षेत्र मे 11,978.00 लाख रूपये का प्रावधान 2,500 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है । नवम्बर,2007 तक 4,168.14 लाख रूपये व्यय किये जा चुके थे तथा दिसम्बर,2007 तक 1,931 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई।

कमांड विकास कार्यक्रम

5.58 वर्ष 2007–08 के दौरान 700.00 लाख रूपये जिसमें केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है, के अंतर्गत 1,500 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल तथा 1,500 हैक्टेयर क्षेत्र में बाराबन्दी का प्रावधान था। दिसम्बर,2007 तक 447 हैक्टेयर क्षेत्र फील्ड चैनल तथा 447 हैक्टेयर क्षेत्र बाराबन्दी के अंतर्गत लाया गया तथा नवम्बर,2007 तक 34.04 लाख रूपये व्यय किए जा चुके थे।

बाढ़ नियन्त्रण

5.59 वर्ष 2007–08 में 800 हैक्टेयर भूमि बाढ़ नियंत्रण कार्य के अंतर्गत लाने के लिए 1,970.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया था। नवम्बर,2007 तक 1,325.83 लाख रूपये व्यय किए जा चुके थे तथा दिसम्बर,2007 तक 530 हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है।

वन

5.60 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 66.5 प्रतिशत अर्थात 37,033 वर्ग किलामीटर क्षेत्र आता हैं । हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति का मूल उद्धेश्य वनों के उचित उपयोग के साथ–साथ इनका संरक्षण तथा विस्तार करना है । इन्ही नीतियों को पूर्ण रूप देने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ योजना कार्यक्रम चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैः–

वन रोपण

5.61 वन रोपण का कार्य वनोत्पादक वन योजना तथा भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । इन योजनाओं में वन आच्छादन में सुधार विभागीय पौधरोपण व सार्वजनिक वितरण के लिए नर्सरी तैयार करना, चारागाह में सुधार, ईंधन व चारा, गौण वन उपज सांझी वन योजना, पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना तथा भू एवं नमी संरक्षण इत्यादि आतें हैं सितम्बर,2007

तक 516.97 लाख रूपये की लागत से 4,557 हैक्टेयर क्षेत्र इस वन योजना के अंतर्गत लाया गया।

वन्य प्राणी तथा प्रकृति सरंक्षण

5.62 हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु–पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आखेट स्थलों एंव राष्ट्रीय पार्को मे सुधार लाना है ताकि विभिन्न लुप्त होने वाले पशु–पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को बचाया जा सेके। सितम्बर,07 तक 194.60 लाख रूपये (केन्द्रीय भाग सहित) की राशि उपभोग में लाई गई ।

वन सुरक्षा

5.63 वनों में आग, अवैध कटान एवं अतिक्रमण का खतरा बना रहता है । इसलिए यह आवश्यक है कि उचित स्थानों पर चैकपोस्ट स्थापित किए जाएं ताकि लकडी के अवैध व्यापार पर सेके लगाई जा सकें तथा उन सभी वन मण्डलों में जहां आग एक विध्सवंसक तत्व है अग्नि शमन उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध करवाई जाए । वनों के अच्छे प्रबन्धन एवं सुरक्षा के लिए भी एक अच्छे संचार तंत्र की आवश्यकता है। इसके लिए सितम्बर,2007 तक 26.05 लाख रूपये व्यय किए जा चुकें थे।

बाहय सहायता प्राप्त योजनाएं

स्वान नदी(उना में) एकीकृत वाटरशैड विकास परियोजना

5.64 हिमाचल प्रदेश के उना जिला में स्वान नदी के उपर एकीकृत वाटरशैड परियोजना जापान सरकार की सहायता से जून 2006 से 2014 तक चलाई गई है जिसका उद्देश्य वन का नवीनीकरण, कृषि भूमि का बचाव एवं कृषि और वन उपज को स्वान नदी पर बढ़ाने का है। इस उद्देश्य के लिए स्वान नदी के जल मग्न क्षेत्र के एकीकृत वाटर शैड मनेजमैंट गतिविधियां जैस वन, भू एवं जल संरक्षण कार्य चलाए जा रहे हैं। इसी योजना के अधीन कृषि विकास एवं स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को उठाने के कार्य भी किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में 1,000 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से सितम्बर,2007 तक 95.58 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

विश्व बैंक की सहायता से मध्य हिमालय के विकास की परियोजनाः

5.65 मध्य हिमालय वाटर शैड परियोजना प्रदेश में 1.10.2005 से शुरू की गई यह योजना 6 वर्षो के लिए है जिस की कुल लागत 365 करोड़ हैं। परियोजना की लागत विश्व बैंक एंव राज्य सरकार द्वारा 80:20 के आधार पर वहन की जाएगी एंव परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थियों द्वारा उठाया जाएगा। यह परियोजना एकीकृत वाटर शैड परियोजना(हिल्ज) जो कण्डी परियोजना के नाम से जानी जाती थी जिसका समापन 30.9.2005 को हो चुका है उस का दूसरा मिलता रूप है। इस परियोजना के अन्तर्गत 600 से 1,000 मीटर उंचाई के 10 जिलों में 42 विकास खण्डों की 602 पंचायतों के क्षेत्र आएगें। इस परियोजना के मुख्य उद्धेश्य निम्न है:–

- प्राकृतिक संसाधन के खर्चो की प्रकिया को बदलना।
- प्राकृतिक सम्पदा की संभावी उर्वरक्ता को बढाना।
- गांव के लोगों की आय को बढाना।

वर्ष 2007–08 के दौरान इस कार्य के लिए 4,500.00 लाख रूपये दिए गए जिन में से सितम्बर,2007 तक 1,031.57 लाख रूपये व्यय किए जा चुके है।

6. उद्योग एवं रोजगार

उद्योग

6.1 हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उदारीकृत अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न कार्यकलापों के अनुवर्ती लाईसैंसों को खत्म करने के परिणाम स्वरूप राज्य में निवेश प्रवाह कई गुणा बढ़ रहा है। विभाग को प्रदेश मे नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए उद्यमियों से अत्यधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है ।

6.2 इस समय प्रदेश मे 373 मध्यम व बड़े तथा लगभग 34,152 लघु पैमाने के उद्योग कार्यरत है जिनमें लगभग 6,120.11 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश है और यह उद्योग लगभग 2.09 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहें हैं। नए एवं पहले से स्थापित उद्योगों को समस्त सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एकल खिड़की औद्योगिक परियोजना स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण प्रदेश में स्थापित होने वाले सभी मध्यम एवं बड़े क्षेत्र की परियोजनाओं को समस्त सहायता प्रदान करता है तथा यदि किसी उद्योगपति को कोई कठिनाई हो तो उसे पारदर्शिता और कुशलता के आधारे पर दूर करने का प्रयास करता है। भारत सरकार द्वारा जनवरी,2003 के विशेष प्रोत्साहन पैकेज के बाद 3,467 लघु उद्योगों 171 मध्यम एंव भारी उद्योग इकाइयों का स्थाई पंजीकरण किया गया जिनमें 3,280.16 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ एवं 50,621 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ।

6.3 उद्योगों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य मे 38 औद्योगिक बस्तियों तथा 15 औद्योगिक एस्टेटस की स्थापना की गई है। राज्य में औद्योगिक आधार भूत ढांचा के सुधार के लिए 192.00 लाख रूपये व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए नई सरकारी एवं निजी लगभग 13,058 वीघा भूमि चिन्हित की गई हैं ताकि एक भूमि बैंक की स्थापना की जा सके एवं उद्यमियों को आसान शर्तों पर भूमि उपलब्ध करवाई जा सके।

6.4 शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार सहायता प्राप्त करवाने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रदेश में चलाई जा रही हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान 4,200 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इस के बदले में 2,269 लाभार्थियों को 2,418.46 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया जिसमें से 1,590 लाभार्थियों को 1,605.45 लाख रूपये की धन राशि दिसम्बर, 2007 तक वितरित की गई।

रेशम उद्योग

6.5 रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे लगभग 8,385 ग्रामीण किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है । रेशम के कीड़ों को पालने तथा कोकून को बेचने से वे अपनी आय में वृद्धि करते हैं। वर्ष 2007--08 के दौरान दिसम्बर, 2007 तक 1.05 लाख किलोग्राम कून का उत्पादन किया गया, जिससे रेशम उत्पादन करने वालों को दिसम्बर,2007 तक 82.00 लाख रूपये की आय हुई।

कला एवं प्रदर्शनी

6.6 राज्य में औद्योगिक ईकाईयों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के दृष्टिगत प्रदेश द्वारा राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न मेलों, त्यौहारों व प्रदर्शनियों मे भाग लिया है। चालू वर्ष के दौरान प्रदेश ने नई दिल्ली में आयोजित 27वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2007 मे कुल्लू के दशहरा मेले व रामपुर के लवी मेले व विभिन्न राज्य स्तरीय मेलों मे अपने राज्य में उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन किया।

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-13299
Date : 19-12-2008
Documentation Centre

हथकरघा एवं हस्तशिल्प

6.7 हथरकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। इस समय प्रदेश में लगभग 0.50 लाख हथकरघे हैं जो मुख्यतः उन पर आधारित हैं। प्रदेश में केंद्र प्रायोजित दीन दयाल हथकरघा एवं एकीकृत हस्तशिल्प योजना, वर्क शैड–कम–हाउसिंग योजना तथा विभिन्न राज्य योजनाएं हथकरघा एवं हस्तशिल्प कुटीर उद्योग तथा खादी एवं ग्रामों उद्योग के विकास के लिए कियान्वित की जा रही है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में 32.53 लाख रूपये की राशि भारत सरकार दीन–दयाल हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हि0प्र0 राज्य योजना का कार्यान्वयन करना जिसमें राज्य का 13.91 लाख भाग है तथा राज्य के 16 प्राथमिक बुनकर कोपोरेटिव संस्था भी है। इसके अतिरिक्त हथकरघा एवं हस्तशिल्प तथा हथकरघों एवं हस्तशिल्प तथा खादी एवं ग्रामों उद्योग के विभिन्न किया–कलापों के लिए राज्य योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम व खादी ग्राम बोर्ड को अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

निर्यात प्रोत्साहन के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता योजना

6.8 निर्यात प्रोत्साहन के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के उद्देश्य से 'राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन हेतु सहायता योजना' भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कार्यान्वयन की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय निर्यात सम्बर्धन समीति का गठन किया गया हैं व हि. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम को नोडल अभिकरण बनाया गया है। राज्य स्तरीय निर्यात सम्बर्धन समीति द्वारा इस वर्ष के दौरान 3 योजनाओं को स्वीकृत किया गया। जिन पर कुल 116.21 लाख रूपये व्यय होंगें। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 300.00 लाख रूपये उपलब्ध करवाए गए हैं।

औद्योगिक विकास केंद्र परियोजना

6.9 प्रदेश में औद्योगिक विकास केंद्र परियोजना केंद्र सरकार की सहायता से संसारपुर टैरस चरण–1, वैन अटारिया चरण–2, राजा का वाग चरण–3, ग्वालथाई चरण–4 तथा बनालगी चरण–5 स्थानों पर कियान्वित की जा रही है जिस पर 22.77 करोड़ रूपये व्यय होंगे। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 1,624.09 लाख रूपये की सहायता राशि में से 1,200.00 लाख रूपये प्राप्त हो चुके हैं। दिसम्बर,2007 तक इस योजना के अंतर्गत 1,561.36 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

खनन

6.10 खनिज प्रदेश के आर्थिक आधार का एक मुख्य तत्व है । उत्तम किस्म का चूना पत्थर जो कि पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक पदार्थ है यहां प्रचूरता में प्राप्त हैं। तीन सीमेंट प्लांट बिलासपुर जिला में बरमाणा, सोलन जिला में कशलोग तथा सिरमौर जिला में राजवन पहले से ही कार्यरत्त है। सुन्दरनगर जिला मण्डी एवं बागा–बलग जिला सोलन में बड़े सीमेंट प्लाटों को स्थापित करने के लिए मै0 हरीश सीमेंट (ग्रासिम सीमेंट) तथा जे0पी0 ईएडस्ट्रीज को पट्टे प्रदान कर दिए हैं। तीन बड़े सीमेंट प्लांट शिमला जिला में गुम्मा रुहाना, मण्डी जिला में अलसींडी तथा चम्बा जिला में बरोह शिन्ड लगाने के लिए इंडिया सीमेंट लि0 लाफार्ज इंडिया लि0 एवं जे0पी0 इण्डस्ट्रीज के साथ राज्य सरकार ने एम ओ यू हस्ताक्षरित कर दिया है। वर्ष 2007–08 के दौरान खनन से प्रदेश को मार्च,2008 तक अनुमानित 52.00 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त 42 स्थानों में पुलों, भवनों व सड़क के आसपास भू–तकनीकी अन्वेषण व शिमला जिला के सुनी तहसील के कोठी–साल–वाग में चूना पत्थर भण्डारों की खोज जारी है। इसके अतिरिक्त 44 नए लघु खनन के पटटे प्रदान किए गए।

रोजगार

6.11 2001 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 32.31 प्रतिशत मुख्य कामगार, 16.92 प्रतिशत सीमांत कामगार तथा शेष 50.77 गैर कामगार थे। कुल कामगारों (मुख्य +सीमांत) में से 65.33 प्रतिशत काश्तकार, 3.15 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.75 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 29.77 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे। राज्य में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केंद्र और 55 उप–रोजगार कार्यालय, विकलांगों के लिए निदेशालय में एक विशेष रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदेशालय में तथा मण्डी, शिमला व धर्मशाला में व्यवसायिक इकाईयां पूरे प्रदेश में आवेदकों की सेवा में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने शिमला में विदेशी रोजगार के इच्छुक कामगारों के लिए फोरन एम्पलायमेंट एवं मैनपावर ब्यूरों की स्थापना भी की।

रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

6.12 1.4.2007 से 31.10.2007 के समय में कुल 1,07,047 प्रार्थियों का पंजीकरण हुआ तथा 678 व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिला। विभिन्न नियुक्तिकों द्वारा इस अवधि में अधिसूचित खाली स्थानों की संख्या 3,193 थी। सभी रोजगार कार्यालयों में 31.10.2007 तक सक्रिय पंजी में कुल संख्या 7.81 लाख थी। जिलावार रोजगार केन्द्रों का 1.4.2007 से 31.10.2007 का कार्य निम्न सारणी संख्या 6.1 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 6.1

(1.4.2007 से 31.10.2007)

क.सं	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्त स्थान	प्रस्तुति	कार्य पर रखे	वर्तमान रजिस्टर में प्रार्थी
1	2	3	4	5	6	7
1	बिलासपुर	7,067	128	4,579	2	52,989
2	चम्बा	7,082	151	6,418	21	45,604
3	हमीरपुर	8,971	3	3,235	38	64,848
4	कांगड़ा	23,224	268	10,747	275	1,70,296
5	कुल्लू	5,238	105	3,814	13	38,509
6	किन्नौर	1,584	539	3,698	6	8,519
7	लाहौल–स्पिति	968	130	50	2	4,944
8	मण्डी	18,564	75	8,138	161	1,27,078
9	शिमला	11,215	863	5,714	70	1,12,834
10	सिरमौर	7,733	203	2,542	4	50,622
11	सोलन	6,970	120	8,289	40	48,775
12	उना	8,431	528	7,866	46	55,689
	हिमाचल प्रदेश	**1,07,047**	**3,193**	**65,090**	**678**	**7,80,707**

नोटः– i) उपरोक्त सारणी में कार्य पर रखे गए की सूचना में विभिन्न विभागों एवं लोक सेवा आयोग तथा एच.पी.एस.एस.बी. द्वारा सीधे एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा रखे गए की सूचना शामिल नहीं है।

रोजगार मार्केट सूचना कार्यक्रम

6.13 वर्ष 1960 से रोजगार मार्केट सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं । 31.3.2007 को प्रदेश में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में कुल 3.41 लाख कर्मी थे । (2.56 लाख सार्वजनिक क्षेत्र में व 0.85 लाख निजी क्षेत्र में)

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

6.14 हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में लगी एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में स्थित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2007 में भी अपनी सेवाएं अर्पित करता रहा है। कक्ष का कार्य क्षेत्र केवल उपरोक्त संस्थानों तथा औद्योगिक इकाईयों को तकनीकि तथा उच्च कुशल कामगारों को उपलब्ध करवाने तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इस कक्ष में निजी क्षेत्र में अकुशल कामगारों की मांग को प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों के माध्यम से पूरा करने के लिए साथ-- साथ सहायता करता रहा है। इस प्रकार इस योजना द्वारा एक ओर रोजगार इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर नियोक्ता बिना धन व समय बर्बाद किए उचित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2007--08 के दौरान नवम्बर,2007 तक 28,211 तकनीकी तथा उच्च कुशल वर्ग के आवेदकों का पंजीकरण उनके मूल रोजगार कार्यालयों से प्राप्त अनुलिपि कार्डो के आधार पर किया गया। वर्ष 2007--08 के दौरान नवम्बर,2007 तक निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की कुल 1,529 रिक्तियां केंद्रीय रोजगार कक्ष से अधिसूचित थी। केन्द्रीय रोजगार कक्ष द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के कुल 21,142 आवेदकों को सम्प्रेषित किया गया। वर्ष 2007--08 के दौरान नवम्बर,2007 तक केंद्रीय रोजगार कक्ष के माध्यम से प्रदेश में 243 व्यक्तियों को विभिन्न निजी क्षेत्र औद्योगिक इकाईयों में रोजगार प्राप्त हुआ।

विकलांगों के लिए विशेष कक्ष

6.15 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु विशेष रोजगार कक्ष धर्मशाला में 1983 से कार्यरत है । यह कक्ष अपंग आवेदकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। वर्ष 2007 के दौरान नवम्बर,2007 तक सकिय पंजिका में 616 विकलांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 13,063 हो गई थी। 1,344 रिक्तियां अधिसूचित हुई जिसके लिए 2,089 विकलांग प्रत्याशियों के नाम सम्प्रेषित किए गए तथा 17 विकलांग व्यक्तियों की नियुक्तियों की गई ।

न्यूनतम मजदूरी

6.16 हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यून्तम मजदूरी एक्ट, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी परामर्श बोर्ड बनाया है जो कि अनुसूचित रोजगारों के अंतर्गत मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी दर तथा उसके संशोधन के बारे में प्रदेश सरकार को परामर्श देता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को 1.1.2008 से 75.00 रूपये से बढ़ाकर 100.00 रूपये प्रतिदिन या 2,250 रूपये प्रतिमाह से 3,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया है।

श्रमिक कल्याण उपाय

6.17 बन्धुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन एक्ट, 1976 के अंतर्गत राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति तथा उपायुक्त व उपमण्डल अधिकारी की अध्यक्षता में जिला एवं उपमण्डल स्तर पर सतर्कता समितियां गठित की है । राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए दो श्रम न्यायालय एवं औद्यागिक न्याय अधिकरण स्थापित किये हैं जिसमें से एक का मुख्यालय शिमला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर,सोलन, व सिरमौर है तथा दूसरा धर्मशाला में स्थापित किया गया है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, उना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू एवं लाहौल--स्पिति है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत इन दोनों श्रम अदालतों में जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद

के बराबर, एक–एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं बीमा योजना

6.18 राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, बद्दी, मेहतपुर, नालागढ़, पांवटा साहिब, काला अम्ब और शिमला में लागू हैं। 31 मार्च 2007 तक लगभग 2,100 उद्यम व 80,000 मजदूर इस योजना के अंतर्गत लाए गए। इसी प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत 5,363 उद्यमों में कार्यरत 2,39,565 मजदूरों को लाया गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत 31.3.2007 तक 1,068 ट्रेड यूनियनज पंजीकृत हैं। 1.4.2006 से 31.3.2007 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किए गए कार्य का विवरण इस प्रकार है:–

1. 31.3.2006 को लम्बित मामले–1,728
2. 1.4.2006 से 31.3.2007 तक प्राप्त मामले–693 एवं 1,005 मामलों का निपटारा किया गया।

7. विद्युत

7.1 आर्थिक विकास में विद्युत एक महत्वपूर्ण निवेश है। विद्युत का राजस्व उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है जिससे लोगों के रहन सहन के स्तर में बढ़ावा मिला है।

7.2 हिमाचल को विस्तृत हाईड्रो विद्युत परियोजना का गौरव प्राप्त है। प्रारम्भिक जल, विज्ञान, तलरूप तथा भौमकीय अन्वेषणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पांच नदी क्षेत्रों यमुना, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब से जल विद्युत उत्पादन का अनुमान बड़े, मध्यम, लघु व सूक्ष्म जल परियोजनाएं बना कर लगभग 20,416 मैगावाट आंका गया है। 6,370.12 मैगावाट विद्युत विभिन्न अभिकरणों द्वारा जल दोहन से तैयार की जाएगी जिसमें से 466.95 मैगावाट भी शामिल है जो हि.प्र.राज्य विद्युत परिषद द्वारा उत्पादित की जाएगी।

जल स्त्रोत–वार अनुमानित विस्तृत उत्पादन और वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे सारणी संख्या 7.1 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 7.1

सम्भाव्य क्षमता एवं सम्भाव्य स्थापन

(मैगावाट)

क्र. सं.	बैसिन	कुल अनुमानित उत्पादन	राज्य सेक्टर एच.पी.एस.ई.वी.	निजी क्षेत्र	केंद्र/संयुक्त क्षेत्र	हिमउर्जा	कुल (4 से 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सतलुज	9866.55	150.25	300.00	2825.00	1.30	3276.55
2	व्यास	4620.90	226.50	86.00	1496.00	21.30	1829.80
3	रावी	2345.25	10.25	–	1038.00	–	1048.25
4	चनाव	2251.00	–	–	–	–	–
5	यमुना	602.52	79.95	–	131.57	4.00	215.52
6	हिमउर्जा	723.40	–	–	–	–	-
	कुल	20415.62	466.95	386.00	5490.57	26.60	6370.12

7.3 राज्य सरकार ने बहुमुखी विद्युत उत्पादन नीति अपनाई है जिसे निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, केंद्र क्षेत्र तथा संयुक्त रूप में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। अब तक विद्युत क्षमता का विवरण सारणी संख्या 7.2 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 7.2

सम्भाव्य क्षमता

क.सं.	मद्द	क्षमता (मैगावाट)
1	2	3
1.विद्युत क्षमता जो अभी तक दोहन की गई		
	1. राज्य क्षेत्र	466.95
	2. केंद्रीय क्षेत्र	3990.57
	3. संयुक्त क्षेत्र	1500.00
	4. निजी क्षेत्र	386.00
	5. हिमउर्जा द्वारा	26.60
	उप–योग	6370.12
2.परियोजनाएं जो निष्पादनाधीन/आंवटित है		
	1. राज्य क्षेत्र	1133.10
	2. केंद्रीय क्षेत्र	2763.00
	3. निजी क्षेत्र	1848.00
	उप–योग	5744.10
3.परियोजनाएं जो केंद्र/संयुक्त क्षेत्र में आंवटित की गई (वारहवीं पंचवर्षीय योजना)		2136.00
4. परियोजनाएं जो निजी क्षेत्र में आंवटित की गई		3479.50
5.परियोजनाएं जो राज्य क्षेत्र को आंवटित है		–
6. परियोजनाएं जो विचाराधीन हैं		1481.00
7.हिमउर्जा द्वारा निष्पादित लघु माइक्रो परियोजनाएं		723.40
8.परियोजनाएं जो पर्यावरण के कारण छोड़ दी गई हैं		435.00
9.परियोजनाएं जो इनवैस्टीगेशन तथा डी.पी.आर. के अधीन हैं		46.50
कुल		20415.62

जल विद्युत नीति के सूत्र

7.4 राज्य सरकार ने 2 जनवरी,2007 को नई जल विद्युत नीति की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति की विशेषताएं निम्न हैं:–

i) 2 मैगावाट की परियोजनांए हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए चिन्हित की गई तथा 5 मैगावाट की परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता हिमाचलियों को दी जाएगी।

ii) 5 मैंगावाट से उपर और 100 मैगावाट तक की क्षमता वाली परियोजनांओ को आई.पी.पीज. (स्वतन्त्र रूप से विद्युत उत्पादक) को एम.ओ.यू. के द्वारा विस्तृत विज्ञापन से बोली दाताओं को आकर्षित किया जाएगा तथा 100 मैगावाट से उपर की परियोजनाएं

अर्न्तराष्ट्रीय वोली प्रतियोगिता के द्धारा आंवटित की जाएगी। राज्य सरकार की 100 मैगावाट से उपर की परियोजनाओं में अधिकतम 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी नीजि क्षेत्र में होगी।

iii) यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें तथा अनुउत्पादक अवधि के दौरान कम से कम 15 प्रतिशत जल डैम से नीचे छोड़ना सुनिश्चित किया जाएगा जो कि स्थानीय निवासियों के लिए सिचांई, पीने के लिए, मत्स्य एंव वन्य जीवों के प्रयोग में आएगा।

iv) कम्पनियों को हिमाचल के 70 प्रतिशत लोगों को कर्मचारियों/ अधिकारियों/ प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में रोजगार देना अनिवार्य होगा।

v) परियोजना ग्रस्त क्षेत्र के विकास में जो लोग प्रभावित होगें, प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास कमेटी बनाई जाएगी एवं परियोजना की कुल लागत का 1.5 प्रतिशत क्षेत्र विशेष के विकास के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास कमेटी को निर्धारित किया जाएगा।

7.5 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की बढती हुई गतिविधियों को देखते हुए इन परियोजनाओं से विद्युत प्रवाह व उसका राज्य में उपयोग हेतु विद्युत संचारण तथा वितरण पर अधिक ध्यान देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

ग्रामीण विद्युतिकरण

7.6 1991 की जनगणना के अनुसार जनगणना गांव की संख्या 19,388 थी जिनमें से 2,391 गांव गैर आबादी के तथा शेष 16,997 गांव आबाद थे। आबाद गांव से 16,915 गांव मार्च,2006 तक विद्युतकृत कर दिए गए। यहां यह दर्शाना भी तर्क संगत होगा कि राज्य ने वर्ष 1988–89 में जब आबाद जनगणना गांव 16,807 थे के अपने शत–प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। 2001 की जनगणना के अनुसार जनगणना गांव की संख्या 17,495 है एवं दिसम्बर,2007 तक इन में से 17,183 गांव विद्युतिकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त (1988 के सर्वेक्षण के आधार पर 4,182 उप–गांव में से) 4036 उप–गांव भी दिसम्बर,2007 तक विद्युतिकृत हो चुके हैं। इसी के साथ 548 अनजाने उप–गांव भी विद्युतिकृत किए जा चुके हैं। राज्य में शत् प्रतिशत घरों में विद्युत के प्रवेश के लिए समस्त जिलों से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया हैं। चम्बा जिला के लिए आर.जी.जी.वी.वाई. स्कीम को स्वीकृति मिल गई है तथा इसके अन्तर्गत 2502.36 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। इस स्कीम पर कार्य जारी है।

I. राज्य/केंद्रीय/ संयुक्त/ निजी क्षेत्र एवं हिमउर्जा में विद्युत दोहन की संभाव्य क्षमता का विवरण निम्न है:–

i) परियोजनाएं जो हि.प्र. राज्य विद्युत परिषद के प्रचलन के अधीन हैं:–

क. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1	गिरी	60.00
2	बस्सी(उहल–।।)	60.00
3	एस.वी.पी. भावा	120.00
4	आन्ध्रा	16.95
5	थिरोट	4.50
6	विनवा	6.00
7	वनेर	12.00
8	गज	10.50
9	घानवी	22.50
10	गुम्मा	3.00
11	होली	3.00
12	लारजी	126.00
13	मिनी माइक्रोज	22.50
	कुल	**466.95**

ii) परियोजनाएं जो निजी क्षेत्र के प्रचलन के अधीन हैः–

क. सं.	परियोजना का नाम/जिला/ बेसिन	कार्यपालक एजैंसी	संस्थापित क्षमता (मैगावाट)
1	वस्पा–।।/किन्नौर /सतलुज	मै. जय प्रकाश हाइड्रो पावर लिमिटिड	300.00
2	मलाना–।/कुल्लू/व्यास	मै. मलाना पावर कम्पनी लिमिटिड	86.00
	कुल		386.00

iii) परियोजनाएं जो केंद्रीय क्षेत्र/ अर्न्तराज्य/भागीदारी पर/संयुक्त क्षेत्र के प्रचलन के अधीन हैं:–

क. सं.	परियोजना	क्षमता (मैगावाट)	निष्पादन एजैंसी	टिप्पणी
1	यमुना परियोजनाएं (हि.प्र.का भाग)	131.57	उतरांचल	भागीदारी पर उत्पादन
2	वैरा स्यूल	198.00	एन.एच.पी.सी.	केंद्रीय क्षेत्र
3	चमेरा–।	540.00	एन.एच.पी.सी.	"
4	चमेरा–।।	300.00	"	"
5	शानन परियोजना	110.00	पी.एस.ई.वी.	भागीदारी पर उत्पादन
6	पौंग डैम	396.00	बी.बी.एम.बी.	अर्न्तराज्य
7	डैहर	990.00	"	"
8	भाखड़ा	1325.00	"	"
9	नाथपा झाखड़ी	1500.00	एस.जे.वी.एन.एल.	संयुक्त क्षेत्र
	कुल	5490.57		

iv) लघु/ सुक्ष्म परियोजनाएं जो हिमउर्जा द्वारा संचालित हैः–

क. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1	सुक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं 5 मैगावाट तक की हिमउर्जा द्वारा प्रचलन में	26.60
2	कुल	26.60

II परियोजनाएं जो हि.प्र.राज्य विद्युत परिषद में निष्पादनाधीन हैं:–

i) हि.प्र.राज्य विद्युत परिषद

क.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1	भावा आगुमैन्टैषन पी/एच	4.50
2	उहल स्टेज–111	100.00
3	कशांग–।,।। एवं ।।। (एकीकृत)	243.00
4	घानवी स्टेज–।।	10.00
5	साबड़ा कुड्डू (पी.वी.पी.सी.)	111.00
6	शौंग टोंग–कड़छम	402.00
7.	सैंज	100.00
8.	रेनुका	40.00
	कुल	1,010.50

ii) निजी क्षेत्र

क.सं.	परियोजना का नाम/जिला/बेसिन	निष्पादन एजैंसी	संस्थापित क्षमता (मैगावाट)
1	कड़छम–वागतू/किन्नौर/सतलुज	मै.जेपी.कड़छम हाइड्रो कार्पोरेशन लिमिटिड	1000.00
2	एलायन–दुहांगन/कुल्लू/व्यास	मै.ए.डी.हाइड्रो पावर लिमिटिड	192.00
3	पतिकारी /मण्डी/व्यास	मै.पतिकारी पावर प्राईवेट लिमिटिड	16.00
4	मलाना–।।/कुल्लू/व्यास	मै.एवरैस्ट पावर प्राइवेट लिमिटिड	100.00
5	नियोगल/कांगड़ा/व्यास	मै. ओम पावर कार्पोरेशन लिमिटिड	15.00
6	बुद्धिल/चम्बा/रावी	मै. लैंको पावर प्राईवेट लिमिटिड	70.00
7	सोरंग/किन्नौर/सतलुज	मै. हिमाचल सोरंग पावर प्राइवेट लिमिटिड	100.00
8	लम्बा डुग/मण्डी/व्यास	मै. हिमाचल कन्सोट्रियम पावर प्राइवेट लिमिटिड	25.00
	कुल		1518.00

उपरोक्त परियोजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार से है:–

1. कडछम वांगटू हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (1000 मैगावाट)

सरकार ने मैसर्ज जय प्रकाश इंण्डस्ट्रीज लि0 के साथ 28.8.1993 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 18.11.1999 को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना के लिए प्रौद्योगिक आर्थिक अनुमोदन 31.3.2003 को सी ई ए के साथ कर दिया है जिस पर 5910 करोड़ रूपये खर्च करने की सम्भावना है। सरकार द्वारा परियोजना के कार्य की बढ़ाई गई समय सीमा 18.11.2004 को समाप्त हो गई। कम्पनी ने सरकार से परियोजना के निर्माण कार्य के शुरू करने के लिए 18.11.2005 तक की समय सीमा के लिए आवेदन किया है। कम्पनी ने नई हाईड्रो पावर योजना के अंतर्गत अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। यह परियोजना 2010–2011 में चालू हो जाएगी। सरकार द्वारा इसके चालू होने 2009–10 का समय दिया है।

2. एलियन डुंहगन हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (192 मैगावाट)

सरकार ने मैसर्ज राजस्थान स्पिनिंग एवं विविंग मिल्ज के साथ 28अगस्त,1993 को एम.ओ. यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 22.2.2001 को हस्ताक्षरित किया। कार्यान्वयन समझौते के अनुसार कम्पनी को 36 महीने के अन्दर 22.2. 2004 तक वित्तीय समापन प्रकिया के उपरान्त निर्माण कार्य शुरू करना था। कम्पनी द्वारा वित्तीय समापन प्रकिया के उपरान्त निर्माण कार्य में असफल रहने के कारण निर्धारित अवधि तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया।

सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते के उपरान्त कम्पनी को 6 महीने के अन्दर 5.2.2005 तक निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कहा। सरकार ने 5.11.2005 को मैसर्ज राजस्थान स्पिनिंग एवं विविंग मिल्ज लि0, मै0 एम.पी. सी.एल. तथा जनरैटिंग कम्पनी मै0 ए.वी. हाइड्रो पावर लि0 के साथ समझौता किया। वित्तीय समापन प्रकिया प्राप्त करने के उपरान्त कम्पनी ने सिविल और इलैक्ट्रो मकैनिकल पैकेज की निविदाएं की प्रकिया पहले ही प्रदान कर दी है। परियोजना के पावर हाउस और मूल कार्यों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना 2008–09 तक चालू हो जाएगी।

3. पतिकारी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (16 मैगावाट)

सरकार ने मै0 पतिकारी पावर प्रा0लि0 के साथ 21.6.2000 को एम.ओ.यू. तथा कार्यान्वयन समझौता 9.11.2001 को हस्ताक्षरित किया। प्रौद्योगिक आर्थिक अनुमोदन 27.9.2001 को एच.

पी.एस.ई.वी. के साथ कर दिया जिस पर 125.9 करोड़ रूपये खर्च आने की सम्भावना है। पी.पी.ए. पर 5.7.2005 को हस्ताक्षर किए गए। वन तथा पर्यावरण मंत्रालय ने वन भूमि को बदलने के लिए 1.11.2004 को अनुमति प्रदान कर दी। कम्पनी ने परियोजना पर जनवरी,2005 से कार्य करना शुरू कर दिया है। परियोजना अगले कुछ महीनों में चालू हो जाएगी।

4. मलाना हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट–।। (100 मैगावाट)

सरकार ने मै0 एवरैस्ट पावर प्राईवेट लि0 के साथ 27.5.2002 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया। कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 14.1.2003 को किया गया। परियोजना 2008–09 को चालू हो जाएगी।

5. नियोगल हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (15 मैगावाट)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मैसर्ज ओम पावर निगम लि0 के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया। कम्पनी द्वारा कार्य शुरू न करने के कारण सरकार ने दिनांक 4.7.1998 का कार्यान्वयन समझौता रद्द कर दिया तथा इस परियोजना को राज्य सैक्टर के अधीन हि0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। कम्पनी ने कार्यान्वयन समझौता रद्द करने के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय हि0 प्र0 में याचिका दायर की जिसके तहत माननीय न्यायालय ने यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये। सरकार ने दिनांक 4.7.1998 को यथास्थिति बनाए रखने के निर्णय से अवगत करवाते हुए कम्पनी से अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किया। सरकार ने कम्पनी से पांचवा अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता करने का निर्णय लिया है जो नई हाईड्रो पावर योजना के अंतर्गत आधारित है। परियोजना को 2009–10 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है।

6. बुधील हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (70 मैगावाट)

एम.ओ.यू. मैं0 लैंको पावर प्राईवेट लि0 और सरकार के साथ 23.9.2004 को हस्ताक्षरित हुआ। कम्पनी आवश्यक औपचारिकताओं तथा कार्यान्वयन समझौता को हस्ताक्षरित करने की प्रक्रिया में है। सरकार ने कम्पनी के साथ पहला अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता नई हाईड्रो पावर योजना के अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है। परियोजना 2011–12 तक स्थापित हो जाएगी।

7. सोरंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (100 मैगावाट)

मै0 हिमाचल सोरंग पावर (प्राईवेट) तथा सरकार के बीच एम.ओ.यू पर 23.9.2004 को हस्ताक्षर हुए। सरकार ने कम्पनी के साथ कार्यान्वयन समझौते पर 28.1.2006 को हस्ताक्षर किए। सरकार ने पहला अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता नई हाईड्रो पावर योजना के अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना वर्ष 2011–12 तक शुरू हो जाएगी।

8. लम्बाडुग हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (25 मैगावाट)

एम.ओ.यू. मै0 हिमाचल कन्सोरिटीयम पावर प्राईवेट लि0 के साथ सरकार द्वारा 13.6. 2002 को हस्ताक्षरित हुआ। सरकार ने कम्पनी के साथ पहला अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता नई हाईड्रो पावर योजना के अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना 2008–09 को चालू हो जाएगी।

iii) केंद्रीय /संयुक्त क्षेत्र

एच.ई.पी.का विवरण	संस्थापित क्षमता (मैगावाट)
अ) एन.एच.पी.सी.	
i) पार्वती एच.ई.पी.–।।	800.00
ii) पार्वती एच.ई.पी.–।।।	520.00
iii) चमेरा–।।।	231.00
जोड़ (अ)	1551.00
ब) एन.टी.पी.सी.	800.00
जोड़ (अ+ब)	**2351.00**

III. परियोजनाएं जो केंद्रीय/संयुक्त क्षेत्र के अधीन आंवटित हैं

क्र. सं	परियोजना का नाम	नाला/ नदी बेसिन	क्षमता (मैगावाट)
1.	खाव	सतलुज	1020.00
2	लुहरी	सतलुज	750.00
3	पार्वती–।	व्यास	750.00
		जोड़	**2520.00**

IV. परियोजनाएं जो निजी क्षेत्र में दी गई

क्र. सं	परियोजना का नाम	नाला/ नदी बेसिन	क्षमता (मैगावाट)
1.	बड़ागांव	व्यास	11.00
2	फोजल	व्यास	9.00
3	बनेर–।।	व्यास	6.00
4	तिदोंग–।	सतलुज	100.00
5	रौड़ा	सतलुज	8.00
6	पंडिताल लासा	यमुना	24.00
7	तांगनू रोवाई	यमुना	50.00
8	हड़सर	रावी	60.00
9	भरमौर	रावी	45.00
10	साई कोठी	रावी	17.00
11	झांगी थोपन	सतलुज	480.00
12	थोपन पोवारी	सतलुज	480.00
13	कुटैहर	रावी	260.00
14	तिदोंग–।।	सतलुज	60.00
15	कुट	सतलुज	24.00
16	साल–।	रावी	6.50
17	बडा भंगाल	रावी	200.00
18	बजौली होली	रावी	180.00
19	चांगो यंगथंग	सतलुज	140.00
20	छतरू	चिनाव	108.00
21	चांजू–।	रावी	25.00
22	चांजू–।।	रावी	17.00
23	भराड़ी	सतलुज	5.50
24	रूपीन	यमुना	39.00
		जोड़	**2355.00**

निजी क्षेत्र के अंतर्गत परियोजनाओं का विवरण निम्न है:–

1. बड़ागांव हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (11 मैगावाट)

सरकार ने एम.ओ.यू. 6.6.2002 को हस्ताक्षरित किया। कम्पनी विभिन्न औपचारिकताओं तथा कार्यान्वयन समझौता को हस्ताक्षरित करने की प्रकिया में है। सरकार ने कम्पनी के साथ पहला अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता नई हाईड्रो पावर योजना के अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है। परियोजना 2009–10 को चालू हो जाएगी।

2. फोजल हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (9 मैगावाट)

कम्पनी द्वारा एम.ओ.यू. की उल्लंघना करने पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने एम.ओ.यू.रदद कर दिया है। कम्पनी ने एम.ओ.यू. रदद करने के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सरकार ने 17.6.2004 से पहले रद्द किये गये समझौते को दोबारा करने का निर्णय लिया है जिसके उपरान्त कोसमॉस कनसलटिंग के साथ 13.4.2006 को कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किया। सरकार ने राज्य की नई हाइड्रो पावर उर्जा नीति के अंतगर्त कम्पनी के साथ पहला अनुपूरक कियान्वयन अनुबंध को हस्ताक्षरित करने का निश्चय किया है। यह परियोजना वर्ष 2010–11 तक चालू हो जाएगी।

3. बनेर–।। हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (6 मैगावाट)

सरकार और मै0 प्रोडिजी हाइड्रो पावर प्राईवेट लिमिटिड के बीच में 29.5.2001 को एम. ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया तथा 1.10.2001 को कार्यान्वयन समझौता हुआ अभी तक कम्पनी ने परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। सरकार तथा कम्पनी के बीच अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता प्रदेश की नई हाइड्रो पावर नीति के अनुसार किया जाएगा।

4. तिदोंग–। हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (100 मैगावाट)

सरकार ने मै0 नुजीवीदु सीडज प्रा0 लि0 के साथ 23.9.2004 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया। कम्पनी के मुताविक परियोजना 2012–13 तक चालू हो जाएगी। सरकार ने कार्यान्वयन संबंधी समझौता 28.7.06 को किया।

5. रौड़ा हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (8 मैगावाट)

मै0 डी.एल.आई. पावर (इंडिया) प्रा0 लि0 के साथ 4.2.1996 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ। कम्पनी सरकार के साथ कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित करने की प्रकिया में है जो नई हाईड्रो पावर योजना पर आधारित है।

6. पौडीताल लासा हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (24 मैगावाट)

एम.ओ.यू. मै0 जयलक्ष्मी पावर लि0 और सरकार के साथ 6.6.2002 को हस्ताक्षरित हुआ। कम्पनी 'ने 10.2.04 को विद्युत बोर्ड को तकनीकी आर्थिक अनुमति के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और जिसकी अनुमति बोर्ड ने 17.12.2004 को दी। कम्पनी के हिसाब से परियोजना 2009–10 तक चालू हो जाएगी।

7. तागंनू रोवाई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (44+ 6 मैगावाट)

एम.ओ.यू. मै0 वैन्चर एनर्जी लि0 और सरकार के बीच 5.7.2002 को हस्ताक्षरित हुआ। बोर्ड द्वारा तकनीकी आर्थिक अनुमति दी गई। कम्पनी ने सरकार के साथ कियान्वयन समझौता नई हाईड्रो ईलैक्ट्रिक नीति के अंतर्गत कर लिया है। कम्पनी के हिसाब से परियोजना 2009–10 तक चालू हो जाएगी।

8. हड़सर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (60 मैगावाट)

कम्पनी द्वारा एम.ओ.यू. की विभिन्न शर्तों का उल्लंघन करने के कारण सरकार ने एम.ओ.यू. रदद कर दिया है। कम्पनी ने सरकार के इस निर्णय के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश को कुछ शर्तों के साथ देने के लिए सरकार को विचार करने का कहा है।

9. भरमौर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (45 मैगावाट)

कम्पनी द्वारा एम.ओ.यू. की विभिन्न शर्तों का उल्लंघन करने के कारण सरकार ने एम.ओ.यू. रदद कर दिया है। कम्पनी ने सरकार के इस निर्णय के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में अपील दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ देने के लिए सरकार को विचार करने को कहा है।

10. साई कोठी (17 मैगावाट)

यह परियोजना वैंचन एनर्जी व टैक्नोलॉ दिल्ली को जून,2002 में आंवटित की गई है और कम्पनी के साथ नई पावर पालिसी के अंतर्गत अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता 16.6.2007 को कर लिया गया है।

11. झांगी थोपन (480 मैगावाट)

यह परियोजना ब्रैकल कारर्पोरेशन हॉलैण्ड को आंवटित की गई है। कम्पनी ने अभी तक अपफ्रण्ट प्रीमीयम की पहली किस्त जमा नहीं की है और न ही अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता किया है।

12. थोपन पोवारी (480 मैगावाट)

यह परियोजना ब्रैकल कारर्पोरेशन हॉलैण्ड को आंवटित की गई है। कम्पनी ने अभी तक अपफ्रण्ट प्रीमीयम की पहली किस्त जमा नहीं की है और न ही अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता किया है।

13. कुटैहर (260 मैगावाट)

यह परियोजना जे.ए. डबल्यु लि0 बैंगलौर को आंवटित की गई है और कम्पनी ने अपफ्रण्ट प्रीमीयम की पहली किस्त का भुगतान 27.6.2007 को कर दिया है। सरकार कम्पनी से अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता करने की प्रकिया में है।

14. तिर्दोग–11(60 मैगावाट)

यह परियोजना टौरेन्ट और गैमन के कंसोरटियम को आंवटित की गई है तथा सरकार कम्पनी के साथ एम.ओ.यू. करने की प्रकिया में है।

15. कुट–(24 मैगावाट)

यह परियोजना पौली पलैक्स का0 नोईडा को आंवटित हुई है तथा सरकार ने कम्पनी के साथ 27.4.2007 एम.ओ.यू. किया है।

16. साल–1(6.50 मैगावाट)

यह परियोजना विशाल एक्सपोर्टस लिमिटिड अहमदाबाद की आंवटित हुई है तथा सरकार के साथ 27.4.2007 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया।

17. बड़ा भंगाल (200 मैगावाट)

यह परियोजना मलाना पावन कम्पनी लिमिटिड को आंवटित की गई है और सरकार कम्पनी के साथ कार्यान्वयन समझौता करने की प्रकिया में है। कम्पनी ने अपफ्रण्ट प्रीमीयम की पहंली किस्त का भुगतान 27.8.2007 को कर दिया है।

18. बजौली होली (180 मैगावाट)

यह परियोजना जी.एम.आर.ऐमर्जी लिमिटिड दिल्ली को आंवटित की गई है। कम्पनी ने अपफ्रण्ट प्रीमीयम की पहली किस्त का भुगतान 27.8.2007 को कर दिया है और कम्पनी के साथ कार्यान्वयन समझौता करने की प्रकिया में है।

19. चांगो यग–थंग (140 मैगावाट)

यह परियोजना मलाना पावर कम्पनी लिमिटिड को आंवटित की गई है और कम्पनी ने अपफ्रण्ट प्रीमीयम की पहली किस्त का भुगतान 27.8.2007 को कर दिया है और सरकार कम्पनी के साथ कार्यान्वयन समझौता करने की प्रकिया में है।

20. छतरू (108 मैगावाट)

यह परियोजना डी.सी.एम. श्री राम लिमिटिड दिल्ली को आंवटित की गई है और कम्पनी ने अपफ्रण्ट प्रीमीयम की पहली किस्त का भुगतान 27.8.2007 को कर दिया है और सरकार कम्पनी के साथ कार्यान्वयन समझौता करने की प्रकिया में है।

21. चांजु–। (25 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 इन्डो आर्या सैन्ट्रल ट्रांसपोर्ट लिमिटिड नई दिल्ली को आंवटित की गई है और सरकार ने कम्पनी के साथ 20.12.2007 को एम.ओ.यू. किया है।

22. चांजू–।। (17 मैगावाट)

यह परियोजना उत्तम गाल्वा इंडियन सुकरोल लिमिटिड और कोस्मोस ईन्डस्ट्रीज लिमिटिड के कंसोरटियम को आंवटित किया है और कम्पनी साथ एम.ओ.यू. करने की प्रकिया में है।

23. भराड़ी (5.5 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 साल हाईडल पावन लिमिटिड को आंवटित की गई है और सरकार कम्पनी के साथ एम.ओ.यू. करने की प्रकिया में है।

24. रूपीन (39 मैगावाट)

यह परियोजना श्री बंजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटिड को आंवटित की गई है। सरकार ने कम्पनी के साथ 20.12.2007 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया है।

v. परियोजनाएं जिनपर निर्माण कार्य शुरू होना है:

क्र.सं	परियोजना का नाम	नाला/ नदी बेसिन	क्षमता (मैगावाट)
1	चढ़गांव–मझगांव	व्यास	46.00
2	धमबाड़ी–सुन्डा	यमुना	70.00
3	खौली	खौली	6.60
		जोड़	122.60

VI. परियोजनाएं जो अभी तक निर्धारित/ आंवटनाधीन है

क.सं	परियोजना का नाम	नाला/ नदी बेसिन	क्षमता (मैगावाट)
1	देवी कोठी–।।	रावी	13.50
2	चानी	रावी	18.00
3	साई कोठी	व्यास	15.00
		जोड़	46.50

तीन परियोजनाएं 435 मैगावाट, वस्पा–1, चाम्वा व गरोपा पर्यावरण के कारण छोड़ दी हैं

VII- जुलाई–2007 के दौरान निजि क्षेत्र में विज्ञापित परियोजनाओं का विवरण

क.सं	परियोजना का नाम	नाला / नदी बेसिन	अनुमानित संस्थापित क्षमता (मैगावाट)
		वर्ग– । (एम.ओ.यू.रूट)	
1	कोकसर	चिनाब	90.00
2	स्यूल	रावी	13.00
3	शालवी	यमुना	7.00
4	खिल्ली वाहल	ब्यास	7.50
5	माने नांदग	सतलुज	70.00
6	लारा	सतलुज	60.00
7	कुलिंग लारा	सतलुज	40.00
8	मियार	चिनाव	90.00
9	तिन्रोट	चिनाव	61.00
10	तेलिंग	चिनाव	61.00
11	पाटम	चिनाव	60.00
	कुल		559.50
		वर्ग– ।। (आई.सी.बी.रूट)	
1	यंग–थंग खाव	सतलुज	261.00
2	गोन्धला	चिनाव	144.00
3	बरदगं	चिनाव	114.00
4	सुमते कोठांग	सतलुज	130.00
5	लारा सुमटा	सतलुज	104.00
6	रियोली दुगली	चिनाव	715.00
7	दुगर	चिनाव	360.00
8	जिस्पा	चिनाव	240.00
9	साचखास	चिनाव	210.00
10	तांदी	चिनाव	150.00
11	सेली	चिनाव	150.00
12	राशिल	चिनाव	150.00
	कुल		2,728.00

उपरोक्त (11+12) = 23 परियोजनाओं में से 8 परियोजनाएं जिनमें दो या दो से कम निविदाएं प्राप्त हुई थी, को अक्तूबर,2007 में फिर से विज्ञापित किया गया है तथ वाकी 15 परियोजनाओं में से 6 वर्ग–।। की परियोजनाएं आंवटन की अवस्था में हैं। यह परियोजनाएं यंगथंग खाव (261मैगावाट), गोन्धाला (144 मैगावाट), बरदंग (114मैगावाट), सुमते कोठांग (130मैगावाट), तांदी(150मैगावाट) तथा रशिल(150मैगावाट) तथा बची हुई 9 परियोजनाएं आंवटित नहीं हैं। अंतिम निविदाएं की तिथि 4.03. 2008 है।

VIII-अक्तूबर,2007 के दौरान विज्ञापित परियोजनाओं का विवरण

क.सं	परियोजना का नाम	नाला/नदी बेसिन	अनुमानित संस्थापित क्षमता (मैगावाट)
		वर्ग– I (एम.ओ.यू.रूट)	
1	कुलिंग लारा	सतलुज	40.00
2	पाटम	चिनाव	60.00
	कुल		100.00
		वर्ग– II (आई.सी.बी.रूट)	
1.	लारा सुमता	सतलुज	104.00
2	रियोलीदुगली	चिनाव	268.00
3	दुगर	चिनाव	236.00
4	साच खास	चिनाव	149.00
5	सेली	चिनाव	454.00
6	जिस्पा–चरण I तथा II	चिनाव	170.00
		कुल	**1381.00**

उपरोक्त 8 परियोजनाओं की निविदाओं की बिक्री का आखिरी दिन 4.3.2008 है।

हिम उर्जा

उर्जा के अपारम्परागत तथा नए व नवीकरण साधनों का विकास

7.7 आर्थिक वृद्धि के साथ–साथ तेजी से औद्योगीकरण, अच्छे रहन–सहन के स्तर तथा आधारभूत सुविधाओं में बढ़ौतरी के कारण उर्जा की मांग बहुत बढ़ी है। पारम्परिक उर्जा स्त्रोतों में कमी होने के कारण नए नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतों जैसे सौर जल, तापीय संयन्त्र तथा उन्य उर्जा संयन्त्रों के उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा हैं।

7.8 हिम उर्जा द्वारा (आई.आर.ई.पी.) एकीकृत ग्रामीण उर्जा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत नवीकरण उर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए, अपारम्परिक उर्जा मंत्रालय भारत सरकार की वित्तीय सहायता से यह कार्यक्रम राज्य में पूर्ण रूप से चलाया जा रहा है। नवीकरण उर्जा स्त्रोत और गैर उर्जा स्त्रोत जैसे कि सोलर कुकर, उन्नत किस्म के चूल्हे, उन्नत जल की चक्कियां व फोटोवालटिक रोशनी इत्यादि को भी लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहें हैं।

वर्ष 2007–08 के दौरान दिसम्बर,2007 तक की उपलब्धियां तथा वर्ष 2008–09 के लक्ष्य निम्न प्रकार से हैं:–

सौर जल तापीय विस्तार

7.9 वर्ष 2007–08 के दौरान दिसम्बर,2007 तक 91 सौर कुकर उपभोक्ताओं को उपदान पर उपलब्ध करवाए गए। मार्च,2008 तक प्रत्याशित उपलब्धी 300 है। दिसम्बर,2007 तक विभिन्न क्षमता के 44 सौर जल तापीय संयंत्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थापित/बुक किए गए। मार्च,2008 तक प्रत्याशित उपलब्धि 119 होगी। हिमाचल सरकार के निर्णयानुसार सभी सरकारी भवनों / संस्थानों में सौर जल तापीय संयंत्रों की स्थापना अनिवार्य है। सरकारी भवनों में सौर जल तापीय संयत्रों की स्थापना हेतु प्रयास किए गए।

हिमउर्जा ने बैंकों से जल तापीय संयंत्र लगाने के लिए उदार शर्तों पर ऋण देने के लिए कार्यवाही की है तथा उपभोक्ता इस स्कीम में संयंत्रों की स्थापना हेतु काफी रूची ले रहे हैं।

7.10 सौर प्रकाशवोल्टिय कार्यक्रम

हिमउर्जा द्वारा सौर प्रकाशवोल्टिय संयंत्रों जो कि दुर्गम तथा जन–जातीय क्षेत्रों में विकेन्द्रित रूप में स्थापित करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं को उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान दिसम्बर,2007 तक 1,294 सौर प्रकाशवोल्टिय घरेलू रोशनियां उपदान

पर उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। 1,115 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियां भी सामूहिक प्रयोग के लिए दिसम्बर,2007 तक स्थापित की जा चुकी हैं। मार्च,2008 तक की प्रत्याशित उपलब्धि 2,394 होगी।

उर्जा संरक्षण कार्यक्रम

7.11 वर्तमान वर्ष के दौरान दिसम्बर,2007 तक 2,245 प्रैशर कुक्कर तथा 1,174 सी.एफ.एल. उपदान पर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। दिसम्बर,2007 तक 7 हाईड्रैम विभिन्न चिहिन्त स्थानों पर स्थापित किए जा चुके हैं। मार्च,2008 तक की प्रत्याशित उपलब्धि का लक्ष्य 10 रखा गया है।

निजि क्षेत्र की सहभागिता से निष्पादित की जा रही 5 मैगावाट क्षमता तक की लघु पन विद्युत परियोजनाएं

7.12 राज्य सरकार द्वारा 5 मैगावाट तक लघु पन विद्युत का दोहन निजि निवेश के माध्यम से करने का कार्य हिमउर्जा को अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सौंपा गया है। राज्य सरकार ने 5 मैगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं हेतु 345 ज्ञापन समझौतों पर निजि उद्यमियों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। 100 परियोजनाओं के लिए भी कार्यान्वयन समझौतों पर निजि उद्यमियों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं और यह विधिक अनुमतियां प्राप्त करने हेतु विभिन्न चरणों में हैं। 10 परियोजनाएं जिनकी कुल क्षमता 31.65 मैगावाट है स्थापित की जा चुकी हैं। 31 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 121.30 मैगावाट है पर कार्य शुरू हो चुका हैं।

7.13 यू.एन.डी.पी. जैफ कार्यक्रम के अंतर्गत 5 परियोजनाएं नामतः लिंगटी काजा में (400 किलोवाट), कोठी मनाली में (200 किलोवाट), जुथेड़ तीसा में (100 किलोवाट), पुरथी (100 किलोवाट), तथा सुराल (100 किलोवाट) पांगी में हिमउर्जा द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। यह सभी परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं तथा इनमें उत्पादन हो रहा है। यह सभी परियोजनाएं दूर दराज तथा जन–जातीय क्षेत्रों में स्थित हैं। तीन अन्य परियोजनाएं सोलांग (1,000 किलोवाट), रसकट (800 किलोवाट) कुल्लू जिला में तथा टिटांग (900 किलोवाट) जिला किन्नौर में निजि निवेशकों द्वारा निष्पादित की जा रही हैं तथा इन परियोजनाओं की स्थापना की जा चुकी है। दो परियोजनाएं घरोला (100 किलोवाट) सराहन, (30 किलोवाट) राज्य खण्ड निधि के अंतर्गत निष्पादित कर स्थापित की जा रही हैं। बड़ा बंगाल (40 किलोवाट) कांगड़ा जिला में निष्पादित कर स्थापित कर दी गई हैं। साच (900 किलोवाट) पांगी घाटी में अग्रिम स्थिति में निष्पादित है। बिंलिग (400 किलोवाट) का कार्य प्रगति पर है।

कुछ अन्य नई परियोजनाएं जैसे कोठी–चरण–।। (1000 किलोवाट) पर हिमउर्जा द्वारा कार्य आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

7.14 लघु पन विद्युत जनरेटर सेटस

कुल 15 लघु पन विद्युत जनरेटर सेटस में से 12 सैट स्थापित किए गए हैं। 15 किलोवाट का एक पोर्टेवल जनरेटर सैट जो कि सराहन में स्थापित था तथा जुलाई,2003 में बाढ. में वह गया था के पुर्नथान का कार्य हिमउर्जा ने किया है। सराहन में अब 15 किलोवाट के पोर्टेवल जनरेटर सैट के स्थान पर 30 किलोवाट की लघु पन विद्युत परियोजना की स्थापना की जा चुकी है जिसका सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं तथा यह प्रयोग के आधार पर चल रही हैं। सभी लघु पन विद्युत जनरेटर सेटस सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। इनके रख–रखाव का कार्य हिमउर्जा द्वारा स्थानीय जनता की पूर्ण तुष्टि अनुसार किया जा रहा है।

7.15 वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य योजना तथा गैर योजना के अंतर्गत 441.14 लाख रूपये खर्च किए जाएंगे।

8. परिवहन एवं संचार

सड़के तथा पुल (राज्य क्षेत्र)

8.1 सड़कें आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके प्रदेश सरकार ने सितम्बर,2007 तक 30,834 कि.मी. वाहन चलने योग्य सड़कें जिसमें जीप चलने योग्य सड़कें भी सम्मिलित हैं का निर्माण कर लिया हैं। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2007–08 के लिए इस हेतु 24,115.00 लाख रूपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2007–08 का लक्ष्य एवं सितम्बर,2007 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं:–

सारणी 8.1

टिप्पणी: लक्ष्य प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना

मद	इकाई	लक्ष्य 2007–08	उपलब्धियां सितम्बर 2007 तक	2007–08 सम्भावित
1.	2	3	5	6
1.वाहन चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	2,035	815	2,035
2.जल निकास	कि0मी0	4,246	693	4,246
3.पककी तथा विरालित सडकें	कि0मी0	1,365	439	1,365
4.जीप चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	35	41	35
5.पुल	संख्या	124	18	124
6.गाव जुड़े	संख्या	782	57	782

राष्ट्रीय उच्च मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

8.2 हिमाचल प्रदेश में 1,250.77 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्ग जिसमें शहरी लिंक रोडज़ तथा बाईपास सम्मिलित है के सुधार के कार्य इस वर्ष भी जारी रहे। सितम्बर,2007 के अन्त तक 67.51 किलोमीटर लम्बे मार्ग को पक्का तथा विरालित किया गया।

8.3 हिमाचल प्रदेश में 30 दिसम्बर,2007 तक मोटर चलने वाली सड़कों की कुल लम्बाई 28,399 किलोमीटर थी तथा 30.9.2007 तक 8,588 गांव सड़कों से जुड़े हुए थे जिनका ब्यौरा सारणी 8.2 में दिया जा रहा है।

सारणी 8.2

सड़कों से जुड़े गांव	31 मार्च को संख्या				30सितम्बर 2007 तक
	2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6
1500 से अधिक आबादी वाले गांव	193	195	198	199	200
1000–1500 की जनसंख्या वाले	228	229	235	239	241
500–1000 की जनसंख्या वाले	886	898	931	977	995
200–500 की जनसंख्या वाले	2636	2668	2726	2848	2866
200से कम की जनसंख्या वाले	4134	4166	4254	4268	4286
कुल	8077	8156	8344	8531	8588

रेलवे

8.4 प्रदेश में केवल दो छोटी लाईने शिमला–कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर–पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा

नंगल डैम–चरूडू (33 किलोमीटर) बडी लाईन है।

पथ परिवहन

8.5 पथ परिवहन राज्य में आर्थिक कार्यकलाप हेतु यातायात का एक मुख्य साधन है क्योंकि अन्य परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, वायुमार्ग, टैक्सी, आटो रिक्शा इत्यादि नगण्य के बराबर है। इसीलिए पथ परिवहन निगम को प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश के जनमानस को राज्य में तथा राज्य से बाहर लोगों को 1,896 बसों (नवम्बर,2007 तक) द्वारा यात्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है।

8.6 लोक हित के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस वर्ष भी कार्यान्वित रहीं।

(i) **स्मार्ट कार्ड योजना**: जिसमें लोगों को 50 रूपये जमा करने पर एक कार्ड प्राप्त होता है जो एक वर्ष तक चलेगा यात्रियों को यात्रा भाड़े में 10 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों से (65 वर्ष से) उपर को यह छूट 20 प्रतिशत है।

(ii) **यैलो कार्ड स्कीम**: निजी बस मालिकों को स्थानीय रूटों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा देने के उद्देश्य से निगम ने पीला कार्ड योजना आरम्भ की है, जिसमें लोगों को 50 रूपये के भुगतान पर एक यैलो कार्ड दिया जाता हैं जिससे 40 किलोमीटर तक यात्रा करने पर यात्रा भाड़े में 20 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(iii) **ग्रुप डिस्काउंट स्कीम**: इसके अंतर्गत) से अधिक व्यक्तियों के समूह को यात्रा भाड़े में 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

(iv) **कोरियर सेवा**: पथ परिवहन निगम ने अपनी बसों के माध्यम से सभी जिला मुख्यालय बुकिंग आफिस से बुकिंग आफिस) तक कोरियर सेवा प्रारम्भ की हैं।

(v) **सुपर–फास्ट नान–स्टाप बस सेवा**: पथ परिवहन निगम ने जन साधारण के लिए निम्न रूटों पर सुपर–फास्ट नान–स्टाप बस सेवा को बहाल रखा है:–

1. शिमला – नाहन
2. शिमला – धर्मशाला
3. शिमला – मण्डी
4. रामपुर – शिमला
5. शिमला – कुल्लू
6. शिमला – उना
7. नेरवा – चामुण्डा
8 शिमला – चम्बा
9. शिमला – सोलन– चण्डीगढ़

(vi) **वाल्वो लगजरी वातानुकुल बसें**:– पर्यटकों एवं आम लोगों की मांग को देखते हुए निगम ने आठ लगजरी वातानुकुल बसें शिमला–दिल्ली, धर्मशाला–दिल्ली, मनाली–दिल्ली तथा शिमला–कटड़ा मार्ग पर चलाई हैं। इससे निगम के राजस्व में अतिरिक्त वृद्धि हुई है।

(vii) **निःशुल्क यात्रा**:– निगम अपनी बसों में केंसर, मलटिपल फ्रैकचर तथा रीड़ की हड्डी में चोट के रोगियों को मुफत यात्रा सुविधा प्रदान कर रहा है।

(viii) **वेट लीजिंग योजना**:– पूजींकृत लागत तथा घाटा कम करने के परिदृष्य में निगम ने वेट लीजिंग योजना लागू की है जिसने अच्छे परिणाम देने शुरू कर दिये हैं। विभिन्न पार्टियों ने 75 बसें उपलब्ध करवा दी है जो निगम के परिचालन में हैं। इसके परिणामस्वरूप निगम की पूंजी आवश्यकता कम हुई है तथा इससे भविष्य में ब्याज अदायगी देयता में भी कमी आएगी।

(ix) **चालकों हेतू प्रशिक्षण व्यवस्था**:– निगम द्वारा भारी वाहन चलाने वाले चालकों को प्रशिक्षण स्कूल की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे निगम को 27.92 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(x) बस स्टैंडः– आम जनता को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने शॉपिंग कम्पलैक्स तथा बस स्टैंड बनाने व रख रखाव रखने के उद्धेश्य से हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबन्धन व विकास प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल,2000 को की गई। प्राधिकरण ने 1,015.98 लाख रूपये के व्यय से रिकांगपिओ, सोलन, नगरोटा वगवां, चिन्तपूर्णी, जोगिन्द्रनगर, पालमपुर शॉपिंग कम्पलैक्स व पालमपुर, बंजार और राजगढ़ के बस स्टैंड निर्मित कर दिए हैं। जवाली, संतोखगढ़, अन्तर्राष्ट्रीय बस स्टैंड शिमला टुटीकण्डी, कांगड़ा, मकलोडगंज, अर्की, रोहडू, रामपुर, आनी, सुन्दरनगर, चिढ़गांव के बस स्टैंड बी.ओ.टी. के अंतर्गत 3,590.83 लाख रूपये की लागत से निर्माणाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त रोहडू, आनी, ठियोग, स्वारघाट, मनाली, डल्हौजी, बददी, परमाणू, चम्बा, नालागढ़, चामुण्डा, जयसिंहपुर, बैजनाथ, बिलासपुर, हमीरपुर, नादौन, करसोग, मण्डी, के नए बस स्टैडों तथा कार पार्किंग चिंतपूर्णी एवं उना का नया बस स्टैंड (बी.ओ.टी.)। के आधार पर किया जा रहा है। इसके इलावा हि0प्र0वी.एस.एम.ओ.डी.ए. शिमला की विभिन्न स्थानों पर बस ठहराव/ वर्षा शालिक का निर्माण भी कर रही है। तारादेवी, 103 सुरंग, मुख्य बस ठहराव, संजौली, भराड़ी, टालैण्ड, लिफट, बी.सी. एस. लक्कड़ बाजार, मेडिकल कालेज, छोटा शिमला और एम.एल.ए. कॉसिंग।

XI शिमला शहर में महत्वपूर्ण स्थानों के लिए टैक्सी सेवाः– निगम द्वारा शिमला शहर में महत्वपूर्ण स्थानों के लिए निम्नलिखित मार्गों पर टैक्सी सेवा आरम्भ की हैः– शिमला–सी.टी.ओ., संजौली–रिगल, न्यू शिमला–शिमला क्लव, विकासनगर–शिमला क्ल्ब, भराड़ी–रिगल।

XII पुरस्कार :– निगम को देश के पहाड़ी राज्यों के परिवहन निगमों में निम्नलिखित पुरस्कार/ ईनाम से सम्मानित किया गया।

1. वाहन उत्पादकता में निष्पादन कार्य किया।
2. निम्नतम प्रचलन खर्चा।
3. वाहन उत्पादकता में उत्तम अभिवृद्वि के लिए।
4. सुरक्षित एवं दक्ष परिवहन के लिए परिवहन मंत्री ट्राफी और डेढ़ लाख रूपये का नगद ईनाम।
5. वर्ष 2003–04 के लिए उत्तम वाहन, उत्पादकता पुरस्कार।
6. पर्वतीय सेवाओं के लिए निगम को सर्वाधिक वाहन उत्पादकता निष्पादन पुरस्कार से सम्मानित किया।
7. पर्वतीय सेवाओं के लिए निगम को सर्वाधिक वाहन उत्पादकता में बढ़ोतरी हेतु पुरस्कृत किया गया।

9. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

9.1 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए एवं आर्थिकी के निर्वाह की असीम सम्भावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को अर्थव्यवस्था का एक अत्याधिक महत्वपूर्ण अंग माना गया है क्योकि इसे भविष्य के लिए विकास का एक मुख्य आधार तंत्र अनुभव किया जा रहा है। पर्यटन कार्यकलापों में सहायक सभी आधार स्त्रोत व साधन प्रदेश में पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हैं जैसेः– भौगोलिक व सांस्कृतिक विभिन्नता, स्वच्छ, शांत व सुन्दर नदियां व झरने, पवित्र स्थल, ऐतिहासिक स्मारक और मैत्रीपूर्ण व स्नेहिल लोग।

9.2 हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन उद्योग को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए समुचित संरचना का विकास किया है जिसके अंतर्गत जनउपयोगी सेवाएं जैसे सड़कें, संचार, हवाई अडडे, परिवहन सुंविधाएं, जलआपूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरों की तरह गांव में भी सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे है। पर्यटन विकास मे सहायक समुचित संरचना विकास व निर्माण के लिए भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2007–08 के लिए पर्यटन के अंतर्गत 825.30 लाख रूपये एवं नागरिक उड्डयन के अंतर्गत 175.28 लाख रूपये का प्रावधान किया गया था। अभी दिसम्बर,2007 तक 41,511 बिस्तर क्षमता के 1,852 होटल विभाग में पंजीकृत हैं।

9.3 वर्ष 2007–08 के दौरान परम्मपरागत सर्किटों में भीड़ कम करने हेतु विभाग ने निम्नलिखित गन्तव्य चिन्हित किए। इको टूरिज्म पर विशेष फोक्स करते हुए जन–जातीय सर्किट का एकीकृत विकास, आउटर सिराज का एकीकृत पर्यटक गन्तव्य का विकास, हि0प्र0 में ईको पर्यटन का विकास, मनीमहेश पर्यटक गन्तव्य के रूप में एकीकृत विकास, पर्यटक गन्तव्य सिहुन्ता–समोट का एकीकृत विकास हेतु भारत सरकार द्वारा क्रमशः रूपये 698.00 लाख, 380.00 लाख, 368.22 लाख, 400.00 लाख, 355.00 लाख स्वीकृत किए गए और धनराशि में से इन परियोजनाओं के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रमशः मु0 558.00 लाख, 304.00 लाख, 294.57 लाख, 320.00 लाख, 284. 00 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई हैं।

9.4 उपरोक्त प्रस्तावों/ स्कीमों के अतिरिक्त विभाग द्वारा हमीरपुर के एकीकृत विकास हेतु मु0 5.00 करोड़, हिन्दोस्तान–तिब्बत रोड़ का एकीकृत विकास हेतु मु0 50.00 करोड़, पर्यटक गन्तव्य सोलन के लिए मु0 25.00 करोड़ तथा कल्पा व सराहन ग्रामीण पर्यटन हेतु 0.50 – 0.50 करोड़ रूपये की योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को वित्तीय सहायता हेतु भेजी गई तथा हेरीटेज सर्किट के विकास हेतु मु0 50.00 करोड़ रूपये की योजना तैयार करके केन्द्र सरकार को शीघ्र ही भेजी जा रही है।

9.5 पर्यटन विभाग निजी क्षेत्रों को भी राज्य में पर्यटन संबंधी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पर्यटन विभाग निजी क्षेत्रों द्वारा बनाए गए प्रस्तावों को जिला सोलन में बद्दद्दी, झटीगरी जिला मण्डी में शोजा जिला कुल्लू, बड़ा गांव जिला बिलासपुर के लिए निवेश हेतु आंमत्रित कर रही है। सोलंग नाला रज्जू मार्ग तथा स्काई केंद्र मनाली का कार्य प्रगति पर है तथा इस वर्ष के अंत तक कार्य पूरा होने की संभावना है। जाखू रज्जूमार्ग का कार्य भी प्रगति पर है। इसके इलावा विभाग द्वारा प्रस्तावित धर्मशाला से त्रियुन्ड, कुल्लू से बिजली महादेव, मनाली से रोहतांग के लिए रज्जूमार्ग निर्माण का प्राथमिक कार्य मै0 राईटस लिमिटिड द्वारा पूर्ण किए जा रहे हैं।

9.6 पर्यटन विकास में पर्यटन सूचना का प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पर्यटन विभाग पर्यटक सूचना की पुस्तिकाएं तैयार करता है तथा प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर मनाये जाने वाले मेलों एवं उत्सवों में भाग लेता है। विभाग ने साउथ एशिया ट्रैवल एण्ड टुरिज्म एक्सचेंज, नई

दिल्ली, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म फेयर हैदराबाद, कोलकत्ता, अहमदाबाद और बैंगलोर, इंडिया ट्रेवल मार्ट, जयपुर अहमदाबाद, लुधियाना और मुम्बई, ईटरनेशनल इंडिया ट्रेवल मार्ट पुणे, चालो जै0 टी0 टी0 ई0 कलकता,, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली, लवी मेला, सिरमौर जिला में रेणुका मेला, अन्तर्राट्रीय पी0ए0टी0ए0 ट्रेबल मार्ट इण्डोनेशिया में भाग लिया इसके अतिरिक्त पर्यटन के लिए उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवाओं का समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाओं में विज्ञापन के माध्यम से प्रचार किया गया ।

9.7 विभाग ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के साथ दिनांक 15 नवम्बर,2007 को शिमला में ग्रेट हिमालयन मेराथन 2007 का आयोजन किया।

9.8 हिमालयन एडवैन्चर स्पोटर्स एवं टूरिजम प्रोमोशन एसोसिएशन (एच.ए.एस.टी.पी.ए.) ने विभाग के सहयोग से अक्तूबर,2007 तक शिमला से मनाली तक माउंटेन वाइकिंग साईकलिंग इवैन्ट– एम.टी.पी.–हिमाचल–2007 का आयोजन किया।

9.9 वित्त वर्ष 2007–08 में विभाग ने सामान्य प्रशिक्षण हैड के अर्न्तगत 8.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा है। विभाग ने राज्यों के बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न तरह के साहसिक एवं सामान्य प्रशिक्षण कोर्स जैसे ट्रेकिंग गाईड जल कीड़ा स्कीइंग, ई.डी.पी., रॉक क्लांइविंग नदी नौका विहार एवं पक्षियों की पहचान के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रहा है।

नागरिक उड्डयन

9.10 इस समय प्रदेश में केवल तीन हवाई अड्डे हैं जिनमे शिमला में जुब्बड हटटी, कांगडा में गगल एवं कुल्लू में भुंतर हैं। इन हवाई अड्डों को स्तरोन्नत किया जा रहा है जिनका विवरण निम्न है:–

(क) शिमला हवाई अडडा:– शिमला हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 9.00 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई हैं। रन वे को 3,800 फुट से 4,100 फुट तक तथा तारा देवी से शिमला हवाई अड्डा तक पहुंच मार्ग का निर्माण कर लिया गया है। एयर डैक्कन द्वारा दिनांक 15.4.07 से इस हवाई पटटी से 28 यात्रियों की क्षमता वाली 48 सीटर ए.टी. आर.–42,500 हवाई जहाज दिल्ली–शिमला की हवाई उड़ान शुरू कर दी है।

(ख) कुल्लू हवाई अड्डा: भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने आई.आई.टी. रूड़की से कुल्लू हवाई अड्डे के रन वे की विस्तार की परामर्शी रिर्पोट प्राप्त कर ली है जिसमें सुझाया गया हैं कि यदि रन वे की लम्बाई और चौड़ाई व्यास नदी पर पुल के द्वारा बढ़ानी हो तो 117.20 करोड़ रूपये की जरूरत होगी। इस विषय को आगामी कार्यवाही के लिए सरकार के समक्ष उठाया गया है। एयर डैक्कन की 28 यात्रियों की क्षमता वाले हवाई जहांज की उड़ान के अतिरिक्त एलान्इस एयर द्वारा दिनांक 30.9.2007 से निरन्तर हवाई उड़ाने शुरू कर दी है।

(ग) कांगड़ा हवाई अडडा: भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने हवाई अड्डा रन वे के 3,900 फुट से 4,500 फुट, नई टर्मिनल विल्डिंग, एप्रोन, टैक्सी के रास्ते, पार्किंग, फायर स्टेशन तथा कंट्रोल टावर के निर्माण के लिए 1,024.00 लाख रूपये की राशि जारी की है। एयर डैक्कन द्वारा दिनांक 16.4.2007 से 48 सीटों की क्षमता वाले यान की उड़ान शुरू कर दी है।

(घ) सुन्दर नगर का प्रस्तावित हवाई अड्डा:– वर्तमान में सुन्दरनगर में नई हवाई पटटी के निर्माण संबंधी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

10. सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं

शिक्षा

10.1 शिक्षा मानव योग्यताओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। सरकार के विशेष प्रयासों से ही राज्य साक्षरता में अग्रणी राज्य बना हैं। हिमाचल प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 76.5 प्रतिशत हैं। राज्य में पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अंतर है। पुरूषों की 85.3 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 67.4 प्रतिशत है। इस अंतर को पूरा करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा

10.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की पहुंच तक शिक्षा सुविधा उपलब्ध करने का प्रयास किया है। प्राथमिक शिक्षा का सारभौमिकरण सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 1984 में स्थापित हुआ था। 1.11.2005 से इसका नाम "प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय" कर दिया है जिसका उद्धेश्यः–

- प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण लक्ष्य प्राप्त करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवता प्रदान करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा को सब तक पहुंचाना।

वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा में 10,810 अधिसूचित प्राथमिक पाठशालाएं हैं जिनमें से 10,769 कियाशील हैं तथा शेष 41 पाठशालाओं को कियाशील बनाने के लिए सकिय प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान (31.12.2007 तक) राज्य में 2,348 माध्यमिक विद्यालय कार्यरत थे। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा 5,810 प्राथमिक सहायक अध्यापक को कनिष्ठ प्राथमिक अध्यापक के खाली पदों से भरने की अनुमति प्रदान करी गई जिसमें से 3,600 प्राथमिक सहायक अध्यापकों द्वारा 31.12.2007 तक कार्य ग्रहण कर लिया गया। सरकार ने विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की जरूरत को देखते हुए 24,076 कम एवं साधारण विकलांग बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती करवाया। 8 पिछड़े शिक्षा खण्डों में लड़कियों के लिये राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित की जा रही है। प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर लड़कियों के लिये 10 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय को स्वीकृति दी गई। 8 करतुरबा गांधी विद्यालय चम्बा में, 1 शिमला में कार्यरत है तथा 1 नया स्कूल सिरमौर जिला के शिलाई खण्ड में स्वीकृत किया गया।

10.3 स्कूलों में अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने व स्कूल छोडने की प्रवृति को रोकने व बढ़ौतरी की दर को बनाए रखने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां व प्रोत्साहन जैसे गरीबी छात्रवृति, छात्राओं के लिए उपस्थिति छात्रवृति, सेवारत सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के छात्रों को आई.आर.डी.पी. छात्रवृति, प्री मैट्रिक छात्रवृति, लाहौल व स्पिति प्रणाली पर छात्रवृति तथा सेवारत सैनिक जो सीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके बच्चों को छात्रवृति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में गैर जन–जातीय क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. छात्रों तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफत पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। जन–जातीय क्षेत्र उप–योजना के अंतर्गत भी छात्रों को मुफत पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। महिला साक्षरता दर बढ़ाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी वर्ग की लड़कियों को प्राथमिक स्कूलों में मुफत किताबें भी दी जा रही है। सभी सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा 1 से 5 तक संशोधित पाठ्य पुस्तकें अग्रेंजी सहित विकसित की तथा लगाई गई। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में मध्याहन भोजन योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत 1.9.2004 से सभी छात्र–छात्राओं को प्रत्येक स्कूल दिवस पर पकाया हुआ गर्म भोजन

दिया जा रहा है। प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्रों में 282 अपर प्राथमिक पाठशालाओं में कम्पयूटर शिक्षा को आरम्भ किया गया। सरकार ने 100 उच्च/ उच्च माध्यमिक चयनित पाठशालाओं में पंजाबी व उर्दु छठी कक्षा से आगे पढ़ाने का निर्णय लिया है।

उपरी प्राथमिक शिक्षा स्तर

10.4 वर्ष 2007–08 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं:–

i) माध्यमिक पाठशाला में प्रत्येक छात्र और छात्रा को क्रमशः 400 व 800 रूपये वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

ii) आई.आर.डी.पी. परिवार के बच्चों को 250 रूपये प्रति छात्र और 500 रूपये प्रति छात्रा वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

iii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति पिछड़ा वर्ग परिवार के प्री–मैट्रिक छात्रों को 150 रूपये वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

v) सैनिकों के बच्चों को 150 रूपये छात्रवृति प्रति विद्यार्थी को प्रतिवर्ष दी जा रही है।

10.5 भारत सरकार द्वारा देश में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वभौमिकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, जो प्रदेश सरकार द्वारा भी अपनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है और सामाजिक क्षेत्रीय तथा लिंग अंतर को दूर करने के साथ–साथ स्कूल प्रबन्धन में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

10.6 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार का हिस्सा 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 25 प्रतिशत व्यय कर रही है। लेकिन वर्तमान वर्ष 2007–08 के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की 75:25 की जगह 65:35 प्रतिशत की बजट हिस्सेदारी का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जाएगा। वर्ष 2007–08 के लिए केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 12,198.37 लाख रूपये स्वीकृत किए हैं।

10.7 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा में गुणवता के सुधार में प्रयास निम्न है:–

- क्षमता:–इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य मिशन प्राधिकरण द्वारा राज्य, जिला, खण्ड तथा स्कूल स्तर तक आश्रय समुह का गठन करना।
- शक्ति:–मां तथा लड़की पर विशेष ध्यान देना।
- शिक्षा विमर्श:– शिक्षक तथा स्टेकहोल्डरों में हर दो माह में एक बार शिक्षा पर खुली चर्चा करना।
- पढ़ना तथा प्रकट करना:– सम्बन्धित विषयों पर शिक्षकों द्वारा पढ़ना तथा चर्चा करना।
- अकड़–बकड़:–शिष्यों के लिए एक मासिक पत्रिका है।
- बाला:– स्कूल भवनों का ऐसा निर्माण करना जिससे पढ़ने में सहायता मिले।
- किताब:–पाठशालाओं में पुस्तकालय बनाना जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए पूरक सामग्री मिल सके।
- आधार–2007:–प्राथमिक स्तर पर बुनियादी सिखने की कला को बढ़ावा देना।

खेल–कूद किया–कलाप

10.8 वर्ष 2007–08 में प्राथमिक पाठशाला केंद्र, खण्ड़, जिला एवं राज्य स्तरीय खेल–कूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 94.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया हैं।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

10.9 शिक्षकों को पढ़ाने की नवीनतम विधि से परिचित करवाना ताकि शिक्षक बच्चों को अच्छी तरह से संभाल सकें। प्रदेश के विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

उच्च /उच्चतर शिक्षा

10.10 आर्थिक विकास के लिए उच्च शिक्षा तकनीकी/ निपुण मानव संसाधन उत्पन्न करती है। वर्ष 2007–08 माह (दिसम्बर,2007 तक) राज्य सरकार के अधीन 811 उच्च 1,216 वरिष्ठ माध्यामिक पाठशालाएं और 67 महाविद्यालय जिसमें एस.सी.ई.आर.टी. सोलन तथा 5 संस्कृत महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं/ कियाशील थे।

छात्रवृति योजनाएं

10.11 समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए राज्य व केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां/ वजीफे प्रदान किये जा रहे हैं। छात्रवृतियां निम्न प्रकार से हैं:–

(i) **स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के अधिकतम 4,000 छात्र–छात्राओं को +1 व + 2 के उन मेधावी छात्रों को जिन्होंने 10वीं व +1 की परीक्षा में 77 प्रतिशत अंक अर्जित किये हो, को 10,000/– रूपये की राशि वार्षिक प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृति प्रदान की जा रही है।

(ii) **ठाकुर सैन नेगी उत्कृष्ठ छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जन–जाति के (200 छात्र तथा 200 छात्राओं) को जिन्होंने 10वीं व +1 की परीक्षा में 72 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों 11,000 रूपये की राशि प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष छात्रवृति प्रदान की जाती हैं।

(iii) **महर्षि बाल्मिकी छात्रवृति योजनाः** बाल्मिकी समुदाय की सभी छात्राओं को जिनके अभिभावक अस्वच्छ व्यवसाय करते हैं को दसवीं कक्षा के पश्चात विश्वविद्यालय स्तर तथा समान स्तर के व्यावसायिक कोर्सों की शिक्षा ग्रहण करने पर हिमाचल में स्थित कालेजों में 9,000/– रूपये प्रति छात्रा की दर से छात्रवृति प्रदान की जा रही हैं।

(iv) **डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1,000 छात्रों तथा 1,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जिन्होंने दसवीं एवं +1 की परीक्षा में 72 प्रतिशत व उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों को 10,000 रूपये वार्षिक प्रति छात्र छात्रवृति प्रदान की जा रही हैं।

(v) माध्यमिक स्कूल छात्रवृति योजनाःइस योजना के अन्तर्गत 400.00 रूपये प्रतिवर्ष छात्रों के लिए एवं 800.00 रूपये प्रतिवर्ष छात्राओं के लिए जिन्होंने छठी से आठवीं तक खण्ड़ स्तर की पांचवी कक्षा में शीर्ष चार स्थान प्राप्त किए हों दिए जाते हैं।

(vi) उच्च विद्यालय मेधावी छात्रवृति योजनाः यह छात्रवृति 300 उन 9वीं व दसवीं कक्षा के छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा में मैरिट प्राप्त की हों। ड़े स्कोलर को 1000 रूपये तथा छात्रवास में रहने वालों को 1500 रूपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं।

(vii) संस्कृत छात्रवृति योजनाः इस योजना के अन्तर्गत 9वीं एवं दसवीं कक्षा के लिए 250.00 रूपये प्रति माह तथा जमा एक एवं जमा दो के लिए 300.00 रूपये प्रतिमाह की दर से उन्हें प्रदान की जाती है जिन्होंने संस्कृत विषय के साथ 50 प्रतिशत अंक या इससे अधिक अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

(viii) इन्दिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः इस योजना के अन्तर्गत 150 छात्र/छात्राओं को जमा दो परीक्षा के बाद महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने पर 10,000.00 रूपये वार्षिक प्रति छात्र/छात्रा पूर्णतय मैरिट के आधार पर प्रदान किये जातें हैं।

संस्कृत शिक्षा का प्रसार

10.12 संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न है:–

(क) विख्यात संस्कृत पण्ड़ितों को बदहाली से उपर उठाने हेतु वित्तीय सहायता।

(ख) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना।

(ग) सकैन्डरी पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाने वाले संस्कृत प्रवक्ताओं के वेतन के लिए अनुदान देना।

(घ) संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना।

(ड.) प्रदेश सरकार को संस्कृत उत्थान तथा शौध/शौध परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

अध्यापक प्रशिक्षण

10.13 सेवारत अध्यापकों को शिक्षा की नवीनतम तकनीक से परिचित करवाने के उद्धेश्य से तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एस.सी.ई.आर.टी., सोलन एवं फेयरलॉन, शिमला/ एन.आई.ई.पी.ए., नई दिल्ली/सी.सी.आर.टी/ आर.आई.ई. अजमेर आदि में विभिन्न संगोष्ठियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त एस.ए. ई.पी. के अंतर्गत प्रधानाचार्यों/ शिक्षकों को एडस कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा प्रशिक्षण देने का आयोजन किया।

यशवन्त गुरूकुल आवास योजना

10.14 प्रदेश के जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापकों को समुचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। इसके अंतर्गत 61 पाठशालाएं चिन्हित की गई हैं। इस पर प्रति पाठशाला 15.00 लाख रूपये व्यय किये जा रहे हैं।

निःशुल्क पाठय पुस्तकें

10.15 राज्य सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आई.आर.डी.पी. से सम्बन्धित विद्यार्थियों को छठी से पाठयक्रम की पुस्तकें मुफत दे रही हैं। वर्ष 2007–08 में इस योजना पर 708.84 लाख रूपये व्यय किए गए जिससे 1,35,038 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

व्यवसायिक शिक्षा

10.16 व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम वर्तमान में 25 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में चलाया जा रहा है जिसमें 6 पाठयक्रम पढ़ाये जा रहे है।

1. इलैक्ट्रोनिक टैकनोलोजी।
2. कम्पयूटर तकनीक।
3. लेखा परीक्षा।
4. इलैक्ट्रिकल।
5. उद्यान।
6. फूड प्रीजर्वेशन

विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

10.17 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक वर्ष 2001–02 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हैं।

छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा

10.18 प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यवसायिक एवं प्रौफैशनल पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है।

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा

10.19 प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में जिनमें 45 या उससे अधिक विद्यार्थी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 588 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं लाई गई।

तकनीकी शिक्षा

10.20 प्रदेश में इस समय 1 राष्ट्रीय प्राद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, 1 जवाहर लाल नेहरू राजकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय सुन्दरनगर, 5 निजी इन्जीनियरिंग कालेज, 8

सरकारी बहुतकनीकी संस्थान और एक निजी क्षेत्र में बहुतकनीकी संस्थान, 59 सरकारी सह शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मिलित है, 16 महिला प्रशिक्षण संस्थान, 1 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 57 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र और 257 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र निजी क्षेत्र में, एक राजकीय बी–फार्मेसी महाविद्यालय रोहडू, निजी क्षेत्र में 6 बी–फार्मेसी महाविद्यालय और 2 डी–फार्मेसी प्रदेश में कार्यरत हैं। आई.टी.आई. में 1 और 2 वर्षीय पाठयक्रमों द्वारा 20 विभिन्न इंजीनियरिंग और 22 गैर–इंजीनियरिंग शाखाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य के 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को वर्ष 2006–07 में श्रेष्ठ केंद्रों को पदोन्नत किए गए तथा वर्ष 2007–08 में 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को विश्व बैंक सहायतार्थ कार्य योजना के अंतर्गत श्रेष्ठ केन्द्रों में स्तरोन्नत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी प्रथा द्वारा स्तरोन्नत किया जा रहा है। राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय सुन्दरनगर, हमीरपुर तथा कण्डाघाट को विश्व–बैंक घोषित योजना के अंतर्गत जिसमें 7.24 करोड़ रूपये स्वीकृत हुए हैं में सम्मिलित है जिससे तकनीकी शिक्षा में दक्षता एवं गुणवता में सुधार होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

10.21 लोगों को प्रभावी एवं सुगम इलाज के लिए सरकार ने चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सेवाएं, आरोग्य देने वाली, प्रतिबंधक, प्रोमोटिव एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं 52 चिकित्सालयों, 73 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 448 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, 22 नागरिक / ई.एस.आई. औषधालयों और 2,071 उपकेंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम उपकरण, विशेष सुविधाएं, डाक्टर तथा पैरा मैडिकल स्टाफ को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ कर रही है।

10.22 वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:–

(i) **राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत 80 ज्वर चिकित्सा डिपो, 1,511 औषधि वितरण केंद, 204 मलेरिया क्लिनिकस कार्य कर रहे है। वर्ष के दौरान नवम्बर,2007 तक इस कार्य के अंतर्गत 4,25,138 रक्त पटिकाओं को एकत्रित करके 4,21,260 परीक्षण किए गए जिनमें से 101 अनुकूल पाई गई और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नही आया ।

(ii) **राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम:** राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचलित दर जो वर्ष 1955 में 26 प्रति हजार थी, 31.12.2007 तक घटकर 0.33 प्रति दस हजार रह गई। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1994–95 में कुष्ठ रोग लोप कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया और विश्व बैंक की सहायता से जिलों में कुष्ठ रोग समितियां गठित की गई। 2007–08 के दौरान दिसम्बर,2007 तक 187 नए मामलों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 157 मामले विलोप किए गए तथा 223 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन है जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफत में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

(iii) **राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम:–** इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1 क्षय रोग चिकित्सालय, 12 जिला क्षय रोग केंद्र / क्लीनिक,41 क्षयरोग युनिट और 168 माईक्रोस्कोपिक केंद्र जिनमें 408 बिस्तरों का प्रावधान है, कार्यरत थे। वर्ष 2007 के दौरान तृतीय तिमाही तक 10,913 नए रोगियों का पता लगाया गया जिनमें इस बीमारी के लक्षण अनुकूल पाए गए तथा 49,485 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सभी जिलों को इस परियोजना के अंतर्गत लाया गया है।

(iv) अन्धता निवारण राष्ट्रीय कार्यक्रमः– वर्ष 2007–08 में निर्धारित लक्ष्य 20,000 के अन्तर्गत दिसम्बर,2007 तक 13,532 मोतिया विन्द आप्रेशन किये गये, जिनमें 10,522 मोतिया विन्द आप्रेशन में आई.ओ. एल लगाए गये। वर्ष 2007–08 के दौरान 50,000 स्कूली बच्चों की नेत्र स्क्रीनिंग तथा आंखों की रोशनी की जांच का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत दिसम्बर,2007 तक 92,526 विद्यार्थियों की जांच की गई।

(v) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमः– राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम कम्युनिटि नीडस ऐसेसमैंट अपरोच के आधार पर, प्रजननकारी व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा हैं। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिवार कल्याण कियाकलापों का अनुमान संबंधित क्षेत्र/जनसंख्यां की जरूरतों अनुसार बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लगाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2007–08 के दौरान दिसम्बर,2007 तक क्रमशः 11,488 बन्धयाकरण, 20,975 लूप निवेश, ओ. पी. प्रयोगकर्ता, 27,893 एवं सी.सी. प्रयोगकर्ता 94,079 किए गए।

(vi) युनिवर्सल प्रतिरक्षण कार्यक्रमः– हिमाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम आर.सी. एच. के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं, बच्चों तथा बहुत छोटे बच्चों में मृत्यु दर तथा रूग्णता को कम करना है। टीकाकरण से बचाव वाली अन्य बिमारियों जैसे क्षयरोग,गलघोटू घनुष्टकार नवजात टैटनस, पोलियों तथा खसरा जैसी बीमारियों में भी गत वर्षों में सराहनीय कमी आई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2007–08 के लक्ष्य तथा दिसम्बर,2007 तक की उपलब्धियां नीचे सारणी 10.1 में दी गई है:–

सारणी संख्या 10.1

क्र.सं./ मद्द	2007–08	
	लक्ष्य	दिसम्बर,2007 तक उपलब्धियां
1. 2.	3	4
1.डी.पी.डी	1,18,945	94,403
2.पोलियो	1,18,945	94,382
3.बी.सी.जी.	1,18,945	99,244
4.मीज़ल	1,18,945	94,399
5.विटामिन 'ए'पहली खुराक	1,18,945	89,527
6.पोंलियो बुस्टर	1,37,088	85,253
7.डी.पी.टी.बुस्टर	1,37,088	85,262
8.विटामिन 'ए'दूसरी खुराक	1,37,088	80,762
9.डी.टी.5–6 वर्ष	1,30,560	1,06,760
10.टी.डी.10 वर्ष	1,30,560	1,16,796
11.टी.टी.16वर्ष	1,10,976	1,12,761
12.टी.टी.गर्भवतीमाताएं	1,37,871	97,831
13. माताओं को आयर्न;फोलिक एसिड	1,37,871	84,962

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान पुनः चलाया गया। प्रथम चरण 6.1.2008 को पूर्ण किया गया एवं दूसरा चरण 10.2.2008 को पूर्ण किया जाएगा। इस अभियान के इन चरणों में 0–5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को लाया जाएगा। प्रथम चरण में 7,12,896 बच्चों को पोलियो की अतिरिक्त खुराक पिलाई गई। हैपेटाईटिस–बी टिकाकरण पायलट प्रोजैक्ट के रूप में प्रदेश के दो जिलों सोलन व हमीरपुर से शुरू किया गया। राज्य में वर्ष 2007–08 में पोलियो के. वायरस को रोकने के लिए 7 जिलों में, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा उना में पूरक प्रतिरक्षण अभियान चलाया गया।

(vii) राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनतम अव्यवस्था नियंत्रण कार्यक्रमः– इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में आयोडीन की कमी के कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करवाना है। इसके लिए विश्व आयोडीन न्यूनतम अव्यवस्था दिवस, 21 अक्तूबर,2007 को प्रदेश भर में जिला व खण्ड़ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन लोगों में जागरूकता के लिए किया गया।

(viii) **राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रमः**– यह कार्यक्रम प्रदेश में वर्ष 1992 से केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में चलाया गया है। वर्ष 2007 में 13,883 जांच किए व्यक्तियों में से 586 एच.आई. वी. के अनुकूल तथा 89 एडस मामले पाए गए। रक्त सुरक्षा के अधीन राज्य में 18 बैंक कार्यरत हैं।

(ix) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनः–इस योजना के अन्तर्गत 95 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाओं के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त 131 रोगी कल्याण समितियां जिला तथा तहसील स्तर पर कार्यरत हैं। केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई एफ.आर.यू. के विकास के लिए 31.12.2007 तक 10.20 करोड़ रूपये की राशि सभी जिलों को वितरित कर दी गई हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसंधान

10.23 राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा, पैरा मैडिकल और नार्सिंग को बेहतर प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य गतिविधियों और दन्त सेवाओं को मोनीटर तथा समन्वित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना वर्ष 1996–97 में की गई।

10.24 इस समय प्रदेश के दो आयुर्विज्ञान महा विद्यालय शिमला तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टाण्डा एवं एक सरकारी दन्त आयुर्विज्ञान महा विद्यालय शिमला में कार्यरत है। इस के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में चार दन्त आयुर्विज्ञान महा विद्यालय सुन्दरनगर, सोलन, नालागढ़ एवं पांवटा साहिब तथा तीन स्वास्थ्य, नार्सिंग तथा पैरा मैडिकल परिषदें कार्यरत है। विभाग/संस्थान की निम्न मुख्य उपलब्धियां हैं।

(क) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयः यह राज्य का मुख्य चिकित्सा संस्थान है। वर्ष 2007–08 के दौरान इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में 65 विद्यार्थियों को मैडीसन में स्नातक तथा 34 को स्नातकोतर में प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। इस महाविद्यालय में 18 विशिष्ट स्नातकोतर व 11 विद्यार्थियों को 8 विशिष्ट डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे हैं। इस समय इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में रोगियों की सुविधा के लिए ओपन हार्ट सर्जरी, क्लोज हृदय शल्य चिकित्सा, फाइवर ऑपटीकल इन्डोस्कोपी, सी.टी.स्कैन और एम.आर.आई सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कैथ लैव एवं हृदय के रोगियों के लिए एन्जयोग्राफी तथा कैंसर रोगियों के लिए रेडियोथैरेपी सुविधा उपलब्ध करवाई गई एवं आई.सी.यू. में 6 बिस्तरों की उपलब्धताा 22.4.07 से करवाना प्रगति पर है तथा इस संस्थान में टेली मेडिसन केंद्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

10.25 महाविद्यालय केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाएं जैसे अंधता पर कावू पान एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चला रहा है। दिसम्बर,2007 तक मशीनों एवं कलपुर्जों की खरीद के लिए 300.00 लाख रूपय आंवटित किए गए तथा 1,175.40 लाख रूपये अतिरिक्त निधि चालू वर्ष में मशीनों को खरीदने के लिए आंवटित किए गए। वर्ष 2007–08 में गैर योजना मद में 3,945.92 लाख रूपये एवं योजना मद में 1,360.75 लांख रूपये इस संस्थान के लिए निर्धारित किए गए। वर्ष 2007–08 में 40.00 लाख रूपये का आंवटन 4 बड़ी परियोजनाओं, ओ.पी.डी. व्लॉक, आडिटोरियम/ लाईब्रेरी की इमारत, वैवाहिक डाक्टरों के लिए होस्टल तथा कमला नेहरू अस्पताल में 100 विस्तरों के अस्पताल का निमार्ण के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला के लिए छोटे कामों के लिए 80.00 लाख रूपये तथा विभिन्न रिहायशी भवनों के रख–रखाव के लिए 10.00 लाख रूपये प्रदान किए गए। भारत सरकार द्वारा ट्रामा सेंटर को उपकरण खरीद के लिए 150.00 लाख रूपये उपलब्ध करवाए गए जिसमें से 59.12 लाख रूपये व्यय हो चुके हैं।

(ख) डाक्टर राजेन्द्रा प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टांडा(कांगड़ा):–

i) 50 एम.बी.बी.एस. प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता वाला प्रदेश का डाक्टर राजेन्द्रा प्रसाद टांडा (कांगड़ा) आयुर्विज्ञान महाविद्यालय वर्ष 1996 में आरम्भ किया गया। वर्तमान में इस संस्थान में नौवां बैच चल रहा है। 500 बिस्तर वाले चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अक्तूबर,2007 से वाहय रोगी विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है एवं पूर्ण रूप से 3.12.2007 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

ii) एम.बी.बी.एस पाठयक्रम के अतिरिक्त महाविद्यालय में रेडियोलाजी एवं एन्सथिसिया विभाग में डी.एन.बी. का पाठयक्रम शुरू किया गया एवं शल्य विभाग में इस पाठयक्रम को चलाने की प्रकिया प्रगति पर है। संस्थान में एम.डी. का पाठयक्रम चलाने की योजना विचाराधीन है। बी.एस.सी. द्वितीय बैच पेरा मेडिकल पाठयक्रम चल रहा है।

iii) वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान निर्माणाधीन कार्यों के लिए 1,090.00 लाख रूपये पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान रखा गया है तथा 3,210.00 लाख रूपये राजस्व शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में कुल 4,300.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान था।

(ग) दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय:–

i) हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रदेश में पहला महाविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1994–95 में की गई जिसमें 20 प्रवेशर्थियों की क्षमता है। भारत सरकार ने महाविद्यालय को 16.3.2001 से मान्यता प्रदान की और वर्ष 2003–04 से 60 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की। इस संस्थान की प्रयोगशालाएं एवं पुस्ताकालय समस्त आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है

ii) दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को खोलने का उद्वेश्य राज्य के लोगों को बेहतर दन्त स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दन्त चिकित्सों एवं पैरा मैडिकल स्टाफ की मांग को देखते हुए किया गया।

iii) संस्थान ने सामुदायिक दन्त चिकित्सा में एम.डी.एस., मौखिक शल्य एवं आर्थोडोनटिक्स पेरियोडोनटिक्स (2 प्रत्येक) का पाठयक्रम वर्ष 2006–07 से शुरू किया है। तथा वर्ष 2007–08 से बी.डी.एस.में 60 प्रवेश आरम्भ कर दिए गए है। इस संस्थान में डैंटल मकैनिक एवं डैंटल हाईजैनिस्ट के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है तथा डैंटल मकैनिक एवं डैंटल हाईजैनिस्ट में 20–20 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

आयुर्वेद

10.26 हिमाचल प्रदेश में जनता को भारतीय चिकित्सा पद्वति तथा होम्योपैथी द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 क्षेत्रिय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 2 वृत आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 3 जनजातीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 9 जिला चिकित्सालय, 1 प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सालय, 1,109 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, 9 दस/बीस बिस्तरों वाले अस्पताल, 3 युनानी स्वास्थ्य केंद्र, 14 हाम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 4 आमची क्लीनिक (जिनमें एक कार्यशील है) कार्य कर रहे हैं। विभाग के अतंर्गत 3 आयुर्वेदिक फार्मेसियां जिनमें जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी, माजरा जिला सिरमौर तथा पपरोला जिला कांगडा में कार्यरत है। ये फार्मेसियां औषधियों का निर्माण करती हैं जिनसे विभाग की संस्थाओं को दवाईयां प्राप्त होती है। पपरोला जिला कांगड़ा में 50 विद्यार्थी प्रतिवर्ष की क्षमता से बी.ए.एम.एस. की उपाधि और आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए राजीव गांधी स्नातकोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में काया–चिकित्सा, शाल्क्य तंत्र, प्रसूति तन्त्र, मूल सिद्धान्त, रस शास्त्र एवं शल्य तंत्र की स्नातकोतर श्रेणियां भी शुरू कर दी हैं। महाविद्यालय में स्नातकोतर विद्यार्थियों की संख्या 24 तक पहुंच गई है। भारतीय चिकित्सा पद्वति विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मलेरिया उन्मूलन, परिवार कल्याण, एडस, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि में भी योगदान दिया जाता है। वर्ष 2007–08 के लिए 6,272.36 लाख रूपये योजना व गैर योजना शीर्षो के अंतर्गत बजट का प्रावधान किया गया है।

जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का विकास

10.27 राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में औषधिय सम्पदा की खेती करने, विस्तार एवं सुरक्षित रखने के लिए विभाग द्वारा प्रदेश में जोगिन्द्रनगर (जिला मण्डी), नेरी (हमीरपुर) व डुमरेड़ा (शिमला) व जंगल जलेहेड़ा (बिलासपुर) में हर्बल गार्डनज की स्थापना की गई है।

10.28 राष्ट्रीय औषधि सयंत्रं बोर्ड भारत सरकार ने एक परियोजना जो उत्पादकों/किसानों एवं जड़ी बूटियों के संग्रहकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण मानक है द्वारा चार स्थानों रोहडू (जिला शिमला), पधर (जिला मण्डी), तीसा एवं भरमौर (जिला चम्बा), में प्रशिक्षण आयोजन किया गया ।

10.29 राजीव गांधी राजकीय स्नातकोतर आयुर्वेदिक कालेज पपरोला को मॉडल कालेज बनाने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2007–08 के लिए 78.04 लाख रूपये की राशि प्रदान की है।

10.30 तीन विभागीय फार्मेसियों के आधुनिकीकरण /नवीनीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्षो में प्रत्येक फार्मेसी को एक करोड़ रूपये की दर से 3.00 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए। इन विभागीय फार्मेसियों का सुदृढ़ीकरण जारी है।

औषधि जांच प्रयोगशाला

10.31 वर्ष 2007–08 तक विभिन्न वर्षो के दौरान इस इकाई को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार से 1.00 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की गई। औषधि जांच प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर के आधारभूत ढांचे के सशक्तिकरण की प्रकिया जारी है। वर्ष के दौरान इस प्रयोगशाला द्वारा सरकारी एवं निजि फार्मेसियों के 455 नमूनों का परीक्षण किया गया जिससे 1,64,000 रूपये का राजस्व प्राप्त किया।

10.32 अन्य विकासात्मक किया–कलाप

i) विभाग ने अपने औषधालयों द्वारा निर्मित औषधियों को प्रदर्षित करने के लिए नई दिल्ली में 14 से 27 नवम्बर,2007 तक अंतराष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न हिस्सों में विभाग ने 50 किसान प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जिसमें किसानों को मूल्यवर्धित औषधीय पौधों की खेतीबाड़ी, विस्तारण एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया। इन शिविरों में 1,676 किसान और दूसरे लाभार्थी लाभान्वित किए गए।

ii) आयुर्वेदिक कालेज पपरोला में 10–11 दिसम्बर,2007 तक नेचुरोपेथ पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। स्वास्थ्य शिक्षा योजना भारत सरकार के अधीन 10 जिलों में कार्यशाला प्रशिक्षण वर्ष 2007 में लगातार चले हैं।

iii) वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय औषधी संयंत्र बोर्ड द्वारा 299.69 लाख रूपये की वित्तीय सहायता से 142 परियोजनाएं स्वीकृत की गई।

समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

10.33 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं जो नेतिक खतरे में हों, की सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है:–

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना

10.34 इस योजना के अंतर्गत 1.1.2008 से उन सभी व्यक्तियों को, जो 60 वर्ष या उससे अधिक है एवं जिनकी वार्षिक आय 6,000 रूपये से कम है को वृद्धा अवस्था पैंशन के रूप में 300 रूपये प्रति मास देने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें 40 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता है एवं जिनकी वार्षिक आय 6,000 रूपये से कम हैं को भी 300 रूपये मासिक पैंशन का प्रावधान हैं। विधवा पैंशन के अंतर्गत उन सभी विधवाओं अथवा परित्यक्ता महिलाओं को उनकी आयु के विचार के बिना सभी के लिए 300 रूपये मासिक पैंशन का प्रावधान किया गया है जिनकी आय प्रतिवर्ष 6,000 रूपये से कम है। वृद्धा पैंशन, अपंगता एवं विधवा पारित्यक्ता पैंशन पाने वाले के पुत्रों की वार्षिक आय 11,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2007–08 के दौरान वृद्धावस्था, राष्ट्रीय वृद्धावस्था, पैंशन स्कीम और अपंग व्यक्तियों के लिए 3,777.80 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया जिसमें से 3,163.05 लाख रूपये दिसम्बर,2007 तक व्यय किए गए। विधवा/परित्यक्ता पैंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 के लिए 1,557.32 लाख रूपये बजट का प्रावधान रखा गया था जिसमें से दिसम्बर,2007 तक 1,298.74 लाख रूपये व्यय किए गए।

बाल कल्याण

10.35 अनाथ, अर्ध–अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए विभाग बाल/बालिका आश्रमों को चलाने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है। स्वयंसेवी संघों द्वारा सराहन, सुन्नी, रॉकवुड, दुर्गापुर (शिमला), कुल्लू, तिरसा, भरमौर, ढल्ली, कल्पा, शिल्ली (सोलन), भरनाल, डैहर (मण्डी) और चम्बा मे बाल–बालिका आश्रम चलाए जा रहें है। परागपुर (कांगडा), मशोवरा (शिमला) में बालिका आश्रम विभाग तथा सुजानपुर (हमीरपुर), और टुटीकण्डी (शिमला) में बाल आश्रम विभाग द्वारा चलाए जा रहें है। इसके अतिरिक्त मासली रोहडू (शिमला) किलाड़ (चम्बा)में बाल/बालिका आश्रम शुरू किए गए है। इन आश्रमों में रहने वालों को निःशुल्क खाने–पीनें तथा रहने के प्रबन्ध के अतिरिक्त 10+2 तक शिक्षा दी जाती है। प्रवासियों को आश्रम छोडने पर स्वंय रोजगार तथा पुर्नवास के लिए 10,000 रूपये की सहायता तथा 10+2 के बाद उच्चतर अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध

करवाई जाती है। अब तीन स्कीमें कमशः बाल/बालिका आश्रम, आश्रम में एक साथ रहने वाल बाल बालिकाओं के पुनर्वास हेतु अनुदान देना, देखभाल सेवाएं अब **"मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना"** के अंतर्गत आएगीं। इस स्कीम के अनुसार आयुवर्गानुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने बाल परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। वरिष्ठ शिक्षा के लिए विशेष संस्थान स्थापित किए गये। इस योजना में उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कैरियर मार्ग दर्शन, व्यवसायोन्मुख, प्रशिक्षण और रोजगार देकर पुनर्वास करना और स्वरोजगार स्कीमें शामिल की गई हैं।

समेकित बाल विकास सेवाएं

10.36 समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) जो 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित कार्यकम है के तहत छः वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के समग्र विकास के लिए पूरक पोषाहार, पाठशाला पूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य जांच आदि सुविधाएं प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है। इस कार्यकम के अंतर्गत प्रदेश में 76 बाल विकास परियोजनाएं कार्यरत हैं, इन परियोजनाओं में 18,248 आंगनबाड़ी केंद्र है। इन 18,248 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 10,894 केंद्र चालू वित्त वर्ष में कार्यरत हैं। वर्ष 2007–08 में लगभग 4,28,172 बच्चों और 1,01,703 गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताएं और 88,000 किशोर जन्य कन्याओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 के लिए 6,099.80 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया था जिसमें से 2,496.90 लाख रूपये दिसम्बर,2007 तक व्यय किए गए।

बालिका समृद्धि योजना

10.37 इस योजना का मुख्य उद्देश्य जन्म के समय लड़की व माता के प्रति नकारात्मक रवैये को बदलने में सहायता प्रदान करना हैं। जन्म के पश्चात बी.पी.एल. परिवार में जन्मी प्रथम दो बालिकाओं के नाम 500 रूपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 15.08.1997 को या इसके बाद जन्म लेने वाली लड़कियों को स्कूल जाने पर पहली से दसवीं तक 300 रूपये से 1,000 रूपये प्रति छात्रा छात्रवृति भी दी जाती है। वर्ष 2007–08 में इस योजना के अंतर्गत 40.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है तथा दिसम्बर,2007 तक 11.57 लाख रूपये 2,314 बालिकाओं के नाम जमा करवाये गए। इसके अतिरिक्त 6.00 लाख रूपये 1,839 बालिकाओं /छात्राओं को छात्रवृति के रूप में प्रदान किये गये।

किशोर शक्ति योजना

10.38 यह योजना शत–प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित है तथा इसे आई.सी.डी.एस. नेटवर्क द्वारा सारे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस योजना के अतंर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार हेतु जागरूकता शिविर लगाने तथा कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है तथा जागरूकता कैम्पों इत्यादि का आयोजन भी किया जाता है। इन विकास खण्डों में 3,56,000 किशोरियों को चयनित किया गया है इन्हें लाभान्वित करने हेतु प्रतिवर्ष कुल 83.10 लाख रूपये 1.10 लाख रूपये प्रति ब्लॉक आई.सी.डी.एस. के बजट में से ही व्यय किये जाएंगें। इसके अतिरिक्त 74,000 जन्य कन्याओं को पोषण स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही हैं। इस स्कीम में 31.12.2007 तक 75.00 लाख रूपये खर्च किये गये।

महिला कल्याण

10.39 महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न स्कीमें चल रही हैं। प्रमुख स्कीमें जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार से है:–

(क) नारी सेवा सदनः– इस योजना का मुख्य उद्देश्य जवान लड़कियों, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय तथा जिनको नैतिक खतरा हो को आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। ऐसी स्त्रियों को सदन छोड़ने पर पुर्नवास के लिए 10,000 रूपये तक की राशि प्रति स्त्री आर्थिक सहायता भी दी जाती है। वर्ष 2007–08 के लिए पुर्नवास योजना के अंतर्गत 3.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया था।

(ख) मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः–इस कार्यकम के अंतर्गत शादी अनुदान रूपये 5,100 से बढ़ाकर 11,001 रूपये बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए दिये जाने

लगे हैं जिनकी वार्षिक आय 7,500 रूपये से अधिक न हो। वर्ष 2007–08 में इस उद्देश्य के लिए 140.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया जिसमें दिसम्बर, 2007 तक 71.00 लाख रूपये खर्च किये गये जिससे 751 लाभार्थियों की लाभ पहुंचा।

(ग) महिला स्वरोजगार योजनाः– इस योजना के अंतर्गत 2,500 रूपये उन महिलाओं को आय संवर्धन हेतु प्रदान किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय 7,500 रूपये से कम है। वर्ष 2007–08 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 13.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया।

(घ) विधवा पुनर्विवाह योजनाः– प्रदेश सरकार ने वर्ष 2004–05 से विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य विधवाओं को पुनर्विवाह कर उनका पुनर्वास करना है। इस योजना के अंतर्गत दम्पति को 25,000 रूपये के रूप में अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2007–08 के दौरान इस योजना के अंर्तगत 35.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से दिसम्बर,2007 तक 32 दम्पतियों को 8.00 लाख रूपये दिए गए।

(ड़) स्वंयसिद्ध योजनाः– महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम बनाने हेतु विभाग 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्वंयसिद्ध योजना की प्रदेश के 8 विकास खण्डों रोहडू, बैजनाथ, चम्बा, सोलन, पच्छाद, झण्डूता, लम्बागांव व करसोग में कार्यान्वित कर रहा है। इस के अंतर्गत 160.85 लाख रूपये महिला सहायता समूह के सदस्यों ने बचाए। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक इन खण्डों में 800 महिला सहायता समूह गठित किये जा चुके हैं।

(च) मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्भाल योजनाः– इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निःसहाय महिलाओं को अपने बच्चों के पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं या जिनकी आय 1,1000 रूपये से कम है तथा जिनके बच्चों की आयु कम से कम 14 वर्ष हो के पालन पोषण हेतु 1,000 रूपये प्रतिवर्ष प्रति बच्चा सहायता राशि दी जाएगी। सहायता केवल दो बच्चों तक ही दी जाएगी।

विकलांग कल्याण

10.40 इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकलांगों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमें विभाग द्वारा चलाई जा रही हैः–

(क) विकलांग छात्रवृतिः– इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा इसके अंतर्गत इन बच्चों को छात्रवृति दी जाती है। वर्ष 2007–08 में 49.60 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया था और दिसम्बर,2007 तक 498 विकलांग बच्चों को 10.65 लाख रूपये की सहायता दी गई।

(ख) विकलांग विवाह अनुदानः– इस योजना के अंतर्गत स्वेच्छा से विकलांग लड़के/लड़की जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो तथा आयु 21 या 18 वर्ष हो, से विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रूपये की राशि दी जाती है। वर्ष 2007–08 में इस योजना के अंतर्गत 30.00 लाख रूपये रखे गये तथा दिसम्बर,2007 तक 10.88 लाख रूपये खर्च करके 173 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। 74 प्रतिशत तक अपंग व्यक्तियों के लिए विवाह अनुदान 5,000 रूपये से बढ़ाकर 8,000 रूपये कर दिया है तथा 74 प्रतिशत से अधिक अपंग व्यक्तियों के लिए 15,000 रूपये अनुदान कर दिया है।

(घ) विकलांगों के लिए स्वंय रोजगार योजनाः– इस योजना के अंतर्गत उन अपंग व्यक्तियों को जिनकी अपंगता 40 प्रतिशत या अधिक है तथा जिनकी वार्षिक आय 7,500 रूपये से कम है के लिए 2,500 रूपये दिये जाते हैं। वर्ष 2007–08 में इस योजना के अंतर्गत 10.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया

है और दिसम्बर,2007 तक 1.15 लाख रूपये खर्च करके 46 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

अनुसूचित जाति/जन–जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याणः–

10.41 इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2007–08 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं:–

(क) अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहनः–अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति में छुआछूत की परम्परा को मिटाने के लिए सरकार अन्तर्जातिय विवाह प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अंतर्गत अर्न्तजातीय विवाह के लिए 25,000 रूपये प्रति दम्पति प्रोत्साहन हेतु दिये जाते हैं। वर्ष 2007–08 मे इस योजना के अंतर्गत 66.75 लाख रूपये रखे गए और 53 दम्पतियों को दिसम्बर,2007 तक 13.25 लाख रूपये खर्च करके लाभ पहुंचाया गया।

(ख) गृह अनुदानः– इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति परिवार जिनकी वार्षिक आय 17,000 रूपये से अधिक न हो, को 27,500 रूपये आवास निर्माण हेतु तथा 12,500 रूपये गृह मुरम्मत के लिए दिये जा रहे हैं। वर्ष 2007–08 में 813.00 लाख रूपये रखे गए और 2,023 व्यक्तियों को वर्ष के दौरान दिसम्बर,2007 तक 300.48 लाख रूपये खर्च करके लाभान्वित किया गया।

(ग) हरिजन बस्तियों व उनमें रहने की सुविधाओं में सुधारः– इस कार्यक्रम के अंतर्गत हरिजन बस्तियों में रास्तों/ जल निकास नालियों/ छोटी पेयजल योजना के अंतर्गत कुंआ/बावड़ी के निर्माण के लिए एक लाख रूपये की राशि स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2007–08 में इस योजना के अंतर्गत 411 लाख रूपये रखे गये और 510 हरिजन बस्तियों को लाभान्वित किया गया। इस पर दिसम्बर,2007 तक 195.15 लाख रूपये की राशि खर्च की गई।

(घ) कम्पयूटर प्रशिक्षण व कार्य में निपुणता तथा संबंधित कार्यकलापः– इसमें अल्पसंख्यक समुदाय को भी शामिल कर दिया गया है। विभाग मान्यता प्राप्त कम्पयूटर कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करना प्रस्तावित है। विभाग 1,200 रूपये प्रतिमाह प्रति अभ्यर्थी प्रदान करता है। यदि इससे अधिक खर्च आता है तो अभ्यर्थी को स्वंय वहन करना पड़ता है। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवार को 1,000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति दी जा रही है। प्रशिक्षण ग्रहण करने के पश्चात अभ्यर्थी को कार्यालय में नियुक्त किया जाता है ताकि वह कम्पयूटर पर काम करने में दक्षता हासिल कर सके। इस अवधि में अभ्यर्थी को 1,500 रूपये प्रतिमाह राशि दी जाती है। वर्ष 2007–08 के दौरान 31.12.2007 तक 411.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया तथा 510 प्रशिक्षणर्थियों की लाभानवित किया गया।

(ड़) अनुवर्ती कार्यक्रमः– इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय 11,000 रू वार्षिक से अधिक न हो, को उपकरण तथा औजार खरीदने के लिए 800 रूपये प्रति लाभार्थी को सहायता दी जाती है। वर्ष 2007–08 में इस योजना के अंतर्गत 78.77 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया जिसमें से 20.45 लाख रूपये की राशि दिसम्बर,2007 तक व्यय की गई जिससे 2,568 लोग लाभान्वित हुए।

(च) अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जन–जाति परिवारों को मुआवजाः– इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के उन परिवारों को आर्थिक अनुदान दिया जाता हैं जिनपर अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाति के आधार पर अत्याचार किए जाते हैं। वर्ष 2007–08 के लिए 30.00 लाख रूपये का बजट इस योजना के लिए रखा गया जिसमें से 1.75 लाख रूपये की राशि

दिसम्बर,2007 तक व्यय करके 19 परिवारों को सहायता दी गई।

अनुसूचित जाति उप–योजना

10.42 अनुसूचित जातियों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए आधारभूत संरचना के विकास को त्वरित गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति उप–योजना एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं को वर्ष 2002 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग बनाकर स्थानान्तरित कर दिया है। इससे पूर्व यह कार्य जन–जातीय विभाग द्वारा किया जा रहा था।

10.43 प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या किसी क्षेत्रों में केंद्रित न होकर समूचे प्रदेश में फैली हुई है और सभी लोगों का समान रूप से विकास किया जाना है। अनुसूचित जातियों के संबंध में आर्थिक विकास का दृष्टिकोण क्षेत्रीय आधार पर नहीं है जबकि जन–जातीय उप योजना क्षेत्रीय आधार पर है। जिला बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, सोलन, शिमला और सिरमौर अनुसूचित जाति अधिकता वाले जिले है। जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य औसत से अधिक है। राज्य में इन छः जिलों में कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का 61.31 प्रतिशत है।

10.44 अनुसूचित जाति उपयोजना को आवश्यकता के अनुरूप एवं प्रभावी बनाने, योजना के कार्यान्वयन एवं मौनीटीरिंग/अनुश्रवण के लिए इकहरी प्रशासनिक प्रणाली शुरू की है। सभी जिलों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बजट आंवटित किया गया है जो दूसरे जिलों के लिए नहीं बदला जा सकता। प्रत्येक जिला में जिलाधीश इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभागों/ क्षेत्रीय विभागों के अधिकारियों के परामर्श से जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करते हैं।

10.45 अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधी सभी कार्यक्रमों को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि अनुसूचित जाति समुदाय के लोग सामान्य योजना एवं जन–जाति उप–योजना में लाभान्वित हो रहे हैं फिर भी अनुसूचित बहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशेष लाभकारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राज्य योजना के कुल बजट का 11 प्रतिशत अनुसूचित उप–योजना के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार प्रदान करने व उनकी आय में वृद्वि करने के लिए अधिक से अधिक वास्तविक योजनाएं तैयार करके विशेष प्रयास कर रही है।

10.46 अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए डिमांड–32 में अलग उप–शीर्ष "789" बनाया है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुसूचित जाति उप–योजना से संबंधित सारे बजट को इस नए शीर्ष में किया गया है। इस निधि की एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंतर्गत स्थानान्तरित किया जा सकेगा ताकि इस उप–योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत बजट प्रयोग करना सुनिशिचित बनाया जा सकेगा।

10.47 जिला स्तर पर जिला स्तरीय समीक्षा एंव कार्यवन्यन कमेटी गठित की गई है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिला से मन्त्री तथा उपाध्यक्ष जिलाधीश होता है। जिला परिषद का चेयरमैन और खण्ड विकास समिति के सभी चेयरमैन और अन्य स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्ति इस कमेटी के गैर सरकारी सदस्य और अनुसूचित जाति उप–योाजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी सरकारी सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव विभागाध्यक्षों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करते है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति कार्य निष्पादन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय एवं समीक्षा जोकि अनुसूचित जाति उप–योजना की समीक्षा करती है की समिति बनाई गई है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम (11क):

10.48 1997 में ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 1,07,057 अनुसूचित जाति परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। वर्ष 2007–08 (दिसम्बर, 2007 तक) 45,000 लक्ष्य के मुकाबले 11,560 अनुसूचित जाति परिवार लाभावित्त हुए है।

विशेष केंद्रीय सहायता

10.49 भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विशेष केन्दीय सहायता दी जा रही है ताकि अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए विकास स्कीमें राज्य सरकार प्रभावी ढंग से लागू की जा सकें। विशेष केन्द्रीय सहायता का उद्धेश्य इन स्कीमों के अन्तर्गत ज्यादा निधि उपलब्ध करवाना है, जिन्हें विशेष विभाग अपने संसाधनों से पूरा करने में अवश्य ही अक्षम है।

पेयजल

10.50 जल प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के समस्त गांवों को मार्च,1994 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल योजनाओं पर अंतिम/युक्तियुक्त सर्वेक्षण के आधार पर 1.4. 2007 को प्रदेश में कुल 45,367 बस्तियां हैं जिनमें से 44,960 बस्तियों को पूर्ण रूप से यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई और 1,407 को आंशिक रूप में सुविधा उपलब्ध करवाई गई। आंशिक रूप में सुविधा प्राप्त बस्तियों तथा जिन बस्तियों को यह सुविधा प्रदा न करवानी शेष है सरकार उन बस्तियों को सुविधा प्रदान करवाने के लिए उच्च प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2007–08 में 1,407 बस्तियों को राज्य भाग के रूप में एवं 3,103 बस्तियों को केंद्रीय भाग के रूप में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया था जिसके लिए राज्य एवं केंद्रीय परिव्यय का भाग क्रमशः 11,048.00 लाख रूपये एवं 11,746.00 लाख रूपये रखा गया। इनमें से राज्य भाग के रूप में 8,255.89 लाख रूपये (नवम्बर,2007 तक) खर्च करके 915 बस्तियों में दिसम्बर,2007 तक एवं केंद्रीय भाग के रूप में 5,776.52 लाख रूपये नवम्बर, 2007 तक परिव्यय करके 1,969 बस्तियों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई।

10.51 2007–08 में दिसम्बर, 2007 तक 782 हैण्डपम्प लगाए गए। अब तक 38 शहरों की पेयजल योजनाओं का सम्बर्धन कर दिया गया है तथा इस वर्ष 4 शहरों की पेयजल योजनाओं क्रमशः शिमला, सोलन, जुब्बल और बिलासपुर के सम्बर्धन कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2007–08 में 5,424.00 लाख रूपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है जिसमें से नवम्बर,2007 तक 2,344.10 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

मल प्रवाह

10.52 प्रदेश में 24 शहरों में मल निकासी सुविधा का कार्य प्रगति पर है। मल प्रवाह सुविधा के लिए वर्ष 2007–08 में 2,400.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया था जिसमें से नवम्बर,2007 तक 602.53 लाख रूपये व्यय किए जा चुके थे। इस वर्ष 2007–08 के दौरान 3 मल प्रवाह योजनाएं पौंटा साहिब, जुब्बल व नगरोटा के कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है।

11. शहरी विकास

11.1 संविधान के 74वें संशोधन के फलस्रूप शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार शक्तियां एवं कियाकलाप बहुत अधिक बढ़ गए है। प्रदेश में नगर निगम, शिमला समेत कुल 49 शहरी स्थानीय निकाय लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार प्रतिवर्ष इन शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राशि प्रदान कर रही है। शहरी स्थानीय निकायों की आय के साधन सीमित होने की बजह से सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में इन निकायों को 4,934.09 लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जानी प्रस्तावित हैं।

11.2 उपरोक्त राशि के अतिरिक्त द्वितीय राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2007–08 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को 3,052.05 लाख रूपये की राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें से दिसम्बर,2007 तक 2,289.04 लाख रूपये प्रदान किये जा चुके हैं। इस राशि में इन निकायों को विकास कार्यों तथा आय–व्यय के अंतर को दूर करने के लिए सहायता अनुदान राशि भी शामिल है। बारहवें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2007–08 में शहरी क्षेत्रों में कूड़ा संयन्त्र लगाने के लिए 160.00 लाख रूपये नगरपरिषद सोलन को प्रदान किए गए।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजनाः

11.3 माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3दिसम्बर,2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य शहरों का एकीकृत रूप से आर्थिक विकास कुशल, न्यायोचित तथा जिम्मेदार शहरों की आर्थिक तथा साभाजिक सरंचना, गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु तथा विभिन्न शहरी संस्थाओं को सशक्त करना एवं उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु शहरों को विकसित करना है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मे केवल शिमला शहर को राजधानी होने के नाते शामिल किया गया है।

11.4 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवास तथा शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी संस्था नामांकित किया गया है। इस योजना के अर्न्तगत मुख्यतः सड़कों का विकास, जलापूर्ति, मल निकासी, पार्किंग, सुरंगे तथा कूड़ा प्रबन्धन इत्यादि कार्य किया जाना है । वर्ष 2007–08 में 50.00 लाख रूपये का प्रावधान प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भाग के रूप मे किया गया है। भारत सरकार द्वारा अब तक इस योजना में निम्न कार्य अनुमोदित किए गए हैं।

1. जे.एन.एन.आर.एम. के अंतर्गत आने वाली योजनाओं वी.एस.यू.पी. और आई.एच.डी.पी. का अनुसंधान तथा प्रशिक्षण हेतु कार्य क्षमता बढ़ाना।
2. ऑकलैंड हाउस स्कूल, शिमला मोटर सड़क पर सुरंग को खोदने व चौड़ा करने का कार्य।
3. शिमला टाउन के गरीबी को आशियाना घर योजना।
4. शिमला सिटी के लिए ठोस कूड़ा प्रबन्धन में बहेतरी लाना।

शहरी क्षेत्रों में सड़कों का रखरखाव

11.5 49 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगभग 1,000 किलोमीटर सड़कें, रास्ते तथा गलियों का रख–रखाव किया जा रहा हैं। शहरी स्थानीय निकायों को 500.00 लाख रूपये जारी किए गए हैं। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जितनी लम्बाई की सड़कों, गलियों तथा रास्तों का रख–रखाव किया जा रहा है। उसके अनुपात में उन्हें मु0 500.00 लाख रूपये इस वित्तीय वर्ष में प्रदान किए गए है।

शहरी मलीन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना

11.6 शहरी मलीन बस्ती पर्यावरण सुधार एवं राष्ट्रीय झुग्गी झोपड़ी विकास योजना के अंतर्गत इस वर्ष मु0 122.00 लाख रूपये सभी

शहरी स्थानीय निकायों को प्रदान किए जाने प्रस्तावित हैं जिसमें 1,631 परिवार लाभान्वित होंगें। इस योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक स्नानागार, शौचालय एवं रेहन बसेरा इत्यादि बनाने के लिए अनुदान राशि प्रदान की जा रही है ताकि शहरों के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। 31.12.2007 तक मु0 11.29 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं व 192 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। 31.3.2008 तक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगें।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

11.7 इस समय शहरी स्थानीय निकायों में दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना एवं छोटे एवं मध्यम वर्गीय शहरों का एकीकृत विकास, चलाई जा रही है। स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अर्न्तगत मुख्य उद्वेश्य शहरी क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहें बेरोजगारों व अपूर्ण बेरोजगारों को इस योजना में स्वयं रोजगार व मजदूरी रोजगार हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2007–08 में इस योजना के अंतर्गत सरकार की भागीदारी के रूप में 4.10 लाख रूपये प्रदान किए जा रहे हैं।

11.8 छोटे व मध्यम वर्गीय शहरों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत मु0 20.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान है जिसमें से मु0 10.00 लाख रूपये नगर पंचायत कोटखाई तथा मैहतपुर को राज्य भाग के रूप में प्रदान किए गए हैं तथा शेष 10.00 लाख रूपये नगर पंचायत नारकण्डा को दिए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को पुनः संरचित कर इसका नाम छोटे तथा मध्यम शहरी सरंचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी) रखा गया तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमुडा को इस योजना का कार्यान्वयन सौंपा गया है। इस योजना के तहत हमीरपुर, धर्मशाला तथा मण्डी शहरों को लाया गया है तथा चम्बा शहरी योजना स्वीकृति हेतु अंतिम चरण में है। इसके कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2007–08 में 15.00 लाख रूपये की राशि का प्रावधान राज्य भाग के रूप में बजट में किया गया है।

राजीव गांधी शहरी नवीकरण सुविधा

11.9 माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला शहर को छोड़ कर दूसरी शहरी स्थानीय निकायों में सफाई एवं ढांचागत सुधार हेतु राजीव गांधी शहरी नवीकरण सुविधा योजना की घोषणा वर्ष 2006–07 में की है। इस योजना में कार पार्किंग, पार्क निर्माण कूड़ा संयंत्र की स्थापना तथा सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाना है। इस योजना के कार्यन्वयन हेतु इस वित्तीय वर्ष में मु0 1000.00 लाख रूपये बजट प्रावधान है।

शहरी एवं ग्रामीण योजना

11.10 प्रदेश सरकार ने शहरों के बढ़ते झुकाव की प्रवृति को देखते हुए योजना बद्ध एंव व्यवस्थित विकास के लिए शहरी एंव ग्रामीण नियोजन अधिनियम–1977 बनाया है जिसे प्रदेश के समस्त बड़े शहरों में लागू किया गया है।

11.11 विभिन्न नगरों एंव बढ़ते केन्द्रो में योजना बद्ध विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने नगर एवं योजना एक्ट 1977 को 20 योजना क्षेत्र और 34 विशेष क्षेत्र में बढ़ाया।

वर्ष 2007–08 के दौरान भूमि के लिए इस्तेमाल होने वाले मानचित्र ठियोग, वाकनाघाट और अतिरिक्त कसौली का योजना क्षेत्र और त्रिलोकपुर, नेरचौक और सराहन की विशेष क्षेत्र योजना को अंतिम रूप देकर लोगों की शिकायत तथा सुझाव के लिए अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार चम्बा की विकास योजना तथा गरली परागपुर विशेष क्षेत्र योजना भी तैयार कर अधिसूचित की गई। शिमला के ऐतिहासिक भवनों/ क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है तथा उनके रख–रखाव के लिए अधिसूचना जारी की गई है। सहायता अनुदान के द्वारा सात जन–जातीय क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र विकास का दर्जा दिया गया है। सामुदायिक कार्यों के अंतर्गत जैसे कि सड़कों का निर्माण रास्ते, मल प्रवाह, जल निकासी नाली, सड़कों पर बिजली का कार्य किया जाएगा।

12. ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज

ग्रामीण विकास

12.1 ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को लागू करना है। राज्य में निम्नलिखित राज्य तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहे है।

1.स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

12.2 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रदेश मे वर्ष 1999–2000 से चलाई गई है। यह योजना एक होलिस्टिक पैकेज है जिसमें स्वरोजगार के पहलुओं जैसे स्व सहायता ग्रुपों मे गरीबों का संगठन, प्रशिक्षण, उधार, प्रौद्योगिकी, विपणन तथा संरचना इत्यादि को शामिल करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले लाभ–भोगी परिवारों को स्वरोजगारी कहा जाता है। यह योजना उधार व उपदान कार्यक्रम का समायोजन है। एस.जी.एस.वाई योजना के अंतर्गत उपदान सहायता समान रूप से परियोजना कीमत का 30 प्रतिशत होगी जिसकी अधिकतम सीमा 7,500 रूपये निर्धारित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति एवं विकलांग व्यक्ति के परिवारों को 50 प्रतिशत तथा अधिकतम 10,000 रूपये उपदान के रूप में रखे गये है। स्वरोजगार परिवारों को योजना कीमत 50 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति 10,000 रूपये या 1.25 लाख रूपये जो भी कम हो उपदान के रूप में दिए जाते है। एस.जी.एस.वाई. स्कीम गरीब परिवारों में से अति संवेदनशील परिवारों पर केंद्रित की गई है। स्वरोजगार स्कीम के अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जन–जाति, 40 प्रतिशत महिलाएं तथा 3 प्रतिशत विकलांग लाभान्वित होगें। इस योजना का व्यय केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75:25 अनुपात के आधार पर किया जा रहा है।

12.3 अभी तक इस योजना से 7,373 स्वः सहायता ग्रुप बनाए जा चुके हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान दिसम्बर,2007 तक 528 स्व–सहायता ग्रुप बनाए गए तथा 379 ग्रुप, जिनके परिवार 3,622 गरीबी रेखा से नीचे के हैं ने आर्थिक कार्यकलाप का काम शुरू किया है। इन ग्रुपों को 258.39 लाख रूपये सहायता अनुदान तथा 920.21 लाख रूपये ऋण के रूप में दिए गए। इसके अतिरिक्त 815 व्यक्तिगत स्वरोजगारों को एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता दी गई तथा इन स्वरोजगारों को 65.02 लाख रूपये सहायता अनुदान तथा 333.71 लाख रूपये ऋण के रूप में दिए गए। ऋण जुटाने का लक्ष्य जो 1,842.53 लाख रूपये है के बदले 379 स्व सहायता ग्रुपों के लिए 1,253.92 लाख रूपये का ऋण कुल 815 स्वरोजगारों को वितरित किया गया।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजनाएं

हाईड्रैमों की स्थापना

12.4 भारत सरकार ने स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत प्रदेश में 400 हाईड्रैमों की स्थापना की परियोजना को स्वीकृति दी है जिसकी कुल लागत 1,047.20 लाख रूपये है जिसमें 770.48 लाख रूपये उपदान के रूप में तथा 161.40 लाख रूपये ऋण के रूप में तथा 115.32 लाख रूपये लाभार्थी अंश के रूप में सम्मिलित हैं। उपदान की राशि को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा। दिसम्बर,2007 तक इस परियोजना के अधीन 333 स्थलों का चयन किया जा चुका हैं तथा 262 हाईड्रैम प्राप्त किए जा चुके है, जिनमें से 208 हाईड्रैमों की स्थापना हो चुकी है। इन हाईड्रैमों की स्थापना पर 414.33 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

गोल्ड माईन्ज परियोजना

12.5 भारत सरकार द्वारा जिला बिलासपुर के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार

योजना के अंतर्गत 840.35 लाख रूपये की लागत से एक 'गोल्ड माईन्ज' नामक परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 327.76 लाख रूपये उपदान के रूप में तथा 512.59 लाख रूपये ऋण के रूप में सम्मिलित हैं। उपदान की राशि को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस परियोजना के अधीन तीन मुख्य गतिविधियां, पुष्प उत्पादन, रेशम उत्पादन तथा खुम्ब उत्पादन सम्मिलित हैं। दिसम्बर,2007 तक 227.04 लाख रूपये इस योजना पर व्यय किए जा चुके थे तथा 449 लाभार्थियों को पुष्प उत्पादन, रेशम उद्योग तथा मशरूम खेती के लिए लाभान्वित किया गया।

ग्रामीण वस्तुओं का विपणन

12.6 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना की कुल लागत 914.52 लाख रूपये है जिसमें 769.52 लाख रूपये उपदान के रूप में तथा 145.00 लाख रूपये ऋण के रूप में सम्मिलित हैं। उपदान की राशि भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जानी है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में 50 हिमाचल ग्रामीण भण्डारों तथा 1 केंद्रीय ग्रामीण भण्डार का निर्माण किया जाएगा। दिसम्बर,2007 तक 24 ग्रामीण भण्डारों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, 7 ग्रामीण भण्डारों का कार्य प्रगति पर है जिन पर 350.46 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

मिल्च लाइव स्टॉक इम्प्रुवमैंट

12.7 भारत सरकार ने जिला सोलन के लिए 886.95 लाख रूपये की लागत से एक 'मिल्च लाइव स्टॉक इम्प्रुवमैंट' परियोजना स्वीकृत की हैं जिसमें 715.15 लाख रूपये उपदान के रूप में तथा 171.80 लाख रूपये ऋण के रूप में सम्मिलित हैं। उपदान की राशि को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस परियोजना के अधीन दुग्ध उत्पादन गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। अभी तक इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु डी.आर.डी.ए. सोलन को 286.05 लाख रूपये उपलब्ध करवाए जा चुके है और दिसम्बर,2007 तक 306.09 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

कृषि में विविधकरण द्वारा ग्रामीण विकास

12.8 भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1,385.32 लाख रूपये की लागत से यह परियोजना स्वीकृत की गई है जिसमें 1,086.25 लाख रूपये अनुदान के रूप में और 299.07 लाख रूपये ऋण के रूप में शामिल हैं। उपदान की राशि भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 अनुपात में वहन की जानी है। इस परियोजना के अधीन मैडीसिनल और ऐरोमैटिक प्लान्टस, फूल तथा बगीचे वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का विकास, रेशम उत्पादन, पशुपालन की उत्तम तकनीकी प्रचलन आदि गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिला मण्डी को 963.20 लाख रूपये उपलब्ध करवाए जा चुके है जिसमें से दिसम्बर,2007 तक 683.73 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

रेशम उत्पादन व डेरी विकास द्वारा आत्म–निर्भरता

12.9 भारत सरकार द्वारा जिला हमीरपुर के लिए 1,499.98 लाख रूपये जिसमें 993.37 लाख रूपये सहायता के रूप में एवं 506.61 लाख रूपये ऋण के घटक के रूप में हैं, की लागत से रेशम व डेरी विकास हेतु यह परियोजना स्वीकृत की गई है। उपदान की राशि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जानी है। अभी तक इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिला हमीरपुर को 784.88 लाख रूपये उपलब्ध करवाए गए हैं जिसमें से दिसम्बर,2007 तक 634.77 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

ग्रीन गोल्ड

12.10 मैडिसिनल प्लान्टस, एरोमैटिक प्लान्टस, फल व बगीचे फूलों वाले विभिन्न प्रकार के पौधे, गैर–मौसमी सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन तथा इम्प्रूवड डेरी मैनेजमेंट हेतु

भारत सरकार द्वारा जिला चम्बा के लिए 1,488.73 लाख रूपये जिसमें 1,361.23 लाख रूपये सहायता के रूप में एवं 127.50 लाख रूपये ऋण के घटक के रूप में तथा लाभार्थी अंश के रूप में की लागत युक्त यह परियोजना स्वीकार की है। उपदान की राशि भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जाएगी। अभी तक इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिला चम्बा को 1,088.98 लाख रूपये उपलब्ध करवाएं गए हैं जिसमें से दिसम्बर,2007 तक 656.10 लाख रूपये खर्च किए गए हैं।

इन्टैसिंव डेरी डवैल्पमैंट

12.11 भारत सरकार द्वारा जिला कांगडा के लिए 1,301.25 लाख रूपये की लागत की इन्टैसिंव डेरी डवैल्पमैंट नामक एक परियोजना जिसमें 1,151.40 लाख रूपये सहायता के रूप में एवं 149.85 लाख रूपये ऋण के घटक के रूप में तथा लाभार्थी अंश के रूप में स्वीकृत की गई है। उपदान की राशि भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जानी हैं। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कांगड़ा जिले के ग्रामीण विकास अभिकरण को 921.12 लाख रूपये उपलब्ध करवाए जा चुके हैं जिसमें से 516.94 लाख रूपये दिसम्बर,2007 तक खर्च किए जा चुके हैं।

2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

12.12 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारम्भ ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिसम्पतियों को सृजन करना और संरचनात्मक विकास के साथ–साथ अन्न सुरक्षा व ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त एवं अनुपूरक वैतनिक रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम निर्धनों में निर्धन महिलाओं, अनुसूचित जाति/जन–जाति जोखिम भरे व्यवसायों में लगे मजदूर बच्चों के माता–पिता को वैतनिक रोजगार देने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। यह परियोजना केंद्र एवं राज्य के 75:25 के भाग के रूप में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण धन का आवंटन 20:30:50 के अनुपात में जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम सभा में किया जाता है। दिसम्बर,2007 तक 8.34 लाख कार्य दिवस सृजित किये गए तथा 1,256.07 लाख रूपये व्यय किये गए। इसके अलावा 4,339.24 मीट्रिक टन अन्न का उपयोग किया गया।

3. वाटरशैड

12.13 इस परियोजना के अंतर्गत तीन परियोजनाएं क्रमशः एकीकृत वाटरशैड विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम(डी.डी.पी.) चलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के प्रारम्भ से वर्ष 2007–08 (दिसम्बर,2007) तक एकीकृत बंजर कार्यक्रम के अंतर्गत 67 परियोजनाएं (866 माइक्रो वाटर शैड) जिनकी कुल लागत मु0 254.12 करोड़ रूपये है तथा 4,52,311 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। सूखाग्रस्त कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत कार्यक्रम के प्रारम्भ से वर्ष 2007–08 (दिसम्बर,2007) तक 412 सुक्ष्म जलागम स्वीकृत हैं जिनकी कुल लागत मु0 116.50 लाख रूपये तथा 2,05,833 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत कार्यक्रम के प्रारम्भ से दिसम्बर,2007 तक 552 सुक्ष्म जलागम जिनकी कुल लागत मु0 159.20 करोड़ रूपये है तथा 196242 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है जिसकी तुलना में आई.डब्लयू.डी.पी. परियोजना के अंतर्गत 125.67 करोड़, डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत 43.31 करोड़ रूपये तथा डी.डी.पी के अंतर्गत 69.80 करोड़ रूपये दिसम्बर,2007 तक व्यय किए गए।

4. इन्दिरा आवास योजना

12.14 इन्दिरा आवास योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत बी पी.एल. लाभभोगी को 27,500 रूपये प्रति परिवार नये मकान बनाने के लिए सहायता दी जा रही है लाभार्थियों का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया ज रहा है। केंद्र तथा राज्य सरकार 75:25 के अनुपात से इस योजना पर व्यय करती है। वर्ष 2007–08 में दिसम्बर,2007 तक 4,242 नए मकानों के निर्माण तथा 1,869 नए मकान बनाए गए जिनमें गत शेष मकानों का निर्माण भी सम्मिलित है तथा

3,154 मकान बनाने का कार्य प्रगति पर रहा। इस परियोजना के अधीन 689.15 लाख रूपये खर्च किए गए।

5. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

12.15 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के रोजी कमाने वाले व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाए तो शोक संतप्त परिवार को 10,000 रूपये प्रति परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है।

6. राजीव गांधी आवास योजना

12.16 यह योजना इन्दिरा आवास योजना की तरह ही चलाई जा रही है। दिसम्बर,2007 तक 5,516 नये आवास निर्माण के लक्ष्यों की तुलना में 3,296 मकानों का निर्माण किया गया जिनमें गत शेष मकानों का निर्माण भी सम्मिलित है तथा 4,626 मकान निर्माणाधीन हैं तथा इन पर 971.60 लाख रूपये व्यय किए गए।

7. पूर्ण स्वच्छता कार्यान्वयन परियोजनाएं

12.17 ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त स्वच्छता के दृष्टिगत विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना को जो प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जानी है केन्द्र सरकार ने जब से योजना शुरू हुई है तब से दिसम्बर,2007 तक 19.26 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है जिसमें से दिसम्बर,2007 तक 12.05 करोड़ रूपये इस परियोजना में खर्च किए जा चुके हैं।

8. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

12.18 भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया है जिसे प्रदेश में जिला चम्बा और सिरमौर में 2 फरवरी,2006 से लागू किया गया है तथा 1.4.2007 से कांगड़ा व मण्डी में भी लागू कर दिया गया है एवं चरणबद्व तौर पर प्रदेश के शेष 8 जिलों में भी लागू कर दिया जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक ऐसे परिवार को जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, कम से कम 100 दिनों गारंटी मजदूरी रोजगार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रदान करना है तथ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। वर्ष 2007–08 में दिसम्बर,2007 तक भारत सरकार द्वारा 9,435.70 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं जिसके विरूद्व प्रदेश सरकार के राज्य भाग के रूप मे 1,046.52 लाख रूपये प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1.4.2007 को अंत शेष मु0 1,980.03 लाख रूपये तथा मु0 192.05 लाख रूपये ब्याज के रूप में अर्जित किए गए। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि मु0 12,654.30 लाख रूपये जिनमें से 31.12.2007 तक 6,794.31 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत जिला चम्बा, कांगड़ा, मण्डी व सिरमौर में 55.43 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए एवं 1.83 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

पंचायती राज

12.19 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषदें, 75 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट में समय–समय पर किए गए प्रावधानों के अनुरूप या उनमें कार्यकारी निर्देशों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न शक्तियां और कार्य सौंपे गये हैं। ग्राम सभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सरकार ने और अधिक अधिकार व कार्य सौंपे हैं जिनमें तकनीकी सहायक, पंचायत सहायक, सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, अंशकालिक जलवाहक की नियुक्ति आदि सम्मिलित है। कनिष्ठ अभियंता एवं लेखापाल के रिक्त पद पर अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ अभियंता तथा लेखापाल की नियुक्ति का अधिकार पंचायत समिति को तथा सहायक अभियन्ता विकास की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषद को दिया गया हैं। प्रधान व उप–प्रधानों को मत्स्य कीड़ा के लिए लाइसैंस देने का

अधिकार दिया गया है तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पंचायत समितियों को पेशावर मछली पकड़ने वालों को लाइसैंस देने के लिए अधिकृत किया है तथा इससे प्राप्त राजस्व सम्बन्धित पंचायतों के पास रहेगा।

12.20 पंचायती राज संस्थाओं की समस्त प्राथमिक पाठशाला भवनों का स्वामित्व सौंपा गया है। ग्राम पंचायतों को भूमि मालिकों से भू–राजस्व एकत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा एकत्रित राशि के उपयोग करने के बारे ग्राम. पंचायत स्वयं निर्णय लेगी। ग्राम पंचायतों को आय बढ़ाने वाली परिसम्पतियों के सृजन हेतु बिना सरकार की पूर्व अनुमति के ऋण प्राप्त करने, विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क एवं जुर्माना आदि के लिए अधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा ऋण उगाही से पूर्व ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मोबाईल टावर लगाने एवं शुल्क अधिरोपित करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायतें स्कूल, आगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, उचित मूल्य की दुकान, हैंडपम्प एवं सार्वजनिक नल के लिए जगह का निर्धारण करेंगीं। किसी भी तरह के खनिज के खनन के लिए जमीन पट्टे पर देने से पूर्व संबंधित पंचायत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों को दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अधीन गुजारा भत्ता के लिए तथा 500 रूपये प्रतिमाह तक गुजारा भत्ता प्रदान करने हेतु आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायते क्षेत्र में एक रूपये प्रति बोतल की दर से शराब की बिक्री पर सैस ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित किया गया है और इससे प्राप्त निधि को वह विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन पर व्यय कर सकेगी।

12.21 बाहरवें केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 2,940.00 लाख रूपये का प्रावधान है।

13. सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी

13.1 सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक प्रकिया की मूल है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ई–गवर्नैंस क्षेत्र में अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित किया है तथा लोगों को उत्तम सुविधाएं प्रदान करने हेतु व सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की उन्नति हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से सरकार इस उद्योग को उत्साहित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस संदर्भ में मुख्य कार्यकलाप निम्नांकित हैं:–

1. **हिमस्वान:**–हिमाचल प्रदेश सचिवालय को समस्त जिलों, खण्डों, तहसीलों एवं उप तहसीलों को जोड़ने हेतु स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है जिसे भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। स्वान के अन्तर्गत उपर से नीचे तहसील स्तर तक एवं नीचे से उपर को समस्त सरकारी विभागों/संगठनों से सम्पर्क बनाया जाएगा। 5 फरवरी–2008 को हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल द्वारा स्वान का आरम्भ करने के साथ ही देश में यह प्रथम राज्य बन गया है।

!. **सूचना प्रौद्योगिकी –शहर/पार्क:** पूरे प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी को वढ़ावा देने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि मुख्य शहरों के आसपास हाईटैक हैविटेटस का निर्माण किया जाए। इन पार्कों की स्थापना सूचना प्रौद्याोगिकी को बढ़ावा देने के लिए अत्यन्त लाभप्रद है जिसमें लाखों बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। विभाग द्वारा हाईटैक बस्तियों की स्थापना के लिए वाकनाघाट, नालागढ़, राजा का बाग, नागरी और डलहौजी के स्थानों को चिन्हित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और इकाईयां पहले ही स्थापित की जा चुकी।

3. **एकीकृत सामुदायिक सेवा केन्द्र (आई.सी.ओ.एस.सी.):** इसे स्थापित करने का उद्धेश्य प्रदेश में लोगों को बिना रूके सूचना तथा सेवा उपलब्ध करवाना है जिसे साधारण तौर पर उपयोग किया जा सकेगा अपितु ये संस्थान राज्य के रीति–रिवाजों को भी बताएंगे। जिससे सूचना का आदान–प्रदान होगा। शिमला उपायुक्त कार्यालय में एकीकृत सामुदायिक सेवा केन्द्र "सुगम" स्थापित किया गया है, जिसमें एक ही जगह 50 से अधिक सेवाएं प्रदान की जाएगी।

4. **टेली मैडिसन परियोजना:** टेली मैडीसन परियोजना के द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ उपलब्ध करवाएंगे। टेलीमैडीसन परियोजना के अंतर्गत टैलीमेडिसन के द्वारा इन्दिरा गांधी मैडीकल कॉलेज, शिमला, पी.जी. आई. चण्डीगढ़ के साथ जोड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया है।

5. **हि.प्र. में भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (हिम–भूमि):** प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय में भविष्य में भू–अभिलेखों से संबंधित पूरे आंकड़ों के उपयोग करने के लिए कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था की जा रही है। विभाग आंकड़ों की प्रविष्टि और किया–कलापों के मानिटरिंग की व्यवस्था में आश्वस्त होगा। प्रदेश की 109 तहसीलों/ उप–तहसीलों में से 99 तहसीलों में कम्पयूटरीकरण हो चुका है एवं शेष बची तहसीलों को इस व्यवस्था के साथ शीघ्र जोड़ दिया जाएगा।

6. **अस्पताल प्रबन्धन सूचना (एच.एम.आई.एस.)** अस्पताल प्रबन्धन तन्त्र अस्पताल के रोजमर्रा कियाकलापों का एक स्वाचालित तन्त्र है। रोगियों का पंजीकरण से लेकर (वाह्या रोगी विभाग, प्रयोगशाला, शल्यशाला, वार्ड, बिल की अदायगी, रक्त केंद्र इत्यादि) सहित विमुक्ति तक पूर्ण व्यौरा रखा जाता है। यह पायलट आधार पर आई.जी.एम.सी. में कार्यान्वित किया जा रही है।

7. **विभिन्न लाईन विभागों का कम्पयूटीकरण:**–सूचना प्रौद्यागिकी विभाग राज्य

सरकार के विभिन्न कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग विभिन्न कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण करने के बारे में सलाह प्रदान कर रहा है। परामर्श का केंद्र क्षेत्र हार्डवेयर, सोफटवेयर, मानव श्रम तथा निजी क्षेत्र में प्रशिक्षण है। परामर्श कार्यशाला एजैंसी के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कम्प्यूटरीकरण के लिए हार्डवेयर उपलब्ध करवा रहा है। विभाग राज्य सरकार के कार्यालय/ बोर्ड/ कॉर्पोरेशन के कार्यालयों को तकनीकी जानकारी प्रदान कर रहा है। मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैः–

i.) 17 जिला कोष/ उप–कोष कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया।

ii.) 56 कालजों में कम्पयूटर प्रयोगशालाऐं स्थापित की जा रही है।

8. सी.सी.एम.एस. (कम्प्यूटर काल मैनेजमैंट सिस्टम) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने नई वैब एनएवल सोफटवेयर सी.सी.एम.एस को निम्न उद्देश्य के लिए विकसित किया हैः–

i) अर्थ एवं संख्या विभाग में साप्ताहिक बाजार भाव तथा सांख्यिकीय पुस्तिका।

ii) पथ परिवहन निगम में बस आरक्षण का कम्प्यूटरीकरण।

iii) हि0प्र0 लोक सेवा आयोग में ई–आवेदन।

9. सरकारी कर्मचारियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षणः रेफरेन्स मोनिटरिंग सोफटवेयर (आर.ई.एफ.एन.आई.सी.) और पी.सी. (शब्दों में विधायन इत्यादि) उपयोग के संबंध में विभाग की पूरे प्रदेश में 2,500 सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिसमें सचिवों एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारी भी सम्मिलित हैं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। विभाग द्वारा मण्डी एवं कांगड़ा में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गये।

जैव प्रौद्यागिकी

13.2 जैव प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से सरकार जैव प्रौद्यागिकी नीति में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिनमें जैव प्रौद्यागिकी–मानव संसाधनों, सरंचनाओं तथा उद्यम रोजगार उत्पन्न करने हेतु जैव व्यवसायों का विकास सम्मिलित/ प्रयासरत है। विभाग राज्य संसाधनों/ विश्वविद्यालयों में सरंचनाओं को सुदृढ़ करने के साथ जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यवसायों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। विभाग के प्रयत्नों के फलस्वरूप जैव प्रौद्योगिकी की इकाइओं ने विभाग की सहायता से स्थलों पर कार्य करना शुरू कर दिया है। जैब प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थानों की तलाश के प्रयत्न किए जा रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी का एक भाग अडुबल, नालागढ़ के नजदीक स्थपित करने के लिए जमीन के हस्तांरण की प्रकिया अन्तिम चरण में है।

1. **मानव संसाधन विकासः इस** योजना के अन्तर्गत जागरूकता, उद्यम में सहभागिता, जैव प्रौद्योगिकी में ग्रामीण विकास की सहभागिता एंव जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा चलाई जा रही है। जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किसानों, विज्ञानियों, अकादमी के सदस्यों, व्यापारिक घरानों एंव उद्योगपतियों के साथ कई बैठके आयोजित की गई। राज्य के शिक्षण सस्थांओं /विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किए गए।
2. **जैव व्यवसाय को बढ़ावाः** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जैव प्रौद्योगिकी नीति, जैव तकनीकी उद्योग, जैव तकनीकी पार्क आदि योजनांए चलाई जा रही हैं।
3. **प्रौद्योगिकी से सहायता प्राप्त–कियाकलापों का प्राचलनः** इन किया–कलापों में कृषि, प्रसंस्करण, मूल्य बढ़ौतरी एंव उंची कीमत वाले औषधीय एवं सुंगन्धित पौधों (एम.ए.पी.एस.)को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग के संयुक्त समन्वित प्रयासों की वजह से क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता चलाई जा रही है। विभाग द्वारा हिमाचल को "हर्बल राज्य" बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ECONOMIC SURVEY

OF

HIMACHAL PRADESH

2007-08

Economics & Statistics Department

FOREWORD

Economic Survey is one of the budget document which indicates the important economic activities and achievements of the Government. The salient features of the State of the economy of Himachal Pradesh during 2007-08 are presented in Part-I, and statistical tables on various subjects are given in Part-II.

I am thankful to all the departments and public undertakings for their co-operation in making available the material included in the Survey. The burden of collection and updating the huge and voluminous data and its presentation in a concise and inter-related form was borne by the Economics & Statistics Department. I appreciate and commend the work done by the officers and officials of this department.

Arvind Mehta
Secretary
(Finance, Pig., and Eco. & Stat.)
to the Govt.of Himachal Pradesh.

INDEX

Contents		Pages
1.	General Review	1
2.	State Income	10
3.	Money and Banking	14
4.	Prices and Food Management	21
5.	Agricultural and Allied Activities	25
6.	Industry and Employment	43
7.	Power	49
8.	Transport and Communication	63
9.	Tourism and Civil Aviation	66
10.	Social and Economic Services	69
11.	Urban Development	87
12.	Rural Development & Panchayati Raj	90
13.	Information Technology & Bio Technology	96

Part-I

ECONOMIC SURVEY-2007-08

1. GENERAL REVIEW

Economic Situation at National Level

1.1 Vigorous growth with strong macro economic fundamentals has characterized developments in the Indian economy in 2006-07 so far. However, there are some genuine concerns on the inflation front. India is on a fast track of economic growth with an annual growth rate of 9.4 and 9.6 percent in the last two years. The prosperity of the middle class is highly visible.

1.2 The overall macro economic fundamentals are robust, particularly with tangible progress towards fiscal consolidation and strong balance of payments position. The world views India as the most happening place and every effort has been made to capitalise this feel good feeling. With an upsurge in investment, the outlook is distinctly upbeat.

1.3 The ratcheting up of growth observed in recent years is reflected in the Eleventh Five Year Plan target of an average annual growth of 9 percent relative to 8 percent targeted by Tenth Plan. It means our recent economic success is based on sound footing and is relatively insulated from cyclical factors and will also not be affected by a global downturn. Unlike in the past when periods of rapid growth were followed by a slowdown, this time the economy seems to have shifted to a higher growth trajectory.

1.4 The Gross Domestic Product at factor cost at constant (new base year i.e. 1999-2000) prices in 2006-07 is estimated at Rs.28,64,310 crore as against Rs.26,12,847 crore in 2005-06. At current prices Gross Domestic Product in 2006-07 is estimated at Rs.37,90,063 crore as against Rs.32,75,670 crore in 2005-06 showing an increase of 15.7 percent during the year. Real Gross Domestic Product witnessed a significant growth of 9.6% during 2006-07(Base 1999-2000=100) against the growth rate of 9.4 percent during the previous year. The high growth rate in real Gross Domestic Product during 2006-07 has been achieved due to the higher growth of 12.0% in manufacturing, 12.0% in construction, 8.5% in Trade, Hotels & Restaurants, 16.6% in Transport & Communication and 13.9% in Finance, Real Estate & Business, 6.9% in Services sectors , 6.0% in electricity, gas and water supply and 5.7% mining & quarrying.

1.5 *The growth rate for the fiscal year 2007-08 is expected around 8.7 percent as per advanced estimates.*

1.6 The per capita income is estimated at Rs. 29,642 in 2006-07 as against Rs.25,956 for the previous year recording an increase of 14.2 percent. At constant (1999-2000) prices the per capita income increased to Rs. 22,553 in 2006-07 from Rs. 20,858 in 2005-06 registering an increase of 8.1 percent.

1.7 The inflation management was the key priority. The inflation rate in terms of Whole Sale Price Index was 3.5 percent in the last week of December, 2007 against the same level in the last week of December 2006. The rise in the All India Consumer Price Index Number for Industrial workers was 5.5% in December, 2007 as against 5.3% during the period of December, 2006.

Economic Situation in Himachal Pradesh

1.8 Himachal Pradesh has emerged as leader in hill area development, horticulture revolution, ideal destination for investment in industry, power and tourism. The competence and value systems with civilisational heritage, trade liberalization and other measures to increase the competitive environment in the economy in flinching commitments towards improvement in infrastructures has lead to robust performance in the economy of the Pradesh. *The economy of the state has been progressing almost at uniform pace as it is expected to achieved a growth of 8.5 percent in the current financial year after hitting a 9.2 percent mark in the last year.*

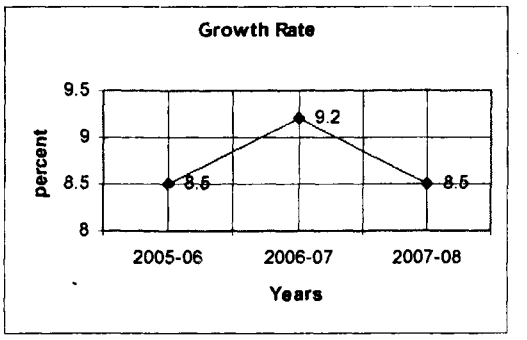

This is in spite of the fact that the economy of Himachal Pradesh is dependent upon agriculture and its allied activities and any fluctuation in agricultural production affects the growth rate.

1.9 The State Gross Domestic Product (GSDP) at factor cost at constant (1999-2000) prices in 2006-07 is estimated at Rs. 22854 crore as against Rs.20928 crore in 2005-06 registering a growth of 9.2 percent during the year as against the growth rate of 8.5 percent during the previous year. At current prices, the GSDP is estimated at Rs.28358 crore as against Rs.25471 crore in 2005-06 showing an increase of 11.3 percent during the year.

1.10 The Per Capita Income at current prices witnessed an increase of 8.4 percent as it increased to Rs.36657 in 2006-07(Q) from Rs.33819 in 2005-06. This increase in total State Domestic Product is mainly attributed to 16.0 percent in secondary sectors, 12.4 percent in

Transport and Trade and 8.2 percent in Services Sector whereas the primary sector declined due to the fail in the apple production. Food grains production, which was 10.69 lakh MT during 2005-06 increased to 14.97 lakh MT (likely) during 2006-07 and is expected to increased to 15.87(anticipated) in 2007-08. The fruit production decreased significantly by 46.9 percent i.e from 6.95 lakh MT in 2005-06 to 3.69 lakh MT in 2006-07 and during 2007-08 (upto Dec., 2007) production was 6.96 lakh M.T.

1.11 As per the advanced estimates and on the basis of economic conditions up to December, 2007 the likely growth rate for 2007-08 will be around ***8.5%***. *During the Tenth Plan period the average growth rate at the State has been 7.6 percent against 7.8 at the national level.*

TABLE 1.1
Key Indicators

Indicators	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
	Absolute Value		%age change over previous year	
G.S.D.P.(Rs.in crore)				
(a)At current prices	25471	28358	10.4	11.3
(b)At constant prices	20928	22854	8.5	9.2
Foodgrains production (lakh tonnes)	10.69	14.97	(-)28.2	40.0
Fruit production ('000 tonnes)	695.50	369.10	0.4	(-)46.9
Gross Value Added from Industrial Sector* (Rs.in crore)	2891	3197	10.1	10.5
Electricity generated (Miliion Units)	1332	1432	2.9	7.5
Wholesale price Index	195.8	206.6	4.6	5.5
C.P.I. for Industrial Workers(HP)	114	122	4.6	7.0

***At current prices**

1.12 The economic growth in the State, predominantly governed by agriculture and its allied activities showed not much fluctuations during nineties as the growth rate remained more or less stable. The decade showed an average annual growth rate of 5.7 percent, which is at par with national level. The economy has shown a shift from agriculture sector to industries and services as the percentage contribution of agriculture and allied sectors in total State Domestic Product has declined from 57.9 percent in 1950-51 to 55.5 percent in 1967-68, 26.5 percent in 1990-91 and to 17.80 percent in 2006-07.

1.13 The share of industries and services sectors respectively has increased from 1.1 & 5.9 percent in 1950-51 to 5.6 and 12.4 percent in 1967-68, 9.4 & 19.8 percent in 1990-91 and to 11.4 percent and 11.3 percent in 2006-07. However, the contribution of other remaining sectors showed a favourable shift i.e. from 35.1 percent in 1950-51 to 60.13 percent in 2006-07.

1.14 The declining share of agriculture sector do not, however, affect the importance of this sector in the State economy as the state economic growth still is being determined by the trend in agricultural production. It is the major contributor to the total domestic product and has overall impact on other sectors via input linkages, employment and trade etc. Due to lack of irrigation facilities our agricultural production to a large extent still depends on timely rainfall and weather conditions. High priority has been accorded to this sector by the Govt.

1.15 The state has made significant progress in the development of Horticulture. The topographical variations and altitudinal differences coupled with fertile, deep and well drained soils favour the cultivation of temperate to sub tropical fruits. The region is also suitable for cultivation of ancillary horticultural produce like flowers, mushroom, honey and hops.

1.16 During the year 2007-08 upto December, 2007, 6.96 lakh tonnes of fruits were produced in the state and it is envisaged to bring 4000 hectares of additional area under fruit plants against which 4291 hectares of area was brought under plantation up to December, 2007. Growing of off-season vegetables has also picked up in the state. During the year 2006-07, 9.91 lakh tonnes of vegetables were produced as against 9.30 lakh tonnes in 2005-06 recording a growth rate of 6.6 percent.

1.17 The hydro power is emerging as a powerful mechanism for speedier economic growth and overall development of the State. As a source of energy hydro power is economically viable, non-polluting and is

environmentally sustainable. The power Policy of the State attempts to address all aspects like capacity addition energy security, access and availability, affordability, efficiency, environment and assured employment to people of Himachal . Though the private sector participation in terms of investments in this sector has been encouraged but the smaller projects has been reserved for investors from Himachal Pradesh only(upto 2 MW) and preference will be given for projects up to 5 MW.

1.18 High priority has also been accorded to tourism industry, which has also emerged as a major sector in the development of economy of the state. The Govt. has developed appropriate infrastructure for the growth of tourism involving activities requiring heavy investment and pioneering commercial projects in new areas where private sector may be reluctant to undertake such activities initially. As a result of high profile media thrust, a significant rise has been noticed in the tourist influx during last few years as below:-

TABLE 1.2
Tourist arrival (In lakh)

Year	Indian	Foreigners	Total
2002	49.60	1.44	51.04
2003	55.44	1.68	57.12
2004	63.45	2.04	65.49
2005	69.28	2.08	71.36
2006	76.72	2.81	79.53
2007	84.82	3.39	88.21

1.19 Information Technology has a great scope for employment generation and revenue earnings. Himachal Pradesh Govt. in this context has prepared an I.T. Vision 2010 with the assistance of NASSCOM. Government has introduced HIMSWAN, Telemedicine Project, Hospital Management Information System (HMIS), Computer Call Management System (CCMS), REFNIC, Kiosk, i-CoSC and HIMBHOOMI systems to bring efficiency and transparency in administration.

1.20 Biotechnology Industry is leading the current technological revolution in the country which is expected to create more than 1 million jobs by 2010. There are immense opportunities in several industries relating to pharma/drugs, food & beverages, herbs, enzymes, fermentation, bio-pesticides, bio fertilizers, phyto-chemicals, floriculture and other business ventures in the state. The development of technologies to conserve the resources and put them to proper use through bio technological innovations will take Himachal to new heights.

1.21 Containment of inflation is on the priority list of government. Himachal Pradesh Working Class Consumer Price Index No. during 2006-07 increased marginally by 0.8 percent between April to November,

2007 as against 4.7 percent at National level.

1.22 The state Government mobilises financial resources through direct and indirect taxes, non-tax revenue, share of central taxes and grants-in-aid from Central Govt. to meet the expenditure on administration and developmental activities. According to the budget estimates for the year 2007-08(BE) the total revenue receipts were estimated at Rs. 7305 crore as against Rs. 6946 crore in 2006-07. The revenue receipts increased by 5.17 percent in 2007-08 over 2006-07

1.23 The state's own taxes were estimated at Rs. 1951 crore in 2007-08(BE) as against Rs. 1517 crore in 2006-07 and Rs1497 crore in 2005-06. The percentage increase in the sate's own taxes was estimated at 28.61 percent in 2007-08(BE).

1.24 The state's non-tax revenue (comprising mainly of interest receipts, road transport receipts and other administrative services etc.) was estimated at Rs.803 crore in 2007-08(BE). The state's non-tax revenue was 11 percent of total revenue receipts in 2007-08.

1.25 The share of central taxes was estimated at Rs. 652 crore in 2007-08(BE). It was at Rs. 593 crore in 2006-07 which shows an increase of 9.95 percent.

1.26 The break-up of the state's own taxes reveals that sales tax at Rs. 1115 crore constitutes a major portion i.e. 42.84 percent of total tax revenue in 2007-08. The corresponding percentages for the year 2006-07 and 2005-06 were 36.97 and 36.53 per cent respectively. The revenue receipt from state excise duties is estimated at Rs. 363 core in 2007-08(BE).

1.27 The percentage of Revenue Deficit to total GSDP for the year 2005-06 & 2006-07 are 0.37% 0.19% respectively.

1.28 The aggregate size of the 11th Five year Plan has been projected at Rs. 13778.00 crore. However, the proposed annual plan for 2008-09 has been fixed at Rs. 2400.00 crore which will be 14.3% higher than the plan size of current year 2007-08. The Sectoral spread of the proposed outlay for 11th Five Year Plan (2007-12) is given under:-

Sr. no	Sector	Proposed Outlay Rs. in crore	%age Share	Priority
1	Agriculture and Allied Activities	1470.08	10.67	III
2	Rural Development	355.62	2.58	VIII
3	Special Area	20.47	0.15	X
4	Irrigation & Flood control	1220.62	8.86	IV
5	Energy	1122.14	8.14	V
6.	Industry & Minerals	177.68	1.29	IX
7	Transport & Communication	2142.33	15.55	II
8.	Science, technology & Environment	2.92	0.02	XI
9	General Economic services	798.59	5.80	VI
10	Social Services	6060.29	43.98	I
11	General Services	407.26	2.96	VII
Total		13,778.00	100.0	

1.29 Bharat Nirman, a time bound scheme envisaged for the five years (2005-09), aiming towards the development of basic rural infrastructure like Road connectivity, Irrigation, Rural Water supply, Housing, Rural electrification, Rural Telephone connectivity, has been taken on priority.

1.30 To fulfill the commitments towards public, a separate department of Redresal and Public grievances under the direct supervision of the Hon'ble Chief Minister has been set up in each of the public service oriented department

1.31 There is no limit to progress and development The priority of the government has always for Education, Water, Health, Power, Road and Social Welfare programmes. Reduction of poverty is also the objective of the government as 90% of its population lives in rural areas. **Concerted efforts have been made to improve the efficiency and quality of public services delivery especially in education and health care and rural extension services.**

Major achievements on the path of Socio-Economic resurgence are:-

- Minimum wages has been increased from Rs. 75 to Rs. 100 in the current financial year.
- Old-age pension, National old age pension and widow pension has also increased from Rs. 200 to Rs. 300
- 6370.12 MW hydro power has been harnessed out of 20415.12 MW identified potential. During the financial year 2006-07, 1432 million units of electricity was generated.
- Scrapping of MoU route for projects from 5-100 MW.
- The industries has shown 11.3 percent growth during 2006-07 and efforts are being made to extend Industrial Package upto year 2013.
- National Rural Employment Guarantee Yojna to be implemented all over the State from 1st April, 2008.
- First session of the 11th Vidhan Sabha was held at Dharamshala.
- Technical inputs and free soil-testing facilities for farmers.
- The Per Capita Income has touched the level of Rs. 36,657 in 2006-07witnessing a growth of 8.4% over 2005-06 and estimated at **Rs.39,819 in 2007-08.**
- 50% reservation for women in Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies.

- Free traveling for women in HRTC buses on Bhaiya Dooj and Raksha Bandhan and holiday for working women on these days.
- Revival of the Mukhya Mantri Gram Path Yojana.
- To provide shelter to the shelter less rural poor people, 4,242 houses are being constructed under Indra Awas Yojna during the current year.
- Under Rajiv Gandhi Awas Yojna a target to construct 5,516 houses has been set.
- Special attention is being given to achieve the target of universalization of elementary Education under Sarva Shiksha Abhiyan is being implemented vigorously.
- Wet leasing Yojna has been introduced to minimize the losses in HRTC in the current financial year.
- With a view to look after the Orphans and destitute Children, three schemes have been merged and restructured as **Mukhya Mantri Bal Udhar Yojna.**
- Under Mukhya Mantri Kanyadaan Yojna the marriage grant has been increased to Rs.11001.
- Implementation of National Rural Health Mission with the involvement of local Govt. Institutions for ensuring equal health facilities at the door step of masses.
- Jawaharlal Nehru Urban renewal Mission has been started by government of India and Shimla town has been covered.
- Under Horticulture Mission horticulture crops and its development has given reliable economic platform to majority of the population.

- Himachal Pradesh is the first state to launch the State Wide Area Network(HIM-SWAN) in the country.

Table 1.3

Receipt and Expenditure of the State Government (Rs. in crore)

Item	2004-05 (Actual)	2005-06 (Actual)	2006-07 (RE)	2007-08 (BE)
1.Revenue Receipts(2+3+4)	**4635**	**6559**	**6946**	**7305**
2.Tax Revenue	1789	1990	2109	2603
3.Non-Tax Revenue	611	690	882	803
4.Grant-in-aid	2235	3879	3955	3899
5.Revenue Expenditure	**5793**	**6466**	**7000**	**7556**
(a)Interest Payments	1641	1563	1664	1772
6.Revenue Deficit(1-5)	**-1158**	**93**	**-54**	**-251**
7. Capital Receipts	5600	2247	2465	2379
(a)Recovery of loans	26	22	25	23
(b)Other receipts	999	211	326	350
(c) Borrowings & liabilities	4575	2014	2114	2006
8.Capital Expenditure	**4235**	**2376**	**2241**	**2128**
8.Totai Expenditure	**10028**	**8842**	**9241**	**9684**
(a) Plan expenditure	1591	2013	2209	2238
(b) Non-plan expenditure	8437	6829	7032	7446
As percent of GDP				
1.Revenue Receipts(2+3+4)	20.09	25.75	24.49	22.85
2.Tax Revenue	7.76	7.81	7.44	8.14
3.Non-Tax Revenue	2.65	2.71	3.11	2.51
4.Grant-in-aid	9.69	15.23	13.95	12.19
5.Revenue Expenditure	25.11	25.39	24.68	23.63
(a)Interest Payments	7.11	6.14	5.87	5.54
6.Revenue Deficit(1-5)	-5.02	0.37	-0.19	-0.79
7.Capital Receipts	24.28	8.82	8.69	7.44
(a)Recovery of loans	0.11	0.09	0.09	0.07
(b)Other receipts	4.33	0.83	1.15	1.09
(c) Borrowings & liabilities	19.83	7.91	7.45	6.27
8.Capital Expenditure	18.36	9.33	7.90	6.66
9.Total Expenditure	43.48	34.71	32.59	30.29
(c) Plan expenditure	6.90	7.90	7.79	7.00
(d) Non-plan expenditure	36.58	26.81	24.80	23.29

Note: GSDP estimates for 2004-05, 2005-06(R), 2006-07(Q)& 2007-08(Advance)

2. STATE INCOME

State Domestic Product

2.1 State Domestic Product (S.D.P.) or state income is the most important indicator for measuring the economic growth of a state. According to quick estimates, the total State Domestic Product at 1999-2000 prices increased to Rs. 22854 crore in 2006-07 from Rs. 20928 crore in 2005-06, thereby registering a growth of 9.2 percent at constant prices(1999-2000).

2.2 The total State Domestic Product of the Pradesh at current prices is estimated at Rs. 28358 crore in 2006-07 as against Rs.25471 crore in 2005-06, thereby registering an increase of 11.3 percent. The significant pace of this growth is attributed to the sectors other than agriculture & allied activities The food grains production increased to 14.97 lakh MT (Likely) in 2006-07 from 10.69 lakh MT in 2005-06. The apple production decreased from 5.40 lakh MT in 2005-06 to 2.68 lakh MT in 2006-07.

2.3 The economy of Himachal Pradesh is predominantly dependent upon agriculture and in the absence of strong industrial base, any fluctuations in the agricultural or horticultural production cause some changes in economic growth also. During 2006-07 about 17.80 percent of state income has been contributed by agriculture sector alone.

2.4 The economy of the state also appears to be in resilient mode in terms of growth. As per advanced estimates, the growth rate of GSDP during 2007-08 will be 8.5% against 8.7% at the national level.

2.5 The table given below shows the growth of economy of Himachal Pradesh vis-à-vis all-India during the last three years:-

Table 2.1

(Percent)

Year	H.P.	All India
2005-2006(R)	8.5	9.4
2006-2007(Q)	9.2	9.6
2007-2008(A)	8.5	8.7

Per Capita Income

2.6 According to quick estimates based on new series i.e 1999-2000 series, the per capita income of Himachal Pradesh at current prices in 2006-07 stood at Rs.36657. This shows an increase of 8.4 percent over 2005-06 (Rs.33817). At constant (1999-2000) prices the per capita income during 2006-07 is estimated at Rs.28236 against Rs.27232 in 2005-06 witnessing an increase of 3.7 percent.

Sectoral Contribution

2.7 The sectoral analysis reveals that during 2006-07, the percentage contribution of Primary sectors to total S.D.P. of the State is 21.57 percent, Secondary Sector 40.64 percent, followed by Community and Personal Services 15.47 percent, Transport, Communications and Trade 13.22 per cent and Finance and Real Estate 9.10 per cent.

2.8 The structural composition of the state economy witnessed significant changes during the decade. The share of agriculture including horticulture and animal husbandry in G.S.D.P. had declined from 26.5 percent in 1990-91 to 17.80 percent in 2006-07 yet the agriculture sector continues to occupy a significant place in the state economy and any fluctuation in the production of food grains affect the economy. The share of primary sectors which include agriculture, forestry, fishing and mining & quarrying has declined from 35.1 percent in 1990-91 to 21.57 percent during 2006-07.

2.9 The Secondary sector, which occupies the second important place in the state economy has witnessed a major improvement since 1990-91. Its contribution increased from 26.5 per cent ... 1990-91 to 40.64 percent in 2006-07, reflecting healthy signs of industrialisation and modernisation in the state. The share of the electricity, gas and water supply sector which is a component of secondary sector has also increased from 4.7 percent during 1990-91 to 7.39 percent during 2006-07. Tertiary sector which is comprised of sectors like trade, transport, communications, banking, real estate & business services, community and personal services has also witnessed change in its share. Its share in G.S.D.P. for the year 2006-07 is 37.79 percent.

Sectoral Growth

2.10 Following are the major constituents which attributed to 9.2 percent growth of state economy during 2006-07.

Primary Sector

Primary Sector	2006-07 (Rs. in crore)	%age Inc. /dec.
1.Agriculture & Animal Husbandry	4183	-4.2
2.Forestry & Logging	561	2.2
3. Fishing	31	-4.8
4.Mining & Quarrying	80	13.7
Total Primary	4855	-3.2

2.11 Primary sector, which includes Agriculture, Forestry, Fishing, Mining and Quarrying, during 2006-07, witnessed a negative growth rate of 3.2 per cent. Due to the unfavourable weather conditions the agricultural production could not pace the level of previous year thereby lowering the growth rate in this sector.

Secondary Sector

Secondary Sector	2006-07 (Rs. in crore)	%age Inc /dec
1. Manufacturing	2737	11.3
2. Construction	4736	18.6
3. Electricity, Gas & Water Supply	1738	17.0
Total Secondary	9211	16.0

2.12 The secondary sector, which comprises Manufacturing, Construction and Electricity, Gas and Water Supply registered a growth of 16.0 percent during 2006-07 which is higher than the national level. The good performance in the sector expresses that the economy is shifting from primary to secondary sector.

Tertiary Sector

Tertiary Sector	2006-07 (Rs.In crore)	%age Inc. /dec.
1.Transport, Comm. & Trade Hotel	2957	8.5
2.Finance & Real Estate	2147	16.4
3. Community & Personal Services	3684	8.2
Total Tertiary	8788	7.3

Transport, Storage, Communications and Trade

2.13 This group of sectors shows a growth of 8.5 percent during 2006-07. The transport component of this sector has shown an increase of 9.4% which is equal the national level.

Finance and Real Estate

2.14 This sector comprises Banking and Insurance, Real Estate, Ownership of dwellings and Business Services. It witnessed a growth of 16.4 percent in 2006-07.

Community and Personal Services

2.15 The growth in this sector during 2006-07 was 8.2 percent.

Prospects- 2007-08

2.16 As per the advance estimates based on the economic performance of state upto December, 2007, the rate of economic growth of state during 2007-08 is likely to be ***8.5% as against 8.7%*** at the national level. The state has achieved growth rate of 9.2 percent and 8.5 percent for last two years. The GSDP at current prices is likely to be about Rs.31974 crore.

2.17 *According to the advance estimates the* ***Per Capita Income*** *at current prices during 2007-08 has been estimated at* ***Rs. 39819 against Rs. 36657 in 2006-07*** *showing an increase of 8.6%.The per capita income of Himachal Pradesh is estimated 23.7 percent higher than the national level, for the same period, which has been estimated at Rs.29642.*

Gross State Domestic Product

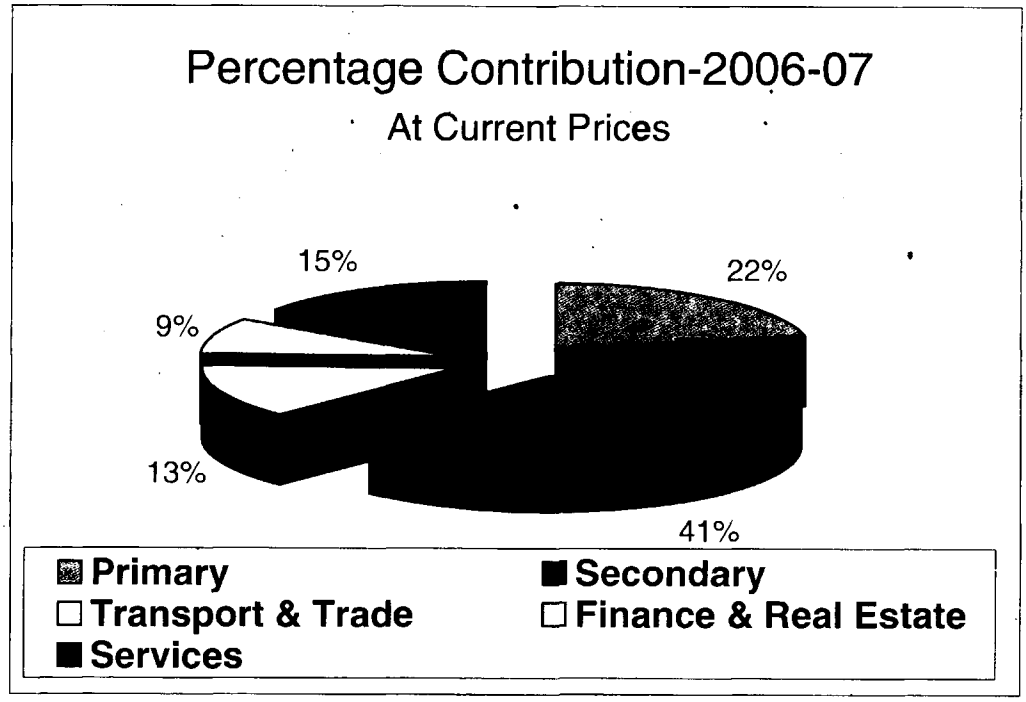

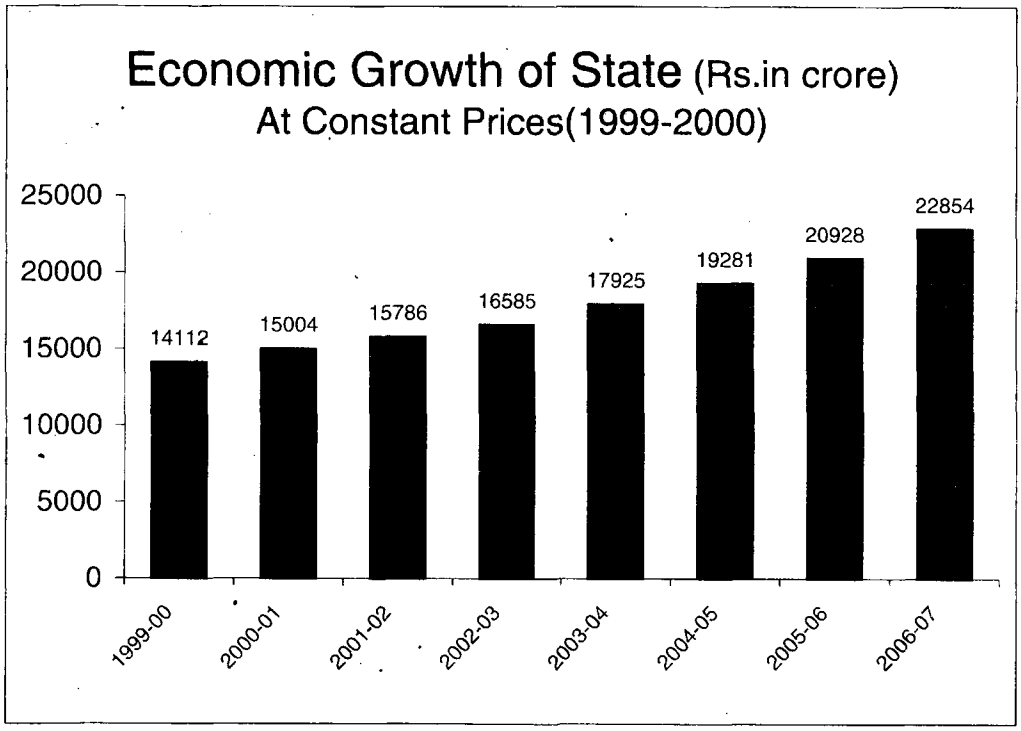

2.18 A brief analysis of the economic growth in Himachal Pradesh, however, reveals that the state has always tried to keep pace with the all-India growth rate as shown below:-

Table 2.2

Period		Average annual growth rate(Percentage)	
Plan	**Years/Year**	**H.P.**	**All India**
First Plan	1951-56	(+)1.6	(+)3.6
Second Plan	1956-61	(+)4.4	(+)4.1
Third Plan	1961-66	(+)3.0	(+)2.4
Annual Plans	1966-67 to 1968-69	..	(+)4.1
Fourth Plan	1969-74	(+)3.0	(+)3.4
Fifth Plan	1974-78	(+)4.6	(+)5.2
Annual Plans	1978-79 to 1979-80	(-)3.6	(+)0.2
Sixth Plan	1980-85	(+)3.0	(+)5.3
Seventh Plan	1985-90	(+)8.8	(+)6.0
Annual Plan	1990-91	(+)3.9	(+)5.4
Annual Plan	1991-92	(+)0.4	(+)0.8
Eighth Plan	1992-97	(+)6.3	(+)6.2
Ninth Plan	1997-02	(+)6.4	(+)5.6
Tenth Plan	2002-07	(+)7.6	(+)7.8

3. MONEY AND BANKING

3.1 Banks have a great role to play in stimulating economic growth. Banks are also credited with designing of social banking policies and programmes which support vital sectors like Agriculture and Industries of the economy as well as aim at poverty alleviation by benefiting farmers, artisans, professionals and facilitate self employment activities.

3.2 The total number of bank branches in the State including the branches of Regional Rural/ Cooperative Banks were 1,278 as on September, 2007. There are 20 Commercial Banks operating in Himachal Pradesh through a network of 702 branches of which 560 branches are located in rural areas and 142 branches in urban/semi-urban areas. State Bank of India (SBI), Punjab National Bank (PNB), United Commercial Bank (UCO) and State Bank of Patiala (SBOP) are the major commercial Banks with 581 branches. In addition to eight private commercial banks with 27 branches, there are two Regional Rural Banks in the state, namely, Himachal Gramin Bank (HGB) and Parvatiya Gramin Bank (PGB) with HGB having 117 branches and PGB 28 branches are in operation.

3.3 The Himachal Pradesh State Cooperative Bank Ltd. is an apex bank under short-term credit structure. It has a network of 175 branches in six districts of H. P. viz. Shimla, Kinnaur, Bilaspur, Mandi, Sirmaur and Chamba including one branch at Delhi. There are two central cooperative banks in the State namely Kangra Central Cooperative Bank Ltd. (KCCB) and Jogindra Central Cooperative Bank Ltd. (JCCB). While KCCB with 162 branches operates in five districts viz. Kangra, Hamirpur, Kullu, Una and Lahaul & Spiti while JCCB with 20 branches covers Solan district only.

The achievements made by these banks upto September, 2007, are as below:-

Deposits & Advances

3.4 At the end of September, 2007 the Pure Public Deposits (PPD) of banks covered under the lead bank scheme in H.P. stood at Rs. 21,993.40 crore. The deposits of banks have registered an increase of Rs. 518.36 crore and total advance increased by Rs.80.59 crore to Rs. 10,713.09 crore during the 2nd quarter of the current financial year 2007-08. The credit deposit ratio of banks in H.P. was 55.46% as on September, 2007.

Table- 3.1
Comparative Data of Banks in HP

(Rs. crore)

Item	March, 2007	Sept., 2007	Change over the Period
1	2	3	4
1. Deposits(PPD):			
Rural	13706.00	14913.00	1207.00
Semi Urban	7769.04	7080.40	(-) 688.64
TOTAL	21475.04	21993.40	518.36
2. Advances(O/S)			
Rural	5457.53	5813.91	356.38
Semi Urban	5174.97	4899.18	(-) 275.79
TOTAL	10632.50	10713.09	80.59
3. CD Ratio(CDR) in %age			
Rural	39.82	38.99	(-) 0.83
Semi Urban	66.61	69.19	2.58
TOTAL	49.51	55.46	5.95
4. Investment Made by Banks in State Govt. Securities/ Bonds	827.01	1022.69	195.68
5. Investment Credit Deposit Ratio(ICD) in %age	53.36	53.36	0.00
6. Priority Sector Advs.(O/S) under:	6360.96	6506.77	145.81
Agriculture	1829.49	1823.57	(-) 5.92
SSI	817.12	910.55	93.43
Services	3714.35	3772.65	58.30
7. Weaker Section Advances	1911.15	1657.34	(-) 253.81
8. DRI Advances	0.79	0.77	(-) 0.02
9. Advances under Govt. Sponsored Programmes	673.22	440.88	(-) 232.34
10. Non-Priority Sector advances	4271.54	4206.32	(-) 65.22
11. Advances to Women	626.17	543.73	(-) 82.44
12. No. of Branches	1244	1278	34

Priority Sector Credit

3.5 All the banks functioning in the state have disbursed total fresh credit to the tune of Rs.1,834.61 crore upto quarter ending September,2007 against an annual commitment of Rs.3,512.00 crore, witnessing 52.24 percent achievement. The sector-wise progress is given in Table No. 3.2.

Table- 3.2

(Rs. crore)

Sector	Annual commit-ments 2007-08	Actual Achieve-ments upto Sept., 07	Percentage achieve-Ments
1	2	3	4
1. Agriculture	1021.82	476.42	46.62
2. SSI	360.86	174.61	48.39
3. Services	1571.31	748.40	47.63
Total Priority Sector	2953.99	1399.43	47.37
Non-priority	558.01	435.18	77.99
Grand Total	3512.00	1834.61	52.24

PERFORMANCE UNDER GOVT. SPONSORED PROGRAMMES

a) Prime Minister Rojgar Yojna

3.6 The banks in Himachal have sanctioned 1518 loan cases under this scheme upto September, 2007 against the target of 4,200 loan cases for the year and disbursed Rs. 1,557.26 lakh.

b) Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojna

3.7 Under this scheme, 479 cases of individual Swarojgaris were sanctioned and an amount of Rs. 207.90 lakh has been disbursed. Under group financing scheme 270 group loan cases were sanctioned and an amount of Rs. 521.50 lakh was disbursed upto September, 2007.

c) Swarn Jayanti Shahri Rojgar Yojna (SJSRY)

3.8 The SJSRY is an urban poverty alleviation and employment generation scheme and is implemented by Municipal Bodies in all towns of H.P. The banks have sanctioned 41 loan cases upto September, 2007 amounting to Rs. 16.32 lakh against an annual target of 73 loan cases.

d) Scheme for Liberation and Rehabilitation of Scavengers

3.9 Under this scheme, the banks in H.P. have sanctioned 113 loan cases with an amount of Rs. 59.00 lakh upto September, 2007 and 110 cases have been disbursed with an amount of Rs. 57.65 lakh against an annual target of 600 cases.

e) Khadi and Village Industries Board / Commission - Margin Money Scheme

3.10 Under this scheme, 295 loan cases with an amount of Rs. 14.38 crore have been sanctioned upto September, 2007 disbursing an amount of Rs. 13.32 crore to 272 cases upto September, 2007.

f) Swarojgar Credit Card Yojna

3.11 Under this scheme, the banks in the state have issued 1190 Swarojgar Credit Cards to small rural artisans and self employed persons upto September, 2007 involving a total credit of Rs. 6.88 crore.

g) Micro Finance

3.12 The Banks in the state have formed 43,658 Self Help Groups out of which 40,291 Groups have been linked to the Banks for credit. The Banks have sanctioned a sum of Rs. 179.25 crore as credit to these groups.

h) Kisan Credit Cards

3.13 The banks have issued 3,28,295 Kisan Credit Cards to the farmers in the state upto September, 2007 involving total credit of Rs. 816.74 crore.

i) Credit to women Entrepreneurs

3.14 The banks have extended a total credit of Rs. 543.73 crore to the women entrepreneurs' upto 30.9.2007 which is 5.08% of the total credit extended in the state.

j) 100% Financial inclusion of households in Himachal Pradesh.

3.15 The Banks in the state have targeted to provide basic banking and financial services to all the households in the state. During the first phase the banks have extended the basic bank account to all the households as on 31.1.2007. The banks in the state have proposed to extend the reach of financial services through No Frill Savings Bank Account, General Credit Card and Kisan Credit Card etc.

k) All Govt. Treasuries converted into Banking Treasuries in H.P.

3.16 All the Government Treasuries in the state have been converted into banking and as such the treasury business in the state is being done through the banks.

l) RBI working group on improvement of Banking services in H.P.

3.17 The Reserve Bank of India has formed a Working Group on improvement of services in the state of H.P. The group has already submitted its report and the recommendations of the Group are being implemented in the state by all the banks.

m) 100 % Technological inclusion in the state of H.P.

3.18 To increase the outreach of banking and financial services in the state the banks have started the process of technological inclusion and pilot projects are being undertaken in all the districts by different banks.

n) Village adoption scheme for holistic development in H.P.

3.19 All the banks are implementing the Village Adoption Scheme for the holistic development of the village with the active support from NABARD. All the banks are identifying the villages throughout the state for adoption and the major banks like UCO bank, PNB, SBI and SBOP have already started the work in some villages.

NABARD

3.20 The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has strengthened its association with the developmental process substantially for Integrated Rural Development in the recent years by initiatives encompassing a wide range of activities viz. Development of Rural Infrastructure, Micro Credit, Rural Non-Farm Sector, Minor Irrigation and other agricultural sectors, besides strengthening the rural credit delivery system in the state. The active support from NABARD is generating tremendous social and economic benefits in the rural areas of the state. In addition to its own schemes, NABARD is also implementing centrally sponsored credit linked subsidy schemes like Ventures Capital Fund for dairy and poultry schemes for Development/ strengthening of agriculture Marketing Infrastructure, Grading and Standardization, Tribal Development Fund, Rain Water Harvesting Scheme for SC/ST, Schemes for construction/ Modernisation of cold storage for Horticultural produce, Constitution of Rural Godowns, Agriclinics and Agribusiness centres etc.

Rural Infrastructure

3.21 Government of India had created Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) in 1995-96. Under this scheme, loans are given to state Govt. and State owned Corporations for the completion of ongoing projects as also to start new projects in certain selected sectors. This scheme has also been extended to Panchayati Raj institutions, self Help Groups and Non-Government Organizations for development of various location specific infrastructures having a direct bearing on society and the rural economy.

3.22 Financial assistance of Rs.1,690.06 crores has been sanctioned to the H.P. Government since inception of RIDF for taking up 3,765 projects (as on 31st December, 2007) in the diversified sectors like irrigation, roads and bridges, drinking water supply, flood protection,

watershed development and construction of rooms for primary schools.

3.23 In the current financial year total Rs. 176.98 crore were sanctioned under RIDF upto December,2007. An amount of Rs. 143.58 crore was distributed to the state Govt. during 2007-08 raising the cumulative disbursement to Rs. 1,098.77 crore.

3.24 After the implementation/ completion of the sanctioned projects 63,096 hectares additional land will be brought under irrigation, 5,365 Km. road will become motorable, construction of 12,840 mt. span bridges will be done, 4,086 hectares of land will be covered under flood protection measures, under watershed projects 7,427 hectares of land will be covered. 1,220 no. of rooms will be constructed in Primary schools and 64 no. of Science Laboratories will be constructed in Secondary Schools.

Refinance Support

3.25 NABARD extended financial support amounting to Rs. 132.06 crore (as on 31st December, 2007) to the banks operating in the state by extending refinance disbursement during 2007-08 , for diverse activities viz. dairy development, plantation and horticulture, farm mechanisation, minor irrigation, land development, SGSY and non-farm sector. NABARD has also been laying emphasis on enhanced credit flow for irrigation schemes.

Micro Credit

3.26 The Self Help Group (SHG) movement has spread across the state and is now on a firm base. The movement has been upscaled with support in the human resources and financial products. There were 35,000 SHGs operative in the state promoted by Department of Social Justice and Empowerment and various NGOs. The number of SHGs credit linked in H.P. upto the end of December, 2007 was 29,000 covering 16,586 villages and 986 bank branches were associated with micro credit movement.

Rural Non-Farm Sector

3.27 NABARD has identified Rural Non-Farm Sector as one of the thrust areas of development. The refinance assistance to Rural Non-Farm Sector has increased from Rs. 0.43 crore in 1998-99 to Rs.102.46 crore in 2006-07. During the year 2007-08, NABARD has provided refinance assistance of Rs.21.67 crore as on 31st December, 2007 for development of Rural Non-Farm sector. NABARD launched a District Rural Industries Project (DRIP) with the objective of generating sustainable rural employment opportunity by providing adequate credit support for rural industrialisation together with promotional measures. Solan, Mandi, Kangra and Hamirpur districts of the state had been covered under DRIP w.e.f. April 2001, April 2002, April 2003 and April, 2004 respectively.

3.28 In addition to above NABARD is providing financial assistance under Rural Entrepreneurship Development Programmes (REDPs) for the benefit of rural persons intending to set up small enterprises in the rural areas and an another programme "Assistance to Rural Women in Non-Farm Development" (ARWIND) to meet the credit needs of women entrepreneurs has also been introduced by NABARD which covers the activities like carpet weaving, shawl making, tailoring, soft toys making etc. NABARD has created a fund – NABARD – SDC Rural Innovation Fund (RIF) with focus on rural poor. The fund is designed to support innovation, risk friendly, un-conventional experiments in farm, non farm and micro-finance sector that would have the potential to promote livelihood opportunities and employment in the rural area. NABARD has established 221 farmers clubs in the state.

Ground Level Credit Flow

3.29 The credit flow at the ground level during 2006-07 for priority sector reached the level of Rs. 2,688.25 crore and during the year 2005-06, this was Rs. 2,187.05 crore only.

3.30 NABARD continued to extend support to the rural financial institutions viz. Co-operative Banks, Regional Rural Banks, Agriculture & Rural Development Banks and Commercial banks in the State.

4. PRICES AND FOOD MANAGEMENT

Price Situation

4.1 Containment of Inflation is on the priority list of Government. Inflation hurts the common man most as their income is not indexed to prices. Inflationary tendencies are measured by Wholesale Price Index (WPI). The Wholesale Price Index at National level during the last week of the year 2006 (30.12.2006) was 208.1 which increased to 215.4 in the last week of December, 2007 (29.12.2007) showing an inflation rate of 3.5%. The month-wise average Wholesale Price Index Numbers for a few years and for the year 2007-08 depicting the inflation rate is given in the table 4.1 below:-

Table-4.1

All India Wholesale Price Index No.(Base 1993-94=100)

Month	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Inflation rate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.
April	159.9	162.3	173.1	180.9	191.7	199.0	211.5	6.3
May	160.3	162.8	173.4	182.1	192.1	201.3	212.3	5.5
June	160.8	164.7	173.5	185.2	193.2	203.1	212.3	4.5
July	161.1	165.6	173.4	186.6	194.6	204.0	213.6	4.7
August	161.6	167.1	173.7	188.4	195.3	205.3	213.8	4.1
September	161.7	167.4	175.6	189.4	197.2	207.8	215.1	3.5
October	162.5	167.5	176.1	188.9	197.8	208.7	215.0(P)	3.0(P)
November	162.2	167.8	176.9	190.2	198.2	209.1	215.4(P)	3.0(P)
December	161.8	167.2	176.8	188.8	197.2	208.4	215.3(P)	3.3(P)
January	161.0	167.8	178.7	186.6	196.3	208.8	216.7(P)	3.8(P)
February	160.8	169.4	179.7	188.8	196.4	208.9	..	..
March	161.9	171.6	179.7	189.4	195.6	209.8	..	..
Average	161.3	166.8	175.9	187.2	195.4	206.6	..	..

P: Provisional

4.2 The Price situation in Himachal Pradesh remained under constant watch. The Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department of the Pradesh has been keeping constant vigil on the price situation and maintained the mechanism of supplying the essential consumer commodities to the public through a net work of 4,349 fair price shops. In order to monitor food insecurity and vulnerability issues the department of Food, Civil Supplies and consumer affairs is also implementing Food Insecurity and Vulnerability Mapping

System (FIVIMS) through G.I.S. mapping. As a result of various measures by the State Govt. the prices of essential commodities remained under control and Consumer Price Index (CPI) (Base 2001=100) of Himachal Pradesh increased at lower rate as compared to the National level. The C.P.I. for Industrial workers in H.P. increased by only 0.8% between April to November, 2007 (from 126 to 127) against 4.7% at National level (from 128 to 134). Further, in order to check hoarding and profiteering and other malpractices in the sale and distribution of essential commodities of mass consumption, the State Govt. is vigorously enforcing various Orders/Acts. A system of regular weekly monitoring of prices of essential commodities continued during the year so that effective measures could be taken in time to check undue price rise.

Table - 4.2

Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers in H.P.(Base 1982=100) (Financial year average Month-wise)

Month	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*	2007-08*	Percentage change over previous year
1	2	3	4	5	6	7	8	9
April	446	450	459	481	505	118	126	6.8
May	446	451	462	481	502	117	125	6.8
June	446	454	462	485	501	120	125	4.2
July	447	457	469	491	509	120	126	5.0
August	452	459	470	496	512	121	126	4.1
Sept.	451	464	474	497	519	122	127	4.1
Oct.	451	462	479	500	525	124	127	2.4
Nov.	454	462	476	498	527	124	127	2.4
Dec.	449	451	473	491	521	124	..	..
Jan.	445	453	476	497	521	125	..	..
Feb.	447	455	477	498	521	124	..	..
March	447	457	478	499	530	125	..	..
Average	448	456	471	493	516	122	..	..

*** (Base 2001=100) LF= 4.53 for conversion of New Base.**

Targeted Public Distribution System

4.3 One of the main constituents of the Govt. strategy for poverty alleviation is Targeted Public Distribution System (T.P.D.S.) Which ensures availability of essential commodities like Wheat, Rice, Levy, Sugar and Kerosene through a net work of 4,349 Fair Price Shops for distribution

PRICE INDICES

Whole Sale Price Index(1993-94=100)

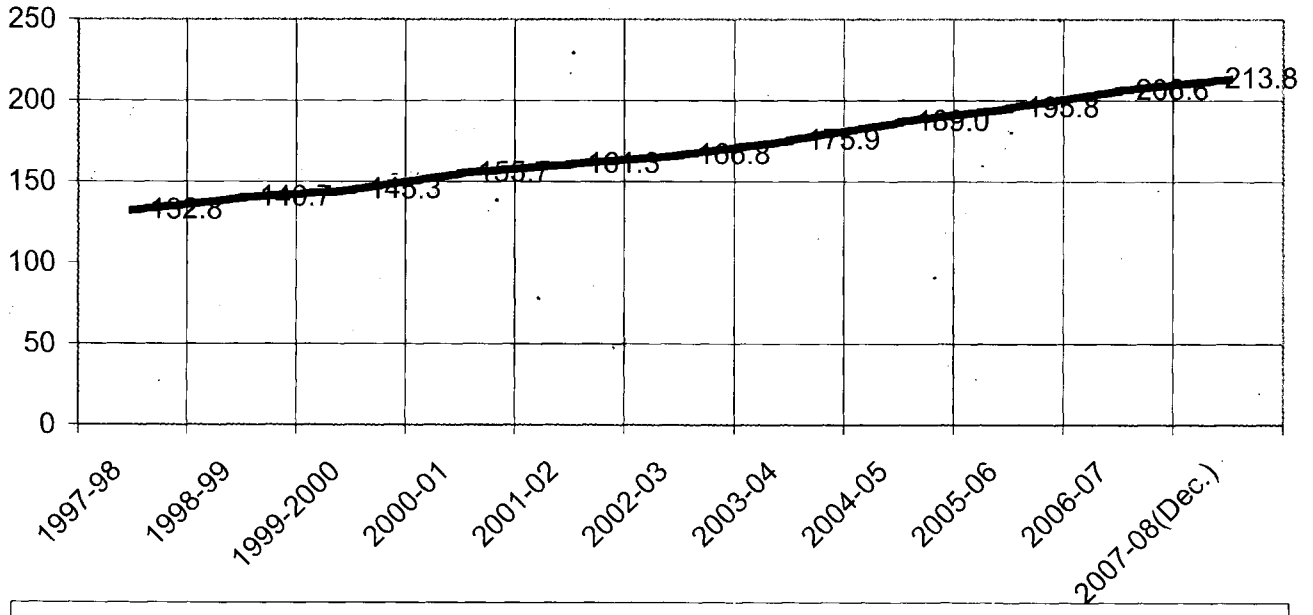

Consumer Price Index Number of Himachal Pradesh(1982=100)

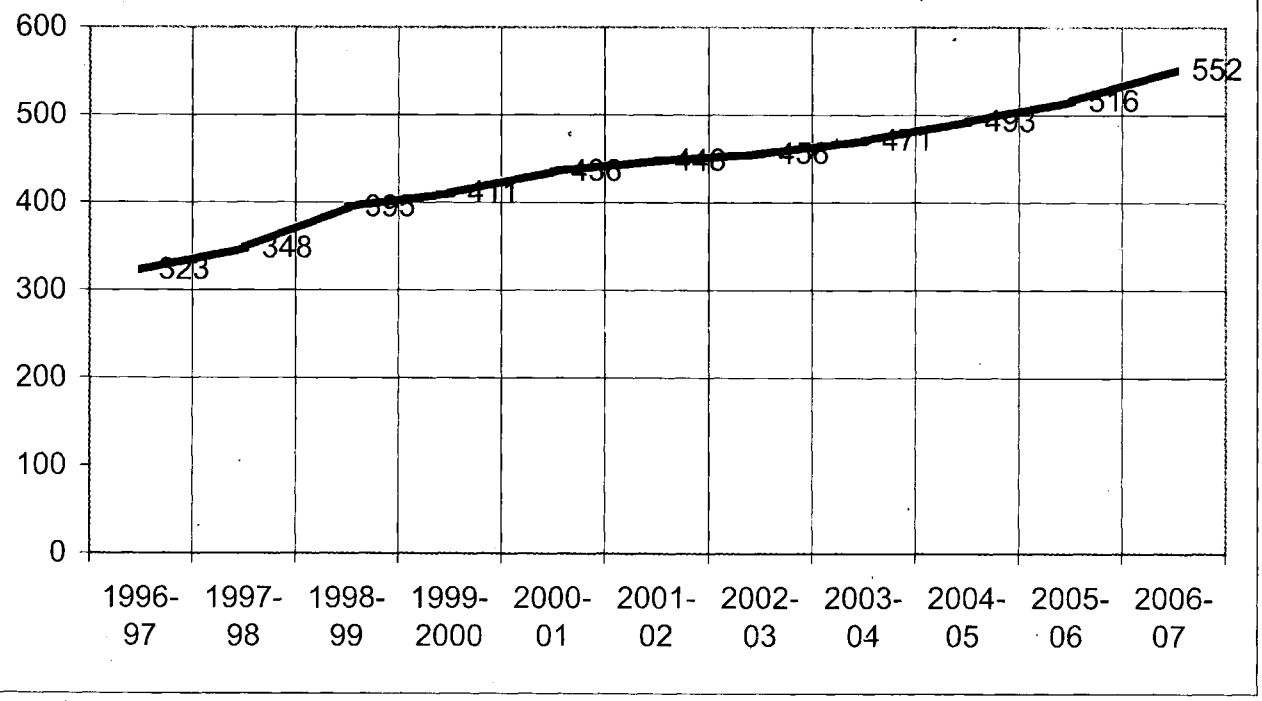

of the essential commodities. The total families have been divided in four categories viz.

- Above Poverty Line (APL),
- Below Poverty Line (BPL),
- Antyodaya (Poorest) and
- Annapurna (Indigent).

4.4 During the year 2007-08 the following quantities were distributed upto December, 2007 through these fair price shops:-

Table No. 4.3

Quantities Distributed through Fair Price Shops

(MT)

Commodity	Categories of Consumers				
	APL	BPL	Antyodaya	Annapurna	Mid day meal
1. Wheat/Atta	1,71,132	33,362	28,552	--	--
2. Rice	83,542	52,408	39,809	282	9,298

4.5 In addition, the levy sugar was made available to the consumers at the scale of 700 gms. per head per month @ Rs. 13.50 per Kg. In addition the Govt. of H.P. has launched a specially subsidized state scheme to all ration card holders. In this scheme Dal Malka being provided @ Rs. 20.00, Dal Channa and Urd @ Rs. 25.00, Iodised Salt @ Rs. 4.00, Mustared Oil @ Rs. 45.00 per Kg and Refined Oil @ Rs. 40.00 per ltr. per family per month. During 2007-08, 44,844 M.T. of levy sugar and 45,798 kilo litres of Kerosene oil were made available to the consumer's upto December, 2007. At present 121 gas agencies are distributing cooking gas to the public in the State. There are 266 petrol pumps functioning in the State and 36 whole sale dealers of Kerosene Oil are also working in the State.

In addition to the above, following items were stocked in the tribal areas for distribution during the year 2007-08:-

Table No. 4.4

Items Stocked in the Tribal Areas for Distribution

Sr. No.	Name of Commodities	Unit	Despatches
1.	Wheat/Atta APL	MT	6,122
2.	Rice APL	MT	3,171
3.	Wheat BPL	MT	865
4.	Rice BPL	MT	2,172
5.	Wheat AAY	MT	1,101
6.	Wheat Annapurna	MT	1,837
7.	Rice Annapurna	MT	14
8.	Levy Sugar	MT	1,508
9.	Kerosene Oil	KL	1,579
10.	LPG	NO	1,41,061
11.	Steam Coal	MT	3,940
12.	Salt	MT	431
13.	Dal Channa	MT	462
14.	Dal Urd	MT	436
15.	Dal Malka	MT	441
16.	Edible Oil	MT	596

5. AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES

AGRICULTURE

5.1 Agriculture is the main occupation of the people of Himachal Pradesh. It has an important place in the economy of the State. It provides direct employment to 69% of the total workers of the State.

5.2 Agriculture happens to be the premier source of State Income (GSDP). About 17.80% of the total GSDP comes from agriculture and its allied sectors. Out of the total geographical area of 55.67 lakh hectare the area of operational holdings is about 9.79 lakh hectares and is operated by 9.14 lakh farmers. The average holding size comes to 1.1 hectare. Distribution of land holdings according to 2000-01 Agricultural Census shows that 86.4% of the total holdings are of small and marginal farmers. 13.2% of holdings are owned by semi medium and medium farmers and only 0.4% by large farmers.

Table-5.1
Distribution of Land Holdings

Size of Holdings (hect.)	Category (Farmers)	No. of Holdings (lakh)	Area (lakh hect.)	Av. Size Of Holding (hect.)
Below 1.0	Marginal	6.15 (67.3%)	2.52 (25.8%)	0.4
1.0-2.0	Small	1.74 (19.1%)	2.45 (25.0%)	1.4
2.0-4.0	Semi Medium	0.90 (9.8%)	2.43 (24.8%)	2.7
4.0-10.0	Medium	0.31 (3.4%)	1.76 (18.0%)	5.7
10.0- Above	Large	0.04 (0.4%)	0.63 (6.4%)	15.7
	Total	9.14	9.79	1.1

5.3 About 81.5% of the total cultivated area in the State is rainfed. Rice, Wheat and Maize are important cereal crops of the State. Groundnut, Soyabeen and Sunflower in Kharif and Rapeseed/Mustard and Toria are important oilseed crops in the Rabi season. Urd, Bean, Moong, Rajmash in Kharif season and Gram Lentil in Rabi are the important pulse crops of the State. Agro-climatically the state can be divided into four zones viz.:-

- Sub Tropical, sub-mountain and low hills.
- Sub Temperate, Sub Humid mid hills.
- Wet Temperate high hills.
- Dry Temperate high hills and cold deserts.

The agro-climatic conditions are congenial for the production of cash crops like off-season vegetables, potato and ginger.

5.4 The State Government is laying emphasis on production of off-season vegetables, potato, ginger, pulses and oilseeds besides increasing production of cereal crops, through timely and adequate supply of inputs, demonstration and effective dissemination of improved farm technology, replacement of old variety seed, promoting integrated pest management, bringing more area under efficient use of water resources and

implementation of watershed development projects. There are four distinct seasons with respect to rainfall. Almost half of the rainfall is received during the Monsoon season and remaining is distributed among other seasons. The State receives an average rainfall of 1435 mm; Kangra district gets the highest rainfall.

Monsoon 2007

5.5 The performance of agriculture is closely related to the performance of monsoon. During the monsoon season of 2007 (June-September) in Himachal Pradesh, the rainfall was excess in Kinnaur district, normal in Bilaspur, Hamirpur, Mandi and Una districts deficient in Kangra, Kullu, Shimla, Sirmaur and Solan districts and scanty in Chamba and Lahaul-Spiti districts. For Himachal as a whole, the total rainfall during entire monsoon season was -36% of the annual normal rainfall. The table 5.2 shows southwest monsoon performance in various districts.

Table 5.2

Monsoon Rainfall (June-Sept.-2007)

District	Actual (mm)	Normal (mm)	Excess / Deficient	
			Total (mm)	%age
1	2	3	4	5
Bilaspur	887	899	-12	-1
Chamba	204	880	-676	-77
Hamirpur	1021	1093	-72	-7
Kangra	1208	1567	-359	-23
Kinnaur	232	184	48	26
Kullu	319	570	-251	-44
L/Spiti	124	455	-331	-73
Mandi	1091	1140	-49	-4
Shimla	488	719	-231	-32
Sirmaur	885	1403	-518	-37
Solan	789	1038	-249	-24
Una	970	834	136	16

Note:

Normal = -19% to +19%
Excess = 20% and above
Deficient = -20% to –59%
Scanty = -60% to –99%

Crop Performance 2006-07

5.6 The economy of Himachal Pradesh is largely dependent on agriculture which still occupies a significant place in the state economy as

17.80 percent of total State Domestic Product in 2006-07 was generated by agriculture and allied sectors and any fluctuations in the production of foodgrains affect the economy significantly. During the Eleventh Five Year Plan, 2007-12 emphasis has been laid on production of off-season vegetables, potato, pulses and oilseeds besides cereal crops through timely and adequate supply of inputs, bringing more area under irrigation, approach of watershed development, demonstration and effective dissemination of improved farm technology etc. The year 2006-07 agriculturally remained a normal year. During the year 2006-07, the foodgrains production is likely to be 14.97 lakh M.Ts against 10.69 lakh M.Ts. during 2005-06. The production of Potato was 1.63 lakh M.Ts in 2006-07, as against 1.62 lakh M.Ts in 2005-06. The production of vegetables during the year 2006-07 is likely to be 9.91 lakh tones as against 9.30 lakh M.Ts in 2005-06.

Prospects 2007-08

5.7 The foodgrains production for 2007-08 is anticipated to be around 15.87 lakh MTs. The Kharif production mainly depends upon the behaviour of south west monsoon, as about 81.5% of the total cultivated area in rainfed. During kharif, 2007 season due to heavy and continuous rains in the 2nd week of August, the crops were damaged in some parts of the State. In some area, the crop was also damage due to water stagnation rot disease. As such against a target of 9.23 lakh MTs it is expected that about 8.58 lakh MTs of Kharif foodgrains production will be achieved. Due to scanty rainfall during October to December, 2007 it is expected that the production target of rabi foodgrains for the year 2007-08 is likely to fall short. The production of foodgrains in the State during 2003-2004 to 2005-06, likely for 2006-07, anticipated achievement for 2007-08 and target for 2008-09 is as under:-

Table-5.3

Foodgrains Production (In '000 tonnes)

Crop	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (likely)	2007-08 (Anti.Ach.)	2008-09 (Target)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Rice	120.62	109.13	112.14	123.48	117.35	119.08
Maize	729.57	636.29	543.06	695.38	719.45	774.05
Ragi	4.28	4.45	3.41	4.00	3.50	4.46
Millets	7.42	5.70	5.67	8.00	7.59	6.55
Wheat	496.93	687.45	365.89	596.49	685.00	679.78
Barley	28.14	33.72	29.36	33.86	35.00	34.74
Gram	1.21	1.32	0.72	7.00	3.50	3.47
Other Pulses	9.80	9.59	8.44	28.46	15.31	15.87
Foodgrains	1,397.97	1,487.65	1,068.69	1,496.67	1,586.70	1,638.00

Growth in Foodgrains Production

5.8 There are limits of increasing production through expansion of cultivable land. Like whole country, Himachal too has almost reached a plateau in so far as cultivable land is concerned. Hence, the emphasis has to be on increasing productivity levels besides diversification towards high value crops. Due to an increasing shift towards commercial crops, the area under foodgrains is gradually declining as the area which in 2001-2002 was 817.2 thousand hectares is likely to be declined to 812.1 thousand hectares in 2006-07. Increase in production thus reflects gain in productivity as is evident from the table 5.4.

Table 5.4

Foodgrains Area and Production

Year	Area ('000 hect)	Production ('000 M.T.)	Production per hectare (M.T.)
1.	2.	3.	4.
2001-02	817.2	1,598.9	1.96
2002-03	806.3	1,110.9	1.38
2003-04	812.4	1,398.0	1.72
2004-05	811.0	1,487.7	1.83
2005-06	792.7	1,068.7	1.35
2006-07 (likely)	812.1	1,496.7	1.84
2007-08 (Anti.Ach.)	794.6	1,586.7	1.99
2008-09 (Tgt)	800.0	1638.0	2.04

High Yielding Varieties Programme (H.Y.V.P.)

5.9 In order to increase the production of foodgrains, emphasis was laid on distribution of seeds of high yielding varieties to the farmers. Area brought under high yielding varieties of principal crops viz. Maize, Paddy and Wheat during the last four years, likely for 2006-07, anticipated achievement for 2007-08 and targeted for 2008-09 is given in table 5.5.

Table-5.5

Area Brought Under High Yielding Varieties ('000 hect.)

Year	Maize	Paddy	Wheat
1.	2.	3.	4.
2002-03	192.10	64.73	313.23
2003-04	222.19	78.90	364.07
2004-05	242.76	75.21	353.29
2005-06	273.14	70.94	346.15
2006-07 (Likely)	280.61	72.65	349.60
2007-08 (Anti. Ach.)	280.00	77.00	325.00
2008-09 (Tgt.)	280.00	76.50	327.00

There are 25 seed multiplication farms where foundation seed is produced for further multiplication. In addition, there are 4 vegetable development stations, 14 potato development stations and 2 ginger development stations in the Pradesh.

FOODGRAINS PRODUCTION
'000 Tonnes

Rice

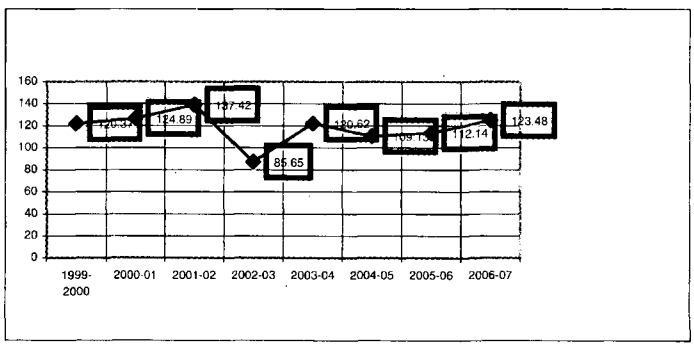

Maize

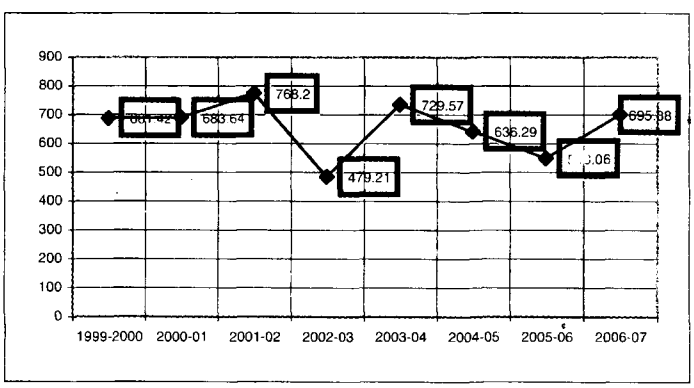

Wheat

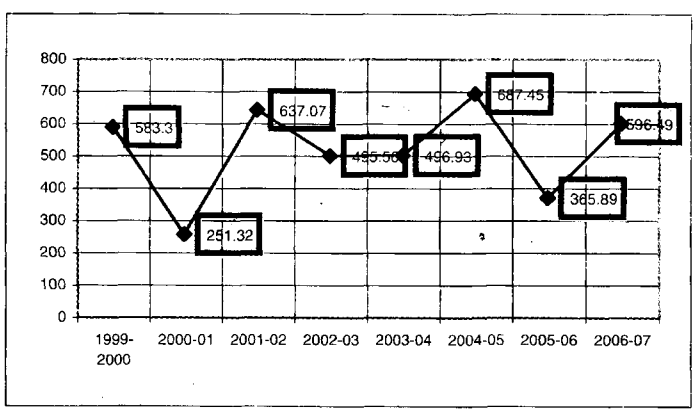

Foodgrains

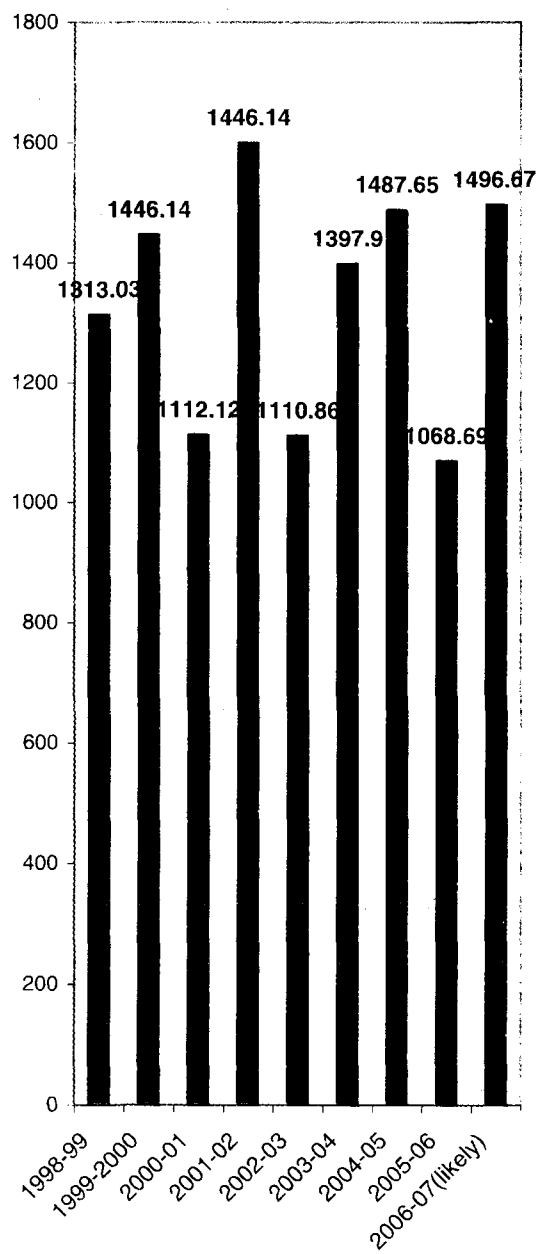

Plant Protection Programme

5.10 In order to increase the production of crops, adoption of plant protection measures is of paramount importance. During each season, campaigns are organised to fight the menace of crop disease, insects and pest etc. The Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, IRDP families, farmers of Backward Areas and small and marginal farmers are provided plant protection chemicals and equipments at 50% cost. From October, 1998 the Govt. has allowed 30% subsidy on such material to big farmers also. During 2006-07, an area of 450 thousand hectares was brought under Plant Protection measures, 440 thousand hectares likely for 2007-08 and a target of 435 thousand hectares was fixed for 2008-09.

Soil Testing Programme

5.11 In order to maintain the fertility of the soil during each season, soil samples are collected from the farmers and analysed in the soil testing laboratories. Soil testing laboratories have been established in all the districts, where as two mobile soil testing vans out of which one exclusively for the tribal areas has been purchased for testing the soil samples at site. About 70 to 80 thousand numbers of soil samples are collected for soil analysis in a year.

Bio-Gas Development Programme

5.12 Keeping in view depleting sources of conventional fuel i.e. firewood, biogas plants have assumed great importance in the low and mid hills in the State. Till December, 2007 since inception 42,582 biogas plants have been installed in the State. Out of the total biogas produced in the Himalayas, about 90.86 % is being produced in Himachal Pradesh alone. During 2006-07, 155 biogas plants were installed in the State against a target of 150 and it was proposed to install 100 biogas plants during 2007-08, against which 20 plants have been installed upto December, 2007.

Fertilizer Consumption and Subsidy

5.13 Fertilizer is a single input, which helps in increasing the production to a great extent. Starting from demonstration level in late fifties and early sixties when fertilizer was introduced in Himachal, the level of fertilizer consumption is constantly increasing. The level which in 1985-86 was 23,664 tonnes increased to 48,981 tonnes in 2006-07. The State Govt. provides 100 % subsidy on transport of all kind of fertilizers to retail sale points thereby bringing the uniform sale rates of fertilizer in the State. The State Govt. has allowed subsidy on cost of CAN, UREA and AMONIUM SULPHATE @ Rs. 200 per M.T., and on complex fertilizers N.P.K. 12:32:16 @ Rs. 500 per M.T., and N.P.K. 15:15:15 @ Rs. 500 per M.T.

The consumption of fertilizers is shown in table 5.6.

Table-5.6
Consumption of Fertilizer

(M.T.)

Year	Nitro-genous (N)	Phos-phatic (P)	Pota-ssic (K)	Total (NPK)
1.	2.	3.	4.	5.
2002-03	25,645	7,916	6,160	39,721
2003-04	30,909	8,706	7,193	46,808
2004-05	30,694	8,528	7,031	46,253
2005-06	30,375	9,736	7,862	47,973
2006-07	30,794	10,225	7,962	48,981
2007-08 (Likely)	34,076	8,415	5,606	48,097
2008-09 (Target)	34,046	8,440	6,014	48,500

Agriculture Credit

5.14 Traditionally, non-institutional sources of finance have been the major source of finance for the rural households due to various socio-economic conditions. Some of them have been lending at exorbitant rates of interest and since the poor own few assets, it is unviable for the financial institutions to secure their lending with collateral. However, the Govt. has taken measures to ensure timely and adequate supply of institutional credit to the rural households at reasonable rate of interest. In view of the propensity of the farmers to borrow money, most of whom are marginal and small farmers, credit flow for purchase of inputs is being made by the banks. Institutional credit is being extensively disbursed but there is scope to increase the same particularly in respect of the crops for which insurance cover is available. Providing better access to institutional credit for small and marginal farmers and other weaker sections to enable them to adopt modern technology and improved agricultural practices has been one of the major objectives of the Government.

Kisan Credit Card (K.C.C)

5.15 The scheme is under successful operation for the last 6-7 years in the state. More than 1,022 bank branches are implementing the scheme. As on September, 2007, 3,28,295 Kisan Credit Cards were issued by the banks.

Crop Insurance Scheme

5.16 In order to provide insurance to all crops and all farmers, the Government has introduced "Rashtriya Krishi Bima Yojna" in the State from Rabi 1999-2000 seasons. Maize, Paddy, Wheat, Barley and Potato crops have been brought under this scheme. Subsidy on premium in respect of small and marginal farmers is provided on sum set basis. This scheme is compulsory for loanee farmers and option for non-loanee farmers. The Agriculture Insurance Co. of India is implementing the scheme. The claims on account of losses to crops and the subsidy on the premium are shared equally by the state and central Govts. During Kharif season-2007, 6,436 farmers have been insured for Maize, Paddy and Potato crops. The scheme under Rabi for the year 2007-08 is in progress.

Seed Certification Programme

5.17 Agro-climatic conditions in the State are quite conducive for seed production. In order to maintain the quality of the seeds and also ensure higher prices of seeds to growers, seed certification programme has been given due emphasis. Himachal Pradesh State Seed and Organic Produce Certification Agency registered growers in different parts of the State for seed production and certification of their produce.

Agriculture Marketing

5.18 For the regulation of marketing of agricultural produce in the State, Himachal Pradesh Agricultural/ Horticulture Produce Marketing Act, 2005 has been enforced (implemented). Under the Act, Himachal Pradesh Marketing Board has been established at the State level. The whole of H.P. has been divided into ten notified market areas. Its main objective is to safeguard the interest of the farming community. The regulated markets established in different parts of the state are providing useful services to the farmers.

A modernised market complex at Solan is functional for marketing of agricultural produce. The market fee has been reduced from 2% to 1% for the benefit of the farmers. The revenue generated under this Act, is utilized for raising infrastructure needed for ensuring remunerative marketing of the agriculture produce. The HP Agriculture Produce Market Act has also been amended on the lines of Model Act circulated by Govt. of India. With this, a provision has been made for selling up to private markets direct marketing, contact farming and single point levy of entry fee. All the activities have been taken up by the Marketing Board through their own funds and no plan assistance is being provided.

Tea Development

5.19 Total area under tea is 2,300 hectares with a production level of 15 lakh Kgs. Small and marginal tea planters are provided agriculture inputs on 50% subsidy. In the last few years, there is slump in the market and tea industry has been affected badly. It is envisaged to give imports for effective and remunerative returns of this commodity to the producers.

Agriculture Mechanisation

5.20 Under this scheme, new farm implements/ machines are popularized among the farmers. Testing of new machines is also done under programme. The department proposes to popularize small power tillers and implements suited to hilly conditions.

Macro Management Approach for Agriculture Development

5.21 The centrally sponsored scheme introduced from the year 2000-01. The State Govt. had taken up this constraint with the Govt. of India for providing greater flexibly in the

implementation of the centrally sponsored programme and also projection of new innovations for accelerated Agriculture development in the state. Under this approach the work plans submitted by the state get 90% central support (80% Grant and 20% loan) and 10% share from the state plan. Under the scheme major emphasis is being laid on improvement of cereal crops, transfer of technology, and construction of water storage tanks, development of off-season vegetables, spices, promotion of quality seed production and integrated nutrient management balance use of fertilizers besides active involvement of women in agriculture.

SOIL AND WATER CONSERVATION

5.22 During 2007-08, 1695 tank irrigation schemes, 40 water harvesting schemes and 600 sprinkler irrigation schemes shall be executed where 25% subsidy shall be provided to individual farmers. Besides this, 45 watershed development projects have been sanctioned covering an area of 1,000 hectares with an estimated cost of Rs. 1.50 crore. In these projects, major thrust would be on soil & water conservation and creation of employment opportunities at farm level.

5.23 During the year, 96 minor irrigation schemes under RIDF will be completed with a budget provision of Rs. 9.55 crore. Additional irrigation potential of 1,180 hectares shall be created during this year. The schemes are being executed through Krishak Vikas Sangh and the operation and maintenance is being entrusted to them.

HORTICULTURE

5.24 The rich diversity of agro-climatic conditions, topographical variations and altitudinal differences coupled with fertile, deep and well drained soils favour the cultivation of temperate to sub-tropical fruits in Himachal. The region is also suitable for cultivation of ancillary horticultural produce like flowers, mushroom, honey and hops.

5.25 This particular suitability of Himachal has resulted in shifting of land use pattern from agriculture to fruit crops in the past few decades. The area under fruits, which was 792 hectares in 1950-51 with total production of 1200 tonnes increased to 1,97,445 hectares during 2006-07. The total fruit production in 2006-07 was 3.69 lakh tonnes, which during 2007-08 (upto December,2007) has been reported as 6.96 lakh tones. During 2007-08, it was envisaged to bring 4,000 hectares of additional area under fruit plants against which 4,291 hectares of area was brought under plantations and 12.87 lakh fruit plants of different species were distributed upto 31.12.2007.

5.26 Apple is so far the most important fruit crop of Himachal Pradesh, which constitutes about 46% of the total

FRUIT PRODUCTION

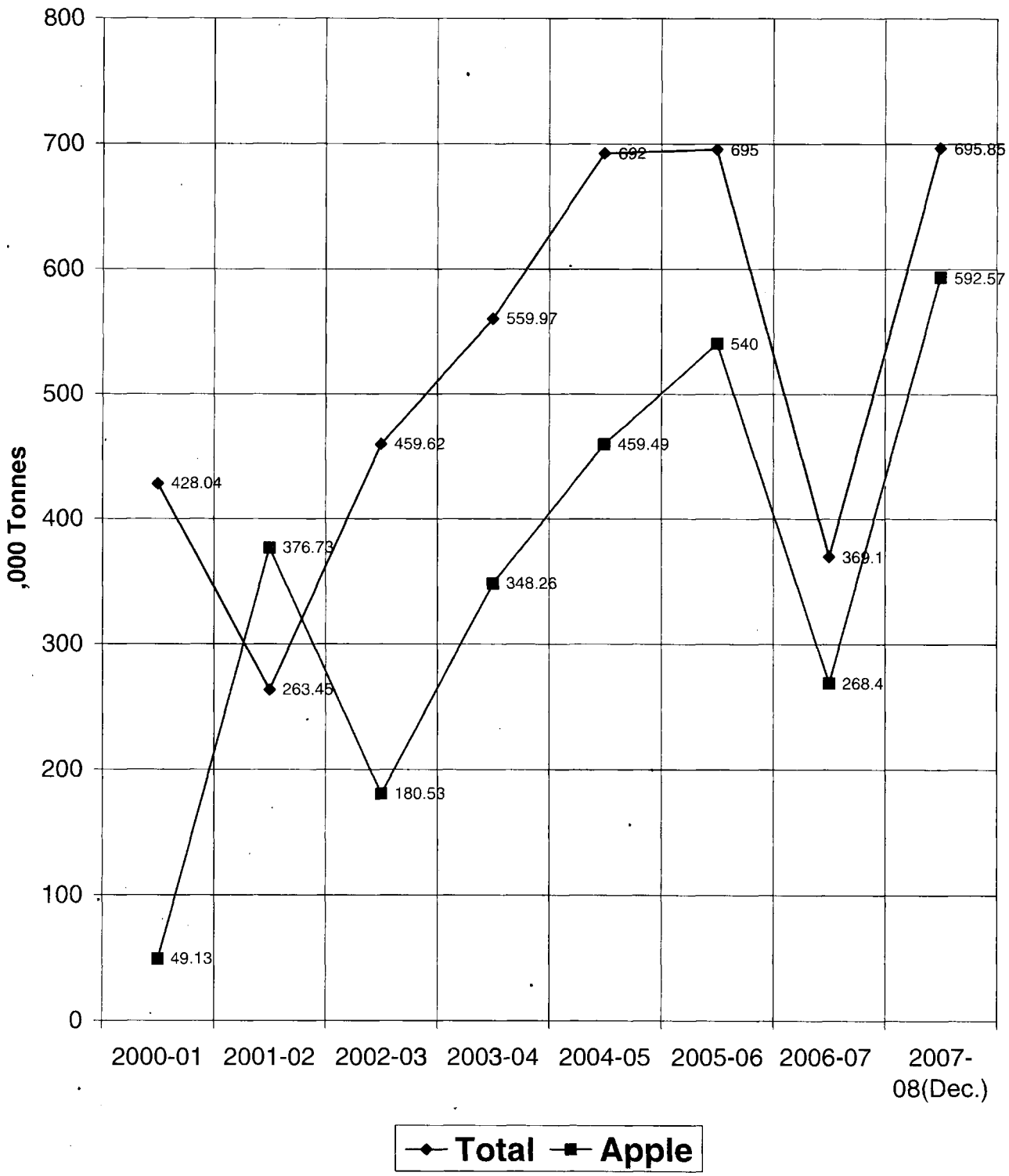

area under fruit crops and about 76% of the total fruit production. Area under apple has increased from 400 hectares in 1950-51 to 3,025 hectares in 1960-61 and 91,804 hectares in 2006-07.

5.27 The area under temperate fruits other than apple has increased from 900 hectares in 1960-61 to 26,086 hectares in 2006-07. Nuts and dry fruits exhibit area increase from 231 hectares in 1960-61 to 11,328 hectares in 2006-07, Citrus and other sub tropical fruits have increased from 1,225 hectares and 623 hectares in 1960-61 to 21,118 hectares and 47,109 hectares in 2006-07, respectively. Unfortunately the production of other fruits has not steadily increased over the years.

5.28 This pace of development is further jeopardized due to the dwindling apple production, owing to weather vagaries and market fluctuations. The advent of WTO, GATT and liberalisation of economy is further imposing many challenges on the dominance of apple in fruit industry of Himachal Pradesh. The fluctuations in the production of apple during last few years have attracted the attention of the Government. It is necessary to explore and harness the vast horticulture potential of the hill State through diversified horticulture production in varied agro-ecological zones.

5.29 Horticulture Development scheme is the major programme aiming at the creation and maintenance of infrastructural facilities in the rural areas for ensuring equitable access to the resources and inputs required for the promotion of all fruit crops. Under this scheme, the programmes like development of fruit production, area expansion programme, demonstration of new technologies and improved package of practices on the orchards of fruit growers, development of **Walnut/ Hazelnut / Pistachio nut,** development of **olive,** development of **mango / litchi** in lower hill areas, development of **strawberry** and other **small fruits,** development of **medicinal and aromatic plants,** Horticulture information services, development of **hops** schemes, short term research projects for solving the field problems of emergent nature, other schemes and externally added projects will be carried out.

5.30 In recent years mango has also emerged as an important fruit crop. Litchi is also gaining importance in certain regions. Mango and litchi are fetching better market prices. In the midhill zone, the agro-climatic conditions are highly suitable for the successful cultivation of new fruits like **kiwi, olive, pecan** and **strawberry.** The production of fruits for the last three years and current year upto December, 2007 is given in table 5.7.

Table 5.7
Fruit Production

('000 tonnes)

Item	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 upto 31-12-07
1	2	3	4	5
Apple	527.60	540.35	268.40	592.57
Other temperate fruits	60.20	48.69	35.65	53.91
Nuts & dry fruits	3.73	3.27	2.91	2.90
Citrus fruits	28.55	29.16	12.67	9.56
Other sub tropical fruits	71.93	74.03	49.47	36.91
Total	**692.01**	**695.50**	**369.10**	**695.85**

5.31 Elaborate arrangements were made for making available the packing material to the fruit growers for packing their fruit produce. The State owned carton manufacturing factory at Pragtinagar manufactured and supplied about 0.70 lakh of 20 Kg. telescopic cartons. In addition, 11.15 lakh of telescopic cartons of 20 Kg. and 0.68 lakh of 10 kg Kullu cartons were also procured and supplied through HPMC, HIMFED and KINFED to the fruit growers. 10.45 lakh telescopic cartons were directly procured by fruit growers through private firms. About 5.70 lakh eucalyptus/ poplar wooden boxes were also brought by the growers from outside the state.

5.32 To bring diversification in horticulture industry a total area of 182 hectares has been brought under **flower cultivation** upto 31-12-2007 and 48 flower grower cooperative societies are functioning in the state. Ancillary horticultural activities like mushroom and bee keeping are also being promoted. During 2007-08 upto December, 2007, 351.50 MT of pasteurized compost for mushroom was prepared in two development projects located at Chambaghat and Palampur and distributed to mushroom growers and 4,432 MT of mushroom was produced. Under the bee keeping programme 74 bee-colonies have been distributed amongst the beekeepers and 248.00 MT of honey has been produced upto 31.12.07 against the target of 1,500 M.T. for the year 2007-08.

5.33 For the improvement of quality and production of various fruit crops in the state, State Department of Horticulture have been importing virus free "**clonel root stock**" for different fruit plants for the distribution to the growers. During the year 2007-08 about 39,250 various improved varieties of Apple plants have likely to be imported and distributed amongst the orchardists in the Tribal areas of the state.

5.34 **Horticulture Technology Mission** for the development of horticulture in the state with the financial assistance of Rs. 80.00 crore was launched in the state to establish convergence and synergy among numerous ongoing government programmes in the field of horticulture development to achieve horizontal and vertical integration of these programmes to ensure adequate, appropriate, timely

and concurrent attention to all the links in the production, post harvest management and consumption chain, maximize economic, ecological and social benefits from the existing investments infrastructure created for horticulture development, promote ecologically sustainable intensification, economically desirable diversification and skilled employment to generate value addition, promote tree development and dissemination of ecotechnologies based on the blending of the traditional wisdom and technology with frontier knowledge such as bio-technology, information technology and space technology and to provide the missing links in ongoing horticulture development projects. During the year 2007-08, Govt. of India has approved an action plan of Rs. 24.00 crore under this project. During the year 2007-08 Govt. of India has released Rs. 21.00 crore in three installments and Rs. 3.00 crore is still awaited.

5.35 H.P.M.C., a State public undertaking was established in the Pradesh with the objective of marketing fresh fruits and vegetables, processing the unmarketable surplus and marketing the processed products. Since its inception, H.P.M.C. has been playing pivotal role in the life of fruit growers of the state by providing them remunerative returns of their produce.

5.36 During the year 2007-08 upto December,2007 HPMC has manufactured products worth Rs. 1,127.64 lakh in its Plants. Under Market Intervention Scheme (MIS) HPMC has procured about 15,917.50 MT of apple out of which 7,142.70 MT were sold in the market and 8,545 MT was processed in the HPMC plants out of which 733.85 MT of apple juice concentrate have been produced. The Corporation also procured about 28.43 MT of other fruits for processing purpose which are not covered under MIS. HPMC is supplying its products to Indian Airlines, Railways, Northern Command, H.Q, Udhampur, M/s Parley. Upto 31.12.2007 HPMC has supplied products worth Rs. 145.00 lakh to these institutions. HPMC also continued supplying fruits and vegetables to ITDC Hotels and institutions in Metro cities Delhi and Mumbai. As on 31.12.2007 HPMC has supplied fruits and vegetables worth Rs. 155.00 lakh to these institutions. Similarly as on 31.12.2007 HPMC has sold packing material and other horticulture inputs worth Rs. 397.00 lakh to the growers in the state.

ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

5.37 Raising up of livestock is an integral component of rural economy. In Himachal there is a dynamic relationship between common property resources (CPRs) such as forests, water and grazing land, livestock and crops. Livestock depend to a certain extent on fodder and grass grown on CPRs as well as on crops and residues. At the same time the animals return fodder, grass and crop residues to the CPRs and fields in the form of manure and provide much needed draught power.

5.38 Livestock thus is an important integral to the sustainability of economy of Himachal Pradesh. The contribution of major livestock products during the year 2006-07 was 8.72 lakh tonnes of milk, 1,605 tonnes of wool, 77.00 million eggs and 3,110 tonnes of meat which will likely to be of the order of 8.73 lakh tonnes of milk, 1,615 tonnes of wool, 80.00 million eggs and 3,115 tonnes of meat during 2007-08.

Table 5.8
Milk Production and Per Capita Availability

Year	Milk Production (`000tonnes)	Per Capita Availability (grm./Day)
1	2	3
2006-07	872.0	393
2007-08 (likely)	873.0	394

5.39 Animal Husbandry plays an important role to boost the rural economy and as such for livestock development programme attention is paid in the state by way of :

- ❖ Animal Health & Disease control.
- ❖ Cattle Development.
- ❖ Sheep Breeding & Development of Wool.
- ❖ Poultry Development.
- ❖ Feed & Fodder Development.
- ❖ Veterinary Education.
- ❖ Livestock Census.

5.40 Under Animal Health and Disease Control, 7 Polyclinics, 317 Veterinary Hospitals, 28 Central Veterinary Dispensaries and 1,765 Veterinary Dispensaries/ Centres were in the state as on 31-12-2007. In addition to 14 mobile dispensaries and 6 Veterinary Checkpost are also operating to provide immediate veterinary aid.

5.41 For improving the quality of sheep and wool, Govt. Sheep Breeding Farms at Jeori (Shimla), Sarol (Chamba), Nagwain (Mandi), Tal (Hamirpur), Karchham (Kinnaur) are supplying improved sheep to the breeders of the state. The flock strength of these farms was 1,438 during the year 2007-08. During the year 2007-08 the wool production is likely to be of the order of 16.15 lakh kg. Angora rabbit farms for distribution of rabbits to the breeders are functioning at Kandwari (Kangra) and Nagwain (Mandi).

5.42 Dairy production is an integral part of the Animal Husbandry and forms a part of the earning of small farm holder in Himachal Pradesh. The recent trend towards the development of a market- oriented economy emphasized the importance of milk production, especially in areas falling in the vicinity of urban consumption centres. This has motivated farmers to replace local non-descript breeds of cows with crossbred cows. Upgradation of indigenous cattle is being carried out by cross breeding with Jersey and Holsten. In buffalo cross breeding with improved milch breeds is being popularized. Artificial insemination

with the latest technology of Deep Frozen Semen is being practised. During 2007-08, 5.50 lakh Semen straws for cows and 1.20 lakh Semen straws for Buffaloes were produced in the sperm station of the state and 2.75 ltrs of liquid Nitrogen Gas is likely to be produced. Artificial insemination facilities were made available through 1,932 institutions and 5.00 lakh cows and 0.80 lakh Buffalos are likely to be inseminated during the year 2007-08. Cross breed cows are preferred because of factors such as longer lactation period, shorter gestation period and higher lactation and yields.

5.43 During 2007-08 under the Backyard Poultry Scheme 2.20 lakh chicks are likely to be distributed and 2.25 lakh broiler chicks will be hatched and 400 persons are targeted to impart training in poultry farming.

One horse breeding farm at Lari in Lahaul and Spiti district has been established with the objective to preserve spiti breed of horse which is only recognized breed of the ponies in the state. During 2007-08, 25 horses are kept in this farm. Yak breeding farm has been also established in the premises of horse breeding Lari. During the year 2007-08 the strength of yaks is 32 in this farm. Under feed and fodder development scheme 12 lakh fodders root, 0.45 lakh fodders plant and 1,84,400 kg fodder seed are likely to be distributed during 2007-08.

Milk Based Industries

5.44 H.P. MILKFED is implementing dairy development activities in 10 districts (except Kinnaur and Lahaul-Spiti) of the State. The H.P. Milkfed has organized 612 Societies. The total membership of these societies is 27,539. The surplus milk from the milk producers is collected by village dairy Co-operative societies, processed and marketed by H.P. Milkfed. At present the milkfed is running 22 milk chilling centres having a total capacity of 68,000 litres milk per day and six milk processing plants having a total capacity of 75,000 litres milk per day. The Milkfed is marketing approximately 27,000 litres of milk per day which includes milk supply to army units in Dagshai, Shimla, Palampur, Yol and Pathankot area.

5.45 H.P. Milkfed during 2007-08 (upto 31.12.2007) procured 110.1 lakh litres of milk. Thus the H.P. Milkfed not only provides living in remote and far flung areas but also makes available milk and milk products to the consumers in urban areas at a competitive price. The milk producers supplied the milk to the Milkfed directly without involving any middleman and majority of milk producers are small and marginal farmers. Under the "Strengthening Infrastructure for Quality and Clean Milk Production" for Kullu and Mandi districts, farmers, members of the societies are being provided training in quality and clean/hygienic milk production and also provide detergents, antiseptic solutions, milk testing kits at village level for testing adulterations and neutralizers in milk and utensils etc.

5.46 The H.P. Milkfed has set up milk processing plants of 5,000 litres capacity per day each at Chamba and Rohru. New dairy plants of 5,000 litres per day capacity has been commissioned at Kafota district Sirmaur during 2007-08. While a milk processing plant of 20,000 litres capacity is being set up at Rampur and a milk chilling centre would be set up at Karsog during 2007-08. A new Milk Processing Plant is also being set up at Nahan during 2007-08. About 1,000 people have been provided direct employment opportunities through village Diary Co-operatives.

5.47 The Milkfed estimated production of various milk products in the organized sector is shown in table 5.9 as under:-

Table 5.9

Production of Milk Based Industry

Product	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 Upto 31.12.07
1	2	3	4	5	6
Milk sold	Lakh lts.	47.50	49.72	58.15	45.81
Paneer	M.T.	47.80	49.79	59.25	50.31
Butter	M.T.	7.11	8.41	8.14	8.66
Ghee	M.T.	45.49	37.90	43.74	48.79
SFM	Lakh bottles	0.22	0.19	0.01	0.01
Dahi	M.T.	96.11	103.18	179.14	175.58

FISHERIES AND AQUACULTURE

5.48 Himachal Pradesh is blessed with vast and variegated fishery resources in the shape of networks of rivers, streams, tributaries, sprawling reservoirs, natural lakes and ponds etc. Mainly classified into riverine, lacustrine, recreational and pond fisheries, the state waters offer considerable potential for the promotion of fisheries and employment generation. The commercially important fish species in Gobind Sagar and Pong Dam reservoirs have become a tool for the upliftment of local population. The state has the proud to be the first in the country to introduce and popularize trout farming in the private sector. About 5,469 fishermen in the Pradesh depend directly on reservoir fisheries for their livelihood. During 2007-08 (upto December, 2007), cumulative fish production was of the level of 4,674.39 MT valued at Rs. 2,223.52 lakh. The reservoir of Himachal Pradesh has the distinction of highest per hectare fish production in Govind Sagar and highest sale price value of fish catch in Pong Dam in the country. The production of two major reservoirs was 738.89 M.T. valued at Rs. 343.83 lakh upto December, 2007. During current year upto December, 2007, 11.44 tonnes table size trout earning revenue to the tune of Rs. 55.29 lakh has been produced at State farms as shown in table 5.10:-

Table-5.10
Table Size Trout Production

Year	Production (in tonnes)	Revenue (Rs. in lakh)
1	2	3
2003-04	5.42	2.34
2004-05	18.57	29.04
2005-06	13.96	35.67
2006-07	16.57	52.19
2007-08(upto Dec. 07)	11.44	55.29

5.49 Despite hilly terrain of the State aquaculture is being given due importance. On the proposal of the state Government a new scheme "Development of Post Harvest Infrastructure" with an outlay of Rs. 100.00 lakh has been approved by Govt. of India on 100 percent basis and fund to the tune of Rs. 50.00 lakh has been released to the State Govt. for its implementation. The scheme envisages setting up of aqua shops, ice plants and cold stores.

5.50 The Department of Fisheries has initiated many welfare schemes for the upliftment of fishermen. Fishermen now are covered under insurance scheme where Rs. 50,000 is given in case of death and Rs. 25,000 on disability and even losses to their gear and crafts are being born by the State Govt. to some extent (33%). A contributory saving scheme has been initiated by the State Govt. and matching state's share of deposited saving is provided to them during this season. During the year 2007-08 (upto December, 2007), 240 self employment opportunities were generated and an amount of Rs. 34.79 lakh was given under various major schemes.

IRRIGATION

5.51 To increase the crop production the importance of irrigation is well established. Adequate and timely supply of irrigation water to crops is the pre-requisite in the agriculture production process, particularly in areas where the rainfall is scanty and irregular. The supply of land is fixed, i.e. inelastic, therefore, the accelerated growth in production is possible through multiple cropping and realization of higher crop yields per unit area, which in turn depends upon irrigation. Creation of irrigation potential and its optimum utilization continues to receive a high priority in Government Planning.

5.52 Out of the total geographical area of Himachal, only 5.83 lakh hectares is the net area sown. It is estimated that ultimate irrigation potential of the state is approximately 3.35 lakh hectares. Out of this, 0.50 lakh hectares can be brought under irrigation through major and medium irrigation projects and balance 2.85 lakh hectares of area can be provided irrigation through minor irrigation schemes of different agencies.

5.53 The only major irrigation project in the state is Shahnehar Project in Kangra District. On completion of this

project an irrigation potential of 15,287 hectares shall be created.

5.54 The work on the medium irrigation projects was taken in hand in the state during fifth plan. Since then four medium projects creating a CCA of 11,236 hectares in the state have been completed. The completed projects are Giri Irrigation Project (CCA 5,263 hectares), Balh Valley Project (CCA 2,410 hectares), Bhabour Sahib Phase-I (CCA 923 hectares) and the Bhabour Sahib phase-II (CCA 2,640 hectares).

5.55 The assessed irrigation potential and CCA created is shown in the table 5.11 below:-

Table-5.11
Assessed Irrigation Potential and CCA Created

(lakh hectare)

Item	Area
1	2
Total Geographical Area	55.67
Net area sown	5.83
Ultimate Irrigation Potential available.	
a) Major and medium Irrigation	0.50
b) Minor irrigation	2.85
CCA created upto	
31.3.2001	1.95
31.3.2002	1.97
31.3.2003	1.99
31.3.2004	2.02
31.3.2005	2.04
31.3.2006	2.07
31.3.2007	2.12
31.12.2007	2.14

Note:- Irrigation projects with a culturable command area(CCA) of more than 10,000 hectares are classified as major projects and projects with CCA of more than 2,000 hectares and upto 10,000 hectares as medium projects. Minor projects have CCA less than 2,000 hectares.

The scheme-wise achievements during the year 2007-08 are as below:-

Major and Medium Irrigation

5.56 During 2007-08, an amount of Rs. 11,600.00 lakh has been provided to bring an area of 2,000 hectares under irrigation. Upto November, 2007, an expenditure of Rs. 1,656.09 lakh has been incurred covering an area of 419 hectares upto December, 2007.

Minor Irrigation

5.57 During the year 2007-08, there was a provision of Rs. 11,978.00 lakh in the state sector to provide irrigation facilities to an area of 2,500 hectares. Upto December, 2007, an area of 1,931 hectares have been covered with an expenditure of Rs. 4,168.14 lakh upto November, 2007.

Command Area Development

5.58 During the year 2007-08, a provision of Rs. 700.00 lakh including central assistance was kept to construct field channel in 1,500 hectares of area

and warabandi in 1,500 hectares of area against which 447 hectares of area under field channel and 447 hectares of area under warabandi were covered upto December, 2007. An expenditure of Rs.34.04 lakh was incurred upto November, 2007.

Flood Control Works

5.59 During the year 2007-08 a sum of Rs. 1,970.00 lakh was provided to protect 800 hectares of land. Upto November 2007, Rs. 1,325.83 lakh have been spent and an area of 530 hectares have been covered upto December, 2007.

FOREST

5.60 Forests in Himachal Pradesh cover an area of 37,033 square kilometers and form about 66.5 percent of the total geographical area of the state. The strategy of Himachal Pradesh Government in forestry management is conservation along with rational utilization and side by side expanding its base. The plan programmes taken up by the Forest Department aim at fulfilling these policy measures. Some of the important plan programmes are as under:-

Forest Plantation

5.61 Forest plantation is being carried out under Productive Forestry Scheme and Soil Conservation Schemes. These Schemes include improvement of tree cover, raising nurseries for departmental plantation and public distribution, pasture improvement, fuel & fodder, minor forest produce Sanjhi Van Yojna, backward area sub plan and soil & moisture conservation. An area of 4,557 hectare was covered with a cost of Rs. 516.97 lakh upto September, 2007.

Wild Life and Nature Conservation

5.62 Himachal Pradesh is known for its diversity of animal and bird habitat and population. The scheme aims at improving the habitat and facilitating provision of areas (sanctuaries & national parks) so as to afford protection to the various species of birds and animals facing extinction. An amount of Rs. 194.60 lakh (including central share) has been utilised for this purpose upto September, 2007.

Forest Protection

5.63 Forests are exposed to dangers of fire, illicit felling and encroachments. It is, therefore, necessary that check posts at suitable places are established to curb illicit timber trade, fire fighting equipments and techniques are introduced and made available to all the forest divisions where fire is a major destructive element and communication network is also required for good management and protection. An amount of Rs 26.05 lakh were spent upto September, 2007 under this scheme.

Integrated Watershed Development Project for Swan River (UNA)

5.64 Integrated watershed development project for Swan river has been launched in Himachal Pradesh with a total cost of Rs. 160.00 crore from the period June,2006 to March 2014 with the help of Japanese Govt. in district of Una of Himachal Pradesh. Aims of this project are regeneration of forest, protection of agriculture lands and increase in agricultural and forestry production in the watershed area of Swan river. For this purpose in the catchment area of Swan river Integrated Watershed Management activities viz. forestry, soil and water conservation works/ activities are being carried out. Works are also been undertaken under this project to develop agriculture and improve livelihood of the local people. For the year 2007-08, there is a provision of an amount of Rs. 1000.00 lakh under this project out of which an amount of Rs. 95.58 lakh has been spent upto December,2007.

World Bank Aided Mid Himalaya Development Project:

5.65 Mid Himalaya Watershed Development Project has been launched in the State w.e.f. 1.10.2005 for a period of 6 years with a total cost of Rs.365 crore. Project cost is to be borne by the World Bank and the State Government at 80:20 ratios and 10% of the Project cost is to be contributed by the beneficiaries. This project is a repeater of the 2nd phase of the Integrated Watershed Development Project (Hills) known as Kandi Project, term of which has concluded on 30.9.2005. This project will cover the area of 602 Panchayats falling between the altitudes 600 to 1,000 meters in 42 Development Blocks of 10 Districts. Main objectives of this Project are:-

i) The change the process of depletion of natural resources.

ii) To enhance the productive potential of the natural resources.

iii) To enhance the income of village people.

During the year 2007-08, a sum of Rs. 4,500 lakh was provided for this work, out of which an amount of Rs. 1031.57 lakh has been spent upto September, 2007.

6. INDUSTRIES AND EMPLOYMENT

INDUSTRIES

6.1 Himachal Pradesh has made significant achievements in the field of industrialisation in the past few years. With the ushering in the liberalised economy and consequent delicensing and notification of special package of incentives for the State, the flow of investment in the Pradesh has increased manifold resulting in very good response for setting up new industrial ventures in the state.

6.2 At present, there are 373 medium and large scale industries and about 34,152 small scale industries with a total investment of about Rs. 6,120.11 crore working in the State. These industries provide employment to about 2.09 lakh persons. With a view to provide umbrella support to existing and new ventures, the state Govt. has notified a **State Level Single Window Clearance and Monitoring Authority under the chairmanship of the Hon'ble Chief Minister** to discuss and solve all contentious and inter-departmental issues, monitor and review the progress of units already approved and being set-up and expedite approval of each concerned department necessary for the establishment of the unit in the State. After the notification of Special Incentives Package by Government of India in January,2003, 3,467 small scale industrial units and 171 medium and large scale units having a total investment of Rs.3,280.16 crore were registered upto December, 2007 and employment opportunities were provided to 50,621 persons.

6.3 In order to provide infrastructural facilities to the entrepreneurs the state Govt. has already developed 38 industrial areas and 15 industrial estates with all basic amenities. An amount of Rs. 192.00 lakh is being spent on development of industrial infrastructure in the State. Apart from existing industrial areas and estates, the Department of Industries has identified about 13,058 bighas of Govt. / private land so that a Land Bank could be set up for allotment of land to the entrepreneurs.

6.4 Prime Minister Rojgar Yojna for providing assistance to educated unemployed youths for self employment is being implemented all over the State. During the year 2007-08 a target of providing assistance to 4,200 educated unemployed youths was kept. Against this target 2,269 loan cases involving an amount of Rs. 2,418.46 lakh were sanctioned and an amount of Rs. 1,605.45 lakh was disbursed to 1,590 beneficiaries' upto December, 2007.

Sericulture Industry

6.5 Sericulture is one of the important agro-based industries of the

Pradesh that provides gainful employment to about 8,385 rural families for supplementing their income by rearing silk-worms and selling cocoons produced by them. During 2007-08, 1.05 lakh Kgs green cocoons were produced providing an income of about Rs. 82.00 lakh to the sericulture rearers upto December,2007.

Arts and Exhibitions

6.6 With a view to promote the products being manufactured by various industrial units in the state, the Pradesh has been participating in various fairs, festivals and exhibitions organized at State, National and International level. During the current year the state displayed its produce in 27th India International Trade Fair, 2007 in New Delhi, Dussehra Fair at Kullu, Lavi Fair at Rampur and in various State Level Fairs.

Handloom and Handicrafts

6.7 Handloom and Handicrafts is an important cottage industry of the state. There are about 0.50 lakh handlooms in the state, which are primarily based on wool. For the development of Handloom, Handicrafts, Khadi and Village Industries, centrally sponsored scheme of Deen Dyal Hathakargha Protsahan Yojana (DDHPY) Integrated Handloom Cluster Development Scheme, Handloom Export Scheme and Workshed-cum-Housing scheme are being implemented in the state. During the financial year 2007-08, financial assistance to the tune of Rs. 32.53 lakh has been provided by Government of India under DDHPY scheme has been released to 16 Primary weavers Co-operative Societies of the state. Schemes are being implemented in the state by H.P. State Handicrafts and Handloom Corporation alongwith state scheme of 13.91 lakh. In addition to it, under state schemes the H.P State Handicrafts and Handloom Corporation and H.P Khadi and Village Industries Board are provided grant-in-aid by the department for undertaking various development activities in handlooms, handicrafts, khadi and village industries sectors.

Assistance to States for Development of Export Infrastructure for Export and Allied Activities (ASIDE) Scheme

6.8 In order to assist states in developing export infrastructure, Govt. of India has introduced ASIDE scheme, which is being implemented in the Pradesh. Under the scheme a State Level Export Promotion Committee has been notified in the state and HPSIDC has been designated as Nodal Agency. The Committee has approved 3 works with a cost of Rs. 116.21 lakh and an amount of Rs. 300.00 lakh has been received from the Govt. of India for the purpose.

Industrial Growth Centre Project

6.9 An Industrial Growth Centre is being developed with an investment of Rs. 22.17 crore at Sansarpur Terrace (Phase-I), Bain Attarian (Phase-II), Raja-Ka-Bag (Phase-III), Gwalthai (Phase-IV) and Banalgi (Phase-V). The Govt. of India has provided Rs.1,200.00 lakh for this project as against Rs.1,624.09 lakh to be provided under this scheme. The expenditure incurred upto December, 2007 was Rs.1,561.36 lakh.

MINING

6.10 Minerals constitute a fundamental component of State's economic base. The quality limestone, which is one of the ingredients in the manufacture of cement, is available in plenty in the state. Three Cements plant at Barmana Distict Bilaspur, Kashlog District Solan and Rajban District Sirmour are already in operation. Fore establishment of major cement plants at Sundernagar DistrictMandi and Bega-Balag Distrct Solan Mining leases have been granted in favour of M/s Harish Cement (Grasim Cement) and M/s J P Industries. The M.O.U's have been signed by India Cement Ltd. Lafarg India Ltd. and J P Industries with the state government to establish three major Cement plants Gumma Ruhana District Shimla, Alsindi in Mandi District and Baroh Shind District Chamba. On the basis of limestone deposits namely Gumma Rahana District Shimla (India Cement Ltd.) Alsindi in Mandi District (Lafarg India Ltd.) and Baroh Shind District Chamba (JP Industries). The MoU's have been signed with the state Govt. to establish three major cement plants by these companies. Anticipated revenue upto March, 2008 would be Rs.52.00 crore. In addition, 42 Geo-Technical investigations/ inspections of various bridge sites, building and road sites were carried out at various places. Limestone investigation of Kothi-Sal-Bagh limestone deposit in tehsil Suni, District Shimla remained under progress. In addition to this, 44 number of minor leases has been granted so far during the year.

EMPLOYMENT

6.11 As per 2001 Census, 32.31 percent of the total population of the Pradesh is classified as main workers, 16.92 percent marginal workers and the rest 50.77 percent as non-workers. Of the total workers (main + marginal) 65.33 percent are cultivators and 3.15 percent agricultural labourers, 1.75 per cent are engaged in household industry and 29.77 per cent in other activities. The employment assistance/ information service to job seekers in the Pradesh is rendered through the 3 regional employment exchanges, 9 district employment exchanges, 2 university employment information and guidance bureau, 55 sub-employment exchanges, one special cell for physically handicapped, one central employment cell in the Directorate and Vocational Guidance

Centres at Mandi, Shimla and Dharamshala. Besides this, the State Govt. has also set up a Foreign Employment and Manpower Bureau at Shimla for desired workmen seeking jobs abroad.

Employment Exchange Information

6.12 During the period 1.4.2007 to 31.10.2007, in all 1,07,047 applicants were registered and 678 placements were done in government sector. The number of vacancies notified during this period by various employers was 3,193. The consolidated number on live register of all employment exchanges stood at 7.81 lakh on 31.10. 2007.

The District-wise work done by the employment exchange with effect from 1.04.2007 to 31.10.2007 is given in table No. 6.1 below:-

Table No. - 6.1
District- wise Employment information with effect from 01.04.2007 to 31.10.2007

Sr. No.	District	Registration	Vacancies Notified	Submission Made	Placement	Live Register
1.	Bilaspur	7,067	128	4,579	2	52,989
2.	Chamba	7,082	151	6,418	21	45,604
3.	Hamirpur	8,971	3	3,235	38	64,848
4.	Kangra	23,224	268	10,747	275	1,70,296
5.	Kullu	5,238	105	3,814	13	38,509
6.	Kinnaur	1,584	539	3,698	6	8,519
7.	L & Spiti	968	130	50	2	4,944
8.	Mandi	18,564	75	8,138	161	1,27,078
9.	Shimla	11,215	863	5,714	70	1,12,834
10.	Sirmour	7,733	283	2,542	4	50,622
11.	Solan	6,970	120	8,289	40	48,775
12.	Una	8,431	528	7,866	46	55,689
	Total	**1,07,047**	**3,193**	**65,090**	**678**	**7,80,707**

Note :- i) Placement figure do not include the figures of placement given by departments and HP Public Service Commission and H.P.S.S.S.B. through direct and open competition.

Employment Market Information Programme

6.13 At the district level, the employment data is being collected under the Employment Market Information Programme since 1960. The total employment in the state as on 31.03.2007 was 3.41 lakh both in public

and private sectors (2.56 lakh in public & 0.85 in private sector).

Central Employment Cell

6.14 With a view to provide technical and highly skilled manpower to all the industrial units, institutions and establishments, the central employment cell which has been set up in the Directorate of Labour and Employment of the state remained engaged in rendering its services during the year 2007. The main objective of setting up of this cell is to make available the technical and highly skilled and un-skilled manpower to the industrial units in the private sector as per their requirements. Thus under this scheme, assistance is provided to the employment seekers on the one hand in finding suitable jobs in private sector according to their qualifications and experience and to employers on the other hand to recruit suitable workers without wastage of money, material and time. During the year 2007-08, upto November, 2007, 28,211 technical and highly skilled persons were registered with the cell on the basis of the duplicate registration cards received from their parent employment exchanges. As many as 1,529 vacancies of various natures were notified during the year 2007-08, upto November, 2007 by employers of private sector establishments. The Central Employment Cell sponsored 21,142 candidates of various trades to the various industrial units. During the year 2007-08, upto November, 2007, 243 persons were placed in various private sector industrial units of the Pradesh.

Special Cell for the Placement of Physically Handicapped Persons.

6.15 A special employment cell for physically handicapped is functioning at Dharamshala since 1983. This cell renders assistance to the physically disabled candidates in the field of vocational guidance and also provides employment assistance to the job seekers. During the year 2007 w.e.f. 1.1.2007 to 30.11.2007, 616 physically handicapped persons were brought on the live register of this special cell bringing the total number to 13,063. Besides, 1,344 vacancies were notified and 2089 physically handicapped persons were sponsored against these vacancies. 17 physically handicapped persons were placed in employment.

Minimum Wages

6.16 Himachal Pradesh Government has constituted a Minimum Wages Advisory Board under the Minimum Wages Act, 1948 for the purpose of advising the State Govt. generally in the matter of fixing and revising the minimum rates of wages for the workers. The State Govt. has revised the minimum rates of wages from Rs.75.00 to Rs.100.00 per day or say Rs. 2,250 per month to Rs.3,000/- per month w.e.f. 1.1.2008.

Labour Welfare Measures

6.17 Under the Bonded Labour System Abolition Act, 1976 the State Government has constituted vigilance committees at the district and sub-divisional levels under the Chairmanship of Deputy commissioner/ Sub- Divisional magistrate in addition to one screening committee under the Chairmanship of Chief Secretary at state level. The Pradesh Govt. has established two Labour Courts-cum-Industrial Tribunals one with headquarter at Shimla with its jurisdiction of District Shimla, Kinnaur, Solan and Sirmaur and the other at Dharamshala with its jurisdiction of District Kangra, Chamba, Una, Hamirpur, Bilaspur, Mandi, Kullu and Lahaul-Spiti for adjudication of industrial disputes. An independent presiding officer of Labour Court/Industrial Tribunal of the rank of District and Session Judge has been appointed in these two labour courts.

Employees Insurance and Provident Fund Scheme

6.18 The Employees State Insurance Scheme is applicable in the areas of Solan, Parwanoo, Barotiwala, Baddi, Mehatpur, Nalagarh, Paonta Sahib, Kala Amb and Shimla. Upto 31.3.2007 about 2,100 establishments with an estimated employment of 80,000 workers were covered under this scheme and 5,363 establishments with an estimated employment of 2,39,565 workers were covered under the Employees Provident Fund scheme. There were 1,068 trade unions registered under the Trade Union Act 1926. There were 1,728 cases pending upto 31.3.2006 and 693 cases were received and 1,005 cases were decided during 2006-07.

7. POWER

7.1 Power is one of the most important input for economic development. In addition to its widely recognised role as a catalyst to economic activity in different sectors of economy, the power sector makes a direct and significant contribution to economy in terms of revenue generation, employment opportunities and enhancing the quality of life.

7.2 Himachal Pradesh has been blessed with vast hydroelectric potential in its five river basins, namely Yamuna, Satluj, Beas, Ravi and Chenab. Through preliminary hydrological, topographical and geological investigations, it has been estimated that about 20,416 MW of hydel potential can be exploited in the state by constructing various major, medium, small and mini/micro hydel Projects on these five river basins. Out of this hydel potential only 6370.12 MW has been harnessed by various agencies which also includes 466.95 MW by H.P.S.E.B.

The Basin-wise details of the assessed potential and the potential actualized are as under:-

Assessed Potential and Potential Installed

Sr. No	Basin	Total Assessed Potential (MW)	Potential Installed (MW)				
			State Sector (HPSEB)	Pvt. Sector	Central/ Joint Sector	Himurja	Total (4 to 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Satluj	9,866.55	150.25	300.00	2,825.00	1.30	3,276.55
2.	Beas	4,620.90	226.50	86.00	1,496.00	21.30	1,829.80
3.	Ravi	2,345.25	10.25	-	1,038.00	-	1,048.25
4.	Chenab	2,251.00	-	-	-	-	0
5.	Yammuna	602.52	79.95	-	131.57	4.00	215 .52
6	Himurja	723.40	-	-	-	-	-
	Total	**20,415.62**	**466.95**	**386.00**	**5,490.57**	**26.60**	**6,370.12**

7.3 The State Govt. has adopted multi pronged strategy for power development through State Sector, Central Sector, Joint Venture

and Independent Power Producers. The detailed break up of the potential identified so far is given as under:-

Assessed Potential

Sr. No.	Item	Capacity (MW)
1	2	3
I.	Potential harnessed so far:	
	1. State Sector	466.95
	2. Central Sector	3,990.57
	3. Joint Sector	1,500.00
	4. Private Sector	386.00
	5. Under HIMURJA	26.60
	Sub- Total	**6,370.12**
II.	Projects under execution/ stand allotted (11th Plan)	
	1. State Sector	1133.10
	2. Central Sector	2,763.00
	3. Private Sector	1,848.00
	Sub-Total	**5,744.10**
III.	Projects allotted for Central / Joint Sector (12th Plan)	**2,136.00**
IV.	Projects stand allotted in private sector	**3,479.50**
V.	Projects stand allotted in State sector	-
VI.	Projects yet to be decided	**1,481.00**
VII.	Mini Micro Hydro Potential (Through Himurja)	**723.40**
VIII.	Projects which has been abandoned due to environmental consideration	435.00
IX.	Projects under investigation for preparation of DPR	46.50
	Total	**20,415.62**

Hydro Power Policy Initiatives:

7.4 The State Govt. has announced new power policy on 2nd January, 2007. Some of the main policy initiatives announced by the Govt. are as under: -

i) Projects upto 2 MW capacities have been earmarked for the investors of Himachal Pradesh and for projects

upto 5 MW, first preference shall be given to Himachalies.

ii) Projects above 5 MW and up to 100 MW shall be allotted to IPPs (Independent Power Producers) through MoU route by giving wide publicity for attracting the bidders and above 100 M.W. through the International Competitive bidding. State Government will have the right to equity participation in Private Sector Projects above 100 M.W. upto a maximum limit of 49%.

iii) In order to ensure that projects do not adversely affect the environment, release of 15 % of minimum discharge down stream of the dam/diversion structure during the lean season shall be ensured, which will help in protecting the rights of the local inhabitants for irrigation, drinking water, fishing and water for wild life etc.

iv) In order to ensure employment to the people of Himachal a minimum 70% of total employees / officers / executives are to be engaged by the Companies.

v) The concept of involving local people in the development of the "Project Affected Area" has been specially evolved wherein Local Area Development Committee (LADC) have already been formed and 1.5% of the project cost will be earmarked by the developers for development of local area through such LADs.

7.5 Efforts are afoot to match the increasing activities on construction of hydel projects, strengthening on adequate transmission and distribution network facilitating transmit of power from these projects and its distribution for utilisation within the state.

Rural Electrification:

7.6 According to 1991 census, the number of census villages was 19,388. Of these, 2,391 villages were un-inhabited and the rest 16,997 villages were inhabited. Out of inhabited villages 16,915 have been electrified up to March,2006. It is also relevant to mention here that the State had achieved 100% electrification target during 1988-89, of the then 16,807 inhabited census villages. As per census 2001, number of census villages is 17,495. Of these, 17,183 have been electrified by the end of December, 2007. In addition, 4,036 hamlets (out of total 4,182 as per 1988 survey) also stand electrified up to December, 2007. Besides, 548 un-identified hamlets have also been electrified. For making access to electricity to 100% households in the State, schemes for all the district have been formulated under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna and submitted to Govt. of India for sanction. The RGGVY Scheme of Chamba Distt. has been sanctioned for an amount of 2,502.36 lakh and is under implementation.

I. The details of potential harnessed so far under State Sector/Central Sector/ Joint Sector/Private Sector and HIMURJA, are as under:-

(i) The details of the projects under operation with HPSEB are as under:-

Sr. No.	Projects	Capacity MW
1.	Giri	60.00
2.	Bassi (Uhl-II)	60.00
3.	SVP Bhava	120.00
4.	Andhra	16.95
5.	Thirot	4.50
6.	Binwa	6.00
7.	Baner	12.00
8.	Gaj	10.50
9.	Ghanvi	22.50
10.	Gumma	3.00
11.	Holi	3.00
12.	Larji	126.00
13.	Mini Micros	22.50
	Total	**466.95**

(ii) The details of the projects in operation under Private Sector are as under:-

Sr. No.	Name of the Project/ District/ Basin	Executive Agency	Installed Capacity (MW)
1.	Baspa-II / Kinnaur/ Satluj	M/S Jai Prakash Hydro Power Limited	300.00
2.	Malana- I / Kullu/Beas	M/S Malana power Company Limited	86.00
	Total		**386.00**

(iii) The details of projects in operation under Central Sector/ Inter-State/ Shared Generation/ Joint Sector are as under:-

Sr. No.	Projects	Capacity (MW)	Executing Agency	Remark
1.	Yammuna Projects (H.P. share)	131.57	Uttranchal	Shared Generatio
2.	Baira Suil	198.00	NHPC	Central Sector
3.	Chamera-I	540.00	NHPC	Central Sector
4.	Chamera-II	300.00	NHPC	Central Sector
5.	Shanan Project	110.00	PSEB	Shared Generatio
6.	Pong Dam	396.00	BBMB	Inter State
7.	Dehar	990.00	BBMB	Inter State
8.	Bhakra	1325.00	BBMB	Inter State
9.	Nathpa Jhakri	1500.00	SJVNL	Joint Sect
10.	**Total:-**	**5490.57**		

(iv) Mini/Micro Projects being run by HIMURJA

Sr. No.	Project	Capacity (MW
1.	Micro hydel project upto 5MW through Himurja	26.60
	Total	**26.60**

ELECTRICITY CONSUMPTION

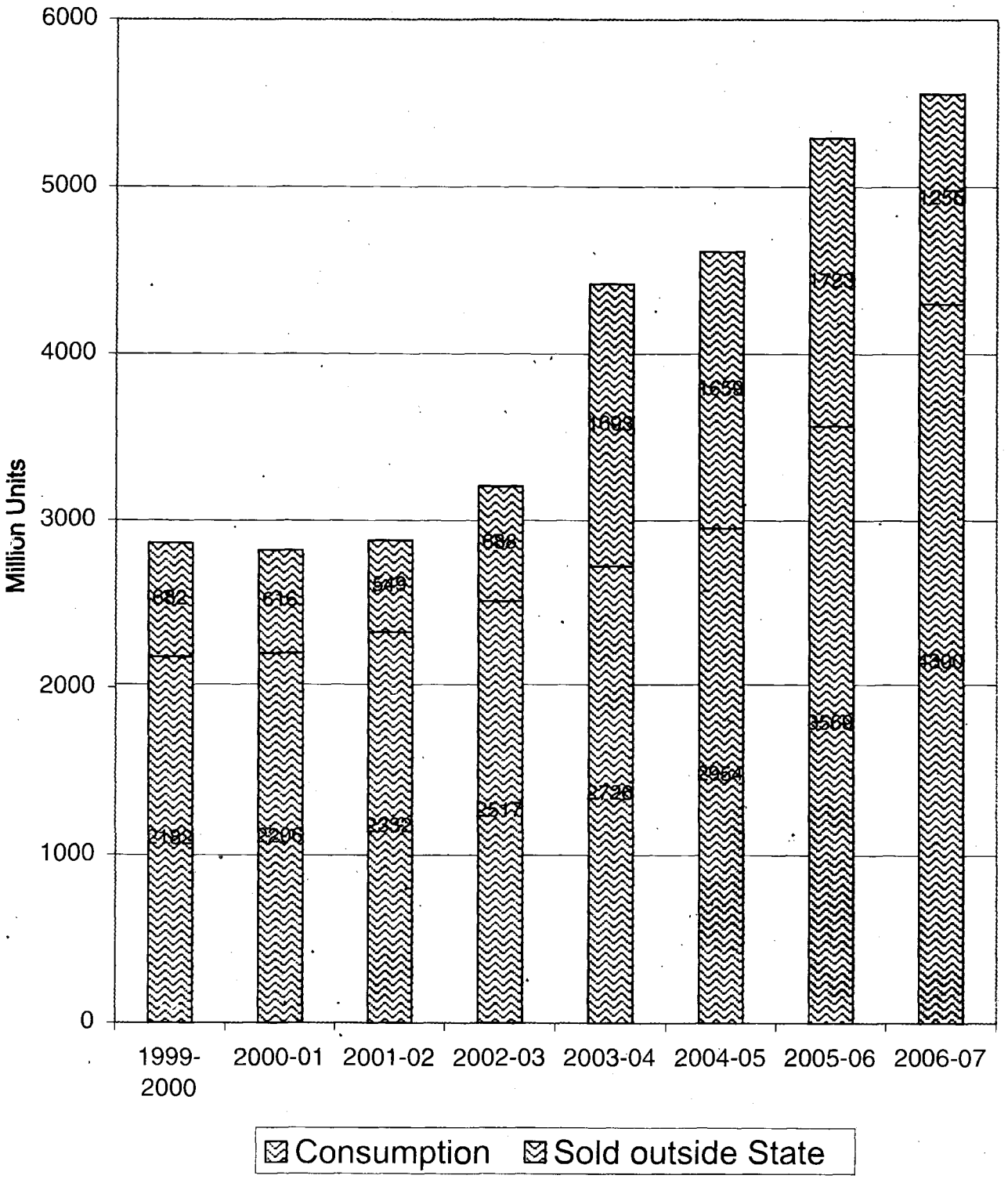

II. The Details of the Projects under Execution by HPSEB

(i). HPSEB:

Sr.	Projects	Capacity (MW)
1.	Bhaba Augmentation P/H	4.50
2.	Uhl Stage-III	100.00
3.	Kashang I,II & III (Integrated)	243.00
4.	Ganvi Stage-II	10.00
5.	Sawra Kuddu (PVPC)	111.00
6.	Shongtong – Karcham	402.00
7.	Sainj	100.00
8.	Renuka	40.00
	Total:	**1010.50**

(ii). Private Sector:

Sr. No.	Name of the Project/ District/ Basin	Executing Agency	Installed Capacity (MW)
1.	Karcham Wangtoo/ Kinnaur/Satluj	M/S Jaipee Karcham Hydro Corp. Ltd.	1000.00
2.	Allain- Duhangan/ Kullu / Beas	M/S AD Hydro Power Ltd.	192.00
3.	Patikari / Mandi/Beas	M/S Patikari Power Private Ltd.	16.00
4.	Malana-II / Kullu/Beas	M/S Everest Power Private Ltd.	100.00
5.	Neogal/Kangra/Beas	M/S Om Power Corp. Ltd.	15.00
6.	Budhil/Chamba/Ravi	M/S Lanco Power Private Ltd.	70.00
7.	Sorang/Kinnaur/Satluj	M/S Himachal Sorang Power Pvt. Ltd.	100.00
8.	Lambadug / Mandi / Beas	M/S Himachal Consortium Power Pvt. Ltd.	25.00
	Total:		**1518.00**

The status of the above mentioned projects are as under:-

1. Karcham Wangtoo Hydro Electric Project (1000 MW):- The Govt. signed the MoU with M/s Jai Prakash Industries Ltd. on 28.8.1993. The Implementation Agreement was signed on 18.11.99. The techno-economic clearance was accorded by CEA for an estimated cost of Rs. 5,910 crore on 31.3.2003. The extended time limit accorded by the Govt. to start the construction work on the Project has expired on 18.11.04. The

Company has again applied to the Govt. for grant of extension for one more year to start the construction work on the Project (i.e. upto 18.11.2005). The Company has conveyed its consent for signing the Supplementary implementation Agreement with company in line with the New Hydro Power Policy. The project is scheduled for commissioning in 2010-11. Whereas the Govt. has given Commissioning time upto 2009-10.

2. Allain Duhangan Hydro Electric Project (192 MW):- The Govt. signed the MoU with M/s Rajasthan Spinning & Weaving Mills Ltd. on 28.8.93 and Implementation Agreement was signed on 22.2.2001. As per the provisions of the Implementation Agreement, the Company was required to start the construction work of the project with 36 months of signing of Implementation Agreement i.e. by 22.2.2004 after achieving the Financial Closure. The Company failed to achieve Financial Closure and start the construction work by the due date.

The Govt. has asked the Company to start the construction work on the project within 6 months i.e. by 5.2.2005 after getting the Tripartite agreement signed. The Govt. has signed agreement on 5.11.2005 with M/s Rajasthan Spinning & Weaving Mills Ltd., M/s MPCL and the Generating Company & M/s AD hydro Power Ltd. As per the progress report submitted by the company, all activities relating to achieving Financial Closure have been achieved by the Company and the tendering process for various civil and electromechanical packages have already been awarded. The construction work on Power House site and infrastructural works on the project are in progress. The project is scheduled for commissioning in 2008-09.

3. Patikari Hydro Electric Project (16 MW):- The Govt. signed MoU on 21.6.2000 and Implementation Agreement on 9.11.2001 with M/s Patikari Power Pvt. Ltd. The techno-economic clearance to the project was accorded by HPSEB for an estimated cost of Rs. 125.9 crore on 27.9.2001. The PPA was signed on 5.7.2005. The environment clearance for diversion of forest land has been accorded by MOEF on 1.11.2004. The company has commenced works on the project since January, 2005. The project is likely be commissioned in next few months.

4. Malana Hydro Electric Project-II (100 MW):- The MoU was signed on 27.5.2002 followed by an Implementation Agreement signed between M/s Everest Power Pvt. Ltd., and Govt. of HP on 14.1.2003. The Project has been scheduled for commissioning in 2008-09.

5. Neogal Hydro Electric Project (15 MW):- The MoU was signed between M/s Om Power Corporation Ltd. and Himachal Pradesh Government. The Implementation Agreement dated 4.7.1998 stands terminated by the Govt. due to failure of the company to start the construction work on the project and the

Govt. decided to implement the Project under State Sector through HPSEB. The Company approached the Hon'ble High Court of H.P. against the termination of the Implementation Agreement. The Hon'ble High Court passed an order to maintain the status- one in the matter. The Govt. has decided to restore the Implementation Agreement of dated 4.7.1998 by signing a supplementary Implementation Agreement with the Company. The govt. has decided to sign 5th Supplementary Implementation Agreement with company in line with the New Hydro Power Policy. The project is scheduled for commissioning in 2009-10.

6. Budhil Hydro Electric Project (70MW):- The MoU was signed with M/s Lanco Power Pvt. Ltd. on 23.9.2004. The company is in process of obtaining necessary clearances for the project and signing of Implementation Agreement with the Govt. of H.P. The Govt. has decided to sign 1st Supplementary Implementation Agreement with company in line with the New Hydro Power Policy of the State. The Project has been scheduled for commissioning in 2011-12.

7. Sorang Hydro Electric Project (100MW):- The Govt. has signed the MoU with M/s Himachal Sorang Power(Pvt.) on 23.9.2004. The Govt. decided to signed the Implementation Agreement with company on 28.1.2006. Now the Govt. has decided to sign 1st Supplementary Implementation Agreement with company in line with the New Hydro Power Policy of the State. The Project has been scheduled for commissioning in 2011-12.

8. Lambadug Hydro Electric Project (25 MW):- The MoU was signed with M/s Himachal Consortium Power Ltd. on 13.6.2002. The Govt. has decided to sign 1st Supplementary Implementation Agreement with company in line with the New Hydro Power Policy of the State. The project has been scheduled for commissioning in 2008-09.

(iii) Central/ Joint Sector:

Detail of HEP	Installed Capacity (MW)
a) NHPC	
i) Parbati HEP-II	800.00
ii) Parbati HEP-III	520.00
iii) Chamera –III	231.00
Total (a)	**1551.00**
b) NTPC	**800.00**
Total (a+b)	**2351.00**

III. Project Allotted Under Central/ Joint Sector:

Sr. No.	Name of Project	Nallah/ River Basin	Capacity (MW)
1.	Khab	Satluj	1020.00
2.	Luhri	Satluj	750.00
3.	Parvati-I	Beas	750.00
		Total	**2520.00**

IV. Projects Stand Allotted In Private Sector:

Sr. No.	Name of Project	Nallah/River Basin	Capacity (MW)
1.	Baragaon	Beas	11.00
2.	Fozal	Beas	9.00
3.	Baner-II	Beas	6.00
4.	Tidong-I	Satluj	100.00
5.	Raura	Satluj	8.00
6.	Paudital Lassa	Yammuna	24.00
7.	Tangnu Romai	Yammuna	50.00
8.	Harsar	Ravi	60.00
9.	Bharamour	Ravi	45.00
10.	Sai Kothi	Ravi	17.00
11.	Jangi-Thopan	Satluj	480.00
12.	Thopan-Powari	Satluj	480.00
13.	Kutehar	Ravi	260.00
14.	Tidong-II	Satluj	60.00
15.	Kut	Satluj	24.00
16.	Sal-I	Ravi	6.50
17.	Bara Banghal	Ravi	200.00
18.	Bajoli Holi	Ravi	180.00
19.	Chango Youngthang	Satluj	140.00
20.	Chattru	Chenab	108.00
21.	Chanju-I	Ravi	25.00
22.	Chanju-II	Ravi	17.00
23.	Bharari	Satluj	5.50
24.	Rupin	Yamuna	39.00
		Total	**2,355.00**

The details of the projects under Private Sector are as under:-

1. Baragaon Hydro Electric Project (11MW):- The Govt. signed the MoU on 6.6.2002. The company is in process of obtaining various clearances and signing of Implementation Agreement with the Govt. of H.P. The Govt. has decided to sign 1st Supplementary Implementation Agreement with company in line with the New Hydro Power Policy of the State. The project has been scheduled for commissioning in 2009-10.

2. Fozal Hydro Electric Project (9MW): The Govt. of HP has terminated the MoU for violation of various conditions of the MoU by the company. The company has filed an arbitration case in the Hon'ble High Court to restore the MoU termination earlier. The Govt. has taken the decision to restore the MoU terminated earlier on 17.6.2004 and sign the Implementation Agreement with M/s Cosmos Consultancy. The Govt. has signed the Implementation Agreement with Company on 13.4.2006. The Government has decided to sign the 1st Supplementary Implementation Agreement with the company, in line with New Hydro Power Policy of State. The project is slated for commissioning in 2010-11.

3. Baner-II Hydro Electric Project (6MW):- The MoU was signed on 29.5.2001 between M/s Prodigy Hydro Power (P) Ltd. followed by the Implementation Agreement signed on 1.10.2001. The company has so far not started the construction on the project. A Supplementary Implementation Agreement is to be signed between the Govt. and the Company in line with the New Hydro Power Policy of the State.

4. Tidong-I Hydro Electric Project (100MW):- The Govt. has signed the MoU with M/s Nuziveedu Seeds Pvt. Ltd. on 23.9.2004. The Govt. has signed the Implementation Agreement with company on 28.7.2006. The project has

been scheduled for commissioning in 2012-13.

5. Raura Hydro Electric Project (8MW):- The MoU was signed on 4.2.1996 with M/s DLI Power (India) Pvt. Ltd. The Govt. is in process of signing the Implementation Agreement with company in line with the New Hydro Power Policy of the State.

6. Paudital Lassa Hydro Electric Project (24 MW):- The MoU was signed with M/s Jai Lakshami Power Ltd. on 6.6.2002 by the Govt. The DPR submitted by the company on 10.2.04 is under examination in HPSEB for grant of TEC and the same was granted by the board on 17.12.2004. The project has been scheduled for commissioning in 2009-10.

7. Tangnu Rowai Hydro Electric Project (44+6 MW):- The MoU was signed on 5.7.2002 between M/s Venture Energy Ltd. and the Govt. of H.P. H.P.S.E.B. has granted TEC for the project and the Govt. is in process of signing implementation agreement with the company as per new Hydro Power Policy of the State. The project is scheduled for commissioning in 2009-10.

8. Harsar Hydro Electric Project (60MW): The Govt. of HP has terminated the MoU for violation of various conditions of the MoU by the company. The company has filed a civil writ petition in the Hon'ble High Court of HP against the decision of the Govt. regarding cancellation of the MoU. The Hon'ble High Court of HP has directed the Govt. to consider the allotment of the project to the company with certain conditions.

9. Bharmaur Hydro Electric Project (45 MW): The Govt. of HP has terminated the MoU for violation of various conditions of the MoU by the company. The company has filed a civil writ petition in the Hon'ble High Court of HP against the decision of the Government regarding cancellation of the MoU. The Hon'ble High Court of HP has directed the Govt. to consider the allotment of the project to the company with certain conditions.

10. Sai Kothi HEP (17 MW):- This project has been allotted to M/s Venture Energy & Technologies Ltd., New Delhi on June,2002 and the Govt. has signed the Supplementary Implementation Agreement with the Company on 16.06.07.

11. Jangi Thopan HEP(480 MW):- This project has been allotted to M/s Brakel Corporation NV the Netherland. The company has not deposited the 1st installment of the upfront premium yet and also not signed the Supplementary Implementation Agreement.

12. Thopan Powari HEP (480 MW):- This project has been allotted to M/s Brakel Corporation NV the Netherland. The company has not deposited the 1st installment of the upfront premium yet and also not signed the Supplementary Implementation Agreement.

13. Kutehar HEP (260 MW):- This project has been allotted to M/s JSW Ltd. Bangalore. The company has deposited the 1st installment of the upfront premium on 27.06.2007 and the Govt. is in process of signing the Supplementary Implementation Agreement with the Company.

14. Tidong-II (60 MW):- This project has been allotted to M/s Consortium of Torrent and Gammon Ltd. Ahmedabad and the Govt. is in process of signing the MoU with the company.

15. Kut HEP (24 MW):- This project has been allotted to M/s Polyplex Corporation Ltd. Noida and the Govt. has signed the MoU with the company on 27.04.07.

16. Sal-I HEP (6.50 MW):- This project has been allotted to M/s Vishal Exports Ltd., Ahmedabad and the Govt. has signed the MoU with the company on 27.04.07.

17. Bara Bangahal HEP (200MW):- This project has been allotted to M/s Malana Power Co. Ltd. The company has deposited the 1st installment of the upfront premium on 27.08.2007 and the Govt. is in process of signing the Supplementary Implementation Agreement with the Company.

18. Bajoli Holi HEP (180 MW):- This project has been allotted to M/s GMR Energy Ltd. Delhi. The company has deposited the 1st installment of the upfront premium on 27.08.2007 and the Govt. is in process of signing the Supplementary Implementation Agreement with the Company.

19. Chango Youngthang HEP (140 MW):- This project has been allotted to M/s Malana Power Co. Ltd. The company has deposited the 1st installment of the upfront premium on 27.08.2007 and the Govt. is in process of signing the Pre-Implementation Agreement with the Company.

20. Chattru HEP (108 MW):- This project has been allotted to M/s DCM Shriram Ltd., Delhi. The company has deposited the 1st installment of the upfront premium on 27.08.2007 and the Govt. is in process of signing the Pre-Implementation Agreement with the Company.

21. Chanju-I HEP (25 MW):- This project has been allotted to M/s Indo Arya Central Transport Ltd., New Delhi. The Govt. has signed the MoU with the company on 20.12.2007.

22. Chanju-II HEP (17 MW):- This project has been allotted to M/s Consortium of Uttam Gava, Indian Sucrose Ltd. and Cosmos Industries Ltd. The Govt. is in process of signing the MoU with the company.

23. Barari HEP (5.5 MW):- This project has been allotted to M/s Sal Hydel Power Ltd. The Govt. is in process of signing the MoU with the company.

24. Rupin HEP (39 MW):- This project has been allotted to M/s Bajrang Power and Ispat Ltd., Raipur. The Govt. has signed the MoU with the company on 20.12.2007.

V. Projects on which works to be started:

Sr. No.	Name of Project	Nallah/ River Basin	Capacity (MW)
1.	Chirgaon Majhgaon	Beas	46.00
2.	Dhamwari-Sunda	Yammuna	70.00
3.	Khauli	Khauli	6.60
		Total	**122.60**

VI. Projects to be allotted and are under Investigation:

Sr. No.	Name of Project	Nallah/ River Basin	Capacity (MW)
1.	Devi Kothi-II	Ravi	13.50
2.	Chani	Ravi	18.00
3.	Sai-Kothi	Beas	15.00
		Total	**46.50**

Three projects (435 MW) Baspa-I, Chamwa and Garopa have been dropped due environmental problem.

VII. Projects yet to be decided: Following 23 projects were advertised by the Govt. for execution in Private Sector in July,2007.

Sr. No.	Name of Project	Basin	Capacity (MW)
	Category-I (MOU Route)		
1.	Khoksar	Chenab	90.00
2.	Suil	Ravi	13.00
3.	Shalvi	Yamuna	7.00
4.	Kilhi Bahal	Beas	7.50
5.	Mane Nadang	Satluj	70.00
6.	Lara	Satluj	60.00
7.	Kuling Lara	Satluj	40.00
8.	Miyar	Chenab	90.00
9.	Tinget	Chenab	61.00
10.	Teling	Chenab	61.00
11.	Patam	Chenab	60.00
	Total		**559.50**
	Category-II Projects (ICB Route)		
1.	Youngthang Khab	Satluj	261.00
2.	Gondhala	Chenab	144.00
3.	Bardang	Chenab	114.00
4.	Sumte Kothang	Satluj	130.00
5.	Lara Sumta	Satluj	104.00
6.	Reoli/Dugli	Chenab	715.00
7.	Dugar	Chenab	360.00
8.	Gyspa	Chenab	240.00
9.	Sach Khas	Chenab	210.00
10.	Seli	Chenab	150.00
11.	Tandi	Chenab	150.00
12.	Rashil	Chenab	150.00
	Total		**2,728.00**

Out of above 23 projects, price bids of six no. projects of Category-II namely Yangthang Khab (261 MW), Gondhala (144 MW), Bardang (114 MW), Sumte Kothang (130 MW), Tandi (150 MW) and Rashil (150 MW) were opened on 10.12.2007 and are in process of evaluation. For 9 no. of projects of MOU Route (above 5 MW upto 100 MW) advice of Govt. is being sought to deal with the case as per new policy decision wherein, it has been decided by the Govt. on 10.01.2008 that the projects from 5 MW to 100 MW should now be allotted through ICB method. Remaining 8 projects, for which two or less than two bids were received have been re-advertised in October, 2007 for implementation in Private sector. The last date of sale of Bid Documents of these projects is 4.03.2008.

VIII – Details of projects advertised during October-2007:

Sr. No.	Name of Project	River Basin	Capacity (MW)
	Category-I (MOU Route)		
1.	Kuling Lara	Satluj	40.00
2.	Patam	Chenab	60.00
		Total	**100.00**
	Category-II (ICB Route)		
1.	Lara Sumta	Satluj	104.00
2.	Reoli/Dugli	Chenab	268.00
3.	Dugar	Chenab	236.00
4.	Sach Khas	Chenab	149.00
5.	Seli	Chenab	454.00
6.	Gyspa Stage-I&II	Chenab	170.00
		Total	**1,381.00**

The last date for sale of Bid Documents of above eight projects is 04.03.2008.

HIMURJA Development of Non-conventional and New & Renewable Sources of Energy:

7.7 With the growth in the economy, the demand for energy increases tremendously due to rapid industrialization, better standard of living and increased infrastructural network. As the conventional sources of energy are limited, there is an immediate need to explore new and alternative sources of energy, encourage the use of proven technologies such as solar water heating system and other efficient energy devices.

7.8 HIMURJA has made concerted efforts to popularize renewable energy through the Integrated Rural Energy Planning Programme (IREP), which has been taken up as full-fledged Programme in the Pradesh with the financial support of Ministry of Non-conventional Energy Sources (MNES), Govt. of India. Efforts are also being made to propagate fuel efficient devices and non-conventional energy devices like solar cookers, solar water heating systems, improved water mills, Hydrams and photovoltaic lights etc.

The achievements made during the year 2007-08 upto December, 2007 and anticipated upto March, 2008 are as under:-

Solar Thermal:

7.9 91 solar cookers have been provided to potential beneficiaries upto December 2007, anticipated upto March, 2008 will be 300. 44 solar water heating system of different capacities have been installed/booked in different parts of the State upto December 07, anticipated upto March, 2008 will be 119. As per the Govt. decision installation of solar water heating system in all Govt. buildings/institutions as mandatory, efforts are being made to install the Solar Water Heating Systems in Govt. functional buildings. HIMURJA has also made efforts to provide soft loans by banks for installation of Solar Water Heater System and beneficiaries are taking keen interest in the scheme and systems.

Solar Photovoltaic Programme:

7.10 HIMURJA is also making efforts to provide solar Photovoltaic systems, which are most suited for decentralized application in remote/tribal areas. During the current financial year 1294 solar PV Domestic lights have been provided upto December, 2007 at subsidized rates in the state. 1115 Solar Photovoltaic Street Lighting Systems have also been installed for community use upto December, 2007 in the state, anticipated upto March, 2008 will be 2394.

Energy Conservation Programme:

7.11 Under energy conservation Programme, 2,245 Pressure Cookers and 1174 CFL systems have been provided on subsidized rates upto December, 2007. 7 Hydrams (Hydraulic Rams) have been installed upto December 2007, anticipated upto March, 2008 will be 10.

Micro Hydel Projects Upto 5 MW Capacity being executed through Private Sector Participation:

7.12 The State Government has also entrusted the responsibility of harnessing of small hydro potential upto 5MW through private investment to HIMURJA under the administrative control of Non Conventional Energy Sources Department. The State govt. has signed 345 MoU for projects upto 5MW with private investors. Implementation Agreements for 100 projects have also been signed and are at different stages of getting statutory clearances. The implementation work on 31 projects with an aggregate capacity of 121.30 MW has been started and 10 projects with an aggregate capacity of 31.65 MW have been commissioned.

7.13 Under the UNDP-GEF scheme HIMURJA is executing 5 projects at Lingti in Kaza (400 KW), Kothi in Manali (200 KW), Juthed in Tissa (100 KW), Purthi (100 KW) and Sural in Pangi (100 KW) have been commissioned and are under generation. These Projects are located in remote and tribal areas of the State. Three more projects viz. Solang (1000 KW) and Raskat (800 KW) in Kullu District

and Titang (900 KW) in Kinnaur district being executed by private investors have also been commissioned. Two projects namely Gharola (100 KW) and Sarhan (30KW) have been executed and commissioned under state factor funding. The project namely Bara Bhangal (40 KW) in District Kangra has been executed and commissioned. The project Sach(900KW) in Pangi valley is in advance stage of execution. The works of Billing (400 KW) has been undertaken and are in progress.

Some new MH projects like Kothi Stage-II (1000KW) etc are also proposed to be undertaken by the Govt. through HIMURJA..

Portable Micro Hydel Generator Sets:

7.14 Out of Fifteen Portable Micro Hydel Generator sets, 12 sets have been commissioned in Pangi sub division of Chamba district, 2 in Dodra Kawar. HIMURJA has rehabilitated the 15 KW stand alone demonstration unit at Sarahan in Shimla district which was damaged in flash floods during July,2003. This has been rehabilitated by increasing its capacity 30 KW. Operation and Maintenance work of all the Portable Micro Generator sets are being done by HIMURJA to the entire satisfaction of the local public.

7.15 The expenditure during 2007-08 under Plan and Non Plan will be Rs.441.14 lakh

8. TRANSPORT AND COMMUNICATION

Roads and Bridges (State Sector)

8.1 Roads are an essential ingredient of infrastructure of economy. In the absence of any other suitable and viable modes of transportation like railways and waterways, roads play a vital role in boosting the economy of the hilly state like Himachal Pradesh. Starting almost from a scratch the state Government has constructed 30,834 Kms. of motorable roads inclusive of jeepable track till September, 2007. Government has been assigning a very high priority to road sector. For the year 2007-08, there was an outlay of Rs.24,115.00 lakh. The target fixed for 2007-08 and achievements made upto September, 2007 are given as under:-

Table-8.1

Item	Unit	Target for 2007-08	Achieve-ment upto Sep.2007	2007-08 Anticip-ated
1.Motorable	Kms	2035	815	2035
2.Cross-drainage	"	4246	693	4246
3.Metalling & tarring	"	1365	439	1365
4.Jeepable	"	35	41	35
5.Bridges	No.	124	18	124
6.Villages connectivity	"	782	57	782

National Highways (Central Sector)

8.2 The process of improvement of National Highways in the state having total length of 1,250.77 Km, which include urban links and bye-passes, continued during the year also. Upto the end of September, 2007, 67.51 Km. long portion had been provided with metalling and tarring.

8.3 The total motorable road length was 28,399 Km. in the State as on. 30.9.2007 and 8,588 villages as detailed below in table 8.2 were connected with roads:-

Table-8.2

Villages connected with road	As on 31st March				As on Sept., 2007
	2004	2005	2006	2007	
Villages with population more than					
1500	193	195	198	199	200
1000-1500	228	229	235	239	241
500-1000	886	898	931	977	995
200-500	2636	2668	2726	2848	2866
Below 200	4134	4166	4254	4268	4286
Total	**8077**	**8156**	**8344**	**8531**	**8588**

Railways

8.4 There are only two narrow gauge railway lines connecting Shimla with Kalka (96 Km.) and Jogindernagar with Pathankot (113 Km.) and one 33 Km. broad gauge railway line from Nangal Dam to Charuru (Distt. Una).

Road Transport

8.5 Road Transport is the main stay of economic activity in the Pradesh as other means of transport namely Railways, Airways, Taxies, Auto

Rickshaw etc. are negligible. As such, road transport corporation assumes paramount importance. The passenger transport services to the people of Himachal Pradesh within and outside the State are being provided by Himachal Road Transport Corporation, with a fleet strength of 1896 buses (as on November, 2007).

8.6 For the benefit of people the following schemes remained in operation during the year:-

(i) **Smart Card Scheme: -** Smart card is obtainable on payment of Rs.50 and is valid upto one year. Passengers get a discount of 10 per cent and senior citizens (65 years and above) get discount of 20%.

(ii) **Yellow Card Scheme: -** With a view to give stiff competition on local routes, Corporation has introduced Yellow Card Scheme, giving concession of 20% on the fare upto 40 km journey on payment of Rs. 50.

(iii) **Group Discount Scheme: -** A group of more than 9 persons are allowed 10% discount in fare.

(iv) **Courier Service: -** H.R.T.C. has introduced courier service through its buses from all district headquarters (booking office to booking office).

(v) **Super-fast Non-stop Bus Services: -** Super fast bus services remained under operation on the following routes:-

- Shimla – Nahan
- Shimla – Dharmshala
- Shimla – Mandi
- Rampur -- Shimla
- Shimla – Kullu
- Shimla – Una
- Nerwa -- Chamunda
- Shimla -- Chamba
- Shimla-Solan-Chandigarh

(vi) **Volvo Luxury A.C. Buses:-** On persistant demand of tourists and general public, 8 luxury A.C. buses HRTC has introduced on Shimla-Delhi, Dharamshala - Delhi, Manali – Delhi, Shimla-Katra route to provide comfortable transport service to the tourists. These services have generated additional revenue to the Corporation.

(vii) **Free Traveling: -**Corporation is providing free traveling facility to cancer, multiple fracture and spinal injury patients in the buses.

(viii) **Wet Leasing Scheme: -** With a view to reduce the capital cost and cut losses, the corporation introduced the wet-leasing scheme, which has yielded good results. The parties have provided 75 buses, which are operational in the corporation. This has resulted in brining down the capital requirement of corporation which will also reduce the further liabilities of interest repayments.

(ix) **Imparting Training to Heavy Vehicle Drivers in the Training Schools of the Corporation:** The Corporation is providing training to heavy vehicle drivers in its training schools and has been earned

ROADS

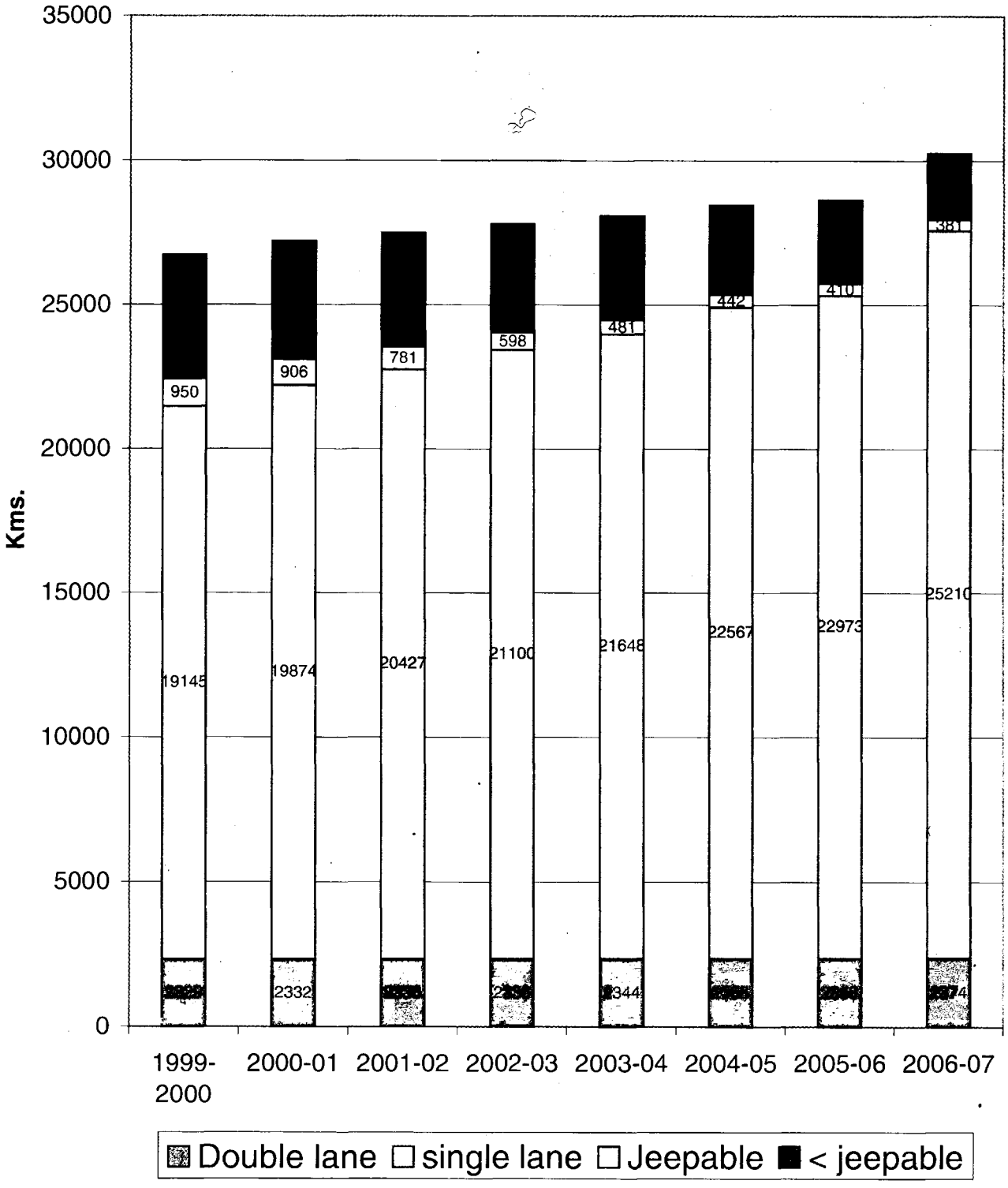
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Kms.
950
906
781
598
481
442
410
381
19145
19874
20427
21100
21648
22567
22973
25210
2332
2344
1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
Double lane
single lane
Jeepable
< jeepable

Rs.27.92 lakh by providing training to the drivers.

(x) **Bus Stands: -** H.P. Bus Stands Management Development Authority was created on 1st April, 2000 to construct and maintain Bus Stands and provide good amenities to the public and constructing shopping complexes in the state. It has constructed the bus stands at Reckong-Peo, Solan, Nagrota Bagwan, Chintpurni and Jogindernagar, Palampur, Banjar and Rajgarh and Shopping Complex Palampur, with a total outlay of Rs. 1015.98 lakh. The bus stands at Jawali, Santoshgarh, ISBT Tuti-Kandi, Kangra, Macleodganj, Arki, Rohru, Rampur, Anni, Sundernagar and Chirgaon with the total outlay of Rs. 3590.83 (excluding Rampur for which funds are being provided by NJPC) lakh are under construction.

Besides these, new bus stands at Swarghat, Manali, Baddi, Dalhousie, Theog, Parwanoo, Chamba, Nalagarh, Chamunda, Jaisingpur, Baijnath Bilaspur, Hamirpur, Nadaun, Karsog, Manali, Una under BOT basis and car parking at Chintpurni and Manali are proposed to be constructed. Apart from this HP BSM & DA has also got constructed Bus Stop/ Rain Shelter at the following sites in Shimla city under BOT namely Taradevi, 103 Tunnel, Main Bus stand, Sanjauli, Bharari, Talland, Lift, BCS, Lakkar Bazar, Medical College, Chotta Shimla, MLA Crossing.

(XI) **Taxi services in shimla town**:- HRTC has introduced taxi services in Shimla Town namely Shimla to CTO, Sanjauli to Regal, New Shimla to Shimla Club, Vikas Nagar to Shimla Club and Bharari to Regal.

(Xii) **Awards:-** HRTC has been awarded with the following trophies/awards amongst the hill STU's of the country.

a) Best performance in vehicle productivity.
b) Lowest operational cost.
c) Highest improvement in the vehicle productivity
d) Transport Minister Trophy for providing efficient and safe transport service alongwith cash prize of Rs. 1.50 lakh.
e) Best vehicle productivity for the year 2003-04.
f) Vehicle productivity award award for maximum improvement winner hill services.
g) Vehicle Productivity award for highest performance winner hill services.

9. TOURISM AND CIVIL AVIATION

9.1 Himachal with its vast potential and growing economy has immense potential for the sustenance of the tourism industry. Tourism in Himachal Pradesh has been recognised as one of the most important sectors of the economy as it is being realised as a major engine of growth for future. Himachal Pradesh is endowed with all the basic resources necessary for thriving tourism activity like geographical and cultural diversity, clean, peaceful and beautiful streams, sacred shrines, historic monuments and the friendly and hospitable people.

9.2 Tourism Industry in Himachal Pradesh has been given very high priority and the Government has developed an appropriate infrastructure for its development which includes provision of public utility services, roads, communication network, airports, transport facilities, water supply and civic amenities etc. Efforts are afoot in providing urban facilities in rural areas thereby promoting tourism not only in urban/metros but in rural areas of the Pradesh. Huge investment is being done to develop the infrastructure for the development of tourism. For the year 2007-08, there is an allotment of Rs.825.30 lakh for the development of Tourism and Rs. 175.28 Lakh for the Civil Aviation. At present 1,852 hotels having bed capacity of 41,511 are registered with the department upto December, 2007.

9.3 During the year 2007-08, to decongest the traditional circuits in the state, the department identified Integrated Development of Tribal Circuit with special focus on Eco Tourism of Spiti, Integrated Development of Outer Siraj as a Tourist Destination, Development of Eco Tourism in the state, Integrated Development of Mani Mahesh as a Tourist Destination and Integrated Development of Sihunta-Smote as Tourist Destination for which an amount of Rs. 698.00 lakh, Rs. 380.00 lakh, Rs. 368.22 lakh, Rs. 400.00 lakh and 355.00 lakh respectively has been sanctioned by the Govt. of India. Out of this, Rs. 558.00 lakh, Rs. 304.00 lakh, Rs. 294.57 lakh, Rs. 320.00 lakh and Rs. 284.00 lakh respectively have been released by Govt. of India for these projects.

9.4 Besides, above proposal of integrated development of Hamirpur of Rs. 5.00 Crores, integrated development of Hindustan Tibet Road as religious-cum-heritage circuit for Rs. 50.00 Crores, Solan Destination for Rs. 25.00 Crores and Rural Tourism Village, Kalpa and Sarahan of Rs. 0.50 Crores each have been sent to Government of India, Ministry of Tourism for Central Financial assistance. Proposal for development of Heritage Circuit of Rs. 50.00 Crores is

also being prepared and will be sent to Government of India very shortly.

9.5 The Tourism Department is encouraging the private sector to invest in tourism related projects in the state. The department has invited proposals from the private sector to invest in the tourism activities at Baddi in solan District, Jhatugri in Mandi District, Shoja in Kullu District and Baragaon in Bilaspur District. The work of Solang Nallah Ropeway-cum-Ski Centre at Manali is in progress and is likely to be completed by the end of this year. The work of Jakhoo Ropeway is in progress. The department has also a proposal for setting up of Ropeways at Dharmshala to Triund, Kullu to Bijli Maha Dev and Manali to Rohtang. Preliminary work of these ropeways have been done by M/s RITES Ltd.

9.6 In order to promote tourism, dissemination of tourist information plays significant role. Department of Tourism prepares brochures for tourist information and participation in fairs and festivals within and outside the State. The Department participated in South Asia Travel and Tourism Exchange, New Delhi, Trevel and Tourism Fair Hydrabad, Kolkatta, Ahemdabad and Bangalore, India Travel Mart Jaipur, Ahemdabad, Ludhiana and Mumbai, International India Travel Mart Pune, Chalo Jai TTE Kolkatta, International Trade Fair, Delhi, Lavi Fair, Renuka Fair Distt. Sirmour, International PATA Travel Mart Indonesia. In addition, a publicity campaign was carried out by way of releasing advertisements in the leading newspaper and magazines to popularize the facilities and services available for the tourists.

9.7 In association with the Director, Youth Services and Sports, the Department has organized the Great Himalayan Marathon on 15th November, 2007 at Shimla.

9.8 The Himalayan Adventure Sports and Tourism Promotion Association (HASTPA) with the support of this department has organized Mountain Biking/Cycling Event-MTB-Himachal-2007 in October, 2007 from Shimla to Manali.

9.9 The department has a budget provision of Rs. 8.00 lakh in general training head in the year 2007-08. The Department is organizing various adventure and general training courses for the unemployed youths of the State like Trekking Guide, Water Sports, and Skiing, EDP, Rock Climbing, Bird Watching and River Rafting training in the State.

Civil aviation

9.10 At present there are only three Airports namely Shimla at Jubbar Hatti, Kangra at Gaggal and Kullu at Bhuntar. These airports are being upgraded as detailed below:-

(a) Shimla Airport: A sum of Rs.9 crore was sanctioned for the extension of the Shimla Airport. The length of runway has been increased from 3,800 feet to 4,100 feet and an approach road from

Tara Devi to Shimla airport has been constructed. Air Deccan is operating 48 seater ATR-42-500 Aircraft with 28 passengers w.e.f. 15.4.2007.

(b) Kullu Airport: The Airport Authority of India has also obtained a consultancy report from IIT, Roorkee for expansion of the runway of Kullu airport. The report submitted by IIT, Roorkee suggests that in case if runway length and width is to be increased by bridging the river Beas, a sum of Rs. 117.20 crore is required. The matter has been taken up with the Government for further decision. In addition to Air Deccan 48 seater aircraft flights, the Alliance Air has also started the regular flights w.e.f. 30.9.2007.

(c) Kangra Airport: Rs. 1024.00 lakh has been released to the Airport Authority of India for construction and extension of the runway of the airport from 3,900 feet to 4,500 feet, new terminal building, apron, taxiway, parking, fire station, control tower etc. Air Deccan is operating 48 seater aircraft w.e.f. 16.4.2007.

(d) Proposed Airport at Sundernagar: The matter of constructing a new airport at Sundernagar is under the consideration with the State Government.

10. SOCIAL AND ECONOMIC SERVICES

EDUCATION

10.1 Education is the key instrument for developing human capability. The State is committed to provide education to all. The concerted efforts of the Govt. have put Pradesh as one of the leading State in educational literacy. According to 2001 census Himachal Pradesh has a literacy rate of 76.5 per cent. Male/female literacy rate differs considerably in the state as against 85.3 per cent literacy rate for males it is 67.4 per cent for females. All out efforts are afoot to bridge this gap.

Elementary Education

10.2 In consonance with the national policy it has been the endeavour of the Govt. to make educational facilities available within the reach of student. In order to ensure universalisation of primary education, the Directorate of Primary Education was set up in 1984 further renamed as 'Directorate of Elementary Education' w.e.f. 01.11.2005 with aims:-

- To achieve the goal of universalization of Elementary Education.
- To provide Quality Elementary Education.
- To increase access to Elementary Education.

- At present there are 10,810 notified Primary Schools in the state out of which 10,769 are functional and efforts are afoot to make the remaining 41 Primary schools functional. During the year 2007-08 (upto 31.12.2007), 2,348 Middle Schools were functioning in the State. To overcome the shortage of trained teachers, Govt. has approved the recruitment of 5,810 Primary Assistant Teacher against the vacant posts of J.B.Ts. out of which 3,600 PATs have assumed duties as on 31.12.2007. An attempt has also been made to cater the educational needs of disabled children, 24,076 mild and moderately disabled children have been enrolled in formal schools. National Programme for Education of girls is being implemented in 8 Educational Backwards Blocks. 10 Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) have been sanctioned for girls at elementary level. 8 KGBV are functioning in Chamba, 1 in Shimla, 1 new school has been sanctioned for Shillai Block of Sirmaur.

10.3 To encourage enrolment, reduce the drop out rate and enhance the retention rate of the children in these schools, various scholarships and other incentives namely Poverty Stipend Scholarship, Girls Attendance Scholarship, Scholarship for Children of Army Personnel, Scholarship for the students belonging to IRDP families, Pre-metric scholarship for Scheduled Castes students, Lahaul & Spiti Pattern Scholarship and Scholarship for the Children of Army Personnel who are

serving at the border areas are being provided to the students of Primary Schools in the State. In addition to above Free Text Books are being provided for OBC/IRDP students in non Tribal areas. Free Text Books and Uniforms to SCs students under SCP are being provided. Free Text Books and Uniforms are also given under TASP. Free Text Books are also being provided to all girls' students of primary schools belonging to even general category under Sarva Shiksha Abhiyan to enhance female literacy in the State. The revised text books including English for class I to V have been developed and introduced in all Govt. Primary Schools. Mid-day meal scheme is being implemented in all the Govt. and Govt. aided Primary Schools in the state to compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court of India . Under this scheme each student is being provided with hot cooked meal on each day of the school w.e.f. 1st September, 2004. Computer Education Programme has been started in 282 upper primary schools in remotest part of the state. Govt. has decided to introduce Punjabi and Urdu languages in 100 selected High/ Senior Secondary Schools in the state from class 6th onwards w.e.f. academic year 2007-08.

Upper Primary Level of Education

10.4 The following incentives are being provided during the year 2007-08:-

- Middle Merit Scholarship @ Rs.400/- and Rs. 800/- per annum per boy and girl respectively.
- Scholarship for IRDP families children @ Rs. 250/- and Rs. 500/- per annum per boy and girl respectively.
- Pre-Metric Scholarship for the children of ST/SC/OBC families @ Rs. 150/- per annum.
- Scholarship for the children of military personnel @ Rs.150/- per annum per student.

10.5 Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) launched by the Government of India for achieving the goal of Universal Elementary Education in the country has also been adopted by the State Government. Its objective is to provide elementary education to all children upto the age of 6-14 years by 2010 and simultaneously to bridge social, regional and gender gaps, with the active participation of the community in the management of schools.

10.6 The funding pattern of SSA in the 10th Plan period is 75% Central share and 25% State share. But for current year 2007-08, it will be 65:35 percent in place of 75: 25 percent. Central Govt. has approved an amount of Rs. 12,198.37 lakh for the current year 2007-08.

10.7 The main efforts to improve quality in education under SSA are:-

- Kshamta:- Under this programme the State Mission Authority is setting up Resource Groups at State, District, Block, Cluster and School level .
- Shakti:- This is a special initiative with a focus on mother and girl child.
- Shiksha Vimarsh:- is the open discussion forum on education for teachers and other stakeholders held once in every two months.
- Read and Reflect:- To make teachers read and discuss on issues related to education.
- Akkar Bakkar:- is the monthly magazine for children.
- Bala:- Building as Learning Aids to design the school buildings.
- Kittab:- To set up libraries in the schools so that children get supplementary reading material.
- Aadhaar-2007:- To improve the basic learning skills at primary level.

Sports Activities

10.8 A budgetary provision of Rs. 94.00 lakh was made for the year 2007-08 for carrying out the sports activities of children of Primary Schools at Centre, Block, District and State levels.

District Institute of Education & Training (DIETs)

10.9 To enhance the skills of teachers and to acquaint them with the latest teaching techniques for enabling them to handle the children more efficiently, Teacher Training Programme are being organized in different DIET's of the state.

High/Senior Secondary Education

10.10 Higher education creates technical/skilled human resources as an input for economic development. During the year 2007-08, (upto December,2007), 811 High Schools, 1216 Senior Secondary Schools and 67 Colleges including SCERT, Solan and 5 Sanskrit Colleges were functioning in the State of HP.

Scholarship Schemes

10.11 To improve the educational status of the deprived sections of the society, various types of scholarships/stipends are being provided by the state/central Govts. at various stages. The scholarship schemes are:-

(i) Swami Vivekanand Utkristh Chhatarvrity Yojna : Under this scheme 4,000 meritorious students of general categories who got 77% marks or more in 10th and +1 class are being given scholarship @ Rs. 10,000/- per student per annum.

(ii) Thakur Sen Negi Utkristh Chhatarvrity Yojna: Under this scheme, 200, boys & 200 girls students of ST category who got 72% marks or more in 10th and +1 class annual examination are provided scholarship @ Rs. 11,000/- per student per annum.

(iii) Maharishi Balmiki Chhatarvrity Yojna : The girl students belonging to

Balmiki families whose parents are engaged in unclean occupation are being given scholarship under this scheme @ Rs. 9,000/- per student per annum beyond matric level upto college level and for professional courses at the level of colleges situated in H.P.

(iv) Dr. Ambedkar Medhavi Chhatarvrity Yojna: Under this scheme 1000 students of SC and 1000 students of OBC categories, who got 72% marks or more in 10th and +1 class are being provided a scholarship of Rs.10,000/- per student per annum.

(v) Middle School Merit Scholarship Scheme: Under this scheme top four students from each education Block from 6th to 8th class on the basis of merit list of 5th class examination are being provided Rs. 400 per annum for boys and Rs. 800 per annum for girls.

(vi) High School Merit Scholarship Scheme: A sum of Rs. 1000/- per annum for Day Scholar and Rs. 1500/- per annum for Hosteler of the 9th and 10th classes is being given for first 300 students on the basis of merit of the 8th class examination.

(vii) Sanskrit Scholarship Scheme: A sum of Rs. 250 per month for 9th and 10th classes and Rs. 300 per month for +1 and +2 classes are being given to those students who secure first position in the subject of Sanskrit with 50% and above marks.

(viii) Indira Gandhi Utkrishtha Chhatervriti Yojana: Under this scheme, 150 meritorious students for post plus two courses shall be awarded @ Rs.10,000 per year per student purely on basis of merit and without any income ceiling.

Expansion of Sanskrit Education

10.12 All out efforts are made to promote Sanskrit Education by the State Govt. and Centre Govt. The details are as under:-

- Financial assistance to eminent Pandits in indiginent circumstances.
- Award of scholarships to students of High/ Sr. Sec. Schools studying Sanskrit.
- Providing grant for the salary of Sanskrit Lecturers for teaching of Sanskrit in Secondary Schools.
- Modernisation of Sanskrit Pathshalas.
- Grant to State Govt. for various schemes for promotion of Sanskrit and for research/ research projects.

Teachers Training

10.13 To acquaint the in-service teachers with the latest techniques/ teachining methods, seminar/ re-orientation courses are organized in S.C.E.R.T., Solan and HIPA Fairlawn, Shimla/NIEPA New Delhi/CCRT/ NCERT/RIE, Ajmer. In addition to this training is being organised for Principals/

Teachers under SAEP by the State AIDS Control Society.

Yashwant Gurukul Awas Yojana

10.14 In order to provide suitable residential accommodation to the teachers posted in High/Sr. Sec. Schools of Tribal and hard areas, this scheme is being implemented in 61 identified schools of the state. A sum of Rs. 15.00 lakh is being spent on each school for this purpose.

Free Text Books

10.15 The State Government is providing free text books to the students belonging to SC, ST, OBC & IRDP families. An expenditure of Rs. 708.84 lakh was incurred on 1,35,038 students during the academic session 2007-08.

Vocational Education

10.16 Vocational Education Programme is presently going on in 25 Sr. Secondary Schools of the state in which 6 subjects are being taught.

(i). Electronics Technology.
(ii). Computer Technique.
(iii). Audit & Accountancy.
(iv). Electrical.
(v). Horticulture.
(vi). Food Preservation.

Free Education to Handicapped Children

10.17 Free education to the children having more than 40% disability is being provided in the State upto University level since 2001-02.

Free Education to Girls

10.18 Free education is being provided to girl students in the State upto University level including vocational and professional courses.

Information Technology Education

10.19 Information Technology education is being imparted in all the Senior Secondary Schools in the State where enrolment is 45 or above. At present 588 Senior Secondary Schools have been covered under this scheme.

TECHNICAL EDUCATION

10.20 One National Institute of Technology (NIT), Hamirpur, 1 Jawaharlal Nehru, Govt. Engineering College Sundernagar, 5 Privately managed engineering colleges, 8 Govt. Polytechnics and 1 Polytechnic in Private Sector, 59 Co-education Industrial Training Institutes including one Institute for physically handicapped and 16 Industrial Training Institutes for women and one Motor Driving Training School, 57 ITCs (Pvt.) and 257 Vocational Training Centres in Private Sector, 1 Govt. B-Pharmacy college

Rohroo, 6 B-Pharmacy college in private sector and 2 D-Pharmacy college in private sector are functioning in the Pradesh. The ITIs/ITCs are providing 1-2 years certificate courses in 20 engineering and 22 non-engineering trades. Four I.T.Is. have been upgraded as Centre of Excellence during the year 2006-07 and Six I.T.Is have been selected for upgradation into Centre of Excellence under World Bank Aided Scheme from the academic session 2007-08. 13 I.T.Is were proposed to be upgraded under Public Partnership Mode. Government Polytechnic Sundernagar, Hamirpur and Kandaghat have been covered under Technical Education. Quality Improvement Programme of World Bank Project with an outlay of Rs. 7.24 crore, which will enable these Institutions to become Centers of Excellence in the field of technical education.

HEALTH AND FAMILY WELFARE

10.21 The State Govt. has ensured that heath services for effective prevention and treatment intervention are accessible to people and are applied efficiently. In Himachal Pradesh, Health and Family Welfare department is providing services which include curative, preventive, promotive and rehabilitative services through a net work of 52 civil hospitals, 73 community health centres, 448 primary health centres, 22 civil/ESI dispensaries and 2071 sub-centres. To provide better health services to the people, the government is strengthening the existing infrastructure by providing modern equipments, specialized services, increasing the strength of the medical and paramedical staff in the medical institutions.

10.22 A brief descripton of various health and family welfare activities carried out in the state during 2007-08 is given below:-

(i) **National Vector Borne Disease Control Programme:** Under this programme, 80 fever treatment depots, 1,511 drug distribution centres and 204 malaria clinics are functioning in the State. During the year 2007, (upto November, 2007), 4,25,138 blood slides were collected and 4,21,260 examined out of which 101 slides were found positive and no death due to malaria was reported.

(ii) National Leprosy Eradication Programme: Under National Leprosy Control Programme the prevalence rate, which was 26 per thousand in 1955, has been reduced to 0.33 per ten thousand as on 31.12.2007. The National Leprosy Control Programme was converted into Leprosy Eradication Programme in 1994-95 by the Govt. of India and with the assistance of World Bank, Leprosy Societies were formulated in the districts. During 2007-08, upto December 2007, 187 new cases were detected, 157 cases were deleted and 223 cases of leprosy are under treatment. They are getting MDT from different health institutions free of cost.

(iii) National T.B. Control Programme: Under this programme, 1 T.B. sanatorium, 12 district T.B. centres/clinics, 41 T.B. units and 168 microscopic centres having a provision of 408 beds were functioning in the state. During the year 2007-08, upto third quarter 10,913 cases were detected having positive symptoms of this disease and sputum tests of 49,485 persons were carried out. Himachal Pradesh is one of the states where all the districts have been covered under this project.

(iv) National Programme for Control of Blindness: Under this programme during the year 2007-08 (upto December,2007) 13,532 cataract operations were performed against the target of 20,000 out of which 10,522 cataract operations were performed with I.O. lenses. Upto December 2007, 92,526 students were examined under this programme against a target of 50,000.

(v) National Family Welfare Programme: The family welfare programme is being carried out in the state as a part of Reproductive and Child Health Programme on the basis of community needs assessment approach. Under this approach, grassroots level workers like multipurpose health workers give an estimate of the various family welfare activities required in the area/ population covered by them. Under this programme, 11,488 sterilisations, 20,975 I.U.D. insertions, 27,893 OP Users and 94,079 CC Users were done during 2007-08 upto December, 2007.

(vi) Universal Immunization Programme: This programme is being implemented in the state as a part of RCH programme. The programme aims at reducing the morbidity and mortality among mothers, children and infants. The preventable vaccine for diseases viz. Tuberculosis, Diphtheria, Pertusis, Neo-natal Tetanus, Poliomyelitis and Measles has shown remarkable reduction over the last years. The targets for the year 2007-08 and achievements are given in table 10.1.

Table- 10.1

Sr. No.	Item	2007-08	
		Targets	Achievement upto Dec., 07
1	2	3	4
1	D.P.T.	118945	94403
2	Polio	118945	94382
3	B.C.G.	118945	99244
4	Measles	118945	94399
5	Vit. A 1st dose	118945	89527
6	Polio Booster	137088	85253
7	D.P.T. Booster	137088	85262
8	Vit. A 2nd dose	137088	80762
9	D.T. (5-6 years)	130560	106760
10	T.T. (10 years)	130560	116796
11	T.T. (16 years)	110976	112761
12	T.T.(PW)	137871	97831
13	I.F.A. (Mothers)	137871	84962

Like previous years, the Pulse Polio Immunization campaign is being again launched in the state. First round was completed on 06.1.2008 and second round was completed on 10.2.2008. During the 1st and 2nd rounds children in the age group of 0-5 years were to be covered. In the 1st round 7,12,896 children had been given additional doses of polio drops.

Hepatitis-B vaccinations have been launched in the two districts Solan and Hamirpur of the state as a pilot project scheme. During the year 2007-08 supplementary immunization activity (SIA) was also carried out in 7 Districts namely Kangra, Kinnaur, Kullu, Shimla, Sirmaur, Solan and Una to stop the importation of Polio virus in the State.

(vii) National Iodine Deficiency Disorder (IDD) Control Programme: The main objective of this programme is to create awareness among the people about the disorder being caused due to iodine deficiency and to make people aware of the preventive measures to be taken to eradicate the problem. For this IDD global day on 21st October, 2007 was celebrated by organizing different programmes at district and block levels through out the states.

viii) National AIDS Control Programme: This programme is being implemented in the state since 1992 as a centrally sponsored scheme. During 2007, out of 13,883 persons screened 586 HIV positive and 89 AIDS cases were detected. Under blood safety 18 banks are functioning in the state.

ix) National Rural Health Mission: Under this scheme 95 Primary Health Centres have been identified to provide 24 hours emergency services. Apart from this 131 Rogi Kalyan Samities are also functioning at district and Tehsil level. A sum of Rs. 10.20 crore has been distributed to the all districts for the development of FRUs till 31.12.2007.

Medical Education & Research

10.23 The Directorate of Medical Education Training & Research was established during the year 1996-97 with the objective of providing better medical education system and training to Medical and Para Medical & Nursing personnel to monitor and coordinate the activities of Medical & dental services of State.

10.24 At present the state has two Medical Colleges i.e. Indira Gandhi Medical College, Shimla and Dr. Rajendra Prasad Medical College Tanda and one Govt. Dental College, Shimla are functioning. Besides this, four Dental colleges in private sector at Sundernagar, Solan, Nalagarh and Paonta Sahib and three HP councils (i) Medical (ii) Nursing (iii) Para Medical are functioning. The main achievements of the Department (institution-wise) are as under:

(a) IGMC, Shimla: - This College is the premier institute of the State, during 2007-08 upto 31.12.2007, IGMC, Shimla had an intake of 65 MBBS students, 34 students of Post-graduate courses in 18 specialties and 11 students for diploma courses in 8 specialties. Now the IGMC is providing the treatment facilities to the patients like open heart surgery, closed heart surgery, Fiber optical endoscope and CT scan & MRI facilities. In addition, Cath Lab and Angiography services to the heart patients and Radiotherapy to Cancer patients are being provided and 6 bedded I.C.U has started functioning w.e.f. 22.04.2007 and Telemedicine unit

has also started functioning in this institution.

10.25 The college is also actively implementing the Centrally Sponsored schemes like control of blindness and family planning programme. A sum of Rs. 300.00 lakh has been allocated and an additional funds of Rs. 1,175.40 lakh to purchase of machinery and equipments has also been allocated in the current financial year. During the financial year 2007-08 an amount of Rs. 3945.92 lakh (Non-Plan) & Rs.1360.00 lakh (Plan) has been earmarked to this institution. An allocation of Rs. 40.00 lakhs has been made during the current year for 4 new major projects viz. New OPD Block, Administrative-cum-packing Block, Married doctor's hostel and Indoor Block. In addition to this, a sum of Rs. 80.00 lakh for minor works and Rs. 10.00 lakh for maintenance of residential buildings has been provided to IGMC, Shimla. A sum of Rs. 150.00 lakhs have been provided for Trauma Centre by the Govt. of India through state Govt. out of which Rs. 59.12 lakh has been spent on purchase of equipments.

(b) Dr. Rajendra Prasad Govt. Medical College, Tanda (Kangra):- (i) Dr. Rajendra Prasad Medical College, Kangra at Tanda was started in 1996 with an intake capacity of 50 MBBS students. At present 9th batch are running in this institution. The OPD of 500 bedded hospital of this institution has started its functioning from the month of October, 2007 and complete functioning of the hospital has been started from 3rd December,2007.

(ii) In addition to MBBS course this college has started DNB courses in the department of Radiology and Anesthesia and process for starting DNB in surgery are in progress. Proposal to start MD courses in this institution is under consideration. The second batch of BSc in Radiology, Anesthesia and Para Medical Lab Technology is going on.

(iii) During the financial year 2007-08, the budget for Rs. 1,090.00 lakh has been allocated for various on going construction work under capital outlay and Rs. 3,210.00 lakh under revenue head, total plan for 2007-08 was of Rs.4,300.00 lakh.

(c) Dental College and Hospital Shimla: (i) H.P. Govt. Dental College and Hospital, Shimla Hospital is the only dental College in the state which was established in the year 1994-95 with intake capacity of 20 admissions. The College was recognised by the Govt. of India on 16.3.2001 and also approved for 60 admissions from the year 2003-04. This Institution is equipped with all modern facilities for clinical laboratories and library etc.

(ii) The object of the opening of the Dental College and Hospital was to meet the ever increasing demand of Dental Surgeons and Dental Para Medical staff with the view to provide better dental health care to the people of the State.

(iii) This Institution has started MDS Courses in Community Dentistry, Oral Surgery, and Orthodontics Periodontics (2 each) from this session 2006-07 and

started 60 admission of BDS from 2007-08. This Institution has also started training to Dental Mechanic and Dental Hygienist and at present 20 candidates in Dental Mechanic and 20 candidates in Dental Hygienist are undertaking training.

AYURVEDA

10.26 In Himachal Pradesh, treatment by Indian System of Medicine and Homoeopathy is being provided to the general public through 2 regional Ayurvedic hospitals, 2 circle Ayurvedic hospitals, 3 tribal hospitals, 9 district Ayurvedic hospitals, 1 nature care hospital, 1,109 Ayurvedic health centers, 9 ten/twenty bedded hospitals, 3 Unani health centers, 14 homoeopathic health centers and 4 Amchi clinics (out of which 1 is functional). There are 3 Ayurvedic Pharmacies at Jogindernagar (District Mandi), Majra (District Sirmaur) and Paprola (District Kangra). These pharmacies are manufacturing medicines, which are supplied to the Ayurvedic health institutions of the department. Rajeev Gandhi Government P.G. Ayurvedic College, with an annual intake capacity of 50 students for B.A.M.S. degree, is functioning at Paprola in Kangra district for providing Ayurvedic education in the Pradesh. Besides this, the Post Graduate Classes in Kayachikitsa, Shalakya Tantra, Prasuti Tantra, Basic Principals and Ras Shastra and Shalya Tantra are also there in the college. The number of students of P.G. has been reached to 24. The department of Indian System of Medicine remained associated with National Health Programmes like malaria eradication, family welfare, AIDS, immunisation and pulse polio etc. During the year 2007-08, there is a budget provision of Rs. 6,272.36 lakh under Plan and Non-Plan Heads.

Development of Herbal Resources

10.27 In order to cultivate, propagate & conserve the herbal wealth, herbal gardens have been established at Jogindernagar (Mandi), Neri (Hamirpur), Dumreda (Shimla) and in Jangal-Jhalera (Bilaspur) in different Agro-climate zones of the State

10.28 The National Medicinal Plants Board, Govt. of India has conducted training programme at four places viz. Rohru (Distt. Shimla), Padhar (Distt. Mandi), Tissa & Bharmaur (Distt. Chamba).

10.29 To make Rajeev Gandhi Govt. Post Graduate Ayurvedic College, Paprola as model college, Govt. of India has released funds to the tune of Rs. 78.04 lakh during the year 2007-08.

10.30 To modernize three departmental pharmacies Govt., of India has sanctioned Rs. 3.00 crore (1.00 crore for each Pharmacy) in different years. The strengthening of these Departmental Pharmacies is underway.

Drug Testing Laboratory

10.31 To strengthen this unit financial assistance of Rs.1.00 crore has been procured from Government of India

in different years upto 2007-08.The process is underway to strengthen existing infrastructure of Drug Testing Laboratory, Joginder Nagar. During the year, DTL Joginder Nagar has analyzed 455 samples from Government and Private Pharmacies and generated a revenue of Rs. 1,64,000/-.

Other Developmental Activities

10.32 (i) To exhibit the products of medicines being manufactured in the departmental pharmacies, the department participated in International Trade Fair at New Delhi from 14th to 27th November, 2007. Besides this the department also organised 50 farmers training camps in different parts of the State to create awareness about cultivation, propagation and conservation and use of valuable medicinal plants, where about 1,676 farmers and other beneficiaries were benefited.

(ii) A state level workshop on Naturopathy was conducted at Ayurveda College Paprola on 10-11 December, 2007. Workshops training programme continued Medical Education Scheme of Govt. of India were held in ten Districts during the year 2007.

(iii) During the year 2007-08 the National Medicinal Plants board has sanctioned 142 projects proposals with a financial assistance of Rs. 299.69 lakh.

SOCIAL WELFARE & WELFARE OF BACK-WARD CLASSES

10.33 The Social Justice and Empowerment Department of the state is engaged in socio-economic and educational uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, infirms, handicapped, orphans, children, widows, destitutes, poor children and women etc.. The following schemes are being implemented under social welfare programme:-

Social Security Pension Scheme

10.34 Under this scheme old age pension w.e.f. 1.1.2008 @ Rs. 300 per month is provided to those persons who are 60 years old or above and having annual income below Rs.6,000. Similarly the disability relief allowance @ Rs. 300 per month is being provided to those persons having at least 40% of disability and whose annual income does not exceed Rs. 6,000. Widow pension @ Rs. 300 per month to those widows/ deserted women irrespective of their age whose annual income also does not exceed Rs. 6,000. The annual income of earning sons in respect of old age and disabled persons and widow/ deserted women should also not exceed Rs. 11,000. During 2007-08, there was a budget provision of Rs. 3,777.80 lakh for old age, national old age pension and disabled persons out of which 3,163.05 lakh were spent upto 31.12.2007. Under Deserted/ Widow Pension Scheme there was a budget provision of Rs. 1,557.32 lakh for the year 2007-08 against which Rs. 1,298.74 lakh were spent upto December, 2007.

Child Welfare

10.35 With a view to look after the orphans, semi-orphans and destitute children, the department is providing grant-in-aid for running and maintenance of Bal /Balika Ashrams at Sarahan, Suni, Rockwood (Shimla), Durgapur (Shimla), Kullu, Tissa, Bharmaur, Dhalli, Kalpa, Shilli (Solan) Bharnal, Dehar (Mandi) and Chamba being run by the voluntary organizations. The department is running Balika Ashrams at Pragpur (Kangra) and Mashobra (Shimla) and Bal Ashrams at Sujanpur (Hamirpur), and Tutikandi (Shimla). In addition, Bal/Balika Ashrams have also been started at Masli (Rohru, Distt. Shimla) and Killar (Chamba). In these ashrams the inmates are provided free boarding and lodging facilities and education upto 10+2 standard. After leaving the Ashram they are being given financial assistance of Rs. 10,000 for self employment and rehabilitation. Assistance is also provided to them for higher education after 10+2. In children sector three schemes i.e. running of Bal/ Balika Ashrams, rehabilitation grant to the inmates of Bal/Balika Ashrams, after care services have now been restructured as **"Mukhya Mantri Bal Uddhar Yojna"**. Under this scheme the Ashrams have been restructured according to the age group of children and restricted the admission of the children from BPL families only. Establishment of specially designated institutions for providing senior education. Provision for higher education, professional education, carrier guidance and job orientated vocational training and rehabilitation by way of placement and self employment have been included in the scheme.

Integrated Child Development Services

10.36 Under "Integrated Child Development Services" (ICDS) programme, which is 100% Centrally Sponsored Scheme/ Programme, for the overall development of children between the age of 0-6 years, pregnant/ nursing mothers and adolescent girls, the department is providing supplementary nutrition, pre-school education, health check-ups and referred services through 18,248 Anganwari centres in 76 projects in the State. Out of 18,248 Anganwari centres, 10,894 centres have been made functional during the current financial year. During the financial year 2007-08, about 4,28,172 children, 1,01,703 pregnant and nursing mother and 88,000 adolescent girls are being benefited under this scheme. There is a budget provision of Rs. 6,099.80 lakh for the year 2007-08, out of which an amount of Rs. 2,496.90 lakh has been spent upto December, 2007.

Balika Samridhi Yojna

10.37 Main objective of the scheme is to change the negative attitude towards the girl child and mother at the time of birth in case of the girl child. Under this scheme, there is a provision to give post birth grant of Rs. 500 in favour of first two girl children taking birth in the BPL family. Besides,

scholarship ranging from Rs. 300 to Rs. 1,000 per girl student per annum upto 10th standard is also given to these girls who took/are taking birth on or after 15.08.1997. During the current year upto December, 2007, post birth grant of Rs. 11.57 lakh was given in favour of 2,314 girl children and a scholarship of Rs. 6.00 lakh has been provided to 1,839 girls. During the year 2007-08, there is a provision of Rs.40.00 lakh.

Kishore Shakti Yojna

10.38 This is 100% Centrally Sponsered Scheme and is being implemented through out the state through ICDS network. Under this scheme about 3,56,000 adolescent girls between the age group of 11-18 years have been identified and every year, Rs. 83.10 lakh @ Rs. 1.10 lakh per block are kept under this scheme . Besides this, Nutrition and Health Education has been provided to 74,000 Adolescent Girls. During current financial year upto December 2007 Rs. 75.00 lakh have been spent under this scheme.

Women Welfare

10.39 Various schemes are being implemented for the welfare of women in the Pradesh. The major schemes are as under:-

(a) State Homes: The main purpose of the scheme is to provide shelter, food, clothing, education and vocational training to the young girls, widows, deserted, destitute and women who are in moral danger. For the rehabilitation of such women after leaving State Homes financial assistance upto Rs.10,000 per woman is also provided. A budget provision of Rs.3.00 lakh was kept under this scheme during 2007-08.

(b) Mukhya Mantri Kanyadaan Yojna: Under this programme marriage grant increased to Rs. 11,001 from Rs. 5,100 is being given to the guardians of the destitute girls for their marriages provided their annual income does not exceed Rs. 7,500. During 2007-08, a budget provision of Rs.140.00 lakh was kept for this purpose out of which an amount of Rs. 71.00 lakh was spent and 751 beneficiaries were covered upto December, 2007.

(c) Self Employment Scheme for Women: Under this scheme Rs. 2500 are provided to the women having annual income less than Rs. 7500 for carrying income generating activities. During the year 2007-08 a budget provision of Rs. 13.00 lakh was made.

(d) Widow Re-marriage Scheme: From the year 2004-05, the State Govt. has started widow re-marriage scheme. The main objective of the scheme is to help in rehabilitation of widow after re-marriage. Under this scheme an amount of Rs. 25,000, as grant, is provided to the couple. During the year 2007-08 a budget provision of Rs. 35.00 lakh was kept under this scheme against which Rs. 8.00 lakh was given to 32 such couples upto December, 2007.

(e) Swayamsidh Scheme: For the economic and social empowerment of women a Centrally Sponsored Scheme 'Swayamsidha' is being implemented in eight blocks viz. Rohru, Baijnath, Chamba, Solan, Pachhad, Jhanduta, Lambagaon and Karsog by the Department. Under this scheme so far 800 woman self help groups have been formed in these blocks. The members of SHGs formed under this scheme have saved an amount of Rs. 160.85 lakh so far.

(f) Mother Teressa Asahay Matri Sambal Yojna: The aim of this scheme is to provide assistance of Rs. 1,000 per child to the destitute women belonging to the BPL families or having income less than Rs. 11,000 for the maintenance of their children till they attain the age of fourteen years. The assistance will be provided only for two children.

Welfare of Disabled

10.40 For the welfare of handicapped the following schemes are run by the department:-

(i) Disabled Scholarship : The main purpose of this scheme is to encourage handicapped children for education. Scholarships are given to these children under this scheme. During 2007-08, Rs.49.60 lakh were kept for this scheme and Rs. 10.65 lakh were spent upto December, 2007 benefiting 498 handicapped children.

(ii) Marriage Grant for Disabled: Marriage grant @ Rs. 5,000 is given to those who marry disabled girl or boy having not less than 40 percent disability and who have attained the age of 21/ 18 years respectively. During the year 2007-08, an amount of Rs. 30.00 lakh had been kept for this purpose and an amount of Rs. 10.88 lakh was spent benefiting 173 persons upto December, 2007. The amount of assistance of Rs. 5,000 has been increased to Rs. 8,000 to those having disability upto 74% and Rs. 15,000 to those having disability more than 74%.

(iii) Self Employment Scheme for Disabled: Under this scheme, Rs. 2500 are provided to the disabled persons whose disability is 40% or more and annual income is less than Rs.7500. There was a budget provision of Rs. 10.00 lakh for the year 2007-08 under this scheme and Rs. 1.15 lakh were spent upto December, 2007 benefiting 46 person.

Welfare of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes

10.41 Under this programme, the important schemes implemented during 2007-08 are as under:-

(i) Award for Inter-caste Marriage: For elimination of the practice of untouchability between Scheduled Castes and non Scheduled Castes , the State Govt. encourages inter-caste marriages. Under this scheme, an amount of Rs. 25,000/- per couple is given as incentive money. For inter-

caste marriages during 2007-08, a budget provision of Rs. 66.75 lakh was kept for the purpose and 53 couples were benefited with an amount of Rs. 13.25 lakh upto December, 2007.

(ii) Housing Subsidy: Under this scheme the members of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes are given subsidy of Rs. 27,500 per family for house construction purposes and Rs. 12,500 per family for repair of houses for those having annual income does not exceed Rs. 17,000. For the year 2007-08, an amount of Rs. 813.00 lakh was kept and 2,023 persons were benefited with an amount of Rs. 300.48 lakh upto December, 2007.

(iii) Environmental Improvement of Harijan Basties: Under this programme, grant upto 1.00 lakh is sanctioned for the pavement/drainage/small drinking water supply schemes like wells / bowaries etc. During the year 2007-08, an amount of Rs. 411.00 lakh was provided and 510 harijan basties were benefited with an amount of Rs. 195.15 lakh upto December, 2007.

(iv) Training and Proficiency in Computer Applications and Allied Activities: This scheme has been extended to minorities communities also. The department proposes to provide training in the recognized computer courses. The department will bear the training cost not exceeding Rs. 1200/- per month per candidate and balance cost if any will be born by the candidate. During the training a stipend of Rs. 1,000/- per month is being provided. After completion of the training the candidates will be placed for six month in the organization / offices so as to gain proficiency in computer applications. During the period of placement Rs. 1500/- per month per candidate will be provided. During the year 2007-08 upto 31.12.2007, a budget of Rs. 411.00 lakh was kept, 510 trainees were benefited.

(v) Follow up Programme: Under this scheme, implements and tools costing Rs.800 per beneficiary are given to scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes whose annual income does not exceed Rs. 11,000 p.a. For the year 2007-08, a budget provision of Rs. 78.77 lakh was made under this scheme out of which an amount of Rs. 20.45 lakh was spent benefiting 2,568 persons upto December, 2007.

(vi) Compensation to Victims of Atrocities on Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Families: Under this scheme monetary relief is granted to those scheduled castes, scheduled tribes families who become victims of atrocities committed by the member of other communities due to caste consideration. During the year 2007-08 against the budget provision of Rs. 30.00 lakh an amount of Rs. 1.75 lakh was incurred upto December, 2007 under this scheme thereby benefiting 19 families.

Scheduled Caste Sub-Plan

10.42 For bringing economic improvement accelerating the pace of

infrastructure development for the benefits of the scheduled Castes, the state Govt. has transferred all subjects relating to Scheduled Castes Sub-Plan and other socio-economic related schemes of the Scheduled Castes to the Social Justice & Empowerment department in the year 2002 and now made a Nodal department. Prior to (2002) this, work was being looked after by the Tribal Development department.

10.43 The Scheduled Castes in this Pradesh are not concentrated into specific regions but are widely dispersed and would be benefited equally as rest of the population. Accordingly approach to economic development in the case of Scheduled Castes Sub-Plan is not area based as the case with the Tribal Sub-Plan. The district of Bilaspur, Kullu, Mandi, Solan, Shimla and Sirmaur are the predominantly Scheduled Castes population districts where Scheduled Castes concentration is above the state average. These six districts taken together account for 61.31% of the Scheduled Castes population in the state.

10.44 For making Scheduled Castes Sub-Plan need based and effective the Single Line System for Plan formulation and monitoring has been introduced whereby funds are allocated to each district based on fixed parameters which are non-divertible from one district to another district and plans are prepared at district level for each district under the supervision of the Deputy Commissioner and in consultation with the Heads of the Districts/Regional Offices of the implementing department.

10.45 The various programmes for the welfare of Scheduled Castes are being implemented effectively. Although the Scheduled Castes communities are deriving benefits under the normal Plan as well as Tribal Sub-Plan yet, in order to provide special coverage under individual beneficiary programmes and Development of infrastructure in Scheduled Castes concentrated villages, 11% of the total State Plan allocation is earmarked for Scheduled Castes Sub-Plan. The main emphasis of the state Govt. is to identify more and more realistic schemes, which may generate sizeable income and employment for the Scheduled Castes families.

10.46 A separate Sub Major Head "789" has been created for Scheduled Caste Sub-Plan and a separate Demand (Demand No. 32) has also been created. The entire budget of Scheduled Castes Sub-Plan for 2007-08 would be budgeted in the newly created demand. Such an arrangement will be very helpful in diverting funds from one scheme to another in the same major Head and from one Major Head to another to ensure 100% expenditure under SCSP.

10.47 The District Level Review & Implementation Committee has been constituted at district level under the Chairmanship of Minister of the district and Deputy Commissioner as its

Vice-Chairman. The Chairman of the Zila Parishad and all the Chairmans of BDCs alongwith other prominent local persons have been nominated as non-official members and all district level officers concerned with SCSP as official members to review, formulation and implementation of Scheduled Castes Sub-Plan. The Secretary (SJ&E) holds quarterly review meeting with the departments at the state Level. Besides this a High Powered Coordination and Review Committee has been constituted under the Chairmanship of the Hon'ble Chief Minister, which also review the performance of Scheduled Castes Sub-Plan.

Point No. 11(a) of 20 Point Programme

10.48 There are 1,07,057 SC families in the state who has been found to be living below poverty line according to the survey conducted by the Rural Development department during the year 1997. During the year 2007-08, (upto December, 2007) the 11,560 SCs families have been benefited against the target of 45,000 SCs families.

Special Central Assistance

10.49 The Ministry of Welfare, Govt. of India in order to enable the State Government to implement the development schemes for the scheduled castes population more effectively, is helping them financially by giving Special Central Assistance every year. The main objective of providing S.C.A. is to attract more funds to have large allocation for taking up schemes, which the individual departments might find difficult to undertake solely from their own resources.

DRINKING WATER

10.50 Water management is important issue provision of safe drinking water has been the priority of the state Govt. All the villages in the state have been provided with drinking water facilities by March, 1994. As per the latest updated/ validated survey of drinking water supply schemes on 1.04.2007 in Himachal Pradesh, there are 45,367 habitations in the state out of which 44,960 were "Fully Covered" and 1,407 were "Partially Covered" category. The government has accorded top priority for coverage of partially covered habitations. During the year 2007-08, against the target of covering 1,407 habitations under state sector and 3,103 habitations under central sector with an outlay of Rs. 11,048.00 lakh and Rs.11,746.00 lakh respectively, 915 habitations up to December, 2007, with an expenditure of Rs. 8,255.89 lakh (upto Nov. 2007) under State Sector and 1,969 habitations up to December, 2007, with an expenditure of Rs. 5,776.52 lakh (upto November, 2007) under Central Sector were covered.

10.51 During the year 2007-08, 782 handpumps were installed upto December, 2007. Water supply schemes in 38 towns have been augmented and 4 towns namely Shimla, Solan, Jubbal and Bilaspur have been targeted for the current financial year 2007-08. During

the year 2007-08, a budget provision of Rs. 5,424.00 lakh was kept for augmentation of water supply scheme, against which an expenditure of Rs. 2,344.10 lakh has been incurred upto November, 2007.

SEWERAGE

10.52 Work to provide sewerage facilities in 24 towns is in progress in the state against total outlay of Rs. 2,400.00 lakh during the year 2007-08 for sewerage schemes, an amount of Rs. 602.53 lakh has been spent upto November, 2007. There is a target to complete 3 sewerage schemes namely Paounta Sahib, Jubbal and Nagrota during the current financial year 2007-08.

11. URBAN DEVELOPMENT

11.1 Consequent upon the 74th Constitutional Amendment, the rights, powers and activities of the urban local bodies have increased manifold. There are 49 urban local bodies including Shimla Municipal Corporation. The Government is providing grant in-aid every year to these local bodies to enable them to provide civic amenities to the general public. Due to limited income sources of urban local bodies, a sum of Rs. 4,934.09 lakh has been proposed to be provided to these local bodies during 2007-08.

11.2 During the year 2007-08, out of the above funds, a sum of Rs. 3,052.05 lakh is proposed to be provided to urban local bodies as per the recommendations of 2nd State Finance Commission and Rs. 2,289.04 lakh has been released upto 31st December, 2007. This amount includes developmental grant and gap filling amount between income and expenditure. During the year 2007-08, on the recommendations of 12th Finance Commission a sum of Rs. 160.00 lakh has also been released to MC Solan for constructing solid waste management plant.

Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM):

11.3 The Hon'ble Prime Minister of India launched JNNURM on 3rd December, 2005. The mission aims at creating economically productive, efficient, equitable and responsive cities in an integrated frame work with economic and social infrastructure, basic services to urban poor and strengthening of various municipal organizations and their functioning. Under this mission only Shimla town being State capital has been covered by the Govt. of India.

11.4 H.P. Housing & Urban Development Authority (HIMUDA) has been nominated as Nodal Agency for the mission. Components like development of roads, sewerage, parking, tunnels and garbage management etc. will be taken in hand. There is a budgetary provision of Rs. 50.00 lakh under the scheme during the financial year 2007-08 as state share. The following projects have been approved by the Govt. of India.

i) Capacity building Activities including Research and Training towards implementation of BSUP and IHSDP under JNNURM.

ii) Widening and lowering of exdsisting tunnel near Aukland House School or motor round road Shimla.

iii) Ashiana a housing scheme for the poor of Shimla town.

iv) Setting up of solid waste management improvement of Shimla city.

Maintenance of Roads in Municipal Areas:

11.5 About 1,000 Kms roads/ paths/ streets are being maintained by 49 urban local bodies and Rs. 500.00 lakh has been provided in the budget for the financial year 2007-08 for maintenance of roads which stands released to the urban local bodies in proportionate to length of roads/ paths/streets being maintained by the urban local bodies.

Environment Improvement of Urban Slum & National Slum Development Scheme:

11.6 Under this scheme a sum of Rs. 122.00 lakh has been proposed to be provided to all the ULBs for benefiting 1,631 slum dwellers families. The funds under this scheme is meant for providing basic amenities such as community path, latrines and night shelters to avoid further environment degradation of the towns upto 31.12.2007. An amount of Rs. 11.29 lakh has been spent and 192 beneficiaries have been benefited. The physical and financial target will be achieved by 31.3.2008.

Centrally Sponsored Schemes:

11.7 Two Centrally Sponsored Schemes are being implemented in the urban local bodies' viz. Swaran Jayanti Shahri Rozgar Yojana (SJSRY) and Integrated Development of Small and Medium Towns (IDSMT). Under SJSRY the main objective is to uplift the urban poor by providing employment to unemployed or under employed poor through encouraging setting up of self employment ventures or by providing wage employment. For the implementation of SJSRY, a sum of Rs. 4.10 lakh has been released as State share for benefiting the identified urban poor families.

11.8 Under Integrated Development of Small and Medium Towns (IDSMT) there is a budget provision of 20.00 lakhs out of which Rs. 10.00 lakh stands released to NP Kotkhai and Mehatpur as state share. Remaining 10.00 lakh is being released to N.P. Narkanda. The Government of India has restructured this scheme and renamed as Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns (UIDSSMT) to be implemented from the year 2006-07. The Government of H.P. has declared HIMUDA as Nodal Agency for plan formulation and execution of the scheme. The project report of three towns namely Hamirpur, Dharamshala and Mandi are covered under the scheme. The proposal of MC Chamba is in pipeline during this year. For the implementation of this scheme, a sum of Rs. 15.00 lakh as State Share has been provided in the budget for 2007-08.

Rajiv Gandhi Urban Renewal Facility (RGURF):

11.9 The Hon'ble Chief Minister in his budget speech for the financial year

2006-07 the Government has announced for setting up of Rajiv Gandhi Urban Renewal facility for infrastructure and sanitation improvement in all urban areas of the State other than Shimla. Car parking, solid waste management, Parks and community toilets will be constructed in the ULB's under the scheme. A sum of Rs. 1000.00 lakhs has been provided in the budget for the implementation of the scheme.

TOWN AND COUNTRY PLANING:

11.10 With a view to manage and regulate the increasing trend in urbanization in a planned and systematic manner and to check the unauthorized construction activities, the government of HP enacted the Town & Country Planning Act, 1977 and made it applicable almost to all the major towns of the State.

11.11 For ensuring planned development of various towns/growth centers, the department has extended Town and Planning Act, 1977 to 20 Planning areas and 34 special areas of the State. During the year 2007-08 Existing Landuse maps of Theog, Waknaghat and Additional Kasauli Planning Area as well as Trilokpur, Nerchowk and Sarahan Special Area were prepared and notified for objections/suggestions of the public. Development Plan for Chamba Planning Area was prepared and approved by the Govt. Draft Development Plan for Garli-Pragpur Special Area was prepared and published for public objections/ suggestions. Heritage Buildings of Shimla which have historical importance and possess distinct architectural design were identified and notified for their preservation Through Grant-in-Aid provided to seven Special Area Development Authority in tribal areas, community works like construction of roads/ paths, sewerage, drainage, street lighting etc. have been undertaken.

12. RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

RURAL DEVELOPMENT

12.1 The main objectives of the rural development programme are poverty alleviation, employment generation, area development and the implementation of other developmental programmes in the rural areas. The following state and centrally sponsored developmental schemes and programmes are being implemented in the state:-

1. Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana

12.2 Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana was launched from the year 1999-2000. This Yojana is a holistic package covering all aspects of self employment such as organization of poor into self help groups, training, credit, technology, infrastructure and marketing. The beneficiaries under this scheme are called as "Swarozgaries". This scheme is a credit-cum-subsidy programme. Subsidy under SGSY is uniform at 30 percent of the project cost subject to a maximum limit of Rs. 7,500. In respect of SCs/STs and disabled persons, however, these will be 50 per cent and Rs.10,000 respectively. For groups of swarozgaris (SHGs), the subsidy is 50 per cent of the project cost, subject to per capita subsidy of Rs.10,000 or Rs. 1.25 lakh whichever is less. SGSY will particularly focus on the vulnerable groups among the rural poor. Accordingly, the SCs/STs will account for the 50 per cent of swarozgaris, women for 40 per cent and the disabled for 3 percent. This scheme is being implemented by Central and State Governments on 75:25 cost sharing basis.

12.3 Since inception of this scheme 7,373 Self Help Groups have been formed. During the year 2007-08, upto December, 2007, 528 Self Help Groups have been formed and 379 groups consisting of 3,622 BPL families have taken up economic activities. These groups were given Rs.258.39 lakh as subsidy and Rs.920.21 lakh as credit. Besides, 815 individual swarozgaris were assisted under SGSY and Rs.65.02 lakh were given as subsidy and Rs.333.71 lakh as credit. Against credit mobilisation target of Rs. 1,842.53 lakh for the year 2007-08 credit to the tune of Rs.1,253.92 lakh has been disbursed to 379 SHGs and 815 swarozgaries.

SGSY Special Projects

Installation of Hydrams

12.4 A project for installation of 400 hydrams under SGSY Special Project Component has been approved by Government of India with a total project cost of Rs.1,047.20 lakh, which includes subsidy of Rs.770.48 lakh, Rs.161.40 lakh as loan and Rs.115.32 lakh as beneficiaries share. The subsidy component will be shared by Centre and

State Governments on 75:25 sharing basis. Upto December, 2007, 333 sites have been selected and 262 hydrams have been procured out of which 208 hydrams have been installed. An amount of Rs. 414.33 lakh has been spent on the installation of hydrams.

Gold Mines Project

12.5 The Government of India has approved a project titled 'Gold Mines' in Bilaspur district under SGSY Special Project Component with a total project cost of Rs.840.35 lakh, which includes subsidy of Rs.327.76 lakh and Rs.512.59 lakh as loan component. The subsidy component will be shared by Centre and State Govts. on 75:25 sharing basis. The activities covered under the project are Floriculture, Sericulture and Mushroom cultivation. Upto December, 2007, Rs.227.04 lakh have been spent in the development of these activities. 449 beneficiaries have been benefited under this project for Floriculture, Sericulture and Mushroom cultivation.

Marketing of Rural Goods

12.6 The project approved by Govt. of India with a total cost of Rs.914.52 lakh includes subsidy of Rs.769.52 lakh and Rs.145.00 lakh as loan component. Centre and State Governments will share subsidy component on 75:25 sharing basis. Under this project, 50 Himachal Gramin Bhandars and 1 Central Gramin Bhandar will be constructed in the state. Upto December, 2007, construction work of 24 Gramin Bhandars have been completed and construction work at 7 sites is in progress. So far expenditure to the tune of Rs. 350.46 lakh has been incurred.

Milch Live-stock Improvement

12.7 The project duly approved by the Government of India for Solan district with a total project cost of Rs.886.95 lakh includes subsidy of Rs.715.15 lakh and Rs.171.80 lakh as loan component. The subsidy component will be shared by the Centre and State Governments on 75:25 sharing basis. The development of dairy farming will be undertaken under this project. DRDA Solan has so far been provided Rs.286.05 lakh for the implementation of this project and Rs. 306.09 lakh have been spent upto December, 2007.

Rural Development Through Diversification in Agriculture

12.8 The Govt. of India has approved this project under SGSY Special Project Component with a total project cost of Rs. 1,385.32 lakh, which includes 1,086.25 lakh as subsidy and 299.07 lakh as loan components. Centre and State Governments will share the subsidy component on 75:25 sharing basis. Under this project the activities like (i) Cultivation of Medicinal Plants, Aromatic Plants, Flowers and Orchids, (ii) Sericulture and (iii) Innovative Practices in Animal Husbandry have been taken. So far Rs. 963.20 lakh have been provided to DRDA Mandi for the implementation of this project out of which Rs. 683.73 lakh have been spent upto December, 2007.

Self Reliance through Sericulture and Dairy Development

12.9 This project with a total cost of Rs. 1,499.98 lakh which includes Rs.993.37 lakh as subsidy and Rs. 506.61 lakh as loan component have been approved by Govt. of India for Hamirpur district for the development of Sericulture and Dairy Development. The subsidy component will be shared by the Centre and State Governments on 75:25 sharing basis. So far Rs. 784.88 lakh have been provided to DRDA Hamirpur for this project out of which an expenditure of Rs. 634.77 lakh has been incurred upto December, 2007.

Green Gold

12.10 For the cultivation of Medicinal plants, Aromatic plants, Flowers and Orchids, Off-season Vegetables, Mushroom and improved Dairy Management, this project with a cost of Rs. 1,488.73 lakh which includes Rs.1,361.23 lakh as subsidy and Rs.127.50 lakh as loan component and beneficiaries share has been approved by Govt. of India for district Chamba. Centre and State Governments will share the subsidy component on 75:25 sharing basis. So far Rs. 1,088.98 lakh have been provided to DRDA Chamba for this purpose out of which Rs. 656.10 lakh have been spent upto December, 2007.

Intensive Dairy Development Project

12.11 Govt. of India has approved this project for Kangra district with a cost of Rs. 1,301.25 lakh which includes Rs. 1,151.40 lakh as subsidy and Rs. 149.85 lakh as loan component and beneficiaries share. The subsidy component will be shared by the Centre and State Governments on 75:25 sharing basis. Rs. 921.12 lakh have so far been provided to DRDA Kangra for the intensive development under this project, out of which Rs. 516.94 lakh have been spent upto December, 2007.

2. Sampoorna Gramin Rojgar Yojana

12.12 This programme has been launched with the objective to provide additional and supplementary wage employment and thereby to provide food security in rural areas, alongwith the creation of durable community, social and economic assets and infrastructure development in these areas. Priority is directed towards provision of wage employment to the poorest among poor, women, SCs/STs and parents of child labour withdrawn from hazardous occupations. The scheme is being implemented on 75:25 cost sharing basis between Centre and State Governments. The funds under this scheme are distributed among the Zila Parishad, Panchayat Samities and Gram Panchayats in the ratio of 20:30:50. Upto December, 2007, 8.34 lakh mandays have been generated and an amount of Rs.1,256.07 lakh has been spent. Besides this, 4,339.24 Mts. foodgrains have been utilized.

3. Watershed

12.13 The three schemes viz. Integrated Watersheds Development Programmes (IWDP), Drought Prone Area

Programme (DPAP) and Desert Development Programme (DDP) are under execution. The Government of India, (RDDLR) has sanctioned 67 projects (866-Micro-watersheds) to the tune of Rs.254.12 crore for the treatment of 4,52,311 Hectare of land under IWDP, 412 micro-watershed with a total cost of Rs. 116.50 crore for the treatment of 2,05,833 Hectare of land under DPAP and 552 micro-hectare with a cost of Rs. 159.20 crore for the treatment of approved locally 1,96,242 hectare of land under DDP since inception of the programme upto December,2007 against which the expenditure under I.W.D.P is Rs. 125.67 crore, under D.P.A.D. Rs. 43.31 crore and under D.D.P. Rs. 69.80 crore were incurred upto December,2007.

4. Indira Awas Yojana

12.14 Indira Awas Yojana is a centrally sponsored scheme. Under this scheme, an assistance of Rs. 27,500 per beneficiary is being given to BPL families for the construction of new houses. The selection of beneficiaries is being done by Gram Sabha. The Central and State Governments are financing this scheme on 75:25 sharing basis. During the year 2007-08, upto December, 2007, against a target of construction of 4,242 new houses, 1,869 new houses also including spillover houses have been constructed and 3,154 houses are in progress. So far an amount of Rs. 689.15 lakh have been spent under this scheme.

5. National Family Benefit Scheme

12.15 In case of death of a bread earner of a family living below the poverty line, financial assistance of Rs.10,000 per family is provided to bereaved family.

6. Rajeev Gandhi Awaas Yojana

12.16 The scheme is being implemented on the patron of Indira Awas Yojana. Upto December, 2007, against the target of construction of 5,516 new houses, 3,296 houses including spillover houses have been constructed and 4,626 houses are in progress. An amount of Rs.971.60 lakh has been spent under this scheme.

7. Total Sanitation Campaign Project

12.17 With a view to ensure total sanitation in the rural areas the department is implementing this scheme in all the districts of the State. For the implementation of this project through out the State, the Central Government has released Rs. 19.26 crore since inception out of which an amount of Rs. 12.05 crore has been spent upto December, 2007 under this scheme.

8. National Rural Employment Guarantee Scheme:

12.18 The Government of India has enacted the National Rural Employment Guarantee Act, which has been made applicable in district Chamba and Sirmour of H.P. from 2nd February, 2006 and another two districts viz Kangra and Mandi have also been covered from Ist April,2007 and in a phased manner remaining 8 districts will be covered. The objective of the Act is to provide at least 100 days of guaranteed wage

employment in every financial year to every household in the rural areas whose adult members volunteer to do unskilled manual work subject to the condition prescribed under the Act and to create infrastructural facilities for the development of agriculture and livelihood base of the rural poor. During 2007-08, upto December, 2007 the Government of India has released Rs. 9,435.70 lakh besides this the state Government has released Rs. 1,046.52 lakh as State matching share and Rs. 1,980.03 lakh was opening balance as on 1.4.2007. Besides Rs. 192.05 lakh accrued as interest. Thus total funds under the scheme is Rs. 12,654.30 lakh, out of which an expenditure of Rs. 6,794.31 lakh has been incurred. Total 55.43 lakh mandays have been generated in Chamba, Sirmour, Kangra and Mandi districts and employment has been provided to 1.83 lakh persons in these districts.

PANCHAYATI RAJ

12.19 At present there are 12 Zila Parishads, 75 Panchayat Samities and 3,243 Gram Panchayats constituted/ established in the state. As per the provisions of the Constitution of India the Panchayati Raj Institutions have been assigned certain powers, functions and responsibilities from time to time either by making provision under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act or rules made there under through executive instructions. Gram Sabhas have been vested with powers to select beneficiaries under various programmes. Gram Panchayats have been empowered to appoint Panchayat Sahayaks, Tailoring Mistress, Panchayat Chowkidar and Part-time Water Carriers. Panchayat Samities have been empowered to appoint Junior Engineers and Accountants on contract basis against vacant posts and Zila Parishads have been empowered to appoint Assistant Engineers on contract basis. Pradhan or Up-pradhan of Gram Panchayats have been empowered for issuing fishing license to anglers for sport fishing and Chairperson and Vice-Chairperson. Panchayat Samities for issuing license professional fishermen for general and trout water fishing and the money realized as license fee would be retained by the concerned Panchayats as its revenue.

12.20 The ownership of all primary schools has been transferred to Gram Panchayats. Gram Panchayats have been authorized to collect land revenue from land owners/ right holders and are also empowered to use this land revenue at their own level. Gram Panchayats have been empowered to impose various taxes, fees and fines and also to borrow money / raise loans for creation of income generation assets. The Gram Panchayats have also been empowered to decide the location of Schools, Anganbadi Centers, Health Institutions, Veterinary Institutions, Fair Price Shops, Hand Pumps and public water taps etc. Before, grant of any lease for mining of minerals, a resolution from the concerned Panchayat has been made compulsory. Gram Panchayats have been

authorized to grant permission for erection of mobile communication tower and to levy fee. Gram Panchayats have been empowered to hear and decide the application for maintenance under section 125 of the Cr.P.C. and can grant a maintenance allowance not exceeding to Rs. 500 per month. Cess of Re. 1/- per bottle of liquor sold in the rural area will be collected and transferred to the Gram Panchayat for utilization in the development activities.

12.21 Under the Central Finance Commission's Grant (12th FC), an amount of Rs.2,940.00 lakh has been provided for developmental activities during the year 2007-08.

13. INFORMATION TECHNOLOGY & BIO TECHNOLOGY

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

13.1 Information Technology (IT) is key to modernization process. Department of Information Technology is making concerted efforts and initiatives in the field of e- Governance and for the promotion of Information Technology in the State for providing better services to the citizens and promotion of IT industry as well. The main activities undertaken by the Department are listed below:-

1. HIMSWAN: A State Wide Area Network (SWAN) to connect HP Secretariat, with all districts, blocks, tehsils and sub-tehsils been established with financial assistance from Ministry of Communication and Information Technology, Govt. of India. SWAN will be used for delivering the services vertically down to tehsils level and horizontal connectivity to all Govt. Departments/Organizations. With the launch of H.P. State wide area Net work on 5th February, 2008 by Prof. P.K. Dhumal, Chief Minister. Himachal Pradesh, has become the first state in the country to launch this Scheme.

2. IT City/Park: In order to promote the growth of Information Technology all over the State, it is imperative that hi-tech habitats are built in and around all major towns. Such space is extremely useful to promote the growth of IT enabled services- a sector that is providing jobs to millions. The department has identified locations for hi-tech habitats at Waknaghat, Nalagarh, Raja-ka-Bagh, Nagri and Dalhousie. Expression of Interacts for setting up IT Parks and Units in HP have already been invited.

3. Integrated Community Services Centers (I-CoSC): It aims at setting up one stop shop information resources and service centre for the people in the State using simple but state-of-art methods of organizing, sharing and communicating information. Integrated Community Services Centre "SUGAM" has been set up in D.C. Office, Shimla for providing more than 50 services under one roof.

4. Telemedicine Project: Telemedicine will improve the health services of the State by providing access of experts to common man even at PHC level. The telemedicine Service has been started in the state in which IGMC has been connected to PGI, Chandigarh.

5. Computerization of Land Records (HIMBHOOMI) in HP State: The system is being implemented in all the District HQs in which data of land records will be entered into computers for future access. The department will ensure completion of data entry and monitor functioning of the system. Out of total 109 tehsils/sub-tehsils

in Himachal Pradesh 99 have been online and data entry is about to complete in rest of the Tehsils.

6. Hospital Management Information System(HMIS): Hospital Management System is automation of the routine activities of a hospital to keep track of patient record right from registration to his discharge (including OPDs', Labs, OTs, Wards, Bill payment, Blood Bank etc.) . It is being implemented in IGMC, Shimla on pilot basis.

7. Computerization of Line Departments: Department of IT is engaged in computerization of various Govt. departments. Department of IT is advising various departments in implementing computerization in their offices using an integrated approach. The area of advice covers hardware, software, manpower, training in private sector etc. Besides working as consulting agency, IT is working as model agency for providing technical consultancy to various Govt. Departments/ Boards /Corporations. A few achievements are as under:

- On line Treasury Information System has been implemented in 17 districts/ sub-treasuries.
- Computer labs are being set up in 56 degree colleges.

8. Computer Call Management System (CCMS): The department of IT has developed new web enabled software CCMS for the following purposes:

- Saptahik Bazar Bhav and Statistical Outline for Economics and Statistics Department.
- On line HRTC Bus Reservation.
- E-Application for HPPSC.

9. IT Training for Government employees: Training on Reference Monitoring Software (REFNIC) and use of PC (word processing etc.) to about 2,500 officers and officials including secretaries and ministerial staff have already been provided. The department has set up training centres in Mandi and Kangra on pilot basis.

BIOTECHNOLOGY

13.2 Through Department of Biotechnology, the State Government is trying to achieve the objectives as detailed in the Biotechnology Policy of the state i.e. development of BT-HR, Infrastructure and biobusiness for entrepreneurship and employment generation. Besides strengthening the R&D Infrastructure in the State Institutes/ Universities and departments, the department has taken a good lead in promoting biotechnology based business activities. As a result of the efforts of the department BT units supported by the department have started working of the sites. Efforts are also being made to locate more sites for promoting BT Industries. The process of land transfer to the Department for establishment of biotechnology part at Aduwal near Nalagarh is at final stage.

1. Human Resources Development: Schemes awareness, entrepreneurship

development, R & D supports in biotechnology, BT education are being implemented under their programmes. For promotion of biotechnology several meetings were conducted with farmers, scientists, academicians, business houses and industrialists. Efforts were also made to support educational institutes/ universities for promotion of BT education in the State.

2. Bio-business Promotion: Biotechnology policy, biotech industry, BT parks schemes are being implemented under this programme.

3. Technology Aided Operational Activities: Under these activities promotion, cultivation, processing, value addition and marketing of high value medicinal & aromatic plants (MAPs) are being carried out. Due to concerted efforts of the department awareness at field level continued. The department is trying hard to make Himachal as the "HERBAL STATE"

PART – II

STATISTICAL TABLES

Units of measurement and symbols used in the brochure

Metric unit		Equivalent to old unit
One kilometre	..	0.62137 mile
One hectare	..	2.47105 acres
One litre	..	0.22102 gallon
One quintal	..	2.6792 maunds
One metric ton or tonne	..	0.98420 ton
One cubic metre	..	35.37319 cubic feet

Symbols used-

.. .. Not available

\- .. Nil or negligible

P .. Provisional

R .. Revised

CONTENTS

	Tables		Page
1.	Selected Indicators 1950-51 to 2006-07	..	1
2.	Gross and Net State Domestic Product	..	2
3.	Annual Growth Rate of Gross State Domestic Product	..	3
4.	Gross State Domestic Product at Factor cost at current prices	..	4
5.	Gross State Domestic Product at Factor cost at Constant prices	..	5
6.	Annual Growth Rate of Gross State Domestic Product at constant prices	..	6
7.	Salient Features of Population in Himachal Pradesh	..	7
8.	District-wise Area, Population, Sex Ratio and Density of Population	..	7
9.	District wise Rural-Urban/Male-Female Population	..	8
10.	Distribution of population by main workers, marginal workers and non- workers-2001-census.		8
11.	Cultivators, Agricultural Labourers, Household Industry & Other Workers as percent to Total workers (Main workers + Marginal workers)-2001 Census	..	9
12.	Production of Principal Crops	..	9
13.	Consumption of Fertilizers in Terms of Nutrients		10
14.	Area under High Yielding Variety Crops		11
15.	District-wise Number and Area of Operational Holdings, 2000-01	..	12
16.	Livestock, Poultry and Agricultural Implements	..	12
17.	Outturn and Value of Major & Minor Forest Produce		13
18.	Area under Forests	..	13
19.	Co-operation	..	14
20.	Generation and Consumption of Electricity		15
21.	Area Under Fruits	..	15
22.	Production of Fruits	..	16
23.	Himachal Pradesh Government Employees	..	16
24.	Employment Exchange Statistics	..	17
25.	Education	..	17
26.	Medical and Public Health	..	18
27.	Roads	..	18
28.	Nationalised Road Transport	..	19
29.	Consumer Price Index Numbers in H.P.	..	19
30.	All-India Index Numbers of Wholesale Prices		20
31.	Incidence of Crimes	..	20
32.	Plan Outlays	..	21

TABLE – 1
SELECTED INDICATORS 1950-51 TO 2005-06

Items	1950-51	1960-61	1966-67	1970-71	1980-81	1990-91	1998-99	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ECONOMIC INDICATORS														
GDP at factor cost:														
(i) At current prices(Rs. Crore)	27.00*	48.00*	137.88*	223.00*	794	2815.19	10696.23	15661.18***	17148.19	18904.72	20721.00	23065.96	25471.00	28358.26
(ii)At constant prices(Rs. Crore)	..	..	..	..	794**	1285.37**	6791.97	15004.21***	15786.09	16584.69	17925.00	19281.15	20927.99	22853.60
(Base:1993-94=100)														
Per capita income at														
Current prices(Rupees)	240	359	440	651	1704	4910	16144	22795***	24608	26627	28333	31198	33817	36657
Constant prices(Rupees) (Base:1993-94=100)	..	..	..	..	1704**	2241**	10131	21959***	22705	23393	24480	26278	27232	28236
OUTPUT														
(a) Foodgrains (Lakh tonnes)					11.58	14.33	13.13	11.12	15.99	11.11	13.98	14.88	10.69	14.97
(b) Electricity generated (Million units)	0.4	..	2.3	52.8	245.1	1262.4	1485	1153	1150	1277	1357	1295	1332	1432
Wholesale Price Index (Base 1993-94=100)	..	..	..	..	..	..	140.7	155.7	161.3	166.8	175.9	187.2	195.6	206.2
Consumer Pirce Index (Base 1982=100)	..	..	..	..	..	189	395	436	448	456	471	493	516	553
SOCIAL INDICATORS														
Population														
Population(In lakhs)	11.09	28.12	..	34.6	42.81	51.17		60.78	61.83****	62.91	63.98	65.07	66.23	67.42
Annual Population Growth	0.54	1.79	..	2.30	2.37	2.07		1.75						
Education														
Literacy rate(Percentage)														
(a) Male	7.5	27.2	..	42.3	53.19.	75.36		85.3						
(b) Female	2.9	6.2	..	20.04	31.46	52.13		67.4						
Total	4.8	17.1	..	31.32	42.48	63.86		76.5						

* Net State Domestic Product.
** At 1980-81 Base.
*** At 1999-2000 Base.
**** Mid year projected population.
Source:-Economics & Statistics Department.

TABLE - 2

GROSS AND NET STATE DOMESTIC PRODUCT

Year	GSDP at factor cost (Rs. Crore)		Net SDP at factor cost (Rs. Crore)		Per Capita Net State Domestic Product/Per Capita income (Rs.)	
	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant prices
1	2	3	4	5	6	7
1950-51*	27	27	27	27	240	..
1960-61*	48	35	48	35	359	..
1966-67*	138	91	138	91	440	..
1970-71*	223	223	223	223	651	..
1980-81	794.04	794.04	722.82	722.82	1704	..
1990-91	2815.19	1285.37	2521.47	1150.80	4910	..
New series (Base 1993-94)						
1994-95	5825.03	5243.93	5192.46	4663.85	9451	8489
1995-96	6698.28	5568.46	5930.24	4920.52	10607	8801
1996-97	7755.27	5955.28	6802.87	5198.86	11960	9140
1997-98	8837.31	6335.14	7806.98	5571.01	13488	9625
1998-99	10696.23	6791.97	9507.46	5966.28	16144	10131
New series (Base1999-2k) (Base1999-2k)						
1999-2000	14112.47	14112.47	12467.00	12467.00	20806	20806
2000-01	15661.18	15004.21	13852.48	13262.23	22795	21959
2001-02	17148.19	15786.09	15215.25	13938.30	24608	22705
2002-03	18904.72	16584.69	16751.27	14616.70	26627	23393
2003-04	20721.00	17925.00	18127.15	15596.20	28333	24480
2004-05	23065.96	19281.15	20299.66	17098.53	31198	26278
2005-06(R)	25471.00	20927.99	22397.99	18036.71	33817	27232
2006-07(Q)	28358.26	22853.60	24713.22	19035.83	36657	28236

Source:-Economics & Statistics Department.

Note:- * Net State Domestic Product.

TABLE - 3

ANNUAL GROWTH RATE OF GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT/NET STATE DOMESTIC PRODUCT

(Percent)

Year	GSDP at factor cost (Rs. Crore)		Net SDP at factor cost (Rs. Crore)		Per Capita Net State Domestic Product (Rs.)	
	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant Prices
1	2	3	4	5	6	7
Old series						
(Base 1980-81)						
1990-91	15.6	3.9	15.5	2.5	12.3	(-)0.4
1991-92	17.8	0.4	18.0	0.6	15.9	(-)1.3
1992-93	15.3	5.6	14.7	4.6	12.2	2.5
Old series						
(Base 1993-94)						
1994-95	21.7	9.6	22.2	9.7	20.8	7.9
1995-96	15.0	6.2	14.2	5.5	12.3	3.7
1996-97	15.8	6.9	14.7	5.7	12.8	3.9
1997-98	13.9	6.4	14.8	7.1	12.8	5.3
1998-99	21.0	7.2	21.8	7.1	19.7	5.2
New series						
(Base1999-2k)						
2000-01	11.0	6.3	11.1	6.3	9.6	5.5
2001-02	9.5	5.2	9.8	5.1	8.0	3.4
2002-03	10.2	5.1	10.1	4.9	8.2	3.0
2003-04	9.6	8.1	8.2	6.7	6.4	4.6
2004-05	11.3	7.6	12.0	9.6	10.1	7.3
2005-06(R)	10.4	8.5	10.3	5.5	8.4	3.6
2006-07(Q)	11.3	9.2	10.3	5.5	8.4	3.7

Source:-Economics & Statistics Department

TABLE – 4

GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST
(At current prices)

(Rs. Crore)

Year	Agriculture forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas & water supply	Transport communi-cation & trade	Banking & insurance real estate & owner-ship of dwelling business services	Public administ-ration, defence & services	Gross domestic product at factor cost
1	2	3	4	5	6	7
1950-51*	19	2	2	2	2	27
1960-61*	30	5	3	3	7	48
1966-67*	104	24	16	6	21	171
1970-71*	131	37	18	9	28	223
Old series (Base 1980-81)						
1980-81	376	156	67	79	116	794
1981-82	448	178	79	90	130	925
1982-83	437	206	85	103	156	987
1983-84	525	220	102	111	169	1127
1984-85	489	224	105	121	200	1139
1985-86	576	312	123	132	228	1371
1986-87	615	339	145	150	268	1517
1987-88	627	416	168	162	349	1722
1988-89	781	549	204	196	427	2157
1989-90	895	568	229	237	506	2435
1990-91	987	746	260	266	556	2815
1991-92	1243	841	316	301	616	3317
1992-93	1368	1014	378	371	693	3824
Old series (Base 1993-94)						
1993-94	1567	1313	569	502	831	4782
1994-95	1802	1875	683	570	895	5825
1995-96	1979	2246	783	622	1068	6698
1996-97	2229	2690	909	696	1231	7755
1997-98	2488	2958	1116	727	1548	8837
1998-99	2930	3560	1303	858	2045	10696
New series (Base1999-2k)						
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	14112
2000-01	3954	5602	2056	1365	2684	15661
2001-02	4442	6095	2305	1552	2754	17148
2002-03	4657	6867	2742	1678	2961	18905
2003-04	5194	7468	2888	2042	3129	20721
2004-05	5812	8401	3244	1986	3623	23066
2005-06(R)	6316	9546	3438	2143	4028	25471
2006-07(Q)	6116	11525	3747	2582	4388	28358

Source:-Economics & Statistics Department.
Note:- * Net State Domestic Product.

TABLE - 5

GROSS STATE DOMESTIC PRODUCTAT FACTOR COST
(At constant prices)

(Rs. Crore)

Year	Agriculture forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas & water supply	Transport communi cation & trade	Banking & insurance real estate & owner-ship of dwelling business services	Public administ-ration, defence & services	Gross domestic product at factor cost
1	2	3	4	5	6	7
1950-51*	19	2	2	2	2	27
1960-61*	20	5	3	0	7	35
1966-67*	57	18	9	4	13	101
1970-71*	131	37	18	9	28	223
Old series (Base 1980-81)						
1980-81	376	156	67	79	116	794
1981-82	405	164	72	84	116	841
1982-83	355	173	74	88	128	818
1983-84	393	168	81	92	124	861
1984-85	343	161	78	95	137	814
1985-86	387	207	85	100	147	926
1986-87	417	208	95	113	158	991
1987-88	360	235	98	119	188	1000
1988-89	400	288	108	116	212	1124
1989-90	488	265	112	139	234	1238
1990-91	484	316	117	141	227	1285
1991-92	465	323	124	152	226	1290
1992-93	469	362	135	162	234	1362
Old series (Base 1993-94)						
1993-94	1567	1313	569	502	831	4782
1994-95	1590	1686	625	532	811	5244
1995-96	1622	1856	669	535	886	5568
1996-97	1646	2084	712	578	935	5955
1997-98	1673	2179	791	597	1095	6335
1998-99	1692	2324	867	631	1278	6792
New series (Base1999-2k)						
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	14112
2000-01	3773	5437	1920	1252	2622	15004
2001-02	4093	5694	2080	1336	2583	15786
2002-03	4184	6153	2186	1370	2692	16585
2003-04	4671	6544	2356	1582	2772	17925
2004-05	4945	6937	2568	1764	3067	19281
2005-06(R)	5017	7938	2725	1844	3404	20928
2006-07(Q)	4855	9211	2957	2147	3684	22854

Source:-Economics & Statistics Department.
Note: - * Net State Domestic Product.

TABLE - 6

ANNUAL GROWTH RATE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT
(At constant prices)

(Percent)

Year	Agriculture forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas & water supply	Transport communi -cation & trade	Banking & insurance real estate & owner-ship of dwelling business services	Public administ-ration, defence & services	Gross domestic product at factor cost
1	2	3	4	5	6	7
Old series(Base 1980-81)						
1981-82	8.3	5.1	7.7	6.3	0	5.9
1982-83	12.6	5.5	2.8	4.7	10.3	-2.7
1983-84	11.5	2.9	9.5	4.5	3.1	5.3
1984-85	13.4	4.8	3.7	3.3	10.5	-5.5
1985-86	13.1	29.4	8.8	5.3	7.3	13.8
1986-87	7.5	0.5	11.8	13	7.5	7.0
1987-88	13.7	13.0	3.2	5.3	18.1	0.9
1988-89	11.1	22.6	10.2	2.5	12.8	12.4
1989-90	22	(-) 8.0	3.7	18.1	10.4	10.1
1990-91	-0.8	19.3	4.5	2.9	2.1	3.8
1991-92	3.9	2.2	5.1	7.8	0.4	0.4
1992-93	0.9	12.1	8.9	6.7	3.5	5.6
Old series(Base 1993-94)						
1994-95	1.2	28.4	9.9	5.9	-2.5	9.6
1995-96	2.0	10.1	7.1	0.5	9.3	6.2
1996-97	1.5	12.3	6.5	8.0	5.5	6.9
1997-98	1.6	4.5	10.9	3.3	17.1	6.4
1998-99	1.2	6.6	9.6	5.7	16.6	7.2
New series(Base1999-2k)						
2000-01	15.6	5.3	10.5	-2.6	-1.5	6.3
2001-02	8.5	4.7	8.3	6.7	-1.5	5.2
2002-03	2.2	8.1	5.1	2.5	4.2	5.1
2003-04	11.6	6.4	7.8	15.5	3.0	8.1
2004-05	5.9	6.0	9.0	11.5	10.6	7.6
2005-06(R)	1.5	14.4	6.1	4.5	11.0	8.5
2006-07(Q)	-3.2	16.0	8.5	16.4	8.2	9.2

Source:-Economics & Statistics Department

TABLE-7

SALIENT FEATURES OF POPULATION IN HIMACHAL PRADESH

Year	Total population (in lakh)	Decennial growth rate	Sex ratio (females per thousand males)	Density per sq. kilometre	Literacy percentage	Urban population percentage
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1951	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6
1991	51.71	20.79	976	93	63.86	8.7
2001	60.78	17.54	968	109	76.48	9.8

Source:- (i)General Population Tables-IIA, Census of India,1971.
(Ii)Census of India,1981, Series 7, Paper-I of 1982, Primary Census Abstract of S.C. & S.T.
(iii)Census of India, 1991 Final Population Totals-Series-9, H.P., Paper-I, of 1992.
(iv)Census of India 2001.

TABLE-8

DISTRICT-WISE AREA,POPULATION,SEX RATIO AND DENSITY OF POPULATION (2001 CENSUS)

District	Area (sq.kilometres)	Population	Sex ratio (females per thousand males)	Density per sq. kilometer
1.	2.	3.	4.	5.
Bilaspur	1,167 (2.10)	3,40,885 (5.60)	990	292
Chamba	6,528 (11.72)	4,60,887 (7.58)	959	71
Hamirpur	1,118 (2.01)	4,12,700 (6.79)	1,099	369
Kangra	5,739 (10.31)	13,39,030 (22.03)	1,025	233
Kinnaur	6,401 (11.50)	78,334 (1.29)	857	12
Kullu	5,503 (9.88)	3,81,571 (6.28)	927	69
Lahaul-Spiti	13,835 (24.85)	33,224 (0.55)	802	2
Mandi	3,950 (7.09)	9,01,344 (14.83)	1,013	228
Shimla	5,131 (9.22)	7,22,502 (11.89)	896	141
Sirmaur	2,825 (5.07)	4,58,593 (7.55)	901	162
Solan	1,936 (3.48)	5,00,557 (8.24)	852	259
Una	1,540 (2.77)	4,48,273 (7.37)	997	291
Himachal Pradesh	**55,673(100.00)**	**60,77,900 (100.00)**	**968**	**109**

Source:- Census of India,2001.

TABLE-9

DISTRICT WISE RURAL– URBAN / MALE – FEMALE POPULATION (2001 Census)

District.	Rural			Urban		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female
Bilaspur	318934	159488	159446	21951	11775	10176
Chamba	426345	216704	209641	34542	18514	16028
Hamirpur	382494	180366	202128	30206	16227	13979
Kangra	1266745	623259	643486	72285	37995	34290
Kinnaur	78334	42173	36161	-	-	-
Kullu	351478	181131	170347	30093	16885	13208
Lahaul-Spiti	33224	18441	14783	-	-	-
Mandi	840362	415676	424686	60982	32196	28786
Shimla	555269	285305	269964	167233	95691	71542
Sirmaur	410923	215656	195267	47670	25643	22027
Solan	409362	214150	195212	91195	56141	35054
Una	408849	203724	205125	39424	20800	18624
H.P	5482319	2756073	2726246	595581	331867	263714

Source:- Census of India 2001.

TABLE-10

DISTRIBUTION OF POPULATION BY MAIN WORKERS, MARGINAL WORKERS AND NON-WORKERS – 2001 CENSUS

District	Population	Main workers	Marginal workers	Non-workers	Percentage of main workers to Total population
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur	3,40,885	1,10,652	56,056	1,74,177	32.46
Chamba	4,60,887	1,28,452	1,02,000	2,30,435	27.87
Hamirpur	4,12,700	1,19,870	85,535	2,07,295	29.04
Kangra	13,39,030	3,36,649	2,52,345	7,50,036	25.14
Kinnaur	78,334	40,313	7,498	30,523	51.46
Kullu	3,81,571	1,66,715	49,798	1,65,058	43.69
L&Spiti	33,224	19,209	1,879	12,136	57.82
Mandi	9,01,344	2,69,076	1,85,216	4,47,052	29.85
Shimla	7,22,502	3,05,709	64,514	3,52,279	42.31
Sirmaur	4,58,593	1,75,913	49,959	2,32,721	38.36
Solan	5,00,557	1,72,274	91,171	2,37,112	34.42
Una	4,48,273	1,19,050	82,608	2,46,615	26.56
H.P.	60,77,900	19,63,882	10,28,579	30,85,439	32.31

Source:- Census of India,2001.

TABLE-11

CULTIVATORS, AGRICULTURAL LABOURERS, HOUSEHOLD INDUSTRY AND OTHER WORKERS AS PERCENT TO TOTAL WORKERS (MAIN WORKERS+MARGINAL WORKERS)-2001 CENSUS

(Percent)

District	Cultivators	Agricultural labourers	Household industry	Other workers
1.	2.	3.	4.	5.
Bilaspur	68.53	1.75	1.64	28.08
Chamba	72.72	0.72	1.21	25.35
Hamirpur	69.88	1.60	1.42	27.10
Kangra	56.94	6.71	3.28	33.07
Kinnaur	64.79	2.30	1.82	31.09
Kuliu	76.04	2.59	1.26	20.11
L & Spiti	52.92	1.61	0.64	44.83
Mandi	72.52	1.43	1.49	24.56
Shimla	64.15	2.65	1.18	32.02
Sirmaur	71.54	2.55	1.16	24.75
Solan	54.52	2.39	1.25	41.84
Una	57.11	5.62	1.98	35.29
H.P	**65.33**	**3.15**	**1.75**	**29.77**

Source:- Census of India,H.P.Paper-3 of 2001.

TABLE-12

PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS

(In '000 tonnes)

Crops	2004-05	2005-06	2006-07 (Likely)	2007-08 (Anti. Ach)	2008-09 (Target)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FOOD GRAINS:					
A. Cereals:					
1. Rice	109.13	112.14	123.48	117.35	119.08
2. Maize	636.29	543.06	695.38	719.45	774.05
3. Ragi	4.45	3.41	4.00	3.50	4.46
4. Small Millets	5.70	5.67	8.00	7.59	6.55
5. Wheat	687.45	365.89	596.49	685.00	679.78
6. Barley	33.72	29.36	33.86	35.00	34.74
Total-Cereals	**1376.74**	**1059.53**	**1461.21**	**1567.89**	**1618.66**
B. Pulses:					
7. Gram	1.32	0.72	7.00	3.50	3.47
8. Other Pulses	9.59	8.44	28.46	15.31	15.87
Total pulses	**10.91**	**9.16**	**35.46**	**18.81**	**19.34**
Total-Foodgrains	**1487.65**	**1068.69**	**1496.67**	**1586.70**	**1638.00**
Commercial Production					
Potato	**147.00**	**162.55**	**163.21**	**175.00**	**182.00**
Vegetables	**832.44**	**929.98**	**991.44**	**1060.00**	**1144.00**
Ginger (Dry)	**1.46**	**1.62**	**2.06**	**5.00**	**5.20**

Source:- Directorate of Agriculture Himachal Pradesh.

TABLE-13

CONSUMPTION OF FERTILIZERS IN TERMS OF NUTRIENTS

(M.T.)

Year/ District	Kharif (N+P+K)	Rabi (N+P+K)	Total
1	2	3	4
2000-01	17292	18260	35552
2001-02	16464	23690	40156
2002-03	15640	24081	39721
2003-04	18297	28511	46808
2004-05	18244	28009	46253
2005-06	19197	28776	47973
2006-07	**18592**	**30389**	**48981**
Bilaspur	952	956	1908
Chamba	873	465	1338
Hamirpur	1572	1025	2597
Kangra	3126	6079	9205
Kinnaur	51	147	198
Kullu	931	2718	3649
Lahaul-Spiti	193	161	354
Mandi	2708	3895	6603
Shimla	1842	7330	9172
Sirmaur	1487	1672	3159
Solan	2174	1863	4037
Una	2683	4078	6761

Source:- Directorate of Agriculture, Himachal Pradesh.

Note:

N : Nitrogenous
P : Phosphatic
K : Potassic

TABLE-14

AREA UNDER HIGH YIELDING VARIETY CROPS

('000 Hect.)

Year	Maize	Paddy	Wheat
1	2	3	4
1997-98	166.99	73.95	345.85
1998-99	191.61	80.55	378.26
1999-2000	193.74	74.31	366.52
2000-01	219.68	73.83	329.77
2001-02	231.58	74.53	346.72
2002-03	192.10	64.73	313.23
2003-04	222.19	78.90	364.07
2004-05	242.76	75.21	353.29
2005-06	273.14	70.94	346.15
2006-07 (Likely)	280.61	72.65	349.60
2007-08 (Anticipated)	280.00	77.00	325.00
2008-09(Target)	280.00	76.50	327.00

Source:- Directorate of Agriculture, Himachal Pradesh.

TABLE-15

DISTRICT-WISE NUMBER AND AREA OF OPERATIONAL HOLDINGS (2000-01 Census)

District	Number	Area(hectares)
1.	2.	3.
Bilaspur	54609	50954
Chamba	68125	56227
Hamirpur	72878	74449
Kangra	229690	206581
Kinnaur	10037	13831
Kullu	62625	42399
Lahaul & Spiti	4097	6390
Mandi	146247	128472
Shimla	101537	122010
Sirmaur	48066	102682
Solan	50576	90148
Una	65427	84613
Himachal Pradesh	9,13,914	9,78,756

Source: - Directorate of Agricultural Census, H.P.

TABLE-16

LIVESTOCK, POULTRY AND AGRICULTURAL IMPLEMENTS

(In thousands)

Category	1987	1992	1997	2003*
1.	2.	3.	4.	5.
A. Livestock:				
1. Cattle	22,45	21,65	20,02	21,96
2. Buffaloes	7,95	7,04	6,52	7,73
3. Sheep	11,14	10,79	9,09	9,06
4. Goats	11,20	11,18	9,47	11,16
5. Horses and ponies	20	14	22	17
6. Mules and donkeys	31	24	31	33
7. Pigs	18	7	5	3
8. Other livestock	2	6	3	2
Total-Livestock	**53,45**	**51,17**	**45,71**	**50,46**
B. Poultry	7,53	7,22	3,85	7,64
C. Agricultural implements:				
1. Ploughs	7,99	7,10	4,62	6,31
2. Carts	5	1	2	3
3. Cane crushers	1	2	1	1
4. Tractors	1	3	4	4

Source:-Directorate of Land Records, Himachal Pradesh.

*Directorate of Animal Husbandry, Himachal Pradesh.

TABLE-17

OUTTURN AND VALUE OF MAJOR AND MINOR FOREST PRODUCE

Year	Major produce		Minor produce (Value in '000 Rs.)		
	Timber(Standing volume '000 cu. Metres)	Fuel* (tonnes)	Resin	Fodder and grazing	Other produce
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1993-94	371.2	31,302	74,514	1,628	78,007
1994-95	449.7	1,701	62,153	916	78,342
1995-96	425.8	2,191	62,644	908	61,703
1996-97	452.6	3,389	53,818	2,148	66,228
1997-98	461.3	1,085	64,807	818	69,897
1998-99	355.4	515	53,739	1,933	89,936
1999- 00	312.4	1,147	49,024	1,046	72,824
2000-01	342.0	2,756	47,504	1,362	73,775
2001-02	371.6	6,994	46,806	729	79,945
2002-03	367.3	5,386	55,709	462	1,09,138
2003-04	334.1	6,993	47,682	993	50,586
2004-05	433.1	18,994	50,389	972	46,423
2005-06	414.1	4,800	64,177	983	62,362
2006-07	236.3	4,175	75,347	818	61,670

Source:-Forest Department, Himachal Pradesh.
*Firewood extracted/collected includes charcoal also.

TABLE-18
AREA UNDER FORESTS

(Sq. Kilometres)

Year	Reserved forests	Protected forests	Un-classed forests	Other forests	Forest not under the control of Forest Dett.	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1993-94	1,896	31,473	680	404	954	35,407
1994-95	1,896	31,454	680	404	993	35,427
1995-96	1,896	31,541	684	404	993	35,518
1996-97	1,896	33,004	930	405	751	36,986
1997-98	1,896	33,012	991	369	748	37,016
1998-99	1,896	33,043	977	369	748	37,033
1999-2000	1,896	33,043	977	369	748	37,033
2000-01	1,896	33,043	977	369	748	37,033
2001-02	1,896	33,043	977	369	748	37,033
2002-03	1,896	33,043	977	369	748	37,033
2003-04	1,896	33,043	977	369	748	37,033
2004-05	1,896	33,043	977	369	748	37,033
2005-06	1,896	33,043	977	369	748	37,033
2006-07	1,896	33,043	977	369	748	37,033

Source:-Forest Department Himachal Pradesh.

TABLE-19

CO-OPERATION

Item	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	2.	3.	4.	5.
I.Societies(No):				
Agricultural	2,091	2,089	2,086	2,091
Non-Agricultural	2,146	2,200	2,246	2,265
Urban banks	5	5	5	5
State and Central banks	4	4	4	4
Other secondary societies	37	34	41	39
TOTAL	**4,283**	**4,332**	**4,382**	**4,404**
II.Membership('000)				
Agricultural societies	999	1,015	1,030	1,044
Non-Agricultural Societies	169	214	220	224
Urban banks	46	18	18	19
State and Central banks	64	69	73	74
Other secondary societies	4	4	6	5
TOTAL	**1,282**	**1,320**	**1,347**	**1,366**
III.Working Capitai(lakh Rs.)				
Agricultural Societies	74,440.22	83,883.18	93,743.00	106,238.00
Non-Agricultural Societies	43,691.35	45,935.51	37,849.00	44,559.00
Urban banks	14,160.45	15,714.27	17,152.00	17,152.00
State & Central banks	5,24,497.50	5,82,137.53	6,33,438.00	693,024.00
Other secondary societies	1,861.97	1,758.22	12,065.00	12,821.00
TOTAL	**6,58,651.49**	**7,29,428.71**	**7,94,247.00**	**8,737,94.00**
IV.Loans Advanced(lakh Rs.)				
Agricultural societies	12,147.69	15,458.35	16,474.00	18,349.00
Non-Agricultural societies	4,498.15	4,651.77	4,865.00	5,867.00
Urban banks	14,592.89	12,057.46	10,174.00	7,268.00
Primary Land Mortgage Bank & State & Central Banks	16,859.77	16,622.70	1,11,886.00	2,44,299.00
V.Loans outstanding(lakh Rs.)				
Agricultural societies	19,458.67	22,797.07	26,493.00	29,291.00
Non-Agricultural societies	6,267.53	6,704.87	7,139.00	7,896.00
Urban banks	7,743.40	2,879.28	9,491.00	11,672.00
Primary Land Mortgage Bank & State & Central Banks	36,051.22	42,165.51	2,14,992.00	2,55,195.00

Source:- Co-operative Department, Himachal Pradesh.

TABLE-20
GENERATION AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY

(MU)

Item	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	2.	3.	4.	5.
1.Electricity generated	1356.953	1295.410	1332.375	1432.375
2.Electricity purchased from BBMB & other States	3936.958	4296.838	4918.951	5056.951
3.Energy Consumed: Within the State				
(a)Domestic	769.362	809.786	866.593	948.307
(b)Non Domestic &Non-Comm.	15.075	20.355	46.891	63.386
(c)Commercial	206.705	224.004	218.228	225.776
(d)Public lighting	9.972	10.870	11.740	11.335
(e)Agriculture	19.370	25.265	24.732	26.404
(f) Industries	1338.006	1491.854	1979.122	2553.518
g) Govt. Irrigation & Water Supply Scheme	249.704	270.513	305.290	324.881
h) Temporary Supply	1.678	3.039	10.231	19.370
i) Bulk & Misc.	116.452	98.469	105.862	127.461
(A) Total Consumption (Within the State)	**2726.324**	**2954.155**	**3568.689**	**4300.438**
(B) 4. Outside the State	**1692.889**	**1658.999**	**1722.531**	**1255.270**
Total (A+B)	**4419.213**	**4613.154**	**5291.220**	**5555.708**

Source: - State Electricity Board, Himachal Pradesh.

TABLE-21
AREA UNDER FRUITS

(Hectares)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other sub-tropical fruits	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1994-95	75,469	30,780	14,935	38,323	30,182	1,89,689
1995-96	78,292	31,292	15,237	38,595	32,268	1,95,684
1996-97	80,338	31,088	15,478	38,369	30,939	1,96,212
1997-98	83,056	31,645	15,832	38,635	33,194	2,02,362
1998-99	85,631	31,925	16,061	38,711	34,912	2,07,240
1999-2000	88,673	32,400	16,396	39,138	36,344	2,12,951
2000-01	90,347	32,801	16,619	39,627	37,832	2,17,226
2001-02	92,820	33,385	16,956	40,174	39,700	2,23,035
2002-03	81,630	24,271	10,700	19,784	39,821	1,76,206
2003-04	84,112	24,885	10,939	20,261	42,244	1,82,441
2004-05	86,202	25,235	11,100	20,402	43,964	1,86,903
2005-06	88,560	25,533	11,210	20,730	45,635	1,91,668
2006-07	91,804	26,086	11,328	21,118	47,109	1,97,445

Source: - Horticulture Department, Himachal Pradesh

TABLE-22

PRODUCTION OF FRUITS

('000 tonnes)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other Sub-tropical fruits	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1993-94	294.73	21.39	2.21	4.41	2.73	325.47
1994-95	122.78	27.50	2.37	6.67	11.22	170.54
1995-96	276.68	21.07	2.48	5.84	5.82	311.89
1996-97	288.54	24.79	3.35	13.83	21.12	351.63
1997-98	234.25	25.12	2.45	11.76	6.11	279.69
1998-99	393.65	17.97	3.07	13.11	19.87	447.67
1999-2000	49.13	17.90	1.89	9.26	11.23	89.41
2000-01	376.73	20.45	2.75	11.06	17.04	428.03
2001-02	180.53	29.42	2.91	20.46	30.12	263.44
2002-03	348.26	63.13	3.26	16.03	28.95	459.63
2003-04	459.49	40.93	3.57	28.12	27.86	559.97
2004-05	527.60	60.20	3.73	28.55	71.93	692.01
2005-06	540.35	48.69	3.27	29.16	74.03	695.50
2006-07	268.40	35.65	2.91	12.67	49.47	369.10
2007-08 up to Dec. 2007	592.57	53.91	2.90	9.56	36.91	695.85

Source: - Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE-23

HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT EMPLOYEES

Date of Census	Regular	Part time Employees	Work charged	Daily paid workers
1.	2.	3.	4.	5.
31st March,				
1991	1,13,851	4,613	5,434	58,024
1992	1,14,831*	4,866	6,126	65,042
1993	1,12,717*	5,404	6,624	59,570
1994	1,13,039*	5,426	6,455	60,124
1995	1,15,493*	5,704	12,023	56,725
1996	1,17,944*	5,667	17,716	58,607
1997	1,20,703*	6,308	19,294	56,318
1998**	1,23,626	7,242	21,039	54,983
1999	1,31,919	8,718	23,778	54,190
2000	1,36,085	9,000	27,827	52,430
2001	1,39,882	9,794	31,001	46,455
2002	1,44,446	9,655	28,635	45,125
2003	1,47,039	12,228	26,896	35,694
2004	1,46,933	12,881	29,692	32,674
2005	1,45,556	12,357	29,345	31,763
2006	1,61,803	13,312	12,332	31,337
2007	1,74,388	13,219	6,185	21,242

Source: - Economics & Statistics Department, Himachal Pradesh.

- **Excludes adhoc & tenure basis employees.**

****as on 31.12.1997**

TABLE-24

EMPLOYMENT EXCHANGE STATISTICS

Year	Candidates registered	Placements	Vacancies notified	On live register
1.	2.	3.	4.	5.
1998-99	2,04,446	3,973	9,312	8,25,388
1999-2000	1,49,954	5,171	6,492	8,75,321
2000-01	1,54,591	2,820	2,591	8,99,801
2001-02	1,21,778	2,651	1,557	8,94,943
2002-03	1,36,218	2,393	2,009	9,00,934
2003-04	1,26,637	1,299	3,083	8,95,133
2004-05	1,35,987	1,457	3,108	8,80,094
2005-06	1,69,623	4,763	4,674	8,16,878
2006-07	1,49,012	1,388	6,132	7,56,980
2007-08 up to Oct. 07	1,07,047	678	3,193	7,80,707

Source:-Directorate of Labour & Employment, Himachal Pradesh.

TABLE-25

EDUCATION

	2006-07	Up to 31.12.2007
1.	2.	3.
No. of Educational Institutions:		
1. Primary	10,607	10,769
2. Middle	2,168	2,348
3. High Schools	860	811
4. Senior Secondary Schools	991	1216
5.Degree colleges	65	72
Total	14,691	15,216

Source:-Education Department, Himachal Pradesh.

TABLE-26

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

Item	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 Up to Dec. 2007
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.Allopathic institutions						
(i) No. of Institutions						
(a)Hospitals*	89	89	91	90	92	93
(b)P.H.Cs.	441	438	439	439	443	448
(c)C.H.Cs.	66	66	66	66	71	73
(d)Dispensaries*	39	40	40	40	40	40
TOTAL	**635**	**633**	**636**	**635**	**646**	**654**
(ii).Beds available*	10087	10112	10049**	9837	9687	10187
2.Ayurvedic institutions						
(i) No. of Institutions						
(a)Hospitals	23	24	24	24	24	25
(b)Nature Cure Hospital	1	1	1	1	1	1
(c)Dispensaries/ Health Centres	1112	1118	1118	1105	1105	1109
(d) Ayurvedic Pharmacies	3	3	3	3	3	3
(e)Research Institution	1	1	1	1	1	1
TOTAL	**1140**	**1147**	**1147**	**1134**	**1134**	**1139**
(ii).Beds available in Ayurvedic Institutions	724	734	734	726	726	736
3. No. of Unani Dispensaries	3	3	3	3	3	3
4. No. of Homoeopathy Dispensaries	14	14	14	14	14	14

Source: - Directorate of Health & Family Welfare and Ayurveda, Himachal Pradesh.
*It also includes Private; State Special, Cantonment Board and Missionary Medical Institutions.
** The total numbers of beds has decreased because of reduction in bed strength of T.B. Sanatorium.

Note: The number of Civil Dispensaries has decreased because of up-gradation of Civil Dispensaries of rural areas in to Primary Health Centres.

TABLE-27
ROADS

(In Kilometer)

Type of road	As on 31st March					
	2003	2004	2005	2006	2007	2007-08 Upto Sept., 2007.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.Motorable double lane	2,336	2,344	2,355	2,369	2,374	2,376
2.Motorable single lane	21,100	21,648	22,567	23,599	25,210	26,023
3.Jeepable	598	481	442	390	381	366
4.Less than Jeep able	3,771	3,611	3,103	2,653	2,299	2,069
Total	27,805	28,084	28,467	29,011	30,,264	30,834

Source:-Public Works Department Himachal Pradesh.
Note- Figures include National Highways also.

TABLE-28
NATIONALISED ROAD TRANSPORT

Year	Number of motor vehicles					No. of routes under operation	Distance Covered ('000 kilometers)
	Buses	Attached Buses	Trucks	Others	Total		
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
1996-97	1,711	-	9	54	1,774	1,627	128,454
1997-98	1,753	-	9	57	1,819	1,658	134,264
1998-99	1,777	-	10	65	1,852	1,748	138,000
1999-2000	1,734	-	10	59	1,803	1,754	141,172
2000-01	1,728	-	10	61	1,799	1,733	140,941
2001-02	1,753	-	10	69	1,832	1,747	142,513
2002-03	1,711	-	10	64	1,785	1,784	142,306
2003-04	1,745	-	11	63	1,819	1,811	143,361
2004-05	1,652	57	12	63	1,784	1,830	145,041
2005-06	1,645	57	13	64	1,779	1,855	1,49,514
2006-07	1,763	79	11	64	1,917	1,870	1,54,657
2007-08up to Nov.07	1,896	75	11	67	2,049	1,927	1,07,674

Source:-Himachal Road Transport Corporation, Shimla.

TABLE-29
CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS IN HIMACHAL PRADESH

Year:/Month	For Industrial Workers Base: 1982=100		For Urban non-manual Employees Shimla Centre Base:1984-85=100
	General Index	Food Index	
1.	2.	3.	4.
1995	292	315	252
1996	314	336	268
1997	340	363	299
1998	386	420	332
1999	407	432	352
2000	430	439	371
2001	447	449	391
2002	454	448	404
2003	466	456	425
2004	488	476	440
2005	510	492	457
2006	120	121	482
2007**			
January	125	127	499
February	124	127	502
March	125	128	506
April	126	130	508
May	125	127	510
June	125	127	508
July	126	129	507
August	126	129	512
September	127	131	517
October	127	131	519
November	127	131	511
December	..	..	508

Source:-Labour Bureau, Government of India.
*(Base: 2001=100) Link factor= 4.53 for conversion to the Base

TABLE-30

ALL-INDIA INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES

Items	(Base 1993-94=100)					
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ALL COMMODITIES	161.3	166.8	175.9	187.2	195.8	206.6
I. Primary articles:	168.4	174.0	181.5	188.4	194.0	209.6
A. Food articles:	176.1	179.2	181.6	186.3	195.7	211.1
B. Non-food articles	152.9	165.4	180.0	187.6	179.1	189.6
C. Minerals	119.3	118.8	117.8	256.5	329.5	416.9
II. Fuel, power, light & lubricants	226.7	239.2	254.6	280.1	307.4	324.0
III. Manufactured products	144.3	148.1	156.4	166.2	171.5	179.3
A. Food products	145.4	153.0	166.8	174.9	176.9	182.9
B. Beverages, tobacco& tobacco products	193.8	204.3	205.2	216.1	227.2	243.9
C. Textiles	119.3	122.2	131.5	136.6	129.6	132.3
D. Wood & wood products	174.4	179.1	179.4	179.3	196.3	205.9
E. Paper & paper products	172.8	174.0	173.3	174.6	176.5	190.9
F. Leather & leather products	141.0	130.1	146.9	152.6	166.5	159.7
G. Rubber & plastic products	126.0	132.6	134.9	134.4	139.2	148.8
H. Chemical & chemical products	169.0	173.9	177.2	181.6	188.7	194.1
I. Non-metallic mine products	144.0	143.4	148.0	157.0	170.5	192.0
J. Basic metals, alloys & metal products	140.7	145.1	167.5	203.1	218.1	233.8
K. Machinery & machine tools including electrical machinery	129.1	130.3	132.6	140.1	147.4	155.9
L. Transport equipment & parts	146.8	147.5	147.3	154.2	160.0	162.5
M. Other miscellaneous (manufacturing industries)	--	--	--	--	--	..

Source :-(i) Ministry of Industries, Govt. of India.
(ii) R.B.I. Bulletins.

TABLE-31

INCIDENCE OF CRIMES

District	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	2.	3	4	5	6	7	8
Bilaspur	1,284	1,402	1,338	1,384	1,464	1,482	1,247
Chamba	878	982	761	907	775	839	975
Hamirpur	883	996	1,071	1,107	1,205	1,333	1,304
Kangra	2,712	2,762	2,913	3,044	3,012	3,200	2,914
Kinnaur	177	184	185	239	287	286	270
Kullu	1,104	1,258	1,210	1,209	1,220	1,383	1,522
Lahaul-Spiti	152	168	159	149	138	140	150
Mandi	2,254	2,344	2,255	2,299	2,283	2,590	2,687
Shimla	2,458	2,467	2,384	2,436	2,453	2,473	2,495
Sirmaur	1,063	1,043	1,051	1,032	1,047	1,096	1,018
Solan	1,385	1,527	1,592	1,734	1,640	1,839	1,923
Una	1,161	1,266	1,401	1,480	1,302	1,429	1,378
Railway & Traffic	5	10	1	9	10	6	4
Himachal Pradesh	15,516	16,409	16,321	17,029	16,836	18,096	1,7887

Source:-Police Department, Himachal Pradesh.

TABLE-32

PLAN OUTLAYS

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Major/Minor Head of Development	Approved Outlay (2007-08)
1	2	3
I	**Agriculture and Allied Services**	
1.	Crop Husbandry(Agriculture)	1071.10
2.	Horticulture	691.43
3.	Soil & Water Conservation	1517.00
4.	Animal Husbandry	1755.89
5.	Dairy Development	85.00
6.	Fisheries	238.75
7.	Forestry & Wildlife	10353.00
8.	Agricultural Research & Education	5383.00
9.	Marketing and Quality Control	975.00
10.	Co-operation	121.53
	Total-I	**22191.70**
II	**Rural Development**	
1.	**Special Programme for Rural Development**	**1443.00**
	a) Drought Prone Area Programme	356.00
	b) Integrated Rural Energy Programme(IREP)	530.00
	c) Integrated Wasteland Development Projects	185.00
	d) DRDA Administration	150.00
	e) Indira Awas Yojna(IAY)	222.00
2.	**Rural Employment**	**3302.00**
	a) Sampooran Grameen Rozgar Yojana(SGSY)	758.00
	b) Employment Assurance Scheme	1128.00
	c) Others	
	i) Normal/ Special SGSY	402.00
	ii) Guru Ravi Dass Civil Amenities Scheme	690.00
	iii) Desert Development Programme	279.00
	iv) IWDP	45.00
3.	**Land Reforms**	**152.00**
4.	**Other Rural Development Programmes**	
	a) Community Development & Panchayats	**6020.00**
	Total-II	**10917.00**
III	**Special Areas Programmes**	
1.	Border Area Development Programme	743.00
2.	Funds under Article 275 (1)	131.00
	Total-III	**874.00**

TABLE-32 – Contd.....

(Rs. in lakh)

1	2	3
IV	**Irrigation & Flood Control**	
1	Major and Medium Irrigation	11600.00
2.	Minor Irrigation	12062.00
3.	Command Area Development	350.00
4.	Flood Control (incl. flood protect. works)	1970.00
	Total-IV	**25982.00**
V	**Energy**	
1.	Power	15350.00
	Total-V	**15350.00**
VI	**Industry and Minerals**	
1.	Village and Small Industries	547.00
2.	Large and Medium Industries	2204.00
3.	Minerals	4.00
	Total-VI	**2755.00**
VII	**Transport**	
1.	Civil Aviation	160.00
2.	Roads and Bridges	24380.00
3.	Road Transport	3251.00
4.	Inland Water Transport	1.00
5.	Other Transport services	2.00
	Total-VII	**27794.00**
VIII	**Science, Technology and Environment**	
1.	Scientific Research	37.00
2.	Ecology and Environment	7.00
	Total-VIII	**44.00**
IX	**General Economic Services**	
1.	Secretariat Economic Services	350.00
2.	Tourism	650.00
3.	Census, Surveys & Statistics	3.00
4.	Civil Supplies	10.00
5.	Weights and Measures	2.00

TABLE-32 – Cotd.....

(Rs. in lakh)

1	2	3
6.	Other General economic Services	
	i) District Planning/ District Councils	3741.00
	ii) Institutional Finance & Public Ent.	50.00
	iii) Rastriya Sam Vikas Yojna	0.00
	iv) IT/ Bio-technology	2100.00
		6906.00
	Total-IX	
X	**Social Services**	
1.	General Education	25467.00
	a) Elementary Education & Literacy	13485.00
	b) Secondary Education	6482.00
	c) higher Education	5500.00
2.	Technical Education	1999.80
3.	Sports & Youth Services	951.00
4.	Art & Culture	650.00
5.	Health and Family Welfare	22264.80
	i) Primary Health Care:-	11024.80
	a) Rural	8109.80
	b) Urban	2915.00
	ii) Medical Education	6280.00
	iii) Training	56.00
	iv) ISM & Homoepathy	4254.00
	v) E.S.I.	155.00
	vi) Primary Health Care:-	495.00
	a) National Malaria Eradication Programme	35.00
	b) T.B. Control Programme	135.00
	c) Others	325.00
6.	Water Supply & Sanitation	18927.00
7.	Housing	5320.00
8.	Urban Development	2707.00
9.	Information & Publicity	490.00
10.	Welfare of SCs, STs & OBCs	3437.00
11.	Labour & Employment	708.20
	A) Labor Welfare	63.00
	B) Craftmen Training (ITIs) & Apprenticeship Training	645.20
12.	Social Welfare	7474.00
	i) Child Welfare (incl. ICDS, Balwadi, Nutrition Prog., Day Care Centres)	294.38
	ii) Women's Welfare	422.00
	iii) National Social Assistance Prog. & Annapurna	1530.00

TABLE-32 – Concld.....

(Rs. in lakh)

1	2	3
	Iv Welfare of Lepers	25.00
	V Old age pension/widow pension	4045.12
	Vi Minority Dev. Corporation	115.00
	Vii Honorarium to Balwadi Workers/Helpers	560.00
	viii)Walfare of Handicapped (Incl. Assistance for Voluntary Org.)	0.00
	ix) NPAG	257.00
	x) Others	218.50
	xi) Grant to Legal Advisory Board/IT	7.00
13.	Nutrition	863.00
14.	Other Social Services	0.00
	Total-X	**91258.80**
XI	**General Services**	
1.	Jails	201.00
2.	Stationery & Printing	100.00
3.	Public Works	2215.00
4.	Other Administrative Services	3411.50
	Total-XI	**5927.50**
	Grand Total	**210000.00**

Source: - Planning Department, Himachal Pradesh.

NUEPA DC

D13299

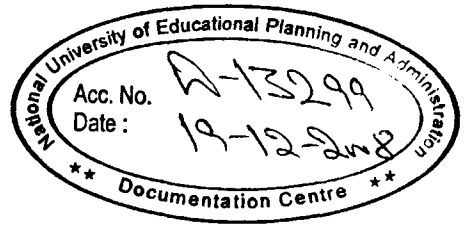

सकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला–3874–डी0ई0एस0/2008–23–2–2008–1,500.